राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] बारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 5

बुधवार;

21 जनवरी, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

सामान्य श्रेणी के विद्युत कनेक्शन

12. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सामान्य श्रेणी के कृषि विद्युत कनेक्शन के संबंध में सरकार की क्या नीति है ? वर्तमान में कितने कृषि कनेक्शन आवेदन लम्बित हैं ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार वर्ष 2004 में सामान्य श्रेणी के कितने कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है ?

(3) सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन पर प्रति यूनिट दर क्या है ?

(4) सामान्य श्रेणी के घरेलू कनेक्शन की प्रति यूनिट दर क्या है ? क्या सरकार सामान्य श्रेणी के घरेलू एवं कृषि कनेक्शन की दर में कमी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कृषि विद्युत सम्बन्ध जारी करने की वर्तमान में निर्धारित कृषि नीति में निम्न प्रावधान हैं:-

(अ) पंचायत समितिवार निर्धारित कट-आफ-डेट में आने वाले आवेदकों को नियमानुसार कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

(ब) राज्य में अनुसूचित जाति, उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति,सन् 1962, 1965 व 1971 के युद्ध में, कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों के तथा इसके पश्चात सैन्य कार्यवाही के दौरान किसी भी समय देश/विदेश में हुए शहीद के आश्रितों को तथा परमवीर चक्र/महावीर चक्र के अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा उनकी मृत्यु होने पर उनकी विधवा या परिवार के सदस्य के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता से कनेक्शन देने का प्रावधान है।

(स) कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं/ उत्तराधिकारी, राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिकों व शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग आवेदकों को सामान्य श्रेणी की कट-आफ-डेट से तीन वर्ष की प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

(द) निगम कर्मचारियों को छह माह की अवधि की प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत राज्य में माह मार्च, 2003 के अन्त में 175473 आवेदन पत्र लम्बित हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में वर्ष 2003-2004 में कुल 15000 कृषि कनेक्शन विभिन्न श्रेणियों में जारी करने के लक्ष्य निर्धारित थे जिसे बढ़ाकर अब 20000 कर दिया गया है, जिनके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में माह दिसम्बर, 2003 तक 16329 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। उनमें से सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 10648 कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वर्ष 2004-05 में कृषि कनेक्शन दिये जाने के लक्ष्य अभी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने शेष हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं इसमें एक संशोधन भी कर रहा हूं कि इसमें 5 हजार कनेक्शन मार्च तक और देने का तय किया गया है। ये केवल सामान्य श्रेणी के कनेक्शन होंगे। यह मैं अभी संशोधन कर रहा हूं और आदेश भी दे रहे हैं।

(3) वर्तमान में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन पर निम्नांकित विद्युत दरें लागू हैं:-

क्रम सख्या	मद	राशि (मीटर सप्लाई)	राशि (फ्लैट रेट सप्लाई)
अ.	स्थायी शुल्क	45 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह	15 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह
ब.	विद्युत उपभोग	0.90 रुपये प्रति यूनिट	85 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह
स.	विद्युत कर	0.04 रुपये प्रति यूनिट	फ्लैट दर का 5 प्रतिशत

(4) वर्तमान में घरेलू श्रेणी के कनेक्शन पर निम्नांकित विद्युत दरें लागू हैं:-

क्रम सख्या	मद	राशि
अ.	**फिक्सड चार्जेज**	
	(I) 50 यूनिट प्रतिमाह उपभोग	50 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह
	(II) 50 यूनिट प्रति माह से ज्यादा	75 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह
ब.	**विद्युत उपभोग दर***	
	(I) प्रथम 50 यूनिट प्रति माह	1.70 रुपये प्रति यूनिट
	(II) 50 यूनिट से अधिक	2.75 प्रति यूनिट
स.	विद्युत कर	0.25 पैसे प्रति यूनिट

* ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत उपभोग दर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाने पर 5 पैसे प्रति यूनिट की छूट देय है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राज्य में विद्युत दरें राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही कृषि/घरेलू दरों के बारे में समुचित निर्णय लेकर प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजेगी।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है पिछली सरकार ने 2003 में 15 हजार कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके विपरीत दिसम्बर तक 16329 कनेक्शन जारी किये जो चुके हैं। मैं इस बात का माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 5 हजार सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन और देने का फैसला किया है। जाहिर है, इससे बिजली की मांग भी बढ़ेगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य परमाणु बिजलीघर की तीसरी और चौथी यूनिट से जो बिजली पैदा होती है, राजस्थान सरकार का 2000 में जो समझौता हुआ था उससे दिसम्बर, 2003 तक राजस्थान को 300 मेगावाट बिजली देने का करार किया गया था और उस करार में यह प्रावधान भी था कि इस राजस्थान के हक को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा ? क्या यह सही है कि वह 300 मेगावाट बिजली अब राजस्थान को नहीं मिल रही है और यह नयी सरकार आने के बाद वह बिजली मध्य प्रदेश को देने का फैसला कर लिया गया है ?

मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने नौकरशाहों के सामने जो विजन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कहा है कि कृषि का यह मल्टी लीयर टैरिफ रखते हुए इस 75 फीसदी स्तर को बढ़ा दिया जाएगा ? मैं इन दोनों का आपसे उत्तर चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वैसे अलग से है, आज मेरा जवाब वक्तव्य के समय पर आ रहा है, आप कहें तो इसमें दूं ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अलग से नहीं है, जब आप 5 हजार कनेक्शन देने जा रहे हैं तो डिमाण्ड भी बढ़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं देने को तैयार हूं, मैं दे रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और सदन को यह जानने का हक है कि उस डिमाण्ड की पूर्ति आप कैसे करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं। इतना संयम तो रखो। प्रश्न तो अलग से है लेकिन मैं सब जवाब देने को तैयार हूं। प्रश्न अलग से है लेकिन मैं जवाब देने के लिये तैयार हूं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस प्रश्न में तो इस बात का कहीं संकेत नहीं है। आप प्रश्न कहीं का करें और जवाब कहीं का मांगे, यह तो कोई सम्भव नहीं है। (व्यवधान) कोई रेलेवेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 4 बजे ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप मंत्री हो क्या ? शपथ ले लो पहले, फिर जवाब दे देना, आप से भी पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीयं सदस्य 4 बजे वक्तव्य देंगे तो उसमें सारी बात आ जाएगी। उस समय कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिएगा तो आप मांग लीजिएगा, वह देंगे जवाब। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसी समय दूंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हाउस में इंफार्मेशन सीक करने का क्या मतलब है ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : स्टेटमेंट इस सम्बन्ध में नहीं है, स्टेटमेंट तो किसान को बिजली नहीं मिल रही है उस सम्बन्ध में है। टैरिफ के सम्बन्ध में नहीं है। हम मान लेंगे टैरिफ के सम्बन्ध में भी, आप कहेंगे, हम मान लेंगे। (व्यवधान) एग्रीमेंट के सम्बन्ध में आप बोलेंगे, टैरिफ के सम्बन्ध में आप

(डा. सी.पी. जोशी)
बोलेंगे और बिजली का जो लोड है उसके बारे में भी बोलेंगे, हम मान लेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतने दिन क्या किया आपने 5 साल राज करके ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिजली पर जब स्टेटमेंट आएगा उस पर खुली चर्चा होगी, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न सबके आए... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उक्त वक्त नहीं आएगा, बिजली पर नहीं आ रहा है। बिजली पर नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमें यह समझ में नहीं आता कि कल भी अपने पूरा समय खराब किया ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और भी माननीय सदस्य हैं, यह एक घण्टा इसमें ... (व्यवधान) लेकिन जो प्रश्न की सीमा में है उसका उत्तर दिलवा दिया जाए और उसके बाद खुली चर्चा में बाद में लिया जाए। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपने आर.ए.पी.पी. का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, ट्रैरिफ को बढ़ाना चाहते हैं यह आप इनक्लूड कर रहे हैं, स्टेटमेंट में, तो बोल लें। (व्यवधान) आप इनको डाइरेक्श दे दीजिए।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 5 साल में जो किसानों के साथ में बिजली के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : दो बार समय जाया करने में कोई लाभ नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, यह पर्याप्त है। बाकी वक्तव्य के समय वह सारी बात आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : ये बीच में बोलने वाले कौन है ? (व्यवधान) क्या आप लोगों ने इनको अधिकृत कर रखा है अध्यक्ष की तरफ से बोलें या मंत्री की तरफ से बोलें ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार ने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है। जब प्रश्नकर्ता खड़े हैं तो आप सब लोग बीच में खड़े क्यों हो गये ?

श्री सी.डी. देवल : पहली बात तो यह है कि सामने से माननीय सदस्य बीच में बोल रहे थे, हम क्या करें। आखिर उनके प्रश्न का जवाब आए, उसके पहले यह खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपने कहा स्टेटमेंट आऐगा, आपका स्टेटमेंट आएगा जब ... (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : तो आप बोलो या मंत्रीजी बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो आगे तो प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं दे रहा हूं जवाब। जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि यह 5000 का जो लोड बढ़ेगा उस लोड के लिए आपके पास क्षमता है क्या ? मैं कहना चाहूंगा कि लोड के लिए क्षमता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, एक।

नम्बर-दो, उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि क्या हमने आर.ए.पी.पी. के अन्दर हमारा जो समझौता था, उसके अन्तर्गत कोई बिजली छोड़ दी है क्या ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने अपने हिस्से की कोई विधुत न तो छोड़ी है, न किसी को दी है और न छोड़ेंगे। हमने अतिरिक्त बिजली प्राप्त की है और आज राजस्थान में 885 लाख यूनिट, 867 लाख यूनिट बिजली हम सप्लाई कर रहे हैं, जो रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं केवल यहां कहकर खतम नहीं करूंगा, मैं अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करके यह डाकूमेंट कि किस-किस डिस्काम को कितनी-कितनी बिजली दी जा रही है, सदन के पटल पर रखूंगा, जो सदस्य के काम आए और अगर मुझे कभी इसकी सज़ा भुगतनी पड़े, प्रताड़ना भुगतनी पड़े तो मैं आपके द्वारा उसकी सज़ा और प्रताड़ना भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। ऐसा डाकूमेंट मैं सदन के पटल पर रखूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब आ गया।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इतने एक साथ बोल रहे हैं, इनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब हो गया, सदन का समय जाया नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपको जवाब दे तो दिया।

श्री संयम लोढ़ा : कहां जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : और क्या चाहते हो आप ? क्या नहीं दिया ? आपने जो पूछा उसका जवाब तो दे दिया।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय खराब कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट देंगे लेकिन... (व्यवधान)

(आसन द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री कालूलाल गुर्जर : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

अनेक माननीय सदस्य : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। माननीय सदस्यगण, प्रश्न पूछने का तरीका यह है कि प्रश्नकर्ता अपने दो सप्लीमेंट्री पहले पूछे। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक उनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ था तो आपको बीच में खड़े नहीं होना चाहिए था। आप अनुभवी हैं, आप वरिष्ठ हैं, पहले इनके प्रश्न जो आये हैं, प्रश्न का नियम यह है कि ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैं कहना चाहती हूं, प्रश्न पूछने का तरीका यह है कि पहले प्रश्नकर्ता अपने दो सप्लीमेंट्री पूछे और उसके बाद कोई एक अन्य प्रश्न पूछेंगे। आप एक -एक तो खड़े होते नहीं हैं। माननीय सदस्य एक ही खड़े हों तब तो उसका जवाब भी आएगा और मैं भी सुन सकूंगी कि वे क्या पूछ रहे हैं। एक साथ आप दस-दस खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : xxx

श्री अध्यक्ष : आखिर आप सदन को चलाना चाहते हो या नहीं चाहते ?

श्री संयम लोढ़ा : जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप इतनी बेसब्री मत दिखाइये, थोड़ा सब्र रखिये। देखिये, बीच में बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है और जब आसन पांवों पर हो तो आप शांतिपूर्वक सुनिये। मैं निवेदन कर रही थी कि अब आपको जो प्रश्न पूछना था उसका जवाब माननीय मंत्रीजी ने दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, उन्होंने ... (व्यवधान)... आपने प्रश्न पूछा था कि आप जो अतिरिक्त बिजली देने की, पांच हजार कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं, जवाब दे दिया न उन्होंने। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : xxx

श्री कालीचरण सर्राफ : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया, जवाब दे दिया न उन्होंने। रेट और बता दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं रेट्स के बारे में बता देता हूं। रेट्स के बारे में मैं दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : रेट्स के बारे में सी.एम. वाला जो पूछा, आपसे सी.एम.वाला, वह बता दें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने जवाब माननीय सदस्य को बताया है कि विद्युत विनियामक आयोग दरें तय करता है। पिछली सरकार ने यह तय किया था कि वह अप्रैल के महीने तक 12 परसेंट रेट बढ़ाने को विद्युत विनियामक आयोग के पास जाएगी। मैं आपके और सदन के माध्यम से राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार अप्रैल में या अप्रैल के बाद रेट्स बढ़ाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग के पास नहीं जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं जाएगी, सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं जाएगी, इसका भी मैं कारण बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि जिस समय हम राज से गये थे, उस समय 50 नये पैसे कृषि की विद्युत दरें थीं, चार साल में उन्होंने बढ़ाकर 94 नया पैसा और 45 रुपया उनका स्थाई शुल्क कर दिया। आज किसानों को देने की स्थिति में नहीं हैं। एक रुपया बीस पैसा घरेलू बिजली का था, वह उन्होंने बढ़ाकर 2 रुपये 70 पैसा कर दिया। यह पैसा बहुत ज्यादा है और इसको हम तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे। इसको किसी भी कीमत पर बढ़ाएंगे नहीं। न तो हम विश्व-बैंक की शर्तों को मानेंगे और न पिछली सरकार के करार को मानेंगे। हम निश्चित रूप से राज्य की जनता के हित में काम करेंगे। यह मैं रेट्स के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जाना चाहूंगा कि ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : बाकी क्या रह गया ? अब तो शर्म से वैसे ही शर्मसार हो जाना चाहिए, अब क्या पूछ रहे हो ?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, वितरण कम्पनियों में क्या वह आदेश निकला था कि किसी भी कृषि उपभोक्ता को डी. एन. जारी नहीं किया जाएगा ? स्पेशल कृषि कनेक्शन के लिए लाखों रुपये लगाकर, जिन्होंने एप्लाई कर रखा है, जो हजारों की संख्या में है, क्या उनको अब डी. एन. जारी नहीं किये जाएंगे ? मंत्री महोदय यह भी बताए कि 6 साल पहले ट्राइबल और एस.सी. का सामान्य श्रेणी कनेक्शन में जो डी.एन. जमा होता था, इस निजीकरण के बाद 10 गुणा उसकी रेट बढ़ गयी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया न। बता दिया न मंत्रीजी ने।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल सब-प्लान में ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि क्या वितरण कम्पनियों ने सरकार बनने के बाद किसी भी किसान का डी.एन. जारी करना बंद किया था ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, बिराजें। वह बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा, क्या सरकार बनने के बाद वितरण कम्पनियों ने यह आदेश निकाला था कि किसान का कोई डी.एन. जारी नहीं होगा ? स्पेशन कृषि कनेक्शनों में लाखों आवेदक जिनको अभी तक डी. एन. नहीं मिला है, जिन्होंने जल्दी, कनेक्शन लेने के लिये लाखों रुपये के ट्यूबवैल बनाये थे, क्या सरकार उनको अब आइन्दा से कनेक्शन नहीं देने का इरादा रखती है ? क्या बोर्ड का विखण्डन करने से पहले आदिवासी और एस.सी. सब प्लान के डी. एन. जमा कराने की जो रेट थी वह 8 या 10 गुण बढ़ गयी है निजीकरण लागू करने के बाद, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो अलग से प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लूं।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, पिछले वर्ष नवम्बर में किसानों को कितने लाख यूनिट बिजली मिलती थी और इस बार नवम्बर में कितने लाख यूनिट बिजली मिल रही है ? पिछले वर्ष नवम्बर में डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना गैप था और इस बार नवम्बर में कितना गैप है ? बिजली कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है, कृपया इस सदन को बताएं।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो अलग प्रश्न है आपका। वैसे तो अपका प्रश्न अलग से है लेकिन माननीय मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तो आप कनेक्शन तुरन्त दे रहे हैं, शिड्युल्ड ट्राइब के लोगों को कनेक्शन आप तत्काल नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ट्राइबल सब-प्लान के जो शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनको आप दे रहे हैं, लेकिन बाकी राजस्थान के एरिये में शिड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग बसे हुए हैं, उन्होंने क्या अपराध किया ? आज शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तो आप तत्काल कनेक्शन दे रहे हैं ...(व्यवधान) पांच साल में हमने गुनाह किया, पांच साल की सज़ा हम भुगत रहे हैं, आप भी सज़ा भुगतना चाहते हो क्या ?(व्यवधान) मैने पांच साल बराबर लगातार इस बात को उठाया। (व्यवधान) अमरारामजी साहब। (व्यवधान) इन अमरारामजी का भी भील समाज के लोगों ने स्वागत किया जीतने पर, इन्होंने कहा मैं आपकी कोशिश करूंगा। अभी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आप प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : तत्काल कनेक्शन दे रहे हैं एग्रीकल्चर, उसी प्रकार बाकी के जो एस.टी. के लोग हैं पश्चिमी राजस्थान में, जहां से कोई

(श्री हेमाराम चौधरी)
एस.टी. का प्रतिनिधि जीतकर नहीं आता, उनकी कोई सीट नहीं है, उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी तत्काल ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : पांच साल चुनकर आपने नहीं सम्हाला। (व्यवधान) पांच साल चुनकर आपने क्या किया ?...(व्यवधान) अब यह सरकार अवश्य करेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री सुरेन्द्र गोयल : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न पुकार रही हूं। माननीय मंत्रीजी, बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री कालूलाल गुर्जर : xxx

श्री रिछपाल सिहं मिर्धा : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री रिछपाल सिहं मिर्धा : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, दें। जवाब देना चाहें तो दें। (व्यवधान) आप बैठिये तो सही, वह जवाब दे रहे हैं। वह जवाब दे रहे हैं, आप बिराजिये। एक बार अपना स्थान ग्रहण करो। देखिये, एक प्रश्न को कितने लोग...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : पहले पूछे गये प्रश्नों का जवाब तो आने दीजिये, उसके बाद पूछिये आपको पूछना है तो। हां, माननीय मंत्रीजी, खड़े होइये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप फिर पूछ लेना, मैं दूंगा जवाब। मैं सबका जवाब दूंगा। श्रवण जी, बैठो। आप बैठ जाओ, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। बिलकुल नहीं सुनूंगी। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महिपालजी, मैं जवाब दे रहा हूं, आप बैठें तो सही। मैं सब जवाब दे दूंगा, बैठों तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं फिर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब देने ही नहीं देते। जवाब नहीं आने देते आप।

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री अध्यक्ष : जिद कर रहे हैं। नहीं, बिलकुल नहीं पूछने दूंगी मैं। नॉट अलाउड। आप स्थान ग्रहण करें, उनको बोलने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के जितने भी सवाल आ रहे हैं, चाहे इस क्वेश्चन के परव्यू में है या क्वेश्चन के परव्यू के बाहर, मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिये पूणर्तया तैयार इस समय खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अमरारामजी ने पूछा है, माननीय हेमारामजी ने, माननीय श्रवण कुमारजी ने, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ ने, सुरेन्द्रजी गोयल ने जो प्रश्न पूछे उनके दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सबका यह निकलकर आता है कि आप यहां पर विद्युत सप्लाई इतने कनेक्शन देने के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
बाद कर सकोगे ? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पिछले वर्ष नवम्बर में 731.32 लाख यूनिट प्रति दिन देते थे, इस बार नवम्बर में 822.60 लाख यूनिट देंगे। (व्यवधान) पिछले बार दिसम्बर में 721 लाख यूनिट थी... (व्यवधान) आगे सुनो न एक बार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप खुद ही नहीं चाहते उत्तर सुनना। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस बार दिसम्बर में 827.08 लाख यूनिट बिजली थी, जनवरी में 717 लाख यूनिट थी। इस बार जनवरी में 862 लाख यूनिट है, 20 प्रतिशत अधिक है। राजस्थान का आज तक का रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण है ...(व्यवधान)

एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह कितना बड़ा अन्याय है, एक एग्रीकल्चर वाला 15 साल...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महिपालजी, बता रहा हूं। एक मिनट बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा अन्याय इस राजस्थान प्रदेश में है कि किसानों के एक लाख 76 हजार कनेक्शन पैंडिंग पड़े हैं, वह 15 साल तक इन्तजार करता रहे।

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी बोल रहा हूं। मैं वह बात बोल रहा हूं जिसको आप सब लोग सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं न। सुनो न, अमरारामजी, बता रहा हूं। उतावले क्यों हो रहे हो ? अध्यक्ष महोदय, एक लाख 76 हजार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की बात में व्यवधान नहीं डालें। मंत्रीजी के जवाब में व्यवधान नहीं डालिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री बाबूसिंह : xxx

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं न सुनो तो सही। हिम्मत नहीं है सुनने की। (व्यवधान) हां, बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह सुनना नहीं चाहते हैं, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 76 हजार कनेक्शन पैंडिंग हैं। (व्यवधान) राज्य सरकार ने तय किया है कि किसान 10 साल इन्तजार नहीं करेगा। राजस्थान सरकार आगे आने वाले तीन साल में सभी 1 लाख 76 हजार किसानों को कनेक्शन दे देगी। सारे डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये जाएंगे और तीन साल बाद में आओ और पाओ, आओ और पाओ चलेगा। इस प्रकार से निकलेगा। यह मैं घोषणा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण मीणा। नैक्स्ट कवेश्चन।

श्री रामनारायण मीणा। आई विल नॉट अलाउ। नौ, बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण मीणा। आधा घंटा बीत चुका है। सब माननीय सदस्यों ने अपने-अपने पूरक प्रश्नों के जरिये अपनी बात बता दी है। चार बजे वक्तव्य आएगा। जो कुछ कहना चाहते हैं, सब बता दिया है। अब आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। नैक्स्ट क्वेश्चन। नो, नो, आई विल नॉट अलाउ। नैक्स्ट क्वेश्चन।...(व्यवधान)...

मोतीपुरा बांध की दीवार से पानी रिसाव

13. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के मोतीपुरा बांध की दीवार से पानी रिसाव हो रहा है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में एवं कब से

(2) क्या बांध निर्माण के समय से अब तक बांध के पेटे में काफी मात्रा में मिट्टी का भराव हो जाने के कारण पहली बरसात में ही बांध पूरा भर जाता है ? यदि हों, तो बांध के वैस्ट वियर में होकर कितना पानी प्रति वर्ष बह जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूरे वर्ष अधिक पानी का भराव रहने एवं किसानों को सिंचाई का पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए बांध की ऊंचाई

(श्री रामनारायण मीणा)

बढ़ाने के साथ ही आलाभारा नामक स्थान पर बड़े एनीकट का निर्माण करवाया जाकर उसे इस बांध के लिए फीडर के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त बांध के पुनःनिर्माण एवं मरम्मत का कार्य कब तक करवा दिया जाएगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवरलाल) : (1) जी हां। पानी रिसाव की मात्रा लगभग 1.00 घन फुट प्रति सैकण्ड है एवं जुलाई, 2001 से रिसाव हो रहा है।

(2) जी नहीं। बांध का भरना वर्षा की मात्रा पर निर्भर है।

(3) जी हां। इस कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट शीघ्र ही बनायी जाएगी।

(4) 30 जून, 2004 तक रिसाव रोक दिया जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री बद्रीलाल जाट : xxx

श्री कनकमल कटारा : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री अध्यक्ष : गो ऑन। ...(व्यवधान)...

श्री सांवरलाल : बोल दिया, साहब। बोल दिया न खड़े होकर।...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय पांच साल तक कुछ किया नहीं, समय नष्ट कर रहे हैं। सिंचाई विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्य का सवाल है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, बोलिये, आप शुरू करिये। जवाब प्रारम्भ करिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : (1) जी हां। पानी रिसाव की मात्रा लगभग 1.00 घन फुट प्रति सैकण्ड है एवं जुलाई, 2001 से रिसाव हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।...(व्यवधान)...इस प्रश्न पर 35 मिनट हो गये हैं, इस प्रश्न पर मैं आपको और मौका दूंगी, अब नहीं। अब नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। नहीं, अब नहीं।...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री रामनारायण विश्नोई : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित तो हो नहीं रहा है। माननीय सदस्यगण। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आसन को सहयोग करें, कोआपरेट करें। ...(व्यवधान)...जवाब आ गया, आप सुनिये, बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : देखिये, यदि एक साथ आप इतने माननीय सदस्य खड़े हो जाएंगे तो यह सम्भव नहीं है कि आपकी बात सुनी जा सके और उसका जवाब आ सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ...(व्यवधान)...

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : xxx

श्री अध्यक्ष : आपका अलग से प्रश्न है, विराजिये। आप अपना स्थान ग्रहण करये

श्री महादेव सिंह : xxx

श्री अध्यक्ष : बैठिये। खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री महादेव सिंह : xxx

श्री अध्यक्ष : खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रही हूं, हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, स्थान ग्रहण कर लें। आपको मैं मौका दूंगी लेकिन अभी नहीं। यह प्रश्न जा चुका है, दूसरा प्रश्न पुकार लिया गया है।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : आप कृपया विराज जाएं। आप सब से निवेदन कर रही हूं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, क्या आप माननीय सदस्यों को बैठा नहीं सकते हैं ? बैठा नहीं सकते आप इन्हें ? हद हो रही है।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर नहीं करें। विराज जाएं।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : मुझे मजबूर कर रहे हैं आप। आप मुझे मजबूर न करें। माननीय सदस्य, मैं आपसे बहुत नम्र शब्दों में निवेदन कर रही हूं, मुझे मजबूर न करें। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी प्रश्न पूछना अब। 35 मिनट बीत चुके हैं, अब नैक्स्ट क्वेश्चन होगा। प्रश्नों का भी एक तरीका है, बाकी प्रश्न रह जाते हैं, आप एक प्रश्न पर सारे दिन उलझ जाते हैं। यह कौनसा तरीका हुआ ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : xxx

श्री अध्यक्ष : डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये, प्रश्नकर्ता दो प्रश्न पूछेगा सप्लीमेंट्री और उसके बाद एक अन्य प्रश्न और पूछा जाएगा। प्रश्नों की परम्परा यही है, इसलिए मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : चार बजे वक्तव्य होगा, सारी बातें आएंगी।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : अच्छा सप्लाई होगी।...(व्यवधान)... ठीक है, बैठिये, आप सहयोग नहीं करना चाहते, ठीक है।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री बद्रीलाल जाट : xxx

श्री टीकमचंद कान्त : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा ।...(व्यवधान)...

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न पूछ लिया, मैंने दो बार जवाब दे दिया। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री बद्रीलाल जाट : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : मुझे बड़ा अफसोस है कि तीन-तीन, चार-चार बार जीत कर आये हुए माननीय सदस्य भी इस प्रकार से आसन की अवहेलना कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। कृपया विराजें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं दूसरा प्रश्न पुकार चुकी हूं इसलिए अब आप विराजें। आप मुझे मजबूर नहीं करें। मैं अलाउ नहीं कररूंगी। आसन से एक बार व्यवस्था हो गयी, मैं अलाउ नहीं करूंगी।

श्री महादेव सिंह : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : आप शोर मचाइये अपको जितना मचाना है। आपका अकेलों का अधिकार नहीं है, और भी प्रश्न हैं। औरों के भी प्रश्न हैं। ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं दूंगी मौका। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : आपको अपना प्रश्न पूछना है तो पूछिये, नहीं पूछना है तो स्थान ग्रहण कर लीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि क्या बांध में एक पानी के बाद खाली हो जाता है ? और क्या आलाभारा को 11 टैंक के रूप में आप बनाने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय। ...(व्यवधान) पधारो-पधारो आप, बाहर जाओ। जो कुछ करना है, कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री हेमराज : xxx

श्री अध्यक्ष : आप पूछो। (व्यवधान) जाओ, जहां आपको जाना है वहां जाओ।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री बद्रीलाल जाट : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज। प्रश्न संख्या 14.

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब मंत्रीजी ने दिया नहीं और आपने अगला प्रश्न पुकार लिया। मैंने प्रश्न पूछा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मौका क्यों नहीं दूंगी ? माननीय सदस्य, आपने यह कहा कि मुझे प्रश्न नहीं पूछना है।

श्री रामनारायण मीणा : आप रिकार्ड देख लीजिए, मैंने नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूछिए।

श्री रामनारायण मीणा : क्या मोतीपुरा बांध, एक पानी देने के बाद में वह खाली हो जाता है ? दूसरा मेरा अनुरोध है कि क्या रिजर्व टैंक आलाभारा बनने के बाद में फीडर का काम देकर उसके बांध को रीचार्ज करने से क्षेत्र को

(श्री रामनारायण मीणा)

फायदा होगा ? यदि होगा तो आलाभारा बांध की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कहा है, माननीय मंत्रीजी, आलाभारा बांध की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर जो बारह बीघा फोरेस्ट की जमीन आएगी उसकी क्लियरेंस के लिए केन्द्र सरकार को कब तक भिजवा देंगे ?

श्री सांवरलाल : क्या पहले वाला सुन लिया था आपने ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जब प्रश्न किया और जब मैंने जवाब दिया था, इनके सदस्य इनको सहयोग नहीं कर रहे थे...

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, आप दुबारा दोहरा दीजिए।

श्री सांवरलाल : पांच साल तक यहां पर राज किया और पता नहीं एक महीने में ही ये क्या चाह रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। (व्यवधान) जो कुछ इन्होंने किया उसका जवाब माननीय मंत्रीजी ने दे दिया उसके बावजूद भी। सिंचाई विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, इनके सदस्य ने सवाल किया मैंने जवाब दिया। उसको सुनने भी नहीं दिया होगा शायद। मैं वापस सुनाऊं एक बार ?

श्री अध्यक्ष : आप दोहरा दीजिए न। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलें।

श्री सांवललाल : (1) जी हां। पानी रिसाव की मात्रा लगभग 1.00 घन फुट प्रति सैकण्ड है एवं कांग्रेस शासन के समय, जुलाई, 2001 में शुरू हुआ था।

(2) जी नहीं। बांध का भरना वर्षा की मात्रा पर निर्भर हैं।

(3) जो आपने नहीं किया पांच साल, हम करेंगे। जी हां। इस कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट शीघ्र ही बनायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : आप कंट्रोवर्सी क्यों पैदा कर रहे हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो रिटन रिप्लाई है वैसी ही पढ़ें। सप्लीमेंट्री में जो जवाब देना चाहें कर दें। ''हमने नहीं किया'' यह जोड़ने का अधिकार इनको नहीं है। आप इन्हें पाबन्द करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री सांवरलाल : मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने सवाल उठाया। मैं उसी पर चलूंगा, क्योंकि जो आपने नहीं किया वह सुनने से आपको तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : आप कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करें। माननीय मंत्रीजी, आपको जो प्रश्न का जवाब दिया गया है वहीं पढ़ें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सुनो, क्या कह रहीं हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री सांवरलाल : यह बड़ा महत्वपूर्ण है, माननीय अध्यक्ष महोदय। पानी का रिसाव रोकना किसानों के हित में है। पानी वेस्ट जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आसन की तरफ देखकर जवाब दीजिए। उधर मत देखिए आप।

श्री सांवरलाल : (4) 30 जून, 2004 तक रिसाव रोक दिया जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा आपसे पूरक प्रश्न पाइंटेड है। जो रिजर्व टैंक बनेगा आलाभारा से, उसमें जो फोरेस्ट की जमीन आएगी, राज्य सरकार उसकी क्लियरेंस के लिए क्या 30 जून, 2004 तक प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा देगी ? दूसरा मेरा सवाल है कि बांध कितना फुट रेज करोगे और उस आलाभारा के रिजर्व टैंक की जमीन की क्लियरेंस के लिए 30 जून तक भिजवा देंगे या नहीं ?

श्री सांवललाल : अध्यक्ष महोदय, हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वर्तमान बांध की जो क्षमता है उसके हिसाब से जितना रेज हो सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आऐगी उसके बाद माननीय सदस्य से चर्चा कर टैक्निकली जितना सम्भव होगा, उतना हम रेज करवाने का प्रयास करेंगे।

दूसरा सवाल आपका है उसके बारे में यह है कि आलाभारा नामक स्थान पर जो एनीकट है वह बनाया जाना सम्भव इसलिए नहीं है कि वह बांध से दस किलोमीटर दूर है, और वन क्षेत्र में एनीकट बनाने के लिए वन विभाग की मंजूरी लेनी पड़ती है जो बहुत ही मुश्किल है इसलिए ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : वन विभाग की मंजूरी के लिए भिजवा दीजिएगा, हम आपका सहयोग करेंगे। जो काम आप नहीं कर सकते वह कांग्रेस करवाने को तैयार है, मदद करने को तैयार है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दु:ख है कि पांच वर्ष राज में रहे और रिसाव नहीं रोक पाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति

14. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में 100 दिन/200 दिन में पेयजल की कौन-कौनसी योजनाएं स्वीकृत की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किशनगंज/शाहबाद क्षेत्र में 60 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो इन्हें ठीक कराने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार किशनगंज क्षेत्र जहां पेयजल की किल्लत है, में 100 दिन में नये हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अबण्डण्ड (नाकारा) हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) किशनगंज/शाहबाद क्षेत्र के कौन-कौन से गांव व कस्बों में पिछले वर्ष टैंकर द्वारा पेयजल सप्लाई की गई व उस पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) बारां जिले में भी प्रान्त के अन्य स्थानों की भांति 100 दिवस के कार्य योजना का प्राथमिक प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसमें किशनगंज विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है। बारां जिले में व तदनुसार सन्दर्भित क्षेत्र हेतु कार्य योजना निम्न प्रकार है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्र.सं.	कार्य	जिले के लिए कार्ययोजना	विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के लिए कार्य योजना प्रस्तावित लक्ष्य
1.	ग्रामीण स्कूलों में जल व्यवस्था (प्रधान मंत्री कार्यक्रम)	25	5
2.	समस्याग्रस्त गांवों में हैण्डपम्प से जल व्यवस्था (प्रधान मंत्री कार्यक्रम)	164	30
3.	अबण्डण्ड हैण्डपम्प को साइट से हटाना	480	103
4.	पारम्परिक जल स्रोतों का पुनरूद्धार (प्रधान मंत्री कार्यक्रम)	20	5
5.	पूर्व में खुदे नलकूपों को चालू करना	12	6

क्रमांक 1,2 व 4 पर अंकित कार्यक्रम में गाइड लाइन के अनुसार न्यूनतम जन सहयोग निहित है। अतः प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति के सन्दर्भ में इस पूर्व आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है, जिसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्तमान में 200 दिवस के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस कार्य योजना के प्रारूप को मार्च, 2004 में ग्रीष्म 2004 की सम्भावित स्थिति का आकलन व तदनुरूप आवश्यकता तथा धन संसाधनों की उपलब्धि का अवलोकन कर पूरे वर्ष की कार्य योजना बनायी जाएगी।

(2) जी नहीं। सामान्यतया हैण्डपम्प रिपेयर का कार्य पंचायतों द्वारा सम्पादित किया जाता है एवं समय-समय पर विशेष अभियान के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसमें भाग लेता है। पिछला अभियान 1.3.2003 से 31.7.2003 तक सम्पादित कर मरम्मत हो सकने वाले 774 हैण्डपम्पों की मरम्मत कर दी गई थी। आगामी अभियान के सन्दर्भ में हैण्डपम्पों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण कर आकलन करने के लिए दिनांक 15.1.2004 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो दिनांक 31.1.2004 तक पूर्ण करना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
सम्भावित है। वास्तविक मरम्मत कार्य दिनांक 1.2.2004 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। खराब हैण्डपम्पों की संख्या का सही आकलन दिनांक 31.1.2004 के पश्चात् उपलब्ध होगा परन्तु सर्वेक्षण पूर्व प्रारम्भिक आकलन के अनुसार क्षेत्र में कुल स्थापित 2125 हैण्डपम्पों में से 264 सूखे तथा 103 अबण्डण्ड हैण्डपम्पों को छोड़कर शेष 1758 हैण्डपम्प हैं जिनमें अधिकांश चालू हैं। कुछ इनमें अभी खराब भी है, उनकी संख्या लगभग 200-220 है। एक्जेक्ट फिगर तो 31 जनवरी तक जब हमारा सर्वे होकर आएगा, उसमें से ही आंकड़ा आएगा। अभी जो अनुमानित है वह 200-200 के लगभग है जिसका अनुपात चालू व मरम्मत योग्य हैण्डपम्प के सन्दर्भ में लगभग 10-15 प्रतिशत बनता है।

(3) जी हां। प्रधान मंत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य योजना में तीस नये हैण्डपम्प बनाने का प्रस्तावित लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में गाइड लाइन के अनुसार न्यूनतम जन सहयोग की पूर्ति की आवश्यकता है।

जिन गांवों में जनसंख्या पचास प्रतिशत से अधिक सहरिया है वहां पांच प्रतिशत जन सहयोग और जिनमें सामान्य की आबादी पचास प्रतिशत से अधिक है वहां पर दस प्रतिशत जन सहयोग।

(4) दिनांक 15.1.2004 से प्रारम्भ किये गये सर्वेक्षण में चिह्नित अबण्डण्ड हैण्डपम्प के नजदीक वाले पेयजल स्त्रोत की दूरी के बारे में सूचना एकत्र करने का कार्य किया जा रहा है ताकि मापदण्ड व तदनुरूप आवश्यकता प्राथमिकता एवं घन संसाधनों की उपलब्धि, वैसे जितने भी अबण्डण्ड हैण्डपम्प हैं और जो 500 मीटर की रेंज में है और कोई दूसरा सोर्स नहीं है वहां विभाग इस बार प्राथमिकता देकर उसकी पूर्ति करेगा।

(5) गत वर्ष (ग्रीष्म 2003 में) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के तहसील किशनगंज के चार ग्रामों तथा तहसील शाहबाद के 19 ग्रामों में परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया गया जिसमें क्रमश: 25,365.00 रुपये (यह तो किशनगंज में) एवं 13,59,638 रुपये शाहबाद विधान सभा में टैंकर की राशि व्यय हुई। सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 100 डेज की कार्य योजना में पांच हैण्डपम्प और तीस हैण्डपम्प प्रस्तावित किये हैं और इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्रीजी की योजना के अनुसार जन सहयोग के बिना यह संभव नहीं होगा, मेरा निवेदन है कि किशनगंज-शाहबाद का जो इलाका है, आदिवासी इलाका है, वहां पर न पांच प्रतिशत जन सहयोग सम्भव है और न दस प्रतिशत जन सहयोग सम्भव है, क्या वहां पर जन सहयोग न मिलने के बाद भी हैण्डपम्प लगाये जाएंगे या नहीं लगाये जाएंगे ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हैण्डपम्प रिपेयर का अभियान इन्होंने ग्राम पंचायतों को सौंपा है। एक ग्राम पंचायत में एक भी मिस्त्री नहीं है। एक मिस्त्री के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतें हैं उसमें करीब 22-22, 25-25 गांव हैं और एक मिस्त्री द्वारा 22 गांवों को सम्भालना सम्भव नहीं है। ग्राम पंचायतों में सामान की भी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार जब तक अभियान के रूप में यह नहीं चलाएगी तब तक हैण्डपम्प रिपेयर होना सम्भव नहीं है। जो विभाग ने सूचना दी है कि 15 प्रतिशत ही खराब हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग साठ प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हो चुके हैं, जो एक दिन सुधारने के बाद केवल तीन दिन चलते हैं, उसके बाद पुनः खराब हो जाते हैं। कई हैण्डपम्प तो ऐसे हैं जिनका वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि उनको रिपेयर करना भी सम्भव नहीं है। क्या विभाग युद्ध स्तर पर रिपेयर का अभियान चलाकर ठीक कराएगा अथवा जहां पर हैण्डपम्प सूख चुके हैं और जो हैण्डपम्प अबण्डण्ड हैं उनकी जगह नये हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव है या नहीं ? कृपया मंत्री जी इस संबंध में मुझे कुछ बताएं।

तीसरा, किशनगंज-शाहबाद और 19 गांवों तक टैंकर से पानी पहुंचाने की योजना बनाई गयी थी पिछली बार पिछले साल की भांति इस साल भी वाटर लेबल इतना नीचे चला गया है कि उन गांवों में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन 19 गांवों के लिए ऐसी कोई योजना बनाई है कि स्थाई रूप से वहां पर पानी की व्यवस्था की जा सके या कोई रीजनल स्कीम प्रस्तावित है ? शाहबाद कस्बा सब डिवीजनल हैडक्वार्टर है, वहां आबादी कम से कम चार हजार करीबन है। देवली कस्बा ऐसा है जहां पर टैंकर द्वारा सप्लाई हुई है पानी की, वहां पर भी चार-पांच हजार की आबादी है। वहां पर भी कोई स्थाई व्यवस्था की है अथवा नहीं, इस संबंध में मुझे मंत्री जी कुछ बताए ?

श्री सुभाष चन्द्र (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले उनके प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह आग्रह है कि जहां जन सहयोग नहीं होगा, वहां राज्य सरकार द्वारा किसी और तरीके से इस प्रधानमंत्री कार्यक्रम के तहत सम्भव है या नहीं। इसमें पांच तो विद्यालय में हैं और तीस अलग-अलग आवश्यकता के हिसाब से हैं, तो इसमें विधायक फण्ड का भी उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए इसी के अनुरूप जहां पांच प्रतिशत आवश्यकता हो, जहां दस प्रतिशत हो वहां अगर विधायक भी इस समय, चूंकि आपके विधायक फण्ड में शायद अप्रैल तक पैसा आऐगा... (व्यवधान) उसके लिए पिछले विधायकों का अगर कोई पैसा बचा है लक्ष्य श्रम सारा इकट्ठा करके उसको भी ध्यान में रखकर अगर आवश्यकता की पूर्ति उससे सम्भव हुई तो हम वह सहयोग करके भी इस बार तो प्रधान मंत्री का जो पैसा आया हुआ है और जो लक्ष्य हमने तय किये हुए हैं उसके तहत पूरा करने का प्रयास करेंगे।

दूसरा, ग्राम पंचायतों को मरम्मत-यह पूर्व सरकार का निर्णय था और हमने सारा सामान भी ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया लेकिन अभी फिर अभियान प्रारम्भ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करने वाला है। मैंने कहा कि 31 जनवरी तक हमारा सर्वे पूरा होगा और 1 फरवरी से काम प्रारम्भ होगा, इसका मतलब विभाग ही फरवरी से अभियान चलाकार इन सारे की मरम्मत करेगा।

तीसरा, साठ प्रतिशत आप कहते हैं खराब हैं, मैं कह रहा हूं नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको फिगर दिये हैं सारे के सारे। कल ही आपके क्षेत्र में 2125 हैण्डपम्प लगे हुए हैं उसमें से 1785 हैण्डपम्प आज भी ठीक स्थिति में हैं। कुछ सामान्य छोटी-मोटी खराबी होगी। यह परसेंटेज मैंने इसलिए आपको बताया कि जो कुछ आज हमारे पास सूखे हैं 264, उसको निकाल लिजिए तो 103 खराब हैं, अगर इनको भी मिला लो सारे खराब के सहित तो भी यह लगभग पच्चीस प्रतिशत बैठता है। लेकिन जो चालू स्थिति में हैण्डपम्प हैं उनके प्रतिशत के हिसाब से अगर में निकालूं तो मात्र दस से लेकर पन्द्रह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं। साठ प्रतिशत का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि आपके यहां हैण्डपम्प ही कुल 2125 लगे हुए हैं तो साठ प्रतिशत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन बहुत देर से कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है कि कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें पेयजल उपलब्ध नहीं है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप मुझे अनुमति प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : मेरा तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे प्रदेश की जनता का सवाल है. (व्यवधान) मेरा निवेदन है, इस 100-डेज का पहला दिन कब से शुरू होगा ? सरकार बनने के बाद पहला दिन शुरू हुआ कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री हेमराज : मेरा तो पूरा होने दो। आप बैठो तो सही। माननीय सदस्य, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, उसके बाद पूछिए।

श्री अशोक बैरवा : सरकार से इतना-सा जवाब दिलवा दीजिए कि पहला दिन शुरू हुआ कि नहीं हुआ 100-डेज मिशन का, ताकि प्रदेश की जनता यह समझ सके कि 100 डेज मिशन शुरू हो गया है। (व्यवधान)

श्री हेमराज : मेरा प्रश्न पूरा होने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्नकर्ता का नाम पुकारा है, माननीय सदस्य अन्य जो खड़े हुए हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक बैरवा : सदन का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि यह 100-डेज का मिशन आखिर क्या है और इसका पहला दिन शुरू हुआ कि नहीं, हमारा बहुत अहम सवाल है। इनकी सरकार के अन्दर जो प्रतिनिधि आऐ हैं वे भी परेशान हैं कि यह 100-डेज के मिशन का पहला दिन शुरू हुआ कि नहीं। (व्यवधान) सारे सदस्य गुमराह हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जनता गुमराहं हो रही है कि यह 100-डेज मिशन का पहला दिन शुरू हुआ कि नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार से जवाब प्रदान करवा दें। (व्यवधान)

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे सवाल का जवाब आने दें।

श्री अशोक बैरवा : 100 डेज का पहला दिन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, यह पूरे प्रदेश की जनता और सदन के सदस्य जानना चाहते हैं ? (व्यवधान) सारी योजनाओं का काम, सड़कों का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, इतना-सा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सरकार का 100-डेज का कार्यक्रम शुरू हुआ कि नहीं, आपको प्रधानमंत्री सहायता में 26 करोड़ रुपया दिया था...(व्यवधान 26 करोड़ रुपया मिला था, छह महीने से रुपया आपके पास ही था, उसमें से तेरह करोड़ आपको प्राप्त हो गया, आपने एक फूटी पाई खर्च नहीं की। (व्यवधान) हमने कम से कम 100 दिन में टार्गेट बनाकर दिया, यह 100 दिन में पूरा होगा। एक एक टार्गेट बनाकर दिया है। आपको तो तेरह करोड़ रुपया प्राप्त हो गया था। हमारा 100 दिन का अभियान शुरू हुआ है। जनवरी से और 1 जनवरी से जब हैण्डपम्प लगाने का होता है तो टेण्डर होते है उसका प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। आपके पास तेरह करोड़ रुपया पड़ा था, एक फूटी पाई का उपयोग किया नहीं। जो व्यय होता है उसका प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। (व्यवधान) पैसा आपके पास पडा था आपने इसका उपयोग किया नहीं...(व्यवधान) अगर आप हैंडपम्पों का इंतजाम कर लेते तो हम इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर पूरा ही काम कर लेते। आपने तो ए.बी.सी.डी. भी शुरू नहीं किया, हमको ए.बी.सी.डी. से शुरू करना पड़ रहा है।

(12.00 बजे)

श्री हेमराज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आप यही करते रहोगे पांच साल आपने क्या किया, आपने क्या किया...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हो गया, कृपया स्थान ग्रहण करें। मुझे व्यवस्था देनी है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, समाप्त हो गया होगा। सबने अपनी बात बोल ली, मैं मेरी बात बोलकर रहूंगा...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मैंने सुन ली...(व्यवधान) सुन ली...

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : कांग्रेस को बहुत बात बोलने का है। जब कांग्रेस राज के अन्दर थी, कांग्रेस ने कोई हैण्ड पम्प ठीक नहीं करवाया...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं कराया। अम्बेडकर की मूर्ति विधान सभा में लगाने की मांग करने वालों पर कांग्रेस ने लाठियां बरसाईं। कांग्रेस ने लड़कों को घायल कर दिया और दलितों के ऊपर अत्याचार किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस का तो काम लग गया। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कल तक कांग्रेस सत्ता में थी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, मुझे व्यवस्था देनी है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से मांग है, मुख्य मंत्री से मांग है, आरक्षण का मुद्दा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : राजपूत, ब्राहम्ण, कायस्थ, महाजन, क्या इनमें कोई गरीब नहीं है, इस बात का जवाब दो ? आरक्षण का आपका आधार क्या है ? अध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब दो और जो मूल ओ.बी.सी. के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण अलग क्यों नहीं किया ?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी बात को यहां नियमों के अनुसार ही उठाइये। यहां के नियम हैं, उन नियमों से अपनी बात उठाइये आप।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : इस बात का आप जवाब दो। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं। आपके ऊपर, सदन के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और चाहूंगा, कल पर नहीं, कल पर नहीं आज पर नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी इसी वक्त बहस होगी। इसी वक्त मुख्य मंत्री आऐगी। अगर मुख्य मंत्री नहीं आएगी तो सदन का कोई औचित्य नहीं है। यहां पर बेकार की बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला मुद्दा था, गरीब राजपूत को आरक्षण दो। वह गरीब गांवों में जिसके पास खाने के लिये रोटी नहीं है, उसके बारे में भी सोचो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गुढ़ा से आने वाले, आप अपनी बात कह चुके हैं, अब स्थान ग्रहण करिये। स्थान ग्रहण करिये। स्थान ग्रहण कर लीजिये। आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं हाथ जोड़ रही हूं। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन ने हाथ जोड़ लिये, और क्या चाहते हैं आप ? आसन हाथ जोड़कर कह रहा है आपसे । (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपको स्वीकार नहीं है तो अब आप स्थान स्वीकार कर लें। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकारूंगी। बहुत देर हो गयी है, बहुत कुछ सुन लिया मैंने, अब मैं आपको नाम से पुकारूंगी। अब आप स्थान ग्रहण कर लें, हाथ जोड़ती हूं आपके... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। ऐसे विधान सभा नहीं चलती है, आप स्थान ग्रहण करें पहले। स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। कुछ भी अंकित नहीं करें। कुछ भी अंकित नहीं करिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। माननीय रणवीर सिंह गुढ़ा, स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। अब मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रणवीर सिंह गुढ़ा, स्थान ग्रहण करो। (व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांत रहें। माननीय सदस्यगण, यदि इसी प्रकार से आपको सदन चलाना है, मैं पहले दिन ही आपसे निवेदन कर चुकी हूं कि यह सदन नियमों से, व्यवस्था से, प्रक्रियाओं के जरिये, परम्पराओं के जरिये चलता है। कौनसे नियम में खड़े हो गये आप बात कहने के लिये ? आपको मुद्दा उठाना चाहिये पर्ची के जरिये। (व्यवधान) देखिये फिर खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, बैठिये। बैठिये, आसन पांवों पर है। नियम सीखिये आप। इस सदन के नियम सीखिये पहले आप।

माननीय सदस्य, इन बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जिस तरीके से चल रहे हैं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। इतनी देर हो गयी आपको बोलते-बोलते। फिर आप खड़े हो रहे हैं। मैं कहती हूं, बैठिये आप। मैं कहती हूं, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, मैं कह रही हूं। स्थान ग्रहण कर लें आप। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करिये। आपको जो किताब दी हुई है आप इस किताब को पढिये। उसको पढिये आप पहले। यहां हर चीज नियमों के मुताबिक की जाती है, ऐसे खड़े होकर इस तरीके से नहीं किया जाता है यहां। आप थोड़ा सीखने का प्रयत्न करिये। आप यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट रहे हैं, मुझे मालूम है यह सब बात। आप बहुत होनहार हैं यह भी हम जानते है। बहुत अच्छे मतों से जीते हैं यह भी हमको मालूम है। लेकिन यह सदन तो नियमों से बंधा हुआ है। इस सदन की तो कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है इसलिये हाथ जोड़कर कहती हूं कि जैसे आप खड़े होकर...(व्यवधान) यदि इसी तरीके से आपका व्यवहार रहा तो मुझे भी मजबूर होकर कुछ कठोर कार्यवाही करनी पड़ सकती है जो कि मैं चाहती नहीं हूं। इसलिए मेहरबानी करके अब आप अपने स्थान से न उठें।

(प्रश्न काल समाप्त)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यगण, आज चूंकि कोई स्थगन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ इसलिए प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो 295 पढ़े जाने हैं उसमें भंवरू खां अपना पढ़े।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : वक्तव्य का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : हां, वक्तव्य। सारी, मैं पहले एक बात कह दूं। आज शाम को 4 बजे बिजली से संबंधित आपको वक्तव्य दिलाऊंगी, यह मैं पहले ही आपको सूचना देती हूं कि 4 बजे वक्तव्य देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी शिक्षा संकुल पर हमारा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल दिया है उस पर कोई व्यवस्था दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : उस पर आपसे व्यवस्था चाहते हैं।

श्री जुबेर खान : क्योंकि विधान सभा सिर्फ दो दिन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है। मैं निवेदन कर रही थी कि आपका स्थगन प्रस्ताव...(व्यवधान) आप भी बीच में न बोलें। देखिये, बीच में न बोला करें। आपका स्थगन प्रस्ताव साढ़े नौ बजे बाद आया है, पौने दस बजे के करीब, नौ बजे तक ही स्वीकार किये जाते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मैंने कल शाम को दिया है, चम्बल की नहरों में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज दिया है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : कल शाम को दिया है। 25 गांवों की हजारों बीघा जमीन सूख रही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शाम को देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है उसी दिन सुबह नौ बजे तक देने का।

श्री रामनारायण मीणा : कल दिया है, जो आज आ जाएगा, शाम को दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता, प्रतिपक्ष जानते हैं इस बात को। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप रूल्स देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनसे पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप रूल्स देख लीजिए, वह साढ़े नौ बजे के पहले माना जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनसे मार्गदर्शन लिजिएगा, आपके नेता, प्रतिपक्ष... (व्यवधान) अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप विराजें। यदि आसन जगह ग्रहण करे तो मैं आपको बता दूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पार्लियामेंट के मैम्बर रह चुके हैं, मुझे मालूम है। अब आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, विराज जाएं।

श्री रामनारायण मीणा : आसन तो पांवों पर खड़ा है, हमें बोलने का कब अधिकार मिलेगा ? अभी जीरो आवर है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा : महावीरजी खड़े होते हैं तब तो आसन पांवों पर नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप, अब आप सुनिये...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मेरी फसलें सूख रही हैं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि उसकी व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप मेरी बात सुनिये। ऐसा है कि एक स्थगन प्रस्ताव संयम लोढ़ा का आया था, उसे तो जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है। दूसरा, आपने जो दिया है वह पौने दस बजे दिया है इसलिए वह आज स्वीकार हो नहीं सकता है। इसलिए मैं अब अपनी व्यवस्था दे रही हूं। अब भंवरू खान पढ़ें अपना 295 का विशेष उल्लेख का प्रस्ताव । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : राजीव गांधीजी वाले का सरकार से जवाब दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : वह भेजा है।

श्री जुबेर खान : आप उसके ऊपर समय तय करिये।

श्री अध्यक्ष : देखिये, जब तक उत्तर नहीं आऐगा...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये, समय तय करिये।

श्री अध्यक्ष : मैने आपको बताया न कि मैंने उसे जानकारी के लिए भेजा है। जानकारी प्राप्त होने पर ही तो दूंगी, ऐसे कैसे दे दूंगी ? मैंने जानकारी के लिए भेजा है।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : जानकारी इसी सत्र में मिल जायेगी कि नहीं मिल जायेगी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष माहोदय, पाइंट आफ इन्फामेशन... (व्यवधान) आप इजाजत दें तो पाइंट आफ इन्फार्मेशन। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात पर एक भी शब्द नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको नियमों की बात बता दी, नियमों के मुताबिक जब आप लाएंगे तो मैं अवश्य आपकी बात का जवाब दूंगी।

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपसे जो प्रश्न पूछा है 295 के तहत, उसका जवाब इसी सत्र में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ? राजीव गांधीजी के बारे में वह जो स्थगन प्रस्ताव है, यह नहीं कि जवाब दे दिया, उसका जवाब इसी सत्र में मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह परसों का स्थगन प्रस्ताव है।

श्री जुबेर खान : यह परसों का स्थगन प्रस्ताव है और स्थगन प्रस्ताव पर सरकार अगर इतना लंबा खींचेगी...

श्री अध्यक्ष : वह स्थगन प्रस्ताव आपने कल दिया था।

श्री जुबेर खान : परसों दिया है।

श्री अध्यक्ष : परसों दिया है क्या ? वह सरकार का भेजा हुआ है, कल तक जवाब मांग लिया है, वह मौका आपका दूंगी और कल फिर आपको इस बारे में व्यवस्था दूंगी।

श्री अमराराम (धोद) : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, कल्लाजी। इन्फार्मेशन ही दे रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : एक मिनट, उसके बाद में बोल लेना। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : उस विदेशी महिला को सबके नाम लिखवा कर भेज देंगे...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री नहीं बल्कि पूरे एशिया के और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के नेता थे...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पूरे पांच सालों में स्थगन प्रस्ताव आपने नहीं दिया और अब आपको तुरंत जवाब चाहिये। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण पर अपना वक्तव्य नहीं दिया...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक नई शिक्षा नीति दी। पूर्ववर्ती सरकार ने उनके नाम से राजीव गांधी शिक्षा संकुल का नाम रखा। राज्य सरकार ने आते ही कोई और काम नहीं किया किसानों के लिए, गरीबों के लिए, राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया। आपने कोई पट्टा ले रखा है। हमारी सरकार आऐगी, हम वापस उसको बदल देंगे। लेकिन आपका यह कृत्य अच्छा नहीं है। (व्यवधान) आपने दीनदयाल उपाध्याय के नाम से नगर निगम का नाम रखा...(व्यवधान) पहले उसको हटाए। (व्यवधान) यह स्वस्थ परंपराओं के खिलाफ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार का एक सदस्य है उसके खिलाफ आज हाई कोर्ट ने जवाब-तलब किया है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम मांग करते हैं...(व्यवधान)

(सदन में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. बुलाकीदास कल्ला : देश के जो शहीद हैं उनके बारे में...(व्यवधान) शर्मनाक बात है। आपकी पार्टी के लोग मुखबिर रहे हैं, कभी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। (व्यवधान)

(नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : आपके एक मंत्री हैं जिनको हाई कोर्ट ने तलब किया है। अख़बार पढ़ा है कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : +++...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई +++ नहीं हुआ। आपकी सरकार है आप में दम है तो जांच कराए। +++ किसी भी कांड में कोई हाथ नहीं था....

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(व्यवधान) मैं समझता हूं राजीव गांधीजी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधीजी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ याद करो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह लोकतंत्र में अच्छा नहीं है ...(व्यवधान) सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। यह सदन मजाक नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको भी नहीं करना चाहिए। अपने गिरेहबान में झांककर देखें...(व्यवधान) आपकी यह बपौती नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई मजाक बनाने की जरूरत नहीं है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कोई बपौती नहीं है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बहुत गलत बात है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान की जनता की बपौती है। राजस्थान की पांच करोड़ जनता का अपमान करते हो...(व्यवधान) यह अपमान हम आपको नहीं करने देंगे, आसन का अपमान...(व्यवधान) हर किसी का अपमान कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नाम बदलने का काम...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बपौती नहीं है। बपौती नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

(नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरू खां, अपना विशेष उल्लेख का 295 का प्रस्ताव पढ़ें। (व्यवधान) शांत रहें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलेगा... (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत हों। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह क्या बात हुई ? तो हाउस नहीं चलने देंगे हम। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह +++ नहीं चलेगी।

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर नारेबाजी)

(कांग्रेस पार्टी के व अनके निर्दलीय माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह +++ नहीं चलने देंगे। रोजाना +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बाहर निकालो इनको, +++ अखाड़ा है क्या ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : देश को बर्बाद कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करिये। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें पहले। आप स्थान ग्रहण

(श्री अध्यक्ष)

करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। कोई नहीं बोलेगा। आप जाने भी दीजिए। आप बैठिये तो सही। आप इन्हें बैठाइये तो सही। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह विधान सभा का मखौल उड़ा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोई तरीका है, हर बात के लिए सदन के वैल में आ जाएं ? क्या मजाक कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर जाएं। मैंने सुन ली यह बात। (व्यवधान) आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जाएं। देखिए आप भी ऐसा करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप भी अपने-अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान) आप शांत हो जाइए। आप क्या कर रहे है ? I am not guided by any body. पहले अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान) बैठिए बिराजिए। शांत होइए। आप भी अपने स्थान पर जाइए। शांत रहिए। कटारियाजी, माननीय मंत्री कटारियाजी, आप भी शांत हो जाएं तो मैं कुछ करु। मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। मुझे पहले कुछ कहने का मौका तो दीजिए। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर नारेबाजी)

(कांग्रेस पार्टी के व अनेक निर्दलीय माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इनको शांत करिए आप। आप चुप रहेंगे तो मैं कुछ कहूंगी। मैं कहूंगी तब न जब आप मुझे मौका देंगे। आप तो शांत होइए। (व्यवधान) शांत होइए। सत्ता पक्ष में से कोई नहीं बोलेगा। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों में से कोई नहीं बोलेगा। माननीय कटारियाजी। आप कोई बात कहने देना नहीं चाहते हो। चिल्ला रहे हो बुरी तरह से। आप अपने-अपने स्थानों पर जाइए पहले। (व्यवधान) आप अपने स्थानों पर जाइए पहले। आप अपने स्थान पर जाएंगे तब मैं कहूंगी कुछ। सब अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मिस्टर महीपाल यादव, शांत हो जाइए। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने

(श्री अध्यक्ष)

स्थान ग्रहण करें। सत्ता पक्ष का कोई सदस्य नहीं बोलेगा। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य, सबको बैठाओ। बैठाओ इनको, आप भी विराजिए। आप भी सब लोग विराजिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्यों द्वारा स्थान ग्रहण)

माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों ने अपना-अपना संयम खो दिया है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहूंगी...

श्री अमराराम (धोद) : सबने नहीं खोया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे। कोई बीच में नहीं बोलगा। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी कहना चाहूंगी कि +++ नारे जो लगाए हैं, वह बहुत गलत है। (व्यवधान) और इसे एक्सपंज कर दिया जाए। उसको अंकित नहीं किया जाए। (व्यवधान) देखिए, वह देश के प्रधान मंत्री थे, वह देश के प्रधान मंत्री थे। (व्यवधान) किसी के लगाए, अटल बिहारी वाजपेयी के भी नहीं लगाएंगे, यह भी गलत है। (व्यवधान) यह आपका भी गलत है। (व्यवधान) बैठिए आप। आप बैठिए तो सही, माननीय सदस्य। (व्यवधान) इनका स्थान अभी वही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को प्रधान मंत्री को अपशब्द कहने का अधिकार है ? प्रधान मंत्री को अपशब्द कहने का अधिकार है आपको? क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रधान मंत्री को अपशब्द कह रहे हो? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजीव गांधी को कहने का अधिकार है आपको? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजीव गांधीजी के बारे में जो-जो बातें कही हैं उनको एक्सपंज किया जाए। राजीव गांधी के बारे में जो टीका-टिप्पणी की है उसको एक्सपंज किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक प्रधान मंत्री को अपशब्द कह सकते हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस के सदस्यों से प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जिन अपशब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए और इनको प्रताडित किया जाए। सदन में +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : (व्यवधान) समय निर्धारित किया जाए। स्थगन प्रस्ताव पर सरकार अपना स्टेटमेंट दे और उसके बारे में बोलने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान) जो आदमी देश के लिए शहीद हुआ है, उसके लिए भी आपके मन में शर्म नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आप अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे अफसोस है कि जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं उनको एक्सपंज किया जाए। कार्यवाही से निकालो।

एक माननीय सदस्य : करूणानिधि से आपने समझौता कर लिया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मंत्री माहोदय, आप भी स्थान ग्रहण करें। आप भी शांत रहें। (व्यवधान) मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि न तो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के संयम रख रहे हैं और न ही प्रति पक्ष के सयंम रख रहे हैं। प्रतिपक्ष ने भी यहां पर आकर +++ उसे भी मैं एक्सपंज करती हूं और जिन लोगों ने नारे लगाएं हैं उसे भी मैं एक्सपंज करती हूं। (व्यवधान) दोनों सुनिए आप, बीच में न बोलें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : और उनके ऊपर जो भी कहा गया है...

श्री अध्यक्ष : ठीक है, प्रतिपक्ष के नेता, बीच में न बोलिए आप। (व्यवधान) देखिए, आप ऐसा न करिए, कोई व्यवधान मत करिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनकी मान्यता खतम करो प्रतिपक्ष के नेता की।

श्री अध्यक्ष : देखिए, यह गलत बात है। यह क्या कर रहे हो आप ? आप किसी चीज की, इस सदन की... (व्यवधान) चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप चार बार जीत चुके हैं, आप इनसे क्यों ईर्रेलेवेंट बात कर रहे है ? मैं यह कह रही थी कि दोनों ही पक्षों ने अपना संयम खोया है और दोनों ही पक्षों को मैं यह कह रही हूं भविष्य में ध्यान रखेंगे। न +++ नारे लगाएंगे, न +++ नारे लगाएंगे। दोनों को एक्सपंज करती हूं, दोनों ही बातों को और दोनों को ही कहती हूं भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरह की बात न करें। कोई इस तरह के नारे न लगाएं कि दूसरा पक्ष अपना संयम खो दे। (व्यवधान) मि. निर्भयलाल, हर बात में खड़े होना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप हर बात में खड़े हो जाते हैं, क्यों? आसन पांवों पर है, आप अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं खड़े होकर। यह क्या बात हुई?

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहती हूं, प्रतिपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी, आपको विधान सभा चलानी है तो इसको गरिमामय तरीके से, शालीन तरीके से चालइए आप। यह क्या रोज-रोज वैल में आकर आप रोजाना नारे लगाएं। आपकी जो बात है, मैंने पहले दिन ही कहा था कि आपको कहने का पूरा मौका दूंगी, क्योंकि प्रतिपक्ष के पास में कहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। पूरा मौका दूंगी, लेकिन आप यह करते हैं कि हर वक्त सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते। मेहरबानी करके सदन की...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर) : उनसे भी कहिए।

श्री अध्यक्ष : उनसे भी कह रही हूं। आपके साथ ज्यादा समय रही हूं, आपकी तरफ देख लेती हूं। इसलिए आप यह मत सोचिए। उनसे भी कहती हूं। (व्यवधान) क्या बात कह रहे हो? (व्यवधान) फिर वही बात। आप लोग किसी

(श्री अध्यक्ष)
बात को भी, हर बात को आप जिस तरीके से ले रहे हैं, जैसे सदन चला रहे हैं, आप सदन चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, मुझे तो यह बता दीजिए ? हर बात पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : इन सब +++।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने व्यवस्था दी है, ये कह रहे हैं इनको +++ । यह एक्सपंज कीजिए। यह क्या बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी करके बीच में मत बोलो। मेहरबानी करके बीच में कोई नहीं बोलेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह क्या तरीका है, सत्ता पक्ष वैल में आ जाए। इनको आप प्रताडित करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में कोई नहीं। बीच में नहीं बोलिएगा। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री भंवरू खान, सदस्य की ओर से तहसील चूरू की ग्राम पंचायत नाकरासर के सरपंच के खिलाफ दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही करने के संबंध में।

(2) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से पोकरण-फलसूंड-बालोतरा लिफ्ट कैनाल की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

(3) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से वर्ष 1998 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितता के संबंध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र चौमूं की विद्युत समस्या के संबंध में।

(5) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की और से गंगानगर शुगर मिल में अस्थायी रूप से कार्यरत 12 कर्मचारियों को स्थायी वेतन श्रृंखला देने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सिंचित इलाकों में नहरी पानी की अव्यवस्था के संबंध में।

(7) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीय लि. रामगंजमण्डी द्वारा किये गये अवैध खनन की जांच करवाने के संबंध में।

(8) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की कतिपय कच्ची बस्तियों को नियमित कर उनके कब्जेधारियों को पट्टे देने के संबंध में।

(9) श्री कालूलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से राज्य में ठगी की वारदातों में उत्तरोत्तर हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के संबंध में।

(10) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में मुंसिफम जिस्ट्रेट न्यायालय नहीं होने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री दाताराम, सदस्य की ओर से खेतड़ी शहर में स्वच्छ एवं मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था। (व्यवधान) व्यवस्था दें। (व्यवधान) चिल्लाने लग जाते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या बीमारी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरू खान।

श्री संयम लोढ़ा : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन, अगर आप इजाजत दें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब विशेष उल्लेख के प्रस्ताव हो रहे हैं तो पहले इनको पढ़ लेने दीजिए, आपको कोई बात कहनी हो तो बाद में कहिएगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। अध्यक्ष महोदय, कल सीकर के बालकों को जिस तरह से निर्ममता से पीटा गया...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि डा. अंबेडकर की मूर्ति विधान सभा में लगायी जाए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय. ये अख़बार लेकर क्या पढ़ रहे हैं ? कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों संबंधी पुस्तिका में यह लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य अख़बार लेकर नहीं पढ़ेगा। अख़बार लेकर पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक भीमराव अंबेडकर की मूर्ति विधान सभा में लगाने की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक, अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही हम आसानी से नहीं चलने देंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, राजस्थान विधान सभा के अंदर डा. भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न, संविधान निर्माता, जिसके ऊपर सारा सदन चलता है, जिसके द्वारा सारा राज चलता है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक डा. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति विधान सभा में लगाने की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक सदन की कार्यवाही हम नहीं चलने देंगे। हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकार रही हूं।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय डा. अंबेडकर की मूर्ति के बारे में हम कहना चाहते हैं कि इस विधान सभा में डा. अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत अनुरोध कर लिया, अब आप मेरा अनुरोध सुन लीजिए। विराजें रहिए। श्री भंवरू खान।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चूरू तहसील की ग्राम पंचायत नाकरासर के सरपंच के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत श्री केशरदेव पारीक, सरपंच, गांम पंचायत नाकरासर, तहसील व जिला चूरू के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री केशरदेव पारीक, सरपंच, ग्राम पंचायत नाकरासर, तहसील व जिला चूरू के खिलाफ एक प्रकरण संख्या 120 दिनांक 7.5.2002 को पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में श्री हरूराम पुत्र नानूराम हरिजन तथा श्री सुगनाराम दत्तक पुत्र लादूराम हरिजन निवासी नाकरासर ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनको कुट्टी काटने की एक-एक मशीन स्वीकृत हुई थी, लेकिन श्री पारीक, सरपंच ने उक्त मशीन उनको नहीं देकर, दूसरे व्यक्तियों को दिलवा दी और उन व्यक्तियों के हस्ताक्षरों को भी सरपंच ने प्रमाणित कर दिया। उक्त दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बाद में जांच होने पर फर्जी पाये गये। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर चूरू ने दिनांक 16.9.2003 को उक्त सरपंच के खिलाफ चालान के लिए परमिशन हेतु राज्य सरकार को लिखा, लेकिन राज्य सरकार ने सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के बजाय प्रकरण में एफ.आर. लगाने हेतु कलक्टर, चूरू को निर्देश जारी किये। उक्त प्रकरण में दोषी सरपंच के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह जांच का विषय है।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण मुकदमा नं. 16 दिनांक 16.3.2002 को पुलिस थाना रतननगर जिला चूरू में भी उक्त सरपंच श्री केशरदेव पारीक के खिलाफ श्री धन्नाराम पुत्र डालूराम भाट, निवासी नाकरासर ने दर्ज करवाया।

(श्री भंवरू खान)

उक्त प्रकरण में श्री धन्नाराम ने शिकायत की है कि उक्त सरपंच श्री पारीक ने मस्टररोल का फर्जी भुगतान उठाया है। इस प्रकरण में पुलिस ने जांच हेतु कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों/अंगूठा निशानी को जांच के लिए जयपुर भेजा, जो कि जांच में फर्जी पाये गये हैं। इस प्रकरण में भी जिला कलक्टर को एफ.आर. लगाने के लिए लिख दिया गया है जबकि दोषी सरपंच के खिलाफ आज तक चालान पेश नहीं किया गया।

मेरा राज्य सरकार से नियम 295 के जरिये आग्रह है कि दोषी सरपंच के खिलाफ उपरोक्त दोनों प्रकरणों में जांच करते हुए चालान पेश कर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, अभी जो इतना बड़ा हंगामा राजीव गांधी के नाम को लेकर हुआ, मुझे इतना ही कहना है, कल का मतलब क्या है ? कल शाम तक है या कल सुबह है ? पहले तो यह टैक्निकल मामला है ही नहीं, इसमें नाम हटाने का मामला है, तो इसमें क्या तो ये जानकारी करेंगे ?

श्री मदन दिलावर : वह तो हट गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : हट गया तो उस पर बोलेंगे न। इसलिए इस पर आप क्या टैक्निकल जांच कराना चाहते हैं ? क्या करेंगं ?

श्री अध्यक्ष : काहे बात की ? टैक्निकल जांच किस बात की ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप रिपोर्ट मंगाइए कल, और कल से क्या मतलब है ? कल से सुबह है या कल शाम को है ?

श्री अध्यक्ष : क्या बात कह रहे हैं ? संकुल वाला ? सरकार अपना जवाब देगी कि क्यों चेंज किया है, क्यों परिवर्तित किया है, क्या वजह है। वह सरकार का जवाब आऐगा तब तो कोई व्यवस्था होगी। (व्यवधान) कल आ जाएगा, विधान सभा तो कल भी चलेगी। कल आ जाएगा। कल 10 बजे तक आ जाएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : कल का क्या है ? (व्यवधान) मैं चाहता था, 9 -10 बजे तक आपके पास आ जाए। आप टाइम तो तय करें इसमें।

श्री अध्यक्ष : कल 10 बजे से पहले जवाब आ जाएगा। परसों तक विधान सभा चलेगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : ठीक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नई परम्परा है, अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी कहीं से ही बोलना चालू कर दे। अपनी सीट पर जाकर बोलें।

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी चौधरी, पढ़िये आप इसे।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई परम्परा नहीं है। अपनी सीट से बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

डा. गोपाल बाहेती : आप बहुत पुराने सदस्य हैं तो डांटे ही जाओगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब मानें आप। (व्यवधान) कल दूंगी व्यवस्था।

पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा लिफ्ट कैनाल की स्वीकृति

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में नियम 295 राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के अन्तर्गत निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर से पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा पेयजल हेतु प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट के अनुसार डिटेल सर्वे होकर वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। इस प्रोजेक्ट के अनुसार शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति दिलाने का निर्देश राजस्थान सरकार को दिलावें क्योंकि बालोतरा में पेयजल का भारी संकट पैदा हो गया है। लूणी नदी में पानी नहीं आने के कारण इसके किनारे जो भी कुए खुदे हुए हैं उनका पानी बहुत नीचे चला गया है और खारा हो गया है तथा फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो गई है। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिफ्ट कैनाल के जरिये ही बालेतरा शहर की जनता को

(श्री अमराराम चौधरी)

तथा बालोतरा ग्रामीण में बसने वाली जनता को पेयजल उपलब्ध होने का एक मात्र साधन है। यदि इस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब हुआ तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में पीने के पानी का भारी संकट पैदा होगा। अतः श्रीमानजी के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि अतिशीघ्र ही आई.जी.एन.पी. की वित्तीय स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र दिलवाने का निर्देश दिलावें।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र पारीक।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भेदभाव करके मेरे विधान सभा क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष : 295 में कोई बोलता नहीं है बीच में, सुरेन्द्र पारीक बोलेंगे।

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति वर्ष 1998 में अनियमितता

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1998 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला परिषदों में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती हेतु जारी की गई विज्ञप्ति की अनुपालना में प्राप्त आवेदन पत्रों के आशार्थियों को वरीयता प्राप्तांक के अनुसार निर्धारित नहीं की जाकर बोनस अंकों के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाकर तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्तियां अनियमित तरीके से प्रदान कर दी गई जिसके कारण अंकों के आधार पर वरीयता में आने वाले आशार्थी तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद पर नियुक्ति से वंचित रह गये।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील सं. 4417/02 में दिनांक 30.7.2002 को निर्णय में राज्य सरकार को इस आशय के निदेश भी दिये थे कि वर्ष 1998 की वरीयता सूची को बिना बोनस अंकों के पुनः बनाकर वरीयता क्रम में आने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाए। इसके लिए यदि दिनांक 18.11.1999 के बाद नियुक्त शिक्षकों को हटाना पड़े तो आदेश की अनुपालना में हटा दिया जाए।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

इसके उपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने सिविल अपील सं. 977/2003 में दिनांक 11.11.2002 को अपने निर्णय में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार वरीयता सूची में आने वाले शिक्षकों की पुनः सूची बना कर उन्हें शीघ्र नियुक्ति प्रदान कर सकती है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार शीघ्र चयनित बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान कर रोजगार प्रदान करे ताकि कई वर्षों से लम्बित प्रकरण का निपटारा हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं विधान सभा में व्याप्त विद्युत समस्या

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना-चौमूं विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त विद्युत समस्याओं के संबंध में।

महोदय, प्रकिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र की विद्युत संबंधी समस्याओं का ध्यान इस विशेष उल्लेख की सूचना के माध्यम से कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषकों के कुओं अथवा ट्यूबवैलों पर कनेक्शनों हेतु जिन किसानों ने मांग पत्र जमा करवा रखे हैं उन्हें उर्जा विभाग द्वारा कनेक्शन जारी नहीं किये जो रहे हैं जिससे क्षेत्र के कृषकों में असंतोष व्याप्त है। विभाग द्वारा यह बताया जा रहा है कि जिन कृषकों के मांग पत्र अप्रैल, 2003 तक जमा करवाये गये हैं उन्हीं को कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा।

विद्युत विभाग द्वारा नर्सरी योजना के अन्तर्गत पूर्व में यह प्रावधान था कि नर्सरी योजना के अन्तर्गत हुए कनेक्शनों को ही बाद में सामान्य श्रेणी के कनेक्शन के रूप में बदल दिया जाता था लेकिन विभाग द्वारा इस व्यवस्था को

(श्री रामलाल शर्मा)

बन्द कर दिया गया है जिसकी पुनः पूर्व की भांति ही व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त समस्याओं का त्वरित निदान करवाने के अतिरिक्त कृपया पंचायत समिति नांगल कोजू में 33 के.वी.जी.एस.एस. की स्थापना की जाए जिससे किसानों को समुचित बिजली मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

गंगानगर शुगर मिल के 12 कर्मियों को स्थायी वेतन श्रृंखला

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय, गंगानगर शुगर मिल में लगभग 12 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 12 साल हो गये हैं लेकिन आज दिन तक अस्थाई हैं, इन्हें स्थायी वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है जबकि पिछले सालों में स्थाई किया गया है, वर्ष कर्मचारी नियमित वेतन श्रृंखला नहीं मिलने से परेशान हैं। 12 साल हो जाने के बाद भी इन्हें स्थाई वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है, क्या कारण है ?

मैं सरकार (विभाग) से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र वेतन श्रृंखला दी जाए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

लूणकरणसर के सिंचित इलाकों में नहरी पानी की अव्यवस्था

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के सिंचित इलाकों में नहरी पानी की अव्यवस्था के संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री महोदय व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मान्यवर, मुख्य अभियंता, सिंचाई, हनुमानगढ़ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई पानी के लिए 3 जनवरी, 2004 तक समस्त नहरों को तीन ग्रुपों में बांटकर एक ग्रुप चलाया इससे किसानों को 20 से 25 दिन बाद पानी मिल जाता था। उसी हिसाब से फसलें बोई गई। परन्तु मुख्य अभियंता, सिंचाई, हनुमानगढ़ ने 4 जनवरी, 2004 से प्रथम चरण में आर डी जीरो से आर डी 243 तक चार ग्रुप बनाकर एक ग्रुप में पानी देना शुरू कर दिया, जिससे किसानों को 30 से 35 दिन बाद पानी मिल रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। अनूपगढ़ शाखा जो 2350 क्यूसेक्स क्षमता की नहर है, को 2 ग्रुपों में बांट दिया जिसके कारण सिंचाई पानी एक बार देने के लिए 3200 क्यूसेक्स खर्च हुआ, 850 क्यूसेक्स पानी का नुकसान हुआ और अनूपगढ़ शाखा की 195 आर डी से हैड प्रोर्शन के किसानों द्वारा जबर्दस्ती पानी लेने के कारण अन्तिम दौर की नहरों के वाई डी. बी. डी., के. एल.डी. के. जे. डी. के किसानों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हुआ। सिंचाई अधिकारियों को बार-बार सूचित करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। मुख्य अभियंता ने 7 जनवरी को कहा कि इस नहर में आज ही पानी पूरा करके 15 जनवरी तक लगातार पानी चला देंगे। हनुमानगढ़ में सिंचाई मंत्री एवं मुख्य अभियंता ने दिनांक 10 जनवरी को खाजूवाला क्षेत्र के किसानों को आश्वासन दिया कि कल ही अनूपगढ़ शाखा के अन्तिम छोर की नहरों को पानी पूरा कर 8 दिन तक चला देंगे परन्तु कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 67 चकों के (नहर के.वाई.डी.वी.डी.के.जे. डी 25, के.डी.5,के.एल.डी. 7) अन्तिम छोर के किसानों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ। वर्तमान प्रणाली के हिसाब से अगली बार जब यह नहर प्रथम वरीयता में यदि पूरी क्षमता के अनुसार चलाई जाएगी तो 67 चकों के किसानों को 60 से 85 दिनों बाद पानी मिलेगा। फसलें जल रही हैं, बर्बाद होती फसलों को देखकर खाजूवाला दन्तोर, पूगल के किसान आन्दोलनरत है। 8 दिन से किसानों का महा धरना चल रहा है। दिनांक 19.01.2004 को तीनों मंडियों के बाजार बंद थे, चक्का जाम था। किसान आक्रोशित है। पिछले चार वर्षो में भयंकर अकाल के कारण फसलें नहीं हो पाई, इस बार सिंचाई विभाग ने किसानों को महाकाल की तरफ धकेल दिया है। 29 जनवरी से पहले अनूपगढ़ शाखाओं को पूरी क्षमता से नहीं चलाया गया तो महा विनाश हो जाएगा।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

दूसरी तरफ नहर टूटने का खामियाजा भी छतरगढ़ एवं पूगल क्षेत्र के किसानों को सबसे ज्यादा भुगतना पडा। 30 दिसम्बर को इ.गा.न. की आर डी 243 से पानी छोड़ दिया गया था परन्तु सिंचाई विभाग की अदूरदर्शिता के कारण 10 दिन बाद 8 जनवरी को पूगल ब्रांच एवं 16 जनवरी को 18 दिन बाद शेरपुरा-लालावाली वितरिका, शेजड़ी वितरिका प्रणाली में पानी छोड़ा। छतरगढ़ पूगल क्षेत्र के किसानों को 40-56 दिन बाद पानी दिया गया। आश्चर्यजनक पहलू है कि इस क्षेत्र की नहरों में भी उनकी क्षमता से 25 से 40 प्रतिशत कम पानी दिया गया। सिंचाई विभाग में पानी चोरों और पानी बेचने वालों की चांदी बन रही है। पूरा क्षेत्र उद्वेलित है। इस क्षेत्र से खेती किसानों की खतम हो रही है। इस हेतु निवेदन है कि :-

1- किसानों एवं खेती को बचाने हेतु इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की तुरन्त व्यवस्था की जाए।

2- रेल विभाग की तरह नहरों पर भी सुरक्षा मरम्मत एवं सूचना का तंत्र विकिसत किया जाए।

3- कृषकों से खेती ऋणों की वसूली तुरन्त रोकी जाकर ब्याज माफ किया जाए। ऋणों को लम्बी किश्तों में विभाजित किया जाए तथा कृषि भूमि को किश्तों की वसूली के अभाव में खारिज न किया जाए।

4- पूर्व का बकाया सिंचाई कर माफ किया जाए।

5- किसान की खेत की बारीबन्दी, नाका, खाला रकबा, तबदीली, मोगा बदलना, सिंचाई गिरदावरी एवं सिंचाई कर वसूलने हेतु सिंचाई क्षेत्र की पंचायतों में कर्मचारी लगाये जाएं जो सिंचाई अभियंता एवं सरपंच की निगरानी में काम करें। इससे किसानों को राहत मिलेगी तथा सरकार को 400 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

6- अन्तिम छोर के किसानों को नार्म्स के अनुसार पानी मिले इसकी पुख्ता व्यवस्था एवं सिंचाई अधिकारियों एवं तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए।

7- जिन बारों के टेल गेज 10 इंज से कम रहे उन बारों में पुन: पानी देने की व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

रामगंजमण्डी की एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किये गये अवैध खनन की जांच

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 295 बाबत एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लि. रामगंज मण्डी को 1959 में किये गये लीज एग्रीमेंट के ब्लाक नम्बर एक के स्टार्टिंग बिन्दु "एस" रामगंजगण्डी से सुकेत की ओर जाने वाली सड़क का स्थान जहां से साथलखेड़ी गांव के निकट से पीपीखेड़ी-पामाखेड़ी गांव की और जाने वाली रास्ते के क्रासिंग पर यथावत मानकर वास्तविक सीमांकन करने हेतु।

महोदय, एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लि., रामगंजमण्डी के पक्ष में 1959 में किये गये एग्रीमेंट के स्टार्टिंग बिन्दु "एस" रामगंजमण्डी से सुकेत की ओर जाने वाली सड़क का स्थान जहां से साथलखेड़ी गांव के निकट से पीपाखेड़ी-पामाखेड़ी गांव की ओर जाने वाले रास्ते के क्रासिंग पर होने के उपरान्त भी प्रारम्भिक बिन्दु के स्थान को बदलकर करीब 1000 मीटर दूरी पर पश्चिम की तरफ खिसका दिया गया जबकि पुराना स्टार्टिंग पाइंट (एस) पुरानी कार्ट ट्रैक पर खसरा संख्या 98, 208, 316, 310, 315, 209 के मध्य जुड़े हुए बिन्दु के पास है। जो स्टेट के समय पुराने नक्शे से तथा 1959 में प्रचलित नक्शे से मिलान करके भी ज्ञात किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सही जांच नहीं की गई है क्योंकि जांच करने वाले अधिकारियों में स्थानीय अधिकारी, वरिष्ठ खनिज अभियंता आदि शामिल थे जिन्होंने इस बाबत सही जांच कर कलक्ट्री के पुराने रिकार्ड के नक्शों को निकलवाकर नहीं देखा है।

अतः इस बाबत पूर्व में विधान सभा में उठाये गये समस्त प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं जांच रिपोर्ट्स का अध्ययन करके सही जांच के लिए गठित कमेटी को बहाल करके विशेष अनुभवी अधिकारियों से जांच करवाई जाकर कम्पनी द्वारा लिये गये अवैध खनन का विवरण तैयार किया जाकर वस्तुस्थिति ज्ञात की जाए। तब तक डिस्प्यूटेड क्षेत्र में खनन कार्य करने से ए. एस. आई. लिमिटेड को रोका जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल गुप्ता।

जयपुर शहर की कतिपय कच्ची बस्तियों का नियमन

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांधी कालोनी, गुर्जर बस्ती, पर्वतीय कालोनी, शिवाजी नगर, टाटा नगर, पशुपतिनाथ कालोनी, टीला बस्ती, चन्द्रशेखर की बगीची, बलाई बस्ती, बन्धा बस्ती, व्यास कालोनी, तेलीपाड़ा, भट्ठा बस्ती, आजाद कालोनी, पेन्टर कालोनी, डी.पी. कालोनी, सीकर हाउस हरजिन कच्ची बस्ती, पटेल नगर, नायक बस्ती, सुदामापुरी, बन्धा बस्ती, पंचमुखी हनुमान, इन्द्रा वर्मा कालोनी, राणा कालोनी, बेरिया बस्ती, जे.पी. कालोनी-प्रथम इत्यादि अनेकों बस्तियां हैं। इन 28 कच्ची बस्तियों में 22425 सर्वेधारी निवास कर रहे हैं। 799 बीघा भूमि, नगर निगम क्षेत्र में तथाकथित वन भूमि पर बसी हुई कच्ची बस्तियों में 22425 परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे है। मौके की स्थिति के अनुसार स्पष्ट होता है कि ये कालोनियां काफी पुराने समय से बसी हुई हैं। वन क्षेत्र में बसी हुई होने के कारण इन बस्तियों का नियमन नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप इन बस्तियों के निवासियों को विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन बस्तियों के पास आवास का पट्टा नहीं है। पट्टे के अभाव में इन बस्तियों के निवासियों को कोई बैंक या वित्तीय संस्था मकान बनाने या अन्य रोजगार की व्यवस्था करने हेतु ऋण नहीं देती है जिससे इन बस्तियों के निवासियों को रोजगार के अभाव का सामना भी करना पड़ रहा है। निवासियों में व्यापक असंतोष की भावना है जिसके परिणामस्वरूप न केवल नगर निगम बल्कि राज्य सरकार की छवि भी खराब हो रही है। इनमें से कई बस्तियों में पूर्व में यू.आई.टी. व जे.डी.ए. द्वारा पट्टे भी दिये जा चुके हैं किन्तु रिकार्ड दुरुस्ती के अभाव में अब अधिकारी पट्टे नहीं दे रहे हैं। आवासीय कालोनियां 100 प्रतिशत बस चुकी हैं। शेष लोगों की पट्टे देने की व्यवस्था एवं रिकार्ड दुरूस्त किया जाए।

उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह आवश्यक है कि इन कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाए। मेरा माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस विकट समस्या का समाधान कर गरीबी में जी रहे आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर। श्री जुबेर खान।

रामगढ़ (अलवर) में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय का स्थानान्तरण

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं होने के कारण वहां के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ (अलवर) में देश की आजादी के समय में मुंसिफ कोर्ट स्थापित थी। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि रामगढ़ थाने के अन्तर्गत इतने मुकदमों को सुनने एवं निपटाने के लिए अलग से मुंसिफ कोर्ट है परन्तु वह अलवर जिला मुख्यालय पर कार्यरत है एवं इस मुंसिफ कोर्ट में सिर्फ एक मात्र थाना रामगढ़ के ही मुकदमें सुने जाते हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता की समस्या एवं मांग को ध्यान में रखते हुए इस मुंसिफ कोर्ट को रामगढ़ में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसा करने से सरकार पर किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ेगा जबकि वहां की जनता को नजदीक एवं सस्ता न्याय मिल सकेगा। यदि रामगढ़ में उक्त अदालत को स्थानान्तरित या स्थापित करने के लिए भवन की आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं अपने विधायक कोटे से भवन बनवाने के लिए तैयार हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी इस न्यायोचित मांग पर विचार करके रामगढ़ (अलवर) में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना शीघ्र करने की घोषणा करेगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री दाताराम।

खेतड़ी की पेयजल योजना

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय,. खेतड़ी में पेयजल योजना का सदुपयोग नहीं होने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के खेतड़ी शहर में लोगों की स्वच्छ एवं मीठा पानी मिले इसके लिए एक पेयजल योजना स्वीकृत हुई है किन्तु इस योजना में स्वीकृत राशि का दुरूपयोग हुआ है तथा आज तक भी इस योजना से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।

(श्री दाताराम गुर्जर)

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यानाकर्षित कर निवेदन है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले तथा राशि के दुरूपयोग की जांच करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

सूचना

सीकर के कल्याण हायर सैकण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों पर पुलिस का लाठीवार

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पाइंट आफ इन्फार्मेशन देना चाहता हूं कि कल सीकर में श्री कल्याण हायर सैकण्डरी स्कूल के बच्चे जब स्कूल आ रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक बच्चे के पैर टूट गया। उन बच्चों ने मांग की कि यहां स्कूल के सामने जब से डिवाइडर बना है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके बाद ज्यों ही पुलिस वहां पर आई तो न केवल 'एक्सीडेंट नहीं हो' यह मांग करने वाले बच्चों पर बल्कि स्कूल के अन्दर घुसकर जिस तरह से विद्यार्थियों और वहां के टीचर्स को पीटा गया है, आप देख नहीं सकते। अपनी किताबें, अपनी चप्पलें, अपनी साइकिलें छोड़कर बच्चे वहां से दौड़े उसके बाद भी पीट-पीट कर इस तरह से घायल किया कि 10 से ज्यादा विद्यार्थी तो आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। टीचर्स को जिस तरह बेइज्जत कर, पीट कर थाने में ले जाकर बन्द किया, उससे पूरे

(13.00 बजे)

सीकर जिले का शिक्षण वर्ग और विद्यार्थी बहुत उद्वेलित है। अकारण ऐसे अधिकारियों ने अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए यह सब किया। पुलिस का हैड-क्वार्टर कार्यालय मात्र 50 गज पर है, वहां इस तरह से नाजायज रूप से अकारण विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ इस तरह से निर्मम पिटाई हुई है, शायद ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। पुलिस बेलगाम हो गई है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को तुरन्त वहां से हटाया जाए जिससे वहां पर शिक्षक वर्ग और विद्यार्थियों में जो

(श्री अमराराम)

असंतोष है, वह दूर हो सके।

आज पूरे जिले के विद्यार्थी और शिक्षक न्यायोचित मांग के लिए सड़कों पर हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। अकारण ही अपने विद्यार्थी साथियों के पैर टूटने पर रोड ब्लॉक नहीं करके केवल ब्रेकर बनाएं, इस मांग पर, साधारण-सी बात पर अकारण लाठियों से पीट-पीटकर शिक्षकों और विद्यार्थियों के पैर तोड़ दे, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे अधिकारी सरकार की कोई अच्छाइयां आगे ले जाएंगे। पूरे सीकर के विद्यार्थी, ऐसे स्कूल जिसमें हम बहुत-से माननीय सदस्य हैं जो उस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए तुरंत इस पर कार्यवाही करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप कोई इस बारे में वक्तव्य देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रखकर मैं आई.जी. को भेज रहा हूं वह स्वयं जाएंगे कि इसकी वस्तुस्थिति क्या थी। वास्तव में किसी ने जानबूझकर या अपने विवेक का ठीक उपयोग नहीं करके कोई एक्सेस किया होगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को हटाऊंगा, लेकिन जांच आने के बाद ही इस पर निर्णय कर पाऊंगा, जिसने यह एक्शन किया अपनी सीमा में रहकर किया या नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वहां से हटाने में क्या दिक्कत है ? साहब, आप बताए कि रोड पर केवल ब्रेकर लगाना था, क्या विद्यार्थी स्कूलों में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कह दिया ना मंत्रीजी ने। मंत्रीजी ने कह तो दिया।मंत्रीजी ने कह दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, वे सदन को कब तक अवगत करा देंगे इसके बारे में, यह हम जानना चाहते है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कह दिया।

श्री संयम लोढ़ा : सदन को जानकारी कब देंगे, वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, विवेक था या नहीं था ? (व्यवधान) सदन को कब जानकारी देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक करके तो बोलें। खड़े हो जाते हैं 3-3, 4-4 माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से यह जानना चाहते हैं कि सदन में कब तक...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर्ची के ऊपर कोई आवश्यक नहीं है, उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने जवाब दे दिया, पर्ची के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। उन्होंने आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन कहा है।

श्री संयम लोढ़ा : सरकार इसके बारे में कब जानकारी देगी ?

श्री अध्यक्ष : इनकी तो पर्ची भी नहीं थी। इन्होंने तो आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर बात कही है और उन्होंने इस पर आपको जवाब दे दिया। आप इस पर क्या डिस्कशन करना चाहते हैं ? इट वाज ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, खतम हुई बात।

अब पर्ची पर है, डाक्टर करणसिंह यादव बोलें। (व्यवधान) विराज जाइये आप। आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मैं सदन के माननीय सदस्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। माननीय सदस्यों को जो पी.ए. की सुविधा मिल रही है, वह इस बार नहीं दी गई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि माननीय सदस्यगण को व्यक्तिगत पी.ए. की सुविधा कब से उपलब्ध कर दी जाएगी, क्योंकि चुनावों को आचार संहिता के होते हुए माननीय सदस्यों की यह सुविधा जिला कलेक्टर महोदय ने विदड्रा कर ली है। माननीय मंत्री महोदय, यह तो करवा दें।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आपकी पर्ची है। अब आपका समय आऐगा, आपका टर्न आऐगा, तब आप बोलिएगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय बता देंगे, मंत्री महोदय बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह बैठे हैं तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है ? आपकी पर्ची जब आऐगी, तब बोलिएगा आप। (व्यवधान) नहीं खुली तो नहीं खुली, उसका क्या इलाज है ? आप जबरदस्ती बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान : मैडम, यह सबका सवाल है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, जिसकी पर्ची खुलेगी, वह बोलेगा। डाक्टर करणसिंह यादव।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मद्दे

जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल के जांच उपकरणों की व्यवस्था का जिम्मा

डा. करणसिंह यादव (बहरोड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान और सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

डा. करणसिंह यादव : प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में जीवन रक्षा से जुड़े हुए, हृदय रोग से जुडे हुए महत्वपूर्ण उपकरण खराब पड़े हैं। कार्डियक कैथेट्राइजेशन लैब जहां पर कार्डियक एंजियोग्राफी की जाती है, जहां एंजियोप्लास्टी की जाती है, जहां पैस मैकर्स लगाये जाते है। प्रदेश के एस.एम.एस. अस्पताल में रोज ऐसे लगभग 20 या 25 प्रोसीजर्स किये जाते हैं। ये उपकरण पिछले लगभग एक महीने से खराब पड़े हैं। इसको जो मशीन है कार्डियक कैथेट्राइजेशन लेबोरेट्री, यह सन् 1992 में खरीदी गई थी और पिछले साल भर से यह बार-बार खराब होती जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि नई सरकार नये उपकरण खरीदे। ठीक उसी प्रकार से कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में अनेकों उपकरण हैं, वेंटिलेटर्स हैं, मोनिटर्स हैं, जो हार्ट सर्जरी में काम आने वाले हैं, ये खराब पड़े हुए हैं, इनको सरकार तत्काल

(डा. करणसिंह यादव)

खरीदे। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नई सरकार अस्पतालों में उपकरण खरीदने के लिए अपने 100-डेज प्रोग्राम में एस.एम.एस. अस्पताल के लिए एम.आर.आई. स्पाइरल सीटी स्कैन, नई कार्डियक कैथ लैब के खरीदने का मानस रखती है, जिसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन चिंता जो है वह यह है कि इन उपकरणों को सरकारी कोष से नहीं खरीद करके एस.एम.एस. अस्पताल के परिसर को निजी व्यावसायियों को उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने मार्केट में विज्ञप्ति और टेण्डर जारी किये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार एस.एम.एस. अस्पताल के किसी विभाग में एक कमरा उनको दे देगी, जहां पर कोई सेठ-साहूकार आकर अपनी सीटी स्कैन या एम.आर.आइ. मशीन लगा देगा। उस व्यापारी को निश्चित रूप से लाभ होता रहेगा और उसका कुछ हिस्सा वह अस्पताल में जमा कराता रहेगा। यह शायद नई सरकार के 100-डेज में और नये जो हाईटेक एडवाइजर्स हैं, उनका सोच है। वे समझते हैं कि ये बड़े उपकरण हैं। एम.आई.आई. का जो उपकरण है वह करीब 3-4 करोड़ रुपये के आसपास आता है। एस.एम.एस. अस्पताल में, यहां पर बैठे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र जी, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य हैं, आज से 5-6 साल पहले आपकी सरकार के कार्यकाल में मेडिकल रिलीफ सोसायटी का गठन हुआ था। सारे उपकरण मेडिकल रिलीफ सोसायटी खरीदती थी। मेडिकल रिलीफ सोयायटी के माध्यम से हमने हृदय रोग के कई उपकरण खरीदे। टू-डी ईको कार्डियोग्राफी 72 लाख रुपये में खरीदी और आज करीब एक-सवा करोड़ रुपये से ज्यादा राशि उस उपकरण से अस्पताल कमा चुका। इतनी राशि इस बात के बावजूद कि करीब 30-40 प्रतिशत बी.पी.एल. वालों की, सोनियर सिटीजन्स की, विकलांगों की, विधवाओं की, स्वतंत्रता सेनानियों की फ्री में जांच की जाती है। मैं इस सदन का ध्यान इस और लाना चाहता हूं, हो सकता है कुछ व्यापारी सरकार के पीछे पड़ रहे हों, हो सकता है जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हों, उनके कोई मिलने वाले, जानने वालों को अस्पताल के अन्दर, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर रोज 50 सीटी स्कैन होते हैं, जहां पर रोज़ 15 एम.आर.आई. स्कैन होंगे, इससे आप उन व्यापारियों को अस्पताल में घुसवा दोगे, यह बहुत बड़ी बात होगी। आज एस.एम.एस. अस्पताल के करीब एक दर्जन रेजिडेंट डाक्टर्स आये, कहने लगे कि जो चार करोड़ की मशीन व्यापारी लगाएंगे अस्पताल में, वे हमें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। वह अपने

(डा. करणसिंह यादव)

आदमी रखेगा, हम अनुभव किस चीज से लेंगे ? वह जो सीटी स्कैन लगाएगा, वह अनुभव हम कहां से लेंगे ? कार्डियक सर्जरी की कैथ लैब लगाएगा, वहां का डाक्टर, वहां का प्रशिक्षणार्थी कैसे उस अनुभव को लेगा ? आज एम्स में या देश के बड़े प्रतिष्ठानों में कोई प्राइवेट लेबोरेटरी नहीं लगी हुई है। निजी संस्थानों में, मुझे मालूम है, मुझे जानकारी दी गई है, 100-डेज मेडिकल डिपार्टमेंट को जब चर्चा हुई, वहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि गंगाराम अस्पताल में निजी व्यवसायी ने लगा रखी है। गंगाराम अस्पताल निजी अस्पताल है। यहां पर दुर्लभजी अस्पताल में भी वर्धमान जैन ने निजी स्तर पर लगा रखी है। यहां पर टोंग्या अस्पताल में किसी ने निजी लगा रखी है। लेकिन एस.एम.एस. अस्पताल जैसे बड़े संस्थान में व्यापारियों को लाकर छोड़ना, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की जनता के साथ में बहुत बड़ा अहित होगा। इसलिए यहां पर चिकित्सा का जो भी प्रभार देख रहे हैं, उनका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी राजस्थान में सबसे पहले सवाई मानसिंह अस्पताल में चालू की गई जिसका साधुवाद, धन्यवाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रीजी को मैं देना चाहूंगा। आज वह सक्षम है, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी खरीद सकती है। करीब डेढ़ करोड़ रुपये आज उनके पास मौजूद है। रोजना मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से पास के बैंको में लगभग दो लाख या तीन लाख रुपये डिपोजिट कराये जाते हैं, हम रोज उसकी किश्त भर सकते हैं। और, अध्यक्ष महोदया, आजकल तो कम्पनियां सामान बेचने पर तुली हुई हैं, डैफर्ड पेमेंट पर सरकार को लाकर सामान दे सकती हैं, पैसा बाद में, पैसा किश्तों पर। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहना कर मेरा मूल निवेदन इस सदन के माध्यम से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन सरकारी संस्थाओं को आप व्यापारियों को मत सौंपे। आपका निजी हो सकता है उसमें कोई भाई-भतीजा, मिलने वाला, जुलने वाला, अच्छा चंदा देने वाला कोई प्रतिष्ठान यह चाह रहा हो कि सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर हमको जगह दे दी जाए, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल में बहुत सक्षम डाक्टर हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं डाक्टर धारकर जैसे, जो इन संस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को सरकार ध्यान से देखे। जो कुछ खरीददारी करनी है, ये बहुत जीवनरक्षक उपकरण हैं, हमारी सरकार नहीं खरीद पाई, वह अलग बात है एम.आर.आई. सीटी. स्कैन, नई कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी, हार्ट

(डा. करणसिंह यादव)

सर्जरी के नये उपकरण आज एंजियोग्राफी मशीन खराब है, सवाई मानसिंह अस्पताल में पांच हजार रुपये में एंजियो होती है, प्राइवेट अस्पतालों में जाओगे, दस से पन्द्रह हजार रुपये में एंजियो होती है। सरकार को पुनर्भरण करना पड़ेगा, गरीब आदमियों को तंग होना पड़ेगा। इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

एक माननीय : इस पर ही ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, इस पर थोड़े ही, उनकी अलग पर्ची है।

राज्य में बी. पी. एल. परिवारों की संख्या का निर्धारण

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं, पर्ची के माध्यम से आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलनशील समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या गरीबों से जुड़ी हुई है और गरीबों के सैकड़ों-हजारों नहीं, लाखें परिवारों से जुड़ी हुई समस्या है। यह समस्या पुअरैस्ट आफ पुअर की है, गरीब के अन्दर भी जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनसे जुड़ी हुई समस्या है।

समस्या यह है कि 1997 के अंदर जो सेंसस हुआ उस सेंसस के अंदर बी. पी. एल. परिवारों की संख्या 21 लाख तय की गई और इस 21 लाख परिवारों को 1997 से लेकर अभी तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें सबसे मुख्य जो सुविधा उनको मिल रही है वह मिल रही है सब्सिडाइज्ड ग्रेन। अनाज उनको मिल रहा है, मुख्य चिकित्सा सुविधा उनको मिल रही है। इस मुख्य चिकित्सा सुविधा के अंदर किसी पेशेंट को अगर कहीं लाख रुपये का भी आपरेशन करवाना पड़ता है तो इसके माध्यम से उनको लाखों रुपये भी मिल रहे हैं। डी.पी.आई.पी. की विभिन्न योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर सात जिले आते हैं, उनके अंदर भी इन बी. पी. एल. परिवारों को बहुत सुविधा प्रदान की जा रही है। इस बी. पी. एल. परिवारों के जो सदस्य बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

भत्ता भी दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन होती है उसमें 65 साल से बड़े जो भी बी.पी.एल. परिवार के सदस्य हैं, उनको भी इस तरह की सुविधा और पेंशन मिल रही है। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी सुविधा बी.पी.एल. परिवारों को मिल रही है वह इंदिरा आवास योजना है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1997 में जिन 21 लाख परिवारों को इन योजनाओं से लाभ मिल रहा है, जिन 21 लाख परिवारों के बच्चों को आगे का सपना देखने का मौका मिल रहा है, उसी के अन्तर्गत अभी एक महीने पहले केन्द्र सरकार का यह निर्देश राज्य सरकार के पास आया कि आप इसकी सीमा का निर्धारण 21 लाख से कम करके 13.4 लाख कर दें। इस तरह का निर्देश असंवैधानिक है क्योंकि इक्वल के अंदर अनइक्वल आप नहीं कर सकते। आप क्राइटेरिया तय कर सकते हैं कि इस क्राइटेरिया के तहत बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया जाएगा। लेकिन यह संख्या घटाई इसलिए नहीं जा सकती कि पिछले चार साल से जो लगातार अकाल पड़ रहा है और पिछले चार साल से जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है उसके कारण बी.पी.एल. परिवारों की संख्या बढ़ी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि राजनीति के ऊपर उठकर यह तय करें और केन्द्र सरकार से यह गुजारिश करें कि इसकी संख्या घटाने की बजाय इस तरह का कोई क्राइटेरिया भी राजस्थान के लिए नहीं तय किया जाए। इसलिए नहीं तय किया जाए क्योंकि पिछले चार साल परिस्थितियां विषयम थी। उनको मद्देनजर रखकर राजस्थान को अलग तरीके से सोचा जाए। आज 21 लाख से 13 लाख करने का प्रावधान है, जो क्राइटेरिया केन्द्र सरकार ने इसके लिए यह करके रखा है उसमें दिलाई बरती जाए राजस्थान के लिए और 21 लाख से कम से कम 30 से 40 लाख के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी ओर ध्यान दिया जाए।

मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि कलक्टर साहब को जो निर्देश दिये गये थे विभिन्न जिलों के, उसके आधार पर लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। सरकार अब यह निर्देश देने वाली है कि ग्राम सभाओं के अंदर उनका अनुमोदन किस तरह से किया जाए और कब किया जाए। जब तक इसके स्पष्ट निर्देश उनको नहीं मिलेंगे तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि बी.पी.एल के कौन-से परिवार इसके अंदर शामिल किए जाएं। दो-तीन चीजें हैं

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जो सरकार स्पष्ट कर दें:- कि क्या केन्द्र सरकार से इस तरह का निर्देश आया है, कि बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 21 लाख से घटाकर तेरह लाख की जाए ? क्या राज्य सरकार इसको मानने के लिए विचार कर रही है ? क्या ग्राम सभाओं की तारीख तय कर दी गई है ? क्योंकि केन्द्र सरकार का क्लीयर निर्देश है कि 31 मार्च तक इसके बारे में निर्णय करके बताया जाए कि कितने बी.पी.एल. परिवार हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजों में राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के हित को ध्यान में रखकर बी.पी.एल परिवारों की संख्या बढ़ाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध करें और 13 लाख की बजाय 21 लाख से बढ़ाकर उसको कम से कम 40 लाख किया जाए। बी..पी.एल. परिवारों के लिए जो योजनाएं चालाई जा रही हैं उन योजनाओं का जब तक गरीब जनता को पूरा फायदा नहीं मिलेगा, यह बिलकुल असंवैधानिक है, आप उनके परिवारों की संख्या किसी भी आधार पर, अब 21 लाख से कम करके 13 लाख कैसे करेंगे ? लाटरी सिस्टम तो इसके अंदर हो नहीं सकता, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया ही उनको बनाना पड़ेगा उस क्राइटेरिया के अंदर 21 लाख से बढ़ाकर कम से कम, मैं जैसे कि बताऊं अभी इन्होंने जो फीगर निकाले हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र तारानगर से 5131 परिवार ऐसे हैं जिनको बी.पी.एल. में शामिल किया गया था और अब इन नये निर्देशों के आधार पर उनकी कोशिश जारी है कि इसको घटाकर 2154 कर दिया जाए। इसी तरह से दूसरे जो विधान सभा क्षेत्र हैं उसके अंदर भी इस तरह की समस्या आ रही है। तो मेरा विनम्र निवेदन सरकार से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह है कि इसके बारे में बहुत गम्भीरता से विचार करके जल्दी ही यह निर्णय करें जिससे कि बी.पी.एल. की संख्या कम होने की जगह बढ़ाई जा सके। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैदजी ने जो मुद्दा उठाया वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात सही है कि अन्य राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार का एक इस प्रकार का आया था कि 21 लाख से संख्या कम करके 13 लाख की जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इसको नहीं माना है, इसको रोक दिया। भारत सरकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया है। राजस्थान की सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस पर पुनर्विचार कर राजस्थान में चार साल से जो लगातार सूखा पडा है, इसके कारण से जो स्थिति हुई है, कुपोषण की जो स्थिति हुई है उसके कारण से राज्य में तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, इसलिए राज्य सरकार इस पर गंभीरता से कार्यवाही करके भारत सरकार से अनुरोध कर रही है। इस संख्या को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे, माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। (व्यवधान) अब प्रश्न नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सांग सिंह भाटी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नहीं है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : आपको कह दिया गया है कि नहीं होने देंगे, फिर आप ख्वामख्वाह में खड़े हैं। श्री सांग सिंह भाटी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको कम तो नहीं होने देंगे लेकिन संख्या तो 81 लाख हो गई। नये बी.पी.एल परिवारों की संख्या 81 लाख हो गई। आप 22 को कम नहीं होने देंगे, यह बात तो अलग है, लेकिन जो वास्तव में बी..पी.एल. परिवार हैं उन सब को इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सांग सिंह भाटी। आप कौन-से नियम में बोल रहे हैं ? आप किस नियम से बोल रहे हैं ? माननीय सदस्य, किस नियम में बोल रहे हैं आप ? श्री सांग सिंह भाटी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : कम करना कोई एहसान वाली बात नहीं है। 22 लाख तो है लेकिन 81 लाख हो जाए। 81 लाख बी.पी.एल. परिवारों को आप दिलवाइये। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : बोलने का अधिकार ही नहीं है, किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने तो बंद ही कर दिया था, ये 22 को तो दे रहे हैं।

श्री टीकमचंद कान्त : आप काम करवा दीजिये। आप 15 लाख कर दीजिए।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में बोलने का अधिकार ही नहीं है और बोल रहे हैं बिना पर्ची के।

श्री अध्यक्ष : **नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें। अब आप स्थान ग्रहण करें।**

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद का विषय है ही नहीं। हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारी संख्या बढ़ी है अकाल के कारण से, उन सारे तथ्यों को भी भारत सरकार के सामने हम लेकर जा रहे हैं। वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 21 लाख से ज्यादा ही हैं राजस्थान में, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सब बी.पी.एल. की श्रेणी में रहें।

जैसलमेर जिले की विकास योजनाएं और उनका आधार

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विकास योजनाओं के बारे में सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मान्यवर जी, मेरा निवेदन है कि विकास का आधार मान लिया जनसंख्या का आधार लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जैसलमेर जैसे जिले में जनसंख्या के आधार पर विकास कभी हो नहीं सकता। चाहे हास्पिटल है, उसका आधार माना जनसंख्या, चाहे बिजली है उसका आधार माना जनसंख्या, चाहे वो पानी है उसका आधार मान लिया जनसंख्या। जैसलमेर में रोड़ है उसका भी मान लिया जनसंख्या का आधार। सरकार की मंशा जनसंख्या घटाना है। मेरे जैसलमेर जिले में आप पांच साल के जनसंख्या के आंकड़े उठा कर देख लें, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। बढ़ने का मैन कारण है कि सरकार ने यह मंशा जाहिर कर ली कि जनसंख्या के आधार पर ही विकास होना चाहिए, और जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि जो जनसंख्या का आधार है वो जैसलमेर जिले में कृपया लागू नहीं हो और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जैसलमेर जिले को विशेष तौर से मान्यता दी जाए। कई जगह तो 20-20 किलोमीटर की दूरी तक कोई न तो

(श्री सांगसिंह भाटी)

रोड है न बिजली है और न कोई योजना है। जब कोई लेडी की डिलीवरी होती है तो उसकी मौत हो जाती है क्योंकि कोई भी साधन नहीं है, इंजेक्शन लगाने वाला और गोली देने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि इन चीजों पर ध्यान रखें। अलग-अलग जिलों की अलग-अलग योजना है। कलस्टर योजना जलग्रहण योजना और जल का संग्रहण करना- भौगोलिक परिस्थिति के चलते धोरों की धरती में जल का संग्रहण न तो है और न हो सकता। इसलिए इस योजना में परिवर्तन करके जो नयी सरकार आयी है उनसे निवेदन है कि जिला स्तर पर योजना बने, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर योजना बने योजना गांव की क्या जरूरत है उसके आधार पर हो तो वह कारगर सिद्ध हो सकती है।

विकास की योजनाएं कलस्टर कार्य-में निवेदन करना चाहूंगा कि कलस्टर कार्य विकास की योजना है पांच साल में हमारे जैसलमेर जिले में जितने कलस्टर्स अलाटमेंट किये गये, मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि ये किनको अलाटमेंट हुए और किस ढंग से इसमें विकास हुआ, वो सदन के पटल पर आऐ। मैं नयी सरकार से उम्मीद करता हूं कि जैसलमेर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास की योजनाएं नये सिरे से लागू करें तभी वो कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान में हुई तेल की खोज से प्राप्त आय में राज्य की हिस्सेदारी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की और आकर्षित करना चाहूंगा जो विषय राजस्थान के विकास और राजस्थान की बहबूदी के साथ जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, नयी सरकार ऐसे शुभ मुहूर्त में आयी है कि एक तरफ किसान के खेत में फसल लहलहा रही है, दूसरी तरफ इसी जनवरी के दूसरी सप्ताह में बाड़मेर जिले में बायतू के पास नागानाजोगासर गांव के नजदीक, हिन्दुस्तान के अन्दर आसाम और गुजरात के पश्चात् राजस्थान को सबसे बड़ा तेल भण्डार मिला है। हिन्दुस्तान में तेल-गैस भण्डार के अंदर एक नया अध्याय जुड़ा है। अन्तरराष्ट्रीय कंपनी केयर्न्स एनर्जी लिमिटेड ने अभी हाल ही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर इस तेल भण्डार को खोजा है, करोड़ से लेकर 110 करोड़ बैरल कच्चा तेल मिला है, यानी 50 हजार बैरल प्रति दिन वहां से दोहन किया जा सकता है। तेल की खोज कोई आज नयी बात नहीं है, 1954 से हो रही है। पहले ओ.एन.जी.सी. कर रही थी, फिर 1983 में ओ.आई.एल. आयी बाड़मेर सांचोर बीकानेर और नागौर को बेसिन मानते हुए, और अब तो गंगानगर जिले में भी खोजा है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना-सा है कि भारत सरकार, ओ.एन.जी.सी. और जो यह अन्तरराष्ट्रीय कंपनी केयर्न्स एनर्जी लिमिटेड है, इनके मध्य 1999 में एक करार हुआ था। करार यह हुआ था कि जितनी भी तेल के दोहन से आय होगी उसका लाभ भारत सरकार, ओ.एन.जी.सी. और कैयर्न्स एनर्जी लिमिटेड कंपनी में बांटा जाएगा। संपदा है राजस्थान को, तेल मिला है राजस्थान की धरती में और राजस्थान की धरती में उसका लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान की सरकार को लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री महोदय, सिर्फ रायल्टी का 12.5 % मिलेगा और, पूर्व मुख्य मंत्री जी, इसके साथ सैल्स टैक्स से थोड़ी आय होगी। हालांकि आय कम नहीं है, सौ करोड़ के लगभग आय है। निश्चित तौर पर इस तेल की खोज के बाद राजस्थान की इकोनोमी बदलेगी। रिफाइनरी आऐगी, रिफाइनरी के साथ-साथ लोगों को रोजगार मिलेगा और हाइड्रो प्रोडक्ट से जुड़े हुए अन्य उद्योग भी आऐगे। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं और मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाह रहा हूं कि अभी खोज जारी है। इस अन्तराष्ट्रीय कंपनी को 59 कुंए खोदने थे, इन्होंने अभी 13 कुए खोदे हैं। उसके अन्दर इनके 10 कुए हैं उनमें हाइड्रो कार्बन मिला है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के लिए गौरव की बात तो है ही, परन्तु, मंत्री महोदय, क्या भारत सरकार से हम इस बात की गुजारिश नहीं करें कि इससे होने वाली आय के अंदर राजस्थान सरकार को और विशेष तौर पर जिस जिले के अन्दर यह तेल मिल रहा है, प्राकृतिक गैस मिल रही है, उस जिले के विकास के लिए धन मिले ? मैं समझता हूं कि इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए वरना मात्र 12.5% रायल्टी से और सेल्स टैक्स से काम चलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक तरह से, मंत्री महोदय, तरल सोना है। यह सोना मिल रहा है राजस्थान की धरती में, इसके अन्दर राजस्थान को लाभ मिले, राजस्थान को इसकी आय का लाभ मिले, इसके लिए आपको निश्चित तौर पर भारत सरकार से बात करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस महत्वपूर्ण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विषय में जिसके लिए पूरे देश को गौरव है और राजस्थान को विशेष गौरव है, और नयी सरकार के लोग तो कहते हैं कि नयी सरकार का पग फेरा ही ऐसा हुआ है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को इस तेल की खोज से होने वाली आय के कारण एक नयी दिशा मिलेगी, निश्चित तौर पर राजस्थान विकास और प्रगति के रास्ते पर चलेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप, भारत सरकार से निश्चित तौर पर बात करें। मैं एक निवेदन और भी करूंगा...

डा. सी.पी. जोशी : I am Sorry to interrupt you. भारत सरकार जब तक नियम नहीं बदलेगी तब तक राजस्थान में हम कितनी ही विशफुल थिंकिंग कर लें कि हमारे को रेवेन्यू मिलेगी, यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर आप फिर से इन्टरवीन कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो सप्लीमेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं सप्लीमेंट कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस विषय पर आज मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा...एक मिनट डा. साहब।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा नहीं दें तो बाहर ही बैठे रहें, अन्दर आने की जरूरत ही नहीं हैं। हमें कोई तकलीफ थोड़े ही है। आप हमें कह दें, बाहर ही बैठ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : कब मांगी आज्ञा आपने ? आपने आज्ञा कब मांगी ? न तो कोई पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। आपको या तो पाइंट आफ इन्फोर्मेशन कहना चाहिए। या तो आप पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन के जरिये अपनी बात कहते या कोई और तरीके से।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर चीफ मिनिस्टर की तरफ से बोले, स्पीकर सरकार की तरफ से बोले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। स्पीकर को तो कम से कम अपोजिशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। The Speaker cannot be a party to the Government, It is expected from you.

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात हुई ?

डा. सी.जी. जोशी : गवर्नमेंट की तरफ से आप बोलने लग जाएंगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी ? यह काम तो मुख्य मंत्री जी करेंगी। आप से तो आशा करते हैं कि आप हमारा प्रोटेक्शन करेंगी। कोई सही बात करें तो उसको एप्रिशिएट करेंगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसे ही बोलने खेड़ हो जाएंगे, हर कोई खड़ा हो जाएगा। आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन कहते पहले आप, फिर बोलते आप।

श्री सी.पी. जोशी : मैं इनकी परमिशन लेकर सप्लीमेंट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसे ही खड़े होकर बोलने लग जाएंगे आप, यह क्या तरीका हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं इससे पहले यह एक ऐसा विषय है जो दलगल राजनीति से ऊपर राजस्थान के विकास और बहबूदी से जुड़ा हुआ विषय है। पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर साहब विराज रहे हैं, मैंने प्रशासनिक सुधार आयोग की वह रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें आपने रिकमण्ड किया है कि इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा होना चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है, और विशेष तौर से प्रतिपक्ष से निवेदन है, डाक्टर सी.पी. जोशी जी से निवेदन है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदन को एक मत होकर प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार के पास भेजना चाहिये कि तेल के दोहन से जो आय होगी उसमें राजस्थान का हिस्सा निश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार तो नहीं है परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व मुख्य मंत्री जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, चूंकि यह विषय एक अलग किस्म का विषय है कोई राजनीति का विषय नहीं, किसी पर दोषारोपण का विषय नहीं, किसी पर छींटाकशी का विषय नहीं इसलिए आप भी अगर इस पर दो शब्द कहें।

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : आप कैसे खड़े हो गये ? नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री टीकमचंद कान्त : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टीकमचंद कान्त जी, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा, माननीय शिवचरण जी माथुर साहब को तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई, मैंने उनका प्रशासनिक सुधार आयोग का जो प्रतिवेदन है उसको पूरा पढ़ा है। उस प्रतिवेदन में राजस्थान के तेल, गैस और उसके दोहन के बारे में जितना विलंब हुआ, क्यों हुआ, जिस प्रकार से उसका वर्णन किया है उसके लिये आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद भारत सरकार और जो चांद करने वाली एजेंसियां हैं वे तो चेतीं, राजस्थान सरकार नहीं चेती है, यह हमारा दुर्भाग्य रहा। लेकिन अभी रामनाइक जी जब आये थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में उनसे चर्चा की है और कहा है कि राजस्थान सरकार का केवल रायल्टी से नहीं, इसमें हिस्सा भी होना चाहिये। हिस्से के कारण से हमारा काम होगा। यह बात, जोशी जी, ठीक है कि भारत सरकार जब नियम बदलेगी तो सब राज्यों के लिये बदलेगी। हम आग्रह करेंगे तो बदलेगी। इस प्रकार का आग्रह माननीय मुख्य मंत्री जी ने राम नाइक जी से किया है। माननीय सदस्य, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टीकमचंद कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, गुजरात भी वर्षों से इसी प्रकार की लड़ाई लड़ता आ रहा है, रायल्टी में हिस्सा मांगता आ रहा है और हमें भी गुजरात के साथ मिलकर इस मांग को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिये ताकि केन्द्र कहीं न कहीं अपने नियमों में संशोधन कर दे। मेरा एक सूचाना के तौर पर यह कहना है।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी-सी बात कहना चाहता हूं, कि हमें किसी से कुछ नहीं मांगने की जरूरत। जो खनन का अधिकार है वह राजस्थान क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है, राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। कई जगह गुजरात ने जब इसका उपयोग करना शुरू किया तो उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को ही वे सब ठेके दे दिये। यहां जिस केयर्न्स एनर्जी की चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि उसमें 2 मिलियन बैरल का भंडार मिला है, जो भी तेल निकलेगा वह चाहे ओ.एन.जी.सी. को साढ़े 12 परसेंट के बाद में इन्टरनेशनल प्राइज से दिया जाएगा या खाड़ी के देशों में और अन्य देशों में, क्योंकि जमीन की मालिक राजस्थान सरकार है, उसका

(श्री विष्णु मोदी)

लाइसेंस भी राजस्थान सरकार देगी और राजस्थान सरकार का यह क्षेत्राधिकार है कि वह उसमें स्पेशल कंडिशन डाले कि उसमें इतना परसेंट उनको प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर आयल राज्य सरकार का देना होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1999 में जो एम.ओ.यू. हुआ है...(व्यवधान) 1999 में एम.ओ.यू. हुआ है उसको पढ़ लो।

श्री विष्णु मोदी : इन कम्पनियों की बात नहीं कर रहा। इन कम्पनियों को भी अभी प्रोस्पेक्टिंग दिया है, माइनिंग लाइसेंस तो राजस्थान सरकार को ही देना होगा। राजस्थान सरकार इसमें अपनी स्पेशल कंडिशन इम्पोज कर सकती है। इसमें खाली विल की जरूरत है, सोच की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैने सी.पी. जोशी जी का नाम पुकारा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : विधायकों को विधायी कार्य के लिये पी.ए. की सुविधा जो पिछली सरकार ने प्रदान की थी, कृपया उसको बहाल कराने का कष्ट करें क्योंकि जब कलेक्टरों से पी.ए. मांगते हैं तो वह कहते हैं सरकार बदल गई। सुना तो यह था आज तक कि हाकिम बदल जाता है लेकिन हुकुम नहीं बदलता। तो उस हुकुम को बरकरार रखते हुए दुबारा हुकुम जारी करने का कष्ट करें ताकि हमें विधायी कार्य में आसानी हो सके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को शायद इस बात का अहसास हो गया कि राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी चर्चा हो गई है। चुनाव आयोग के कारण से वह सारा का सारा रूक गया था। जिस प्रकार से पहले जिला कलेक्टरों के यहां से आप लेते थे उसी प्रकार के आदेश शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकार जारी करने वाली है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें यह और छूट कर दें कि राजस्थान में कहीं से भी ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह बाद में बात कर लेंगे अपन।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे काल किया है, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह विषय तो चला गया, अब तो दूसरा विषय ले लिया।

श्री सी.पी. जोशी : आपने अलाउ कहां किया, वह तो वैसे ही हो गया।

श्री अध्यक्ष : आपको अपनी पार्टी के सदस्य को कहना चाहिये कि मैं बोलूंगा, वह तो विषय ही चला गया।

डा. सी.पी. जोशी : यह तो मेरा काम नहीं है, मैंने उनको रिक्वैस्ट कर दी, यह काम तो आपका है। यह काम भी मै करूंगा क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई : विषय गया नहीं है, बीच में उठ गया था।

श्री अध्यक्ष : बीच में उठ गया, क्या मतलब ? विषय तो दूसरा हो गया न। बात तो दूसरी चली गई।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, वह जबरदस्ती आपने अलाउ कर दिया तो मैं क्या करूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, जो प्रश्न चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है वह प्रश्न सारे राजस्थान से संबंध रखता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस हाउस में यह प्रस्ताव पास किया जाना चाहिये कि भारत सरकार जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं करेगी और परिवर्तन करके रायल्टी के अलावा इक्विटी के कंसैप्ट को लागू नहीं करेगी, तब तक राजस्थान की बहबूदी नहीं आऐगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो हमारे यहां तेल मिला है उससे हमारी बहबूदी बढ़े राजस्थान में इसके लिये भारत के संविधान में परिवर्तन किया जाएं। गुजरात उदाहरण नहीं हो सकता कि गुजरात ने अपने राइट्स को यूज किया तो उनको ठेके दे दिये। कानून में परिवर्तन करके जब तक हम भारत सरकार से यह मांग नहीं करेंगे कि इसकी कमाई में हमारी इक्विटी का शेयर हो, तब तक राजस्थान की बहबूदी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लीड

(डा. सी.पी. जोशी)

लें, आप सबसे सीनियर है। आप महिला अध्यक्षा बनी हैं, आप इतिहास बनाना चाहते हैं, आप नया इतिहास बनाइए, अध्यक्ष की हैसियत से आप सरकार से प्रस्ताव पास करवाइए। हम आप पर छोड़ते है, आप प्रस्ताव लाइए कि भारत सरकार इसमें परिवर्तन करे जिससे आने वाले समय में राजस्थान नई सदी में ज्यादा पैसे उठाकर लोगों पर टैक्स नहीं लगाए, उसका फायदा जनता को मिल सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अवसर है, आप इसको लीड लेकर एक नया इतिहास बनाइए ताकि लोग कह सकें कि महिला अध्यक्षा ने लीड लेकर, पार्टी से ऊपर उठकर राजस्थान के हित का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सरकार से ऐसा प्रस्ताव सदन में पास करवाएंगी जिससे राजस्थान की आमदनी बढ़ेगी और इक्विटी में हमारा शेयर होगा।

घोषणा

श्री अध्यक्ष : नोन आफिशियली-डे मैं रख दूंगी। आप यह प्रस्ताव लाएं सदन उसको पास करे, क्या दिक्कत है। मेरी सहमति है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का नियतन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रिम चर्चा हो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कितना-कितना समय किस पार्टी को दिया गया है।

1.	भारतीय जनता पार्टी	-	7 घंटे 8 मिनट
2.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	-	3 घंटे 22 मिनट
3.	इण्डियन नेशनल लोकदल	-	15 मिनट
4.	जनता दल यूनाइटेड	-	8 मिनट
5.	बहुजन समाज पार्टी	-	8 मिनट
6.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	-	4 मिनट
7.	लोक जनशक्ति पार्टी	-	4 मिनट
8.	राजस्थान सामाजिक न्याय मंच	-	4 मिनट
9.	निर्दलीय	-	47 मिनट

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रकार कुल 12 घंटे होते है जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 1 घंटा 39 मिनट बोल चुकी है और कांग्रेस 46 मिनट बोल चुकी है। इतना समय तो आपका कम हो गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : बी.जे.पी. का और काट दो।

श्री अध्यक्ष : मैं क्यों काट दूंगी किसी का, मेरे लिये सब समान हैं। जो समय नियत किया है वह सचिवालय ने किया है। अब शिवचरण जी माथुर अपना भाषण देंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने आज के इस वाद विवाद में पहले बोलने का अवसर प्रदान किया। दरअसल में मैं अपनी बात इस सदन के सम्मुख रखूं इससे पहले दो बातों पर निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो तारानगर से आने वाले हमारे नये विधायक डा. चन्द्रशेखर की आज मेडन स्पीच थी। वैसे कोई लंबे वाद-विवाद में उन्होंने पार्ट नहीं लिया, लेकिन जिस विषय को लेकर उन्होंने जिस ढंग से मुद्दा उठाया, मैं ऐसा मानता हूं कि वह एक बुद्धिमान लैजिस्लेटर है और उनकी उस मेडन स्पीच के लिये अपनी तरफ से और सदन की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मेरी बात कहने के पहले एक मुद्दा जो राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, उस पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी दिलचस्पी इस विषय पर बहुत रही है। भारत सरकार यदि हमको मदद करती और जितने प्रयत्न हमने पहले किये, राजस्थान के इस भण्डार का उपयोग करने के लिये और राजस्थान के विकास के लिये, तो मैं समझता हूं कि 5 साल पहले यह स्थिति आ सकती थी। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के चेयरमैन की हैसियत उस क्षेत्र में गया और खुद सारे इलाके को देखा। 4 दिन हमने दौरा किया। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकार प्रसन्नता होगी कि यह राजस्थान का जो बाड़मेर और जैसलमेर का भण्डार है वह राजस्थान को ऐसी स्थिति में ला सकता है कि Rajasthan can be converted in to a tax free state.

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं यह नहीं कहता कि टैक्स फ्री स्टेट बन जाएगा, लेकिन डेफिनिटली कहता कि हमको बहुत कम टैक्स लगाने की जिम्मेदारी मिलेगी। इतना बड़ा विपुल भण्डार हमको मिला है उससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी आमदनी हमारी होगी। मैंने सारे डेटा कलेक्ट किये हैं और विशेषज्ञों से चर्चा की है, उसके आधार पर 35 सौ मेगावाट बिजली तो वेकल कोल गैसिफिकेशन से हो जाएगी। गेल-गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का अनुमान है, कि करीब 15 हजार मेगावाट बिजली गैस से निकल सकती है। कोल बैड मीथेन से इतनी बिजली और मिल सकती है। अंदाजन करीबन 20-22 हजार मेगावाट बिजली राजस्थान में इस प्रकार से मिल सकती है और यदि आप अंदाज भी लगाएं कि राजस्थान की बिजली की आवश्यकता कितनी भी बढ़े, आजकल 3 हजार मेगावाट है, इसको 6 हजार कर दीजिए, 8 हजार कर दीजिए, राजस्थान के अन्दर बिजली की भरपूर आवश्यकता की पूर्ति होने के बावजूद भी यदि इस भण्डार का दोहन हो गया तो राजस्थान को कम से कम 10 हजार मेगावाट बिजली ऐसी मिलेगी जिसे आप बेच सकते हैं, नेशनल ग्रिड में उसको सप्लाई कर सकते हैं। मैंने अंदाज लगाया था, यदि आज के आंकड़ों के हिसाब से जो सर्वे हो चुका है उस सर्वे के आधार पर भी हिसाब लगाया जाए तो साढे 6 सौ करोड़ रुपये तो केवल जो बिजली अतिरिक्त पैदा होगी उसको बेचने से आपको मिल सकते हैं। दो सौ करोड़ रुपये रायल्टी से आपको मिल सकते हैं। करीब 11 सौ करोड़ रुपये आपको अतिरिक्त पैसा इसमें मिल सकता है। राजस्थान की सरकार करीब 11 सौ करोड़ रुपये की बिजली प्रति वर्ष खरीदती है, उसकी बचत होगी। उसका मतलब यह हुआ कि करीब दो-ढ़ाई हजार करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार बिना किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाये हुए, परेशान किये हुए इकट्ठा कर सकती है।

बहुत बच्छा सवाल आपने उठाया। मैंने तो इसमें बहुत प्रयत्न किये हैं, बल्कि मैं इस विषय को लेकर सब लोगों से मिल चुका हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी से मैंने चिट्ठी लिखवायी, प्रधानमंत्रीजी को चिट्ठी लिखवायी, रामनाइकजी को चिट्ठी लिखवायी कि आप इस विषय पर गम्भीरता से विचार कीजिए। कैम्ब-वे बेसिन का एक्सटेंशन हमारे राजस्थान में है। कैम्ब-वे बेसिन जो गुजरात में है और जहां पर एक बहुत बड़ा तेल भण्डार और गैस भण्डार का काम हो रहा है, उसका एक्सटेंशन हमारे सिणधरी तक जाकर पहुंचता है। बायतू में, जैसा कि

(श्री शिवचरण माथुर)

कल के अख़बार में आपने देखा होगा, 50 हजार बैरल की प्रोडक्शन की कैपेसिटी एक कुएं से वहां मिली है। इसके पहले मैं अपने कमीशन के साथ में कोसल गया था, गुढा गया था, वहां पर जो तेल निकलेगा व बिलकुल एयर प्लेन में काम आने वाला तेल होगा, 41 ए.पी.का तेल होगा वह। बिना बहुत रिफाइन के उस तेल को उपयोग कर सकते हैं। लाखों-करोड़ों रुपयों की आमदनी आपको बच सकती है और आपका राजस्थान एक प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस बारे में प्रयत्न किये, रामनाइकली से मैं मिला। उनके एक्सपर्ट्स से मैंने चर्चा की, डाइरेक्टर-जरनल, हाइड्रो-कार्बन से मैंने बातचीत की। वहां विशेषज्ञों से चर्चा की। यहां तक कि पार्लियामेंट की जो पेट्रोलियम और गैस की कमेटी है, जिसके चेयरमैन आज के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, मुलायम सिंह जी यादव थे, उनसे मैंने सारी कमेटी के सामने आपना केस रिप्रजेण्ट किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान का केस बहुत साउण्ड है, इस पर बहुत विचार किया जाना चाहिए। इसके आधार पर उन्होंने यहां तक कहा था कि हम कमेटी की नैक्स्ट मीटिंग में अधिकारियों को बुलाकर आपके सामने चर्चा करेंगे। रामनाइक ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम राजस्थान के इस केस को बहुत गम्भीरता से लेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कहते हुए कि राजस्थान के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। गुजरात को तरजीह दी गयी, आसाम को तरजीह दी गयी। राजस्थान के अन्दर मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं तो मौके पर गया हूं, जो डेटा हैं, थ्री-डी ईको का जो डेटा है, मैं तो विशेष नहीं हूं लेकिन विशेषज्ञों से हमने उनको एनलाइन करवाया हैं, उसके आधार पर राजस्थान के अन्दर में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी कायम हो सकती है, छोटी की जरुरत नहीं है। आज जैसी जामनगर में रिफाइनरी है, बड़ौदा में रिफाइनरी है, वैसी ही एक बड़ी रिफाइनरी यहां कायम हो सकती है। सवाल इस बात का है कि राजस्थान गवर्नमेंट कितने प्रभावशाली तरीके से इस बात को आगे भारत सरकार के सामने रखे। हमारा बहुत दुर्भाग्य रहा, हम चूंकि दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थे...(व्यवधान)

श्री महावरी प्रसाद जैन : गहलोत साहब ने मानी नहीं आपकी।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री शिवचरण माथुर : हम लोगों ने बहुत कोशिश की। मैं यहां तक कहना चाहता हूं, उस समय के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत, जो आज उप राष्ट्रपति हैं देश के, जब मैंने उनसे चर्चा की और जब मैंने फैक्ट्स रखे, मैंने उनसे एक निवेदन किया कि यह ऐसा विषय है जिसमें सभी दलों को एक होकर बात करनी चाहिए और एक पूरे दिन की डिबेट सदन के अन्दर इसमें आयोजित की जानी चाहिए, इसको उन्होंने स्वीकार किया। हमें मौका नहीं मिला कि सदन में इस बात को हम उठा सकते, लेकिन उन्होंने एक दिन पूरा-लाइन डिबेट इस विषय पर चर्चा करने के लिये यहां पर स्वीकार किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि हम सामूहिक रूप से एक यूनानीमस रिजोल्यूशन इस विधान सभा की तरफ से भारत सरकार को भेजें और उसमें यह कहें कि हमारा, राजस्थान का जो भण्डार है, आमदनी का एक सोर्स, है, इसको बहुत डवलप करने के लिये राजस्थान सरकार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक बात और भी निवेदन करना चाहूंगा कि मल्टी नेशनल्स की यहां पर जिम्मेदारी दी गयी। आपने कहा कि 1954 से यह काम हो रहा है। ओ.एन.जी.सी., आइल इण्डिया लिमिटेड इस काम को कर रहे हैं। वे एक लाइसेंसी हैं उन्होंने कभी अपने तौर पर काम नहीं किया। कभी एक पैसा यहां पर राजस्थान में नहीं लगाया। उन्होंने दूसरी कम्पनियों को दे दिया, सब-लीज कर दिया शैल कम्पनी जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, उसको सब लीज कर दिया। शैल कम्पनी के इण्टरनेशनल अपने ब्रीफिंग्स हैं, उनके अपने इण्ट्रेस्ट हैं। अलग-अलग देश को कितना प्रोत्साहन देना चाहिए, यह उनकी नीति का एक अंग है। उन्होंने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को तरजीह दी। शेल एण्ड कम्पनी एक लीज होल्डर बिलकुल हमारे जैसलमेर के पास तरनोट में, उधर जो सूई इलाका है, सूई के इलाके में जो गैस पैदा होती है, इतनी गैस पैदा होती है कि उससे लाहौर और कराची की पूरी जनसंख्या को गैस सप्लाई की जा रही है। जब हमने कहा कि वही सीम है, राजस्थान की और सूई की सीम का एक ही मिलती है, आप यहां क्यों नहीं काम करते हो तो उन्होंने कहा कि यहां पर काम करने में अभी समय लगेगा।

(श्री शिवचरण माथुर)

पाकिस्तान में वे काम कर रहे हैं और करीब-गरीब 50-60 कुएं लगा चुके हैं। हमारा रामगढ़ का पावर हाउस, जिसमें 14 लाख क्यूबिक मीटर गैस की जरुरत है, अगर उसको दो यूनिट में चलाया जाए 35-35 मेगावाट के, बड़ी मुश्किल से आइल इण्डिया लिमिटेड वहां पर 4 लाख क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई कर रही है। जब मैंने उनके विशेषज्ञों से पूछा तो उन्होंने कहा हमारी कम्पनी ने एक सीमित क्षेत्र में काम करने के आदेश दिये हैं और हमारे पास पैसा भी इतना ही दिया है जिसमें हम काम कर नहीं सकते है। आज अंदाजा लगाएं, राजस्थान का धन है, यहां की सम्पत्ति है और उसको काम के लिये भारत सरकार किसी मल्टी-नेशलन को देना चाहती है जिसका राजस्थान में हित नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय हित उसके हैं। वह देखती है कि हमको किस देश को मदद करनी चाहिए।

इस बात को बहुत गम्भीरता से, वैसे मैं मेरे वक्तव्य में भी ज्यादा बात इसी पर कहना चाहता था। दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए, आजकल के विषयों के आधार पर और आजकल के वातावरण में ऐसी डेबेट में बहुत लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। सदन में एक बहुत बड़ी बात, जीरो-आवर में हम हल्ला-गुल्ला जरूर करते हैं लेकिन ऐसे विषयों पर अगर गम्भीरता से विचार किया जाए तो सही बात तो यह है कि आपके सदन की गरिमा बढ़ेगी। मैं तो अभी देख भी रहा था, जो यहां पर स्थिति बन रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं क्योंकि किसी गम्भीर विषय को लिया जाए, उस विषय पर कितने लोग दिलचस्पी लेते हैं, यह इंडिकेट करता है कि हमारे सदस्यों को आज ध्यान किस बात की और जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने मूल्यों में विश्वास किया है, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सबसे पहले मूल्यों की चर्चा की गयी है। यह क्या मूल्यों की स्थिति है जो आज हम देखते हैं। मूल्यों में जितनी गिरावट आयी है उसे ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता था। लेकिन चूंकि मेरा नाम दे दिया था और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करना चाहता था इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाजत लेकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं खुद कहता हूं कि अगर राजस्थान के इस धन को विकसित करने के लिए भारत सरकार हमारी मदद करे, आसाम और गुजरात के तौर पर हमको भी मदद करे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में किसी भी टैक्स की जरूरत नहीं है। Rajasthan cab be converted in to a tax free State.

(श्री शिवचरण माथुर)

टैक्स फ्री नहीं भी हो तो बहुत कम टैक्स। आज हमारे वित्त मंत्रीजी हर साल जब बजट पेश करते हैं तो टैक्स के प्रोविजन लाते हैं, कभी 15 करोड़, कभी 20 करोड़ उसमें फिर मारा-मारी होती है, आन्दोलन चलते हैं तो वे इनको वापस लेते हैं और जनता में इस प्रकार से परेशानी होती है। क्या जरूरत है ? आज मिडिल ईस्ट सऊदी अरब जैसी कण्ट्री जिसमें यह सम्पत्ति है, वहां पर सब चीज फ्री दे रखी है, कोई टैक्स नहीं है। क्या राजस्थान को हम वह नहीं बना सकते हैं ? राजस्थान को हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान, उनको शैल कम्पनी इजाजत देती है काम करने की और यह हमारे यहां काम नहीं करती है। मैं तरनोट गया था, वहां पर मैंने उन कुओं को देखा। मैंने देखा कि वही गैस जो पाकिस्तान में आ रही है वह यहां पर भी आ रही है, लेकिन यहां दोहन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और वह कम्पनी जिसको यहां पर सब लीज किया गया है, यहां काम करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। हम लोग कोसलू गये, गुढा गये और वहां पर केयर्न एनर्जी को काम करते हुए मैंने देखा। कोसूल में केयर्न एनर्जी का काम चल रहा था। मैंने वहां के विशेषज्ञों से पूछा कि एक कुआ आप कितने दिल में पूरा कर सकते हैं ?

(13.51 बजे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़ सभापति, पदासीन)

सभापतिजी, उन्होंने मुझे बताया कि 35 दिन में हम एक कुआ लगा सकते हैं। करीब दस साल से केयर्न एनर्जी एक सब-लैसी की तरह से है, शैल एण्ड कम्पनी की एक सब लीज होल्डर है वह। वह कम्पनी केयर्न एनर्जी जिसका उल्लेख आपने किया, उसके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस ओ.एन.जी.सी. के पास है। ओ.एन.जी.सी. ने शैल एण्ड कम्पनी को सब लीज किया और सब लीज करने के बाद में कैर्न एनर्जी को उन्होंने सब लीज कर दिया। वह काम करने वाली छोटी-सी कम्पनी है। शैल एण्ड कम्पनी जितना फाइनेंस करती है, उतना वह काम कर लेती है। हमने इस पर एतराज किया। मैंने कहा कि आप इतने साल से काम कर रहे हैं, आप यहां कुएं खोद सकते थे। मात्र तीन कुएं उन्होंने खोदे थे। एक कुआ गुढा में खोदा था, एक कुआ कोसलू में खोदा था और हमारे जाने के बाद, हमारे कहने पर एक कुआ उन्होंने नगर में खोदा। हमने डेटा के आधार पर उनको कहा कि आप यहां पर

(श्री शिवचरण माथुर)

खोदिये और खोदकर यहां पर पता लगाइये कि राजस्थान में कितना तेल मौजूद है, कितनी गैस मौजूद है।

सभापति महोदय, मुझे खेद है, दुःख है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने को, मैं तो कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत ब्रीफ करना चाहता हूं। वे समझदार हैं मैं समझता हूं कि मेरी बात को वह गम्भीरता से लेंगी। यदि आवश्यकता हुई तो मैं भारत सरकार के पास में अपने पक्ष को रखने के लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यह कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है कि यह मेरी कांग्रेस पार्टी का है। आप सत्ता पक्ष की पार्टी का सवाल नहीं है। राजस्थान की आम जनता का सवाल है। अगर बाड़मेर में एक बड़ी, एक मिलियन टन कैपेसिटी रिफाइनरी कायम होगी तो आप अन्दाज लगाइये कि कितनी सब्सिडरीज इण्डस्ट्रीज उस रफ्तार से बढ़ेंगी। रोजगार बढ़ेगा। पैसा आऐगा। उसकी इकोनोमी पर उसका फर्क पड़ेगा। कितने रोजगार के अवसर वहां पर प्रदान होंगे ? लेकिन इस बात को कौन करता है ? हम छोटी-छोटी बातें में आपस में उलझ जाते हैं और बड़ी-बड़ी बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं बहुत गम्भीरता से, क्योंकि मैं सातवीं बार इस विधान सभा में बैठ रहा हूं। हमने वह डिबेट भी देखी है सुखाडियाजी के वक्त में, जोशी जी के वक्त में जबकि विपक्ष के नेता की बात सुनी जाती थी गम्भीरता से। भैरोंसिंहजी जब बोलते थे, हमारे विपक्ष के, तो हमारे मुख्य मंत्री सुखाडियाजी, मैं खुद उनकी इज्जत करके, उनकी बात अगर वे एक घंटे कहते थे तो मैं उनका धन्यवाद देते हुए उसका जवाब देता था। लेकिन तर्क और सिद्धान्तों के आधार पर जवाब देता था। यह नहीं कि हम यहां पर बैठे हों तो आप जरूर हमारा विरोध ही करेंगे, या हम यहां बैठे हों तो हम यहां पर आपका विरोध ही करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं, इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार करके मैं चाहूंगा कि एक दिन की कुल डिबेट आप इस पर रखियेगा। मैं इनीशियेट करूंगा इस डिबेट को और तथ्यों के आधार पर, विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान के अन्दर इस खजाने को अगर हम निकाल लें तो राजस्थान कहां पहुंच सकता है। एक बार अजित जोगीजी किसी फंक्शन में मुझे मिल गये। उन्होंने कहा कि मेरे स्टेट में इतना खनिज है, बोक्साइट है, दूसरे मिनरल्स हैं कि मैं एक पैसा भारत सरकार से मांग करना नहीं चाहूंगा। सब कुछ मैं अपनी स्टेट को

(श्री शिवचरण माथुर)

अच्छे से अच्छे वैलफेयर स्टेज में लाने की कोशिश करूंगा। वहीं ऐसी स्थिति राजस्थान की बन सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर आप एक पूरी डिबेट रखियेगा। अगर इस सत्र में नहीं रख सकते हैं तो आगे के सत्र में रखियेगा। हमारे विपक्ष के नेताजी से भी हम चर्चा कर लेंगे, आप मुख्य मंत्रीजी से बात कर लीजिए और सामूहिक रूप से एक यूनानीमसली रिजोल्यूशन हमारी विधान सभा का जाए और एक मिलाजुला प्रतिनिधि-मण्डल भी, जिसमें विपक्ष भी शामिल हो, रामनायकजी से मिले, प्रधानमंत्रीजी से मिले। उस वक्त पता नहीं कौन होगा, मुझे मालूम नहीं, चुनाव सर पर हैं, लेकिन जो भी हो, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्री, उनसे जाकर हम निवेदन करें। अपने केस को बहुत साउण्ड तरीके से हम रखने की बात करना चाहते हैं। जहां-जहां भी भारत सरकार में जिन-जिन से बात की है, राजस्थान के पक्ष को वे स्वीकार करते हैं।

अभी सवाल उठा कि इसके लाभांश में हमको हिस्सा मिलना चाहिए, यह बिलकुल सही बात है। केवल रायल्टी में हमको हिस्सा मिलता है। साढ़े बारह परसेंट रायल्टी में हमको हिस्सा मिलता है, वह अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपये का हिस्सा उसमें हुआ। 200 करोड़ रुपये केवल रायल्टी का हमको मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सारे के सारे उसके प्रोफिट में अगर हमारा हिस्सा बने तो निश्चित बात कहता हूं कि कम से कम सात-आठ हजार करोड़ रुपये की आमदनी राजस्थान सरकार को हो सकती है। आप यह कहेंगे कि आप यह स्वप्न दिखा रहे हैं और एक लम्बी-लम्बी बात कर रहे हैं। राजस्थान का इतनी आमदनी का बजट ही आज नहीं है तो कहां सात-आठ हजार करोड़ रुपये की बात आप करते हैं। राजस्थान में वह क्षमता है कि यह पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और उसका उपयोग राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के लिए किया जा सकता है। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इस विषय पर हम गम्भीरता से विचार करें। मुख्य मंत्रीजी हमारी बात को सुनें, बल्कि इसका जवाब देते वक्त वे यह कहें कि इस बारे में सम्पूर्ण सदन एक राय का है, एक मत का है। हम एक राय से एक रिजोल्यूशन पास करके प्रधानमंत्रीजी से मिलें, रामनायकजी से मिलें, अपने हक को लेने की बात कहें। गुजरात ने यह कहा कि हमको लाभांश में उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे

(श्री शिवचरण माथुर)

गुजरात की बात। एक चिट्ठी मेरे पास आयी, जो चिट्ठी है उसका जवाब। अभी हमने यह तय नहीं किया है कि लाभांश उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। गुजरात ने अभी यह मांग की है। हम मांग करते हैं कि लाभांश में हमको हिस्सा मिलना चाहिए, केवल रायल्टी से हमारा काम नहीं चलेगा। जो पैसा कमाया जाएगा उसमें भी हमको हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि राजस्थान का धन है।

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं लेकिन, तिवाड़ी जी, आपके मार्फत उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो ऑयल कम्पनीज हैं, एक्सप्लोरेशन के काम में उनको कई दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत जो मुझे उन्होंने कही, वह यह थी कि, साहब, हम नये एरियाज में एक्सप्लोर करते हैं, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल हैं, उस डेटा के आधार पर हम खोज के जरिए से, कहां पर नये एरियाज को डवलप करना चाहते हैं, उसकी पहले सूचना कलक्टर को देते हैं और हम यह कहते हैं कि इतनी जमीन आप दे दीजिएगा, एक्वायर करके जमीन हमको दे दीजिएगा। कलक्टर्स उस काम में कई साल लगा देते हैं। मैं जब बाड़मेर गया तो बाड़मेर कलक्टर को बुलाकर मैंने कहा कि इतनी बड़ी अच्छी बात है, यह कोसलू में इन्होंने जो कुआ खोदा है, आगे नगर में हुआ खोदने वाले हैं, आप इनको पहले से जमीन क्यों नहीं देते। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि, साहब, मैं 15 दिन के अन्दर जो यह जमीन चाहेंगे, उस जमीन को देकर इनके सुपुर्द कर दूंगा। ये दिक्कतें, प्रशासनिक दिक्कतें हमारे यहां पर हैं।

अगर आप ई-गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ई-गवर्नेंस की बात की गयी है, ई-गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि समस्या आए तो तुरन्त उसका हल निकाला जाए। लोगों को परेशान किये बगैर आप उन समस्याओं का हल निकालें, उसको ई-गवर्नेंस कहते है। लेकिन आज तो सवाल यह है, यहां ई-गवर्नेंस क्या, यहां तो सैक्रेटेरियट में आप चले जाइये, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन में, सभापति महोदय, मैंने सैक्रेटेरियट को भी शामिल किया था अपनी जांच के लिए और मैंने एक-एक विभाग की पचास-पचास फाइल्स मंगाकर देखी हैं। ऐसा मसला जो दो घंटे में निर्णय हो जाना चाहिए था, उसमें सात साल लग गये। देखा, एक नीचे से

(श्री शिवचरण माथुर)

सैक्शन आफिसर ने नोट बनाया, नोट ऊपर पास करता हुआ, आठ सीढ़ी तक ऊपर जाएगा। ऊपर से किसी ने लिख दिया, प्लीज स्पीक, तो कब स्पीक करेगा, किसी को कोई मालूम नहीं है। उस तरह से नीचे आऐगा और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा। सात साल एक छोटे-से मामले को लेकर, जो दो घंटे में तय हो जाना चाहिए था। वह नहीं हुआ। आज तो उलटा यह किया है हमारी सरकार ने कि एक प्रिंसिपल प्राइवेट सैक्रेटरी और तय कर दिया। क्लबिंग किया है कुछ डिपार्टमेंट्स को। मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल सैक्रेटरी और सैक्रेटरी में सीनियोरिटी के लिहाज से कोई एक-दो साल का फर्क होता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि एक स्टेज आपने और बढ़ा दी ? एक स्टेज और आकर फाइल जाएगी, वहां डिले होगी। आपको यह तय करना चाहिए, अगर ई-गवर्नेंस की बात करते हैं तो राजस्थान के हित में सरकार के काम-काज को दो पक्षों में डिबाइट करना चाहते हैं, एक तो जनता से ताल्लुक रखने वाले विषय और एक राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में ताल्लुक रखने वाले विषय। इनको हम हमारे अधिकारी, सक्षम अधिकारी के माध्यम से तुरन्त हल करें, जनता को राहत दें और राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करें।

(14.00 बजे)

मैं इस विषय पर यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मेने मन की बात आपने कही और मैं मूलत: इसी प्रश्न पर अपने वक्तव्य में बात कहना चाहता था। मैं बहुत लम्बी बात न कहकर मेरे समय की सीमा है, मैं अपने समय की सीमा में अपने आपको शामिल करते हुए कहना चाहूंगा कि इस पर एक फुल-डे डिबेट अरेंज कीजियेगा और इसका एक यू.ओ. नोट भारत सरकार को भेजियेगा।

अब, सभापति, महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं घनश्याम तिवाड़ी से कहना चाहूंगा कि यह जो भाषण आपने लिखा है, आप तो संस्कृत के ज्ञाता हैं, ज्ञाता हैं कि नहीं आप ? इसमें पहले ही पेज पर लिखा है कि ''राज्यपाल की महान जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से परिवर्तन पथ की पाथेय बनकर जनपथ पर शासन की बागडोर सौंपी।'' पाथेय का मतलब होता है, यात्रा में, यात्रा का जो आहार होता

(श्री शिवचरण माथुर)
है हम लोग यात्रा में जाते हैं, टिफिन, बैग अपने साथ रखते हैं। पुराने जमाने में सत्तू ले जाया करते थे पुराने जामने के लोग, उसको पाथेय कहते हैं। राजस्थान की जतना आपके विकास के लिये, आपको जिताने के लिये पाथेय कैसे बन गयी, यह मेरी समझ में नहीं आता। पाथेय कैसे बन गयी, तिवाड़ी जी ? आप हिन्दी के भी ज्ञाता हैं, मैं भी थोड़ी बहुत हिन्दी भाषा जानता हूं, मुझे एतराज है इस ''पाथेय'' वर्ड पर। कोई और वर्ड यूज कीजिये, हमें एतराज नहीं है, लेकिन ''पाथेय'' जनता को मत बनाइयेगा। यात्रा का आहार मत बनाइये जनता को, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात, कल इस सदन में बिजली के बारे में बहुत लम्बी चर्चा हुई। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि ऋग्वेद की ऋचा को उद्धत करते हुए हमारे राज्यपाल महोदय ने बात कही है, समानता का व्यवहार होगा, सदभावना का व्यवहार होगा। कहां सदभावना है ? बिजली की बात सही है, दो-दो घण्टे बिजली नहीं मिलती है। अगर चार घण्टे बिजली मिलती है उसमें 10 ट्रिपिंग्स होते हैं। पांच मिनट चली, फिर बंद हो गयी। मैं जो आपसे कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं। यह मत समझिये कि मैं विपक्ष के हिसाब से कह रहा हूं। अच्छी बिजली दीजिये, 8 कि बजाय 6 घण्टे दीजिये, हमें एतराज नहीं है लेकिन कन्टीन्यूस बिजली दीजिये। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिये। इस प्रश्न को गंभीरता से अगर आप नहीं लेंगे...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप 6 घण्टे क्यों मांग रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो 6 घण्टे नहीं 8 घण्टे कर रहा हूं, लेनिक बिजली अच्छी दीजिये और ट्रिपिंग्स कम से कम हों। वहां का ट्रांसफार्मर जल जाए तो फौरन उसको बदलने की जरूरत है। तब तो किसान को लाभ मिल सकेगा। बाकी आप 8 घण्टे की कह दीजिये, 14 घण्टे की कह दीजिये। सिंगल फेस की बिजली के लिये आपने कहा कि हम 6 घण्टे और देंगे, 14 घण्टे की बात कह दी। 8 घण्टे की बात कह देंगे, सबका अर्थ वही होगा। किताबों में, अखबारों में घोषणा से कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं तो कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने जो 100-दिन और एक साल और पांच साल की योजना की घोषणा की है, 100-दिन का प्रारूप कम से कम सदन में तो आना चाहिये था कि 100 दिन की क्या योजना है ? सदन आहुत कर लिया गया था उसके पहले

(श्री शिवचरण माथुर)

घोषणाएं हुई थी, सदन के सदस्यों को यह मालूम होता। हो सकता है, हम आपको और कुछ अच्छे सुझाव दे सकते थे 100 दिन की पूर्ति करने के लिये। 100 दिन की बात की जानकारी मैंने क्षेत्र में पूछी। मुझे लोगों ने बतलाया सड़क के क्षेत्र में, कटारिया जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सड़क के बारे में लोगों ने बतलाया, साहब, आपने कहा था कि सात गांवों को एक दिन में हम सड़क से जोड़ेंगे। मैंने कहा, सात गांव कैसे जुड़ेंगे ? तो उन्होंने कहा कि पहले की सरकार के वक्त में चल रही स्कीम्स डब्ल्यू.बी.एम. हो गयीं, यहां पर उसको हम डामर करने की स्थिति में चल रहे थे, उसको डामर कर देंगे, वह एक तरह से 100-दिन की योजना में शामिल कर दिया। हमारे अधिकारीगण इतने होशियार हैं, आपको ऐसा स्वप्न दिलाएंगे कि जैसे आप बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान के लिये चांद और तारे तोड़कर ले आंएगे। इसलिए मेहरबानी करके गंभीरता से विषय के अंदर जाइये। प्रजेन्टेशन करते हैं अधिकारी, मेरे सामने भी प्रजेन्टेशन करते थे, लेकिन मैं थोड़ा अपने आप में अपना दिमाग भी लगता था। उस प्रजेन्टेशन की बात को खुद सोचता था और मैं उनसे पूछता था कि इस प्रजेन्टेशन के पीछे केवल एक ब्यूरोक्रेसी का ही हाथ है या क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी आपने पूछा है। क्षेत्र के एक्सपर्ट बिलकुल नहीं जानते। आपके इण्डियन रोड कांग्रेस की जो योजना बनी है उसको कभी देखा है आपने ? क्या उनके प्रोजेक्शंस हैं इसको कभी आपने देखने की कोशिश की ? उसी के अनुसार आपके जो अधिकारी हैं वे आपको नक्शा बनाकर दे देते हैं। हमारे वक्त में हमको नक्शा बनाकर दे देते। आपके वक्त मैं आपने कहा कि हमको-100 दिन की योजना चाहिये, 100 दिन ले लीजिये। अगर आप 50 दिन की बात कहते तो 50 का बनाकर दे देते। इसलिए मैं मंत्रिमण्डल के सदस्यों को यह सुझाव देना चाहूंगा कि कृपा करके गंभीरता से विषय के अंदर जाइये, समझाने की चेष्टा कीजिये और फिर जाकर वहां पर कहिये कि आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है। आपने योजना बना दी लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को अपने कभी देखा है ? कैसे क्रियान्विति होगी, यह कभी देखा है कि नहीं ?

बिजली की बात सही है। हमारे माननीय सदस्यों ने उत्तेजित होकर कही यहां पर। आप जाकर देखिये कि गांवों में बिजली की क्या हालत है। सिविल लाइन में तो आपके 24 घण्टे बिजली मिलेगी। मैं भी सिविल लाइन में रहा हूं। ... (व्यवधान)... मैं खुद ही कह रहा हूं न आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी कह रहे हैं। आपकी कह रहे हैं वह। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : महावीर जी को बीच में बोलने की बीमारी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीमारी नहीं, मैं तो यह कह रहा हूं कि अनुभव अच्छे नहीं हैं माथुर साहब के। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें। व्यवधान नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मुख्य मंत्री थे और उसके बाद जो सरकार... (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : I am not yielding.

श्री हरिमोहन शर्मा : इनको कुछ बनाओगे जब ही रूकेगें, नहीं तो नहीं रूकेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आज का तरीका यह है सदन चलाने का ... (व्यवधान) मैं जब कह रहा हूं आई एम नोट यील्डिंग, आप बीच में क्यों टोक रहे हैं ? (व्यवधान) जरूरी नहीं है। आपको मौका मिला तो मेरा विरोध कर दीजिये। लेकिन मैं तो पार्लियामेंट में बैठा हूं, वहां के नियम भी ये हैं और यहां के नियम भी ये है कि अगर कोई मैम्बर बोल रहा है और यील्ड नहीं करता है तो आपको किसी को कोई अधिकार नहीं है कि उसको बीच में आप रोकें। मेहरबानी करके मैं तो पहली बार इस सदन में बोल रहा हूं।

श्री सभापति : कन्टीन्यू रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसी कोई बात ही नहीं थी। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं न तो बहुत प्रश्न पूछता हूं, न और डिबेट में भाग लेता हूं। मेजर जो डिबेट्स होती है उनमें

(श्री शिवचरण माथुर)

मैंने भाग लेने का निश्चय किया है। धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे मौका देंगे मेरी पार्टी और अध्यक्ष जी तो मैं आपके फाइनेंस बिल पर बोलने की कोशिश करूंगा और उस वक्त भी मैं तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा।

आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी मैंने कुद ऐसी बातें इकट्ठी की हैं जिसके लिये हमारी सरकार को दोषी ठहराया है। उसको मैं साबित करना चाहता हूं कि दोषी हम नहीं थे। दोष पता नहीं क्या था, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे, ऐसा मालूम पड़ता था कि हमारी खूब अच्छी सरकार बनेगी। लोग अच्छी बात कहते थे, हमने अकाल का प्रबन्धन भी अच्छा किया, बिजली का भी करीब 1208 मेगावाट हमने बिजली का विस्तार किया। आपकी सरकार साढ़े आठ साल तक पहले रही, आप आंकड़े देख लीजिये, एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गलत।

श्री शिवचरण माथुर : देखिये, मेरी बात सुन लीजिये। तथ्य बता दूंगा आपको। आपने एम.ओ.यू. साइन किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 550 मेगावाट हमने पैदा की। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जाते ही उदघाटन कर दिया।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुनें, मैं आ रहा हूं इस बात पर। आपने 21 एम.ओ.यू. साइन किये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह अलग बात है, माथुर साहब। आपने सूरतगढ़ की दोनों, कोटा की एक यूनिट हमने पैदा की।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आ रहा हूं। इस बात पर आ रहा हूं न। सूरतगढ़ की इकाई आपने बनाई, मैं इसको स्वीकार करता हूं। इतिहास मैं बताना चाहता हूं सूरतगढ़ की इकाई का शुरूआत हमने प्लानिंग कमीशन से, मैं जब मुख्य मंत्री था, तय किया था, उसके बाद धीरे-धीरे आपकी सरकार आ गयी तो अपने सूरतगढ़ की इकाई को बनाया। जब तैयार हो गयी तो हमारी सरकार आयी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (टोडारायसिंह) : सूरतगढ़ में 1980 के बाद दस साल तक उसको आप पास नहीं करा पाये और जब हमारी सरकार 1990 में आई तो हमने ही उसको स्वीकृत कराया।

श्री शिवचरण माथुर : मैं मान रहा हूं न। मैं तो मान रहा हूं कि आपने सूरतगढ़ की पहली इकाई को बनाया और जब यह चुनाव हो रहे थे उसके एकाध महीने पहले तैयार कर लिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, वह दूसरी यूनिट थी। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, वह पहली यूनिट थी। पहली यूनिट थी और जब हम आये तो हमने उसका उदघाटन किया। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : पहली यूनिट बनाई और दूसरी का प्रारम्भ कर दिया था।

श्री शिवचरण माथुर : प्रारम्भ करने से क्या मतलब होता है ?

डा. एन. एस. गुर्जर : प्रारम्भ करने से क्यों नहीं होता है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह प्रारम्भ तो हमने किया था। सूरतगढ़ की पहली इकाई का प्रारम्भ हमने किया था और सूरतगढ़ में दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई कांग्रेस ने लगायी, कोटा की छठी इकाई कांग्रेस ने लगायी। आपने 21 एम.ओ.यू. साइन किये थे बिजली के विकास के लिये। एक आपके मैम्बर यह कहते थे कि रामगढ़ में हमने कहा कि बिजली घर लगाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह सम्माननीय व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने कहा, आधा किलोमीटर लंबी उसकी चिमनी होगी, कहां ले जाएंगे आधा किलोमीटर चिमनी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) बिजली उत्पादन थर्मल के सोनिया गांधी के उदघाटन पर लोग मर गये वहां पर। इससे ज्यादा घटनाचक्र कुछ नहीं हो सकता।

श्री शिवचरण माथुर : आई एम नोट यील्डिंग। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, आपको अधिकार नहीं है। जब मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, मैं आदरणीय माथुर साहब से पूछना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूला किसने लागू किया और केन्द्र के सामने कौन झुके जिसके कारण राजस्थान आज बिजली के मामले में भुगत रहा है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, प्रश्न सरकार से करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप विराजें। आप चालू रखें।

श्री शिवचरण माथुर : गाडगिल फार्मूला बीच में कहां आ गयी बात ? अभी आप बिजली की बात कर रहे थे और फिर गाडगिल फार्मूला आ गया आपका। इसको मतलब यह है कि सारे विषय की जो डिबेट हो रही है, उस पर ध्यान नहीं है आपका। जो आया, आपने मनमर्जी बात कह दी। ... (व्यवधान) गाडगिल का सवाल जाएगा, हम जवाब देंगे, किसने गाडगिल फार्मूला लागू किया, हमने क्या उसमें सजेस्ट किया था। यह हम आपको डिटेल में बतलाएंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण देवे : आपने कहां-कहां समझौते गलत नहीं किये ?

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन यहां गाडगिल फार्मूला कहां आ गया ?

सभापति महोदय, राजस्थान में जब बारहवां वित्त आयोग आया था तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे आदेश हुआ था कि मैं अपनी पार्टी का मन्तव्य उनके सामने पेश करूं। मैं और देवपुराजी उनके सामने एपीयर हुए थे और हमने उनसे यह कहा था कि जो तीन तरह के डिवोल्यूएशन ऑफ फंड्स होते हैं भारत सरकार की तरफ से, एक स्टेच्यूटरी ट्रांसफर होते हैं कानूनी रूप से, संविधान के रूप से हरेक स्टेट को मिलना चाहिए इन्डिवीजुअल जो पूल होते हैं उसमें से- इनकम टैक्स, एक्साइज वगैरह। इसको तो कोई भी टैम्प नहीं कर सकते, ज्यों की त्यों वो पैसा मिलेगा। दूसरा प्लान ट्रांसफर्स होते हैं। प्लान ट्रांसफर में शर्त यह होती है कि स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन को यह कहती है कि हम इतने रिसोर्सेज रेज करेंगे, उसके हिसाब से वो मैंचिंग कंट्रिब्यूशन देते हैं तीसरा डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री शिवचरण माथुर)

डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर में भारत सरकार ने राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया, सौतेला व्यवहार किया। अच्छा है, डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर में से आप, आज कभी कटारियाजी 375 करोड़ ला रहे हैं, 200 करोड़ ला रहे हैं। लाइये, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन, कटारियाजी, एक बात मत भूलिये, पैसा लाना आसान है, आपकी गवर्नमेंट में बैठी हुई है, आप पैसा ला सकते हैं लेकिन उसको खर्च करने का जब तक ठीक नहीं करेंगे, इम्प्लीमेन्टेशन के आसपैक्ट को नहीं देखेंगे तब तक वह पैसा वैसे ही बर्बाद होगा। कई स्कीम में हमारे वक्त में हुआ है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं यहां आप बैठे हुए हैं, आखिर हम राजस्थान के हित में चर्चा करते हैं।

यह तो ठीक है कि जनता ने आज आपको मौका दे दिया, लेकिन जब 1998 में हम चुनाव लड़ रहे थे तब आप 33 थे यहां पर और जनता ने हम को 155 बना कर वहां भेज दिया। लेकिन आपको मालूम है कि थोड़े दिन बाद जब लोक सभा के चुनाव हुए, हमारे 20 में से 9 रह गये। थोड़े दिनों बाद ही, 1999 में हमारे 20 मैम्बर थे पहले जिसमें से 18 तो हमारे मैम्बर्स थे, दो मैम्बर शीशरामजी ओला और बूंटासिंहजी थे, 20 लोग हम थे और जब 155 के बाद चुनाव हुए लोक सभा के तो हम 9 रह गये। इसलिए आप यह मत करिये। जो आपका फील गुड सिंड्रोम है, यह मत समझिये कि आप 120 आ गये तो अमर पट्टा जनता ने आपको दे दिया। जनता इतनी समझदार है कि आपकी बात सुनती रहेगी और करेगी अपनी मन की बात। उत्तर से लगा कर दक्षिण तक और पूर्व से लगाकर पश्चिम तक एक बात वो करती है। लेकिन अगर आप अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं तो इतिहास को समझने की चेष्टा कीजिये कि इतिहास ने क्या-क्या आपके दिया है और आप बहुत नम्रता से जनता के लिए काम कीजिये। आप फिर से आऐ, हमे इतराज नहीं है। लेकिन फील गुड फैक्टर की जगह अब तो फील ग्रेट फैक्टर आ गया है। एक और बढ़ गया है, फीड गुड फैक्टर से अब फील ग्रेट फैक्टर आ गया है। आपने निशाना बनाया है कि हमारी 25 की 25 सीटें राजस्थाने में आऐ। 25 की 25 सीटें तो एक बार आयी हैं जब मैं मुख्य मंत्री था 1984 में और वे मेरी वजह से नहीं आयी थीं मैं अब कोई दावा करूं, तो मेरी व जह से नहीं आयी थीं। इन्दिराजी की शहादत हुई थी, इन्दिराजी की शहादत का असर था और सारे राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 25 की 25 सीटें दी थी। यह अनब्रेकेबल रिकार्ड है। मैं

(श्री शिवचरण माथुर)

दावे के साथ कह सकता हूं कि वह रिकार्ड आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके यह कहना छोड़ दीजिये कि जो सफलता 120 की मिली गयी, अब आप अमर हो गये, अब आपको कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन राजस्थान की जनता को वहीं बिजली की दिक्कत आऐगी, वहीं गांव का पटवारी परेशान करेगा, थानेदार परेशान करेगा, तब गांव की जनता और वहां रहने वाले नागरिक आपकी बड़ी-बड़ी योजना से प्रभावित नहीं होते हैं, वो इस बात से प्रभावित होते हैं कि गांव का पटवारी उसको कितनी तकलीफ देता है।

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर) : माथुर साहब, 25 में से 25 आएंगी।

श्री शिवचरण माथुर : अच्छा है, हम कहां मना कर रहे हैं।

मैं आपसे कहना चाहता था कि ये तीन तरह के जो ट्रांसफर्स होते हैं उसमें से जो डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर होते हैं भारत सरकार के, उसमें भेदभाव किया गया। हमारी स्थिति ऐसी थी, आपने कहा कि हमने कर्ज ज्यादा ले लिया, 52 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो गया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहे ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कर्ज आपको भी लेना पड़ेगा। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपको कहना चाहता हूं। यह सही है कि राजस्थान पर कर्ज का भार बढ़ा है लेकिन कर्ज के कारण को ध्यान देना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भ्रष्टाचार।

श्री शिवचरण माथुर : भ्रष्टाचार नहीं है। लगभग चार साले से पड़ने वाला अकाल।

भारत सरकार पर 2003 के बजट एस्टीमेट्स के मुताबिक करीब 6,84,167 करोड़ रुपये का कर्जा है जिसमें राजस्थान सातवें नम्बर पर आता है स्टेट्स में कर्जे की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का 12.75 हिस्सा आता है कर्जे का। वैस्ट बंगाल जो अभी एडवांस स्टेट है, उसका 9.97 आता है। आंध्र प्रदेश जो हम से बहुत एडवांस स्टेट है और भारत सरकार ने उनको खूब पैसा दिया है, उसका हिस्सा आता है 7.4। गुजरात का 6.8, तमिलनाडु का 5.99 और राजस्थान का 5.98 आता है। हमारे कर्जे की स्थिति बता रहा हूं आपको। आप

(श्री शिवचरण माथुर)

52 हजार करोड़ रुपये कर्ज की बात तो करते है, लेकिन हम तो कहां रैंक करते है ? ऑल इंडिया स्टेट्स के मुकाबले में राजस्थान सातवें नम्बर पर आता है। एडवांस स्टेट का मुकाबला कर रहा हूं मैं, पिछड़े स्टेट का मुकाबला नहीं कर रहा हूं। जो एडवांस स्टेट हैं उनको मुकाबले में सातवें नम्बर पर आता है।

हम लोगों ने अकाल का काम चलाया, बोराइंग्स पर बहुत ही डिपेंड करना पडा। यही कारण हुआ कि पर-फोर्स हमारे प्लान साइज को भी हमें घटाना पडा। ये स्थितियां आपके सामने भी आऐगी। आज भले आप कुछ भी कर लीजियेगा, लेकिन जब परिस्थिति आएगी, मान लिजिये कि सेण्टर में आपकी गवर्नमेंट नहीं रही जो आपको डोल-आउट कर सके तो आपको भी यह कर्जा लेने की स्थिति में आना पड़ेगा।

मैं आज एक नया प्रश्न लेकर यहां सदन में उपस्थित हुआ हूं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बोराइंग क सम्बन्ध में हमारे कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है आर्टिकल 292 और 293 में। उसमें यह कहा गया है कि केन्द्र की सरकार कितना कर्ज ले सकती है, उसके लिए निर्धारित करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी गयी है। आपकी इजाजत से मैं पढ़ना चाहता हूं-

"Borrowing by the Governmentof India – The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limit, if any, as may from time to time be fixed by the parliament byh law and to the giving of guarantees within such limits, it any, as may be so fixed"

पार्लियामेंट को फिक्स करना चाहिए, कितना कर्ज ले सकते हैं। एण्ड टू. गिविंग, जो कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट में गारंटी देते हैं उसकी भी लिमिड को फिक्स करना चाहिए। इसी तरह से आर्टिकल 293, स्टेट्स के सम्बन्ध में भी वही प्रावधान है। दुर्भाग्य की बात है कि न तो पार्लियामेंट ने वह लिमिट फिक्स की है और न राजस्थान ने। मेरा सुझाव है कि एक लिमिट में हो कि हम अपने आपके कर्जदार कितना बनाना चाहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड की स्थिति को देख कर कि कितना प्रतिशत आप कर्ज ले सकते हैं, यह हमारे इस सदन को तय करना चाहिए और उसके पहले पार्लियामेंट को तय करना चाहिये। तब स्थिति यह आऐगी कि हम दिवालिये की स्थिति में, फिस्कल अलार्म से बाहर निकल कर आऐगें।

(श्री शिवचरण माथुर)

आज स्थिति यह है, हम को आप यह कहते हैं कि हम बहुत पिछड़े गये हैं लेकिन राजस्थान में अभी फिस्कल अलार्म नहीं आया है। राजस्थान में अभी फिस्कल मैनेजमेंट की दृष्टि से, आप कह सकते हैं कि आपका घाटा बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन फिस्कल मैनेजमेंट की हिसाब से हमारा जो नॉन-डवलपमेंट एक्सपेंडीचर है, जो विकास में काम नहीं आता है वह चौथे नम्बर पर है। आन्ध्र प्रदेश में 21.5 है, गुजरात में 10.5 है, महाराष्ट्र में 20.8 है और राजस्थान में 11.8 है। यह नॉन-डवलपमेंट एक्सपेंडीचर है, उसके परसंटेज का हिसाब मैंने आपको बताया। इसलिए यह मत कहिये। हमारी मजबूरियां हो सकती हैं। हमारी नीयत साफ थी, नीयत में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मजबूरियां हो सकती हैं। हम प्रशासनिक रूप से योजनाओं को किसी कारण लागू नहीं कर पाये, यह हमारी कमजोरी हो सकती है। वह कमजोरी आपकी भी होगी। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी को, अपनी जीत को यह समझें कि हमारी कमजोरी होगी ही नहीं, तो वहीं 1998-99 का जो मैंने आपको फर्क बतलाया, वह फर्क आपको लोक सभा में भुगतना पड़ेगा, आप चाहे कितना ही फील गुड फैक्टर, चाहे कितना ही फील ग्रेट फैक्टर का नारा देते रहें। राजस्थान की जनता, देश की जनता इतनी समझदार है कि जहां कोई घमण्ड से बोला, उसका घमण्ड चूर करने की बात उसके दिमाग में आ जाती है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा, आपके रहते हुए सुझाव दूंगा कि मेहरबानी करके तथ्यों के आधार पर बोलिएगा, तथ्यों के आधार पर बयान दीजिएगा। हवा में उड़ने की बात मत कीजिएगा। हमने भी जो की, हमने भुगत लिया। हम अगर तथ्यों को समझते होते और यह कहते, लेकिन हमारी सरकार निश्चित बनेगी, हम इसका अन्दाज लगाते रहे और राजस्थान की जनता पता नहीं क्या सोच रही थी, अण्डर करन्ट दूसरा चल रहा था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि घमण्ड से बात मत कीजिए। बहुत ही विनम्रता से राजस्थान की जनता के पास चुनाव में जाइएगा और जो वह फैसला करे उसको स्वीकार कीजिएगा।

यहां कल हुआ था या परसों, मुझे मालूम नहीं, शायद चेयर की ओर से यह कह दिया गया कि ''गवर्नमेंट पांच साल चलेगी''। कहा था या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : कल कहा था।

श्री शिवचरण माथुर : कहा था कल। हमने कब कहा कि नहीं चलेगी पांच साल गवर्नमेंट ? जनता ने आपको विश्वास दिया है, आप पांच साल तक

(श्री शिवचरण माथुर}

रूल कीजिए, काम कीजिए। सवाल कहां है पांच साल से पहले आपको हटाने का ? लेकिन अगर मान लीजिए, इस प्रकार की टिप्पणियां चेयर से आती हैं तो यह दुर्भाग्य की स्थिति है। मैं अध्यक्षजी की बहुत ही इज्जत करता हूं, हम लोग पुराने समय से साथी रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से कमेन्ट्स चेयर से आते हैं तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है और मैं...

श्री टीकमचन्द कान्त : वह एक प्रकार की समझाइश थी कि पांच साल चलेगी। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : ठीक है, वह तो फैक्ट है। पांच साल से पहले आपको हटा सकते हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : ''किसान विरोधी सरकार चली गयी'' यह भी कहा था।

श्री शिवचरण माथुर : ''किसान विरोधी सरकार चली गयी'' ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी टिप्पणियों को अवाइड करना चाहिए।

मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़ से परसेन्टेज से ही जीते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो केवल सात लाख वोटों का फर्क है। सात लाख वोटों में हम 155 से यहां आ गये। (व्यवधान) हम 155 थे, यहां आ गये।

मैं कह रहा था कि भारत सरकार ने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है कि वह प्रजातंत्र के इतिहास में अच्छा नहीं है। मैं कह रहा था कि सेन्ट्रल ग्रान्ट्स जो अलग-अलग स्टेट्स को मिली हैं, उसका ब्यौरा मैं आपको देना चाहता हूं। ग्रांट फ्राम सेन्टर, करोड़ रुपयों में है। आन्ध्र प्रदेश को 86.5 इन्क्रीज मिला, गुजरात को 35.5 मिला। इन्क्रीज है यह। जो उनको रैगुलर मिलना चाहिए था उससे इन्क्रीज है यह। कर्नाटक को 50.1 मिला, पंजाब को 60.08 मिला। राजस्थान को मायनस 13.4 मिला। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, इण्डियन इकोनोमिक सर्वे, 2002-2003 एक बुक है, मैंने इससे ये आंकड़े लिये हैं। आप देख लीजिए भले ही, इस किताब में लिखे हुए हैं। राजस्थान को मायनस 13.4 सेन्ट्रल ग्रान्ट मिली है। अब आप बताइये, ग्रान्ट

(श्री शिवचरण माथुर)

हमको मिले नहीं, हमारे पास अकाल की स्थितियां बन जाएं, चार-चार साल तक अकाल पड़े और फिर फिफ्थ पे कमीशन का वजन आ जाए...

डा. दिगम्बर सिंह : और अकाल के माल को भी आप लोग खा जाओ, अकाल के गेहूं को भी जो सरकार बेचकर खा गयी... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। कृपया आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसको एक्सपंज कीजिए। कोई नहीं खाकर गया है।अगर है तो आप जांच करवाओ, आपकी सरकार आ गयी। फालतू के इस प्रकार के आरोप कोई नहीं लगा सकता। आपकी सरकार है, यदि किसी ने खाया है तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : अकाल का गेहूं कांग्रेस के नेता और अधिकारियों ने मिलकर खाया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : इन्क्वायरी होगी और किसी के खिलाफ आया...(व्यवधान)

श्री सभापति : मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारी चुनौती है कि अगर कोई भी गलत काम किया है तो उसकी आप जांच कीजिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अकाल में मजदूरों के गेहूं को खा गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा। एक-दो बिन्दुओं पर प्रकाश डालकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापतिजी, हमारी पिछली सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आपस में बातचीत नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तथ्यों के आधार पर आपसे कह सकता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में हमने जो योजना चलायी, किसी भी व्यक्ति को जो बी.पी.एल. को हो, उसको, चाहे लाख रुपये हों, चाहे दो लाख रुपये हों, बड़ी से बड़ी बीमारी पर उसको लाभ मिलेगा। ये फैक्ट्स बताते हुए कि हमने कितने लोगों को लाभान्वित किया, यह हमारी स्कीम थी, आपने उसको इसमें जोड़ दिया है। मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो है, हमारी स्कीम्स का एक्सटेंशन है। अभी तो आपको डेढ़-दो महीने ही तो हुए हैं। आगे आप प्रिजम्प्शन कर सकते हैं, यह बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन आगे के प्रिजम्प्शन कहां करेंगे ? हमारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उन्हीं को तो आगे बढ़ाएंगे। मैं यह मानता हूं कि इस सदन में परम्पराएं पड़नी चाहिए। हमने भी परम्पराएं नहीं डालीं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यह परम्परा पड़नी चाहिए। पुरानी सरकार की योजनाओं की बात कीजिए। उसमें और जो अच्छाई ला सकते हैं, लाइये। मुझे मुख्य मंत्रीजी के उस भाषण पर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, एक बार उन्होंने कहा था कि हम पिछली सरकार की सारी स्कीम्स को रद्द नहीं करेंगे बल्कि उनका परीक्षण करवाएंगे। मैं उसको स्वीकार करता हूं, परीक्षण करवाइये। और हमसे भी पूछिए। हम और आप यहां बैठे हुए हैं, सदन में बैठे हैं, हम बताएंगे कि उसके पीछे हमारी क्या भावना थी। हमारी नीयत साफ थी। हम राजस्थान को आगे ले लाना चाहते थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई नहीं थी।

श्री शिवचरण माथुर : देखिए, यह अच्छा नहीं है, यह बिलकुल गलत है। आई एम नॉट यील्डिंग मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें। बार-बार व्यवधान नहीं। सदन के वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिए। कृपया विराजें।

श्री शिवचरण माथुर : इनको नियम समझाइये। आप नियम पढ़कर आइये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने कहा था, माथुर साहब, अशोक गहलोतजी के बारे में। आपको जो अध्यक्ष बना रखा था, उसके बारे में और सरकार के बारे में आपने खुद टिप्पणी की थी और उस सरकार के बारे में कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी चली। जिस सरकार के बारे में सरकार में रहते आपने टिप्पणियां की हों और अब आप विपक्ष में बैठकर दूसरी बात कह रहे हों... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सदन नियमों से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है, सदन के वरिष्ठ सदस्य अपनी बात कह रहे हैं तो बीच में टोका-टोकी नहीं होनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो आपके अनुभव हैं हम सुनना चाहते हैं और जिस प्रकार आपने बात प्रारम्भ की, हम यह चाहते हैं कि जिन राजनीतिक भेदभाव से आपने कई बातें कहीं हैं...

श्री शिवचरण माथुर : मैं वही बात कहूंगा जो मेरे मन की बात हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बाहर भी आपने कही है। उनका मिलान होना चाहिए, बस।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुन लीजिए। हां, वही कहूंगा। लेकिन अब यह नहीं कह सकता, गवर्नमेंट की अच्छी नीयत होने के बावजूद भी कह दूं कि आपकी नीयत खराब थी। यह कहूं क्या मैं ? यह तो आप मुझसे एक्सपैक्ट नहीं कर सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिलकुल नहीं कहें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुझे सम्बोधित कर बात कहें।

श्री शिवचरण माथुर : जो बात मैं कह रहा हूं उसको आंकड़ों के आधार पर साबित करने के लिए तैयार हूं। मेरी डिटेल में जाने की आदत रही है। मैं जो भी कह रहा हूं मेरी सरकार की नीयत के बारे में कह रहा हूं। आज भी मैं कहता हूं कि इसके बारे में हम और आप तो क्या जांच कर सकते हैं, लेकिन किसी निष्पक्ष एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दे दीजिए। कांग्रेस की

(श्री शिवचरण माथुर)
सरकार ने जो कुछ भी किया, खामियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं लेकिन नीयत साफ थी। आप किसी विशेष निष्पक्ष एजेंसी को दे दीजिए इसकी जांच। सर्वे कर रहे हैं लोगबाग, लिखना चाहते हैं लोग। उस समय हम हमारा भी एनलिसिस करेंगे कि कहां पर हमारी कमी रही। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मेहरबानी करके इतना मत फूलिए, इतना घमण्ड मत कीजिए कि राजस्थान की जनता को दो महीने के बाद होने वाले चुनावों में आपको फिर से कोई जवाब देना पड़े। कोई नहीं कह सकता, आप कोई फारकास्ट नहीं कर सकते कि अप्रैल में होने वाले चुनावों में आपका क्या भविष्य होगा और हमारा क्या होगा। हम जो कहते हैं, चुनाव में जाते थे, तब कहते थे, मुझे तो लोग आज भी कहते हैं कि आपकी इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि इतनी बड़ी सज़ा आपको मिल गयी। लेकिन मौका आने दीजिए, हम उस सज़ा को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

सभापतिजी, अन्त में मैं राज्यपाल महोदय को एक-दो बात कहकर क्योंकि खुराना साहब और मैं टैंथ लोक सभा में साथ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल का पद बड़ा गरिमा का पद है, यह उनको नहीं कहना चाहिए...

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, चूंकि बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपने कहा कि आप नियमों के अन्तर्गत रहिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं किअपने नियमों में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल महोदय के बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। आपके व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर राज्यपाल के आचरण और राज्यपाल के बारे में किसी भी प्रकार का यहां आक्षेप या किसी बात की...

श्री शिवचरण माथुर : मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद : किसी प्रकार का यहां आदेश या किसी बात की आलेचना, आप उनको सुझाव दे रहे हैं...

श्री शिवचरण माथुर : मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं उनके गरिमामय पद का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं यह नहीं कह

(श्री शिवचरण माथुर)

रहा हूं, लेकिन मैं एक संसदीय परम्परा की बात आपसे कह रहा हूं। राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। जब भी हमारे बनते थे...(व्यवधान) लेकिन हम परम्परा डाल ही नहीं सके। स्पीकर को अगर आप...

श्री महावीर प्रसाद जैन : राज्यपाल अपनी तरफ से कुछ कह सकते हैं क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं कहां कह रहा हूं राज्यपाल की बात ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए राज्यपाल के ऊपर क्या चर्चा की जाए।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो यह कह रहा हूं कि उनको अवाइड करके चलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वद-विवाद नहीं करें। बात कहने दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि ऐसी चीजों को अवाइड करके चलें तो एक अच्छी परम्परा का निर्वहन होगा और हम कह सकेंगे कि यह राजस्थान की विधान सभा है। मैं दूसरी विधान सभाओं की चर्चा नहीं करता हूं। वह राजस्थान विधान सभा की परम्परा रही है, हम इस सदन में बैठे-बैठे आलोचना खूब करते हैं लेकिन बाहर लड्डू भी खाते हैं आपस में। यह यहां की परम्परा रही है, हमारा इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। इस वातावरण को बनाये रखिए और अच्छी परम्पराएं डालने की कोशिश कीजिए, यही बात कहकर मैं उपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, सदन के वरिष्ठतम सदस्य ने अभी-अभी एक बात कही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन से टीका-टिप्पणी की और टीका टिप्पणी यह थी कि यह सरकार तो पांच वर्ष तक चलेगी। क्या इस सदन में किसी माननीय सदस्य को माननीय

(श्री समर्थलाल मीणा)
अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी या जो कुछ कहा उसके बारे में, आसन के बारे में इस प्रकार की बात कहने का अधिकार है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : +++

श्री समर्थलाल : विरोधी दल के नेता महोदय, व्यवस्था का सवाल है। व्यवस्था के सवाल पर पहले निर्णय आने दीजिए फिर आप बोलिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं इसी व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी राय देना चाहता हूं। बोल सकते हैं। (व्यवधान) कोई व्यवस्था का प्रश्न है ही नहीं। स्पीकर साहब ने यहां पर बैठे हुए कोई टिप्पणी की उसके बारे में इन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसमें काहे का व्यवस्था का प्रश्न है कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कोई नियम का या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री सभापति : विराजें। आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के जरिए आसन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि सदन में आसन सर्वोपरि है और जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं हुई। पासिंग रिमाक्स जरूर हुए हैं। इसलिए कृपया इसको विवाद का विषय नहीं बनाएं। माननीय सदस्य महावीर प्रसाद जी जैन अपनी बात कहें।

श्री समर्थ लाल मीणा : वह जो रिकार्ड है उस रिकार्ड को आप देखें और उसके बाद आप व्यवस्था दें, मेरा यह आप से निवेदन है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : मानीनय सभापति महोदय, मैं आपसे आसन पर विराजमान होने के बाद जो अपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और वरिष्ठ सदस्य और पूर्व मुख्य मंत्री जो अभी बोल रहे थे, उनकी बहुत बातों का समर्थन करता हूं। चुनाव में एक राजनीतिक वातावरण होता है उसके बाद हम यहां पर आते हैं। राजस्थान की जनता हमसे बहुत अपेक्षाएं करती है और यह सदन उनके प्रति जिम्मेदार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया बड़ी कृपापूर्वक, और सरकार की जो एक डाकूमेंट आपके सामने दिया, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम चर्चा करे रहे है, उसी के लिए हम यहां उपस्थित हैं। माथुर साहब का मैं बहुत आदर आदर करता हूं, बहुत पहले मुख्य मंत्री बनने का अपको मौका मिला। आपने उस समय में कुछ काम किये। उसके बाद उनकी पीड़ा समय-समय पर उन्होंने प्रकट भी की, लेकिन मजबूरी में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में या उनकी वकालत करने में या उनकी मजबूरी है कि उन्होंने कुछ शब्द इस प्रकार के कहे। माथुर साहब ने जब तक हमको ज्ञान देने की बात कही तब तक हमने बहुत शांतिपूर्वक सुना भी और पूरे सदन ने सुना। यदि हम इस प्रकार की बात करेंगे तो मैं समझता हूं पूरा सदन सुनेगा भी और पूरा सदन इसको गंभीरता से लेगा भी। मेरा निवेदन यह है कि माननीय अध्यक्ष ने पहली व्यवस्था यह दी थी और एक संकल्प दोहराया था कि हम इस सदन को ठीक प्रकार से चलाएं, हम वैल में नहीं आऐ। उन्होंने दृढ़ता का परिचय देते हुए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपका नाम महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद के लिए पुकारा है, व्यवस्था देने के लिए नहीं। आप अपने भाषण को वाद-विवाद तक सीमित रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस वाद-विवाद पर ही बोल रहा हूं, माननीय सभापति जी। हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं और राज्यपाल महोदय ने सब के साथ मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक इच्छा प्रकट की है, सदभावना प्रकट की है। उस समय शायद हम यह न कहें कि हमारी विधान सभा में किस प्रकार की चर्चा हो तो मैं समझता हूं यह अन्याय होगा।

सभापति महोदय, हम आपसे यह अपेक्षा करते है, मैं उसी परव्यू में बोल रहा हूं, मैं इधन-उधर नहीं बोल रहा। मैं कोई माथुर साहब की आचोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं समझता हूं, क्या जरूरत है। मैं, सभापति महोदय, निवेदन यह करना चाहता हूं इस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पृष्ठभूमि में कि जिस कारण से राजस्थान की जनता हमें इस विधान सभा में भेजती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करके चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यह जनादेश जिसको भी मिला है वह मिलता भी है और उखड़ भी गया है। इस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है, जैसा माथुर साहब ने कहा। लेकिन बी.जे.पी. के लिए भी आवश्यक है और कांग्रेस के लिए भी आवश्यक है और बी.एस.पी. वगैरह सब पार्टियों के लिए आवश्यक है, सबके लिए है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं की और देखें कि हमारे में कहां कमी रह गयी कि हमको जनता ने ठुकरा दिया। किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी जोड़-तोड़ के कारण राजनीतिक गणित आप करेंगे तो वह एक अलग विषय है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कारण से अन्डर करंट जिसको आप पहचान नहीं पाये और माथुर साहब की बात पिछली सरकार ने सुनी नहीं। यदि वह सुनते तो मैं समझता हूं वह अन्डर करंट नहीं चलता। आपको ऐसी पोस्ट पर बैठा दिया और उसके बाद आपको महत्व ही नहीं दिया। अभी भी आवश्यकता इस बात की थी कि आपके अनुभव का लाभ इस सदन को मिलता। मैं कोई आपके आंतरिक मामले में बोलना नहीं चाहता लेकिन हम आपके अनुभव का लाभ लेना चाहते थे। लेकिन हमको ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए आपने बाध्य कर दिया। राज्यपाल के प्रवेश के समय हमारे सदन की यह गरिमा रही है, यह परम्परा रही है, सभापति महोदय, आपको तो इतिहास पता होगा कि जब महामहिम यहां पहुंचते हैं तो उनका आदर यह सदन करता है। व्यवस्था यह है कि कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, कोई चीत्कार नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन प्रतिपक्ष ने प्रारम्भ के दिन ही महामहिम राज्यपाल के प्रवेश के समय ही जिस प्रकार का आचरण किया, आप सब विचार करेंगे कि क्या यह आचरण उचित है। हमारे इस सदन में 91-92 सदस्य नये आये हैं, जो पुराने सदस्य हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि उनको अपने आचरण के द्वारा किताबों में कुछ लिखा है उसको पढ़े या न पढ़े...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान विधान सभा का पवित्र सदन उस बात का भी साक्षी है जब महामहिम राज्यपाल सुखदेव प्रसाद जी के कपडे फाड़े गये थे। उस समय भी आप मौजूद थे। उसको भी याद करो जरा आप, आप जब हिस्ट्री की बात कर रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, मैं कर रहा हूं कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो हिस्ट्री के पन्ने पलटो जरा खुद आप। हिस्ट्री के पन्ने पलटो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और मुझे यह भी ज्ञान है कि जब राज्यपाल महोदय आये थे तो यहां के 9 माननीय सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : कपड़े फाड़े थे...

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल खड़े होने पर और इस प्रकार लहलहाने पर कई माननीय सदस्यों को निकाल दिया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको अपनी बपौती समझकर, क्योंकि एस.सी.,एस.टी. माइनोरिटी का वोट उनके साथ जुड़ गया इस कारण से उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि हम राजस्थान की बहबूदी के लिये करें। आज हमको जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं, उसका और कोई कारण नहीं, कांग्रेस पार्टी है जिसने उनके वोट बैंक पर तो नजर रखी लेकिन उस वोट बैंक के कल्याण के लिये क्या किया जाए, इस पर नजर नहीं रखी। चाहे वह माथुर साहब हों, पहाडियाजी हों, मोहन लालजी सुखाडिया हों। मैं उनके लिये कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन जो योजनाएं प्रारम्भ की, माननीय माथुर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर 1962 में प्रारम्भ हुई और...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मोहन लालजी सुखाडिया का मुकाबला कर सकते हो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसका मुकाबला कौन करेगा, यह पता है। मुझे आपसे ज्यादा पता है। मैं इतिहास के उन क्षणों में जाना चाहता हूं...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मोहन लालजी सुखाडिया का मुकाबला कर सकते हो ?

श्री धर्मपाल चौधरी : भैरांसिंहजी शेखावत माननीय उप राष्ट्रपति... (व्यवधान) भैरोंसिंहजी को भी कोई नहीं भूल सकता।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ऐसा है, यह बात ध्यान रखना ...(व्यवधान) हम कर रहे हैं क्या ? हमने कभी कहा क्या भैरोंसिंहजी के बारे में। हमने कभी भैरोंसिंह जी के बारे में कहा गया क्या ?

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, आपने तो कहा नहीं। आपने तो कहा, भैरासिंहजी के बारे में भी सुना है... (व्यवधान) फिर सुखाडियाजी कैसे याद आ गये ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : माहेनलालजी सुखडिया के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको सुखाडियाजी अच्छे लगते हैं, हमको भैरोंसिंहजी अच्छे लगते हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इनकी बराबरी कर सकते हो क्या ?

श्री धर्मपाल चौधरी : बिलकुल।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कतई नहीं।

श्री बद्रीलाल जाट : यह तो जनता बातएगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में नहीं। माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें। कृपया विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। कोई उद्वेलित होने की बात मैंने कही नहीं। मैंने तो यह कहा है कि जो योजनाएं प्रारम्भ हुई, 1962 में राजस्थान नहर, जिसको हम कहा करते थे कि सात साल में पूरी होनी थी और 62 या 67 करोड़ का योजना का प्रारूप था। वह योजना 67 करोड़ की जिसको इंदिरा गांधी कैनाल आज हम कहते हैं, राजस्थान कैनाल के नाम से जानी जाती थी। 67 करोड़ में उस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, नहीं हुई। जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, वे नहीं हुई। जितनी हमको विद्युत उत्पादित करनी चाहिये थी, नहीं हुई। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से. विकास की दृष्टि से हमने नहीं सोचा। केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिये

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हमने इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के नारे गढ़े। आज जिस सदन की हम चर्चा करते हैं इसमें बड़ा गरिमामय वातावरण रहा है। प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते थे तो एक घंटे भाषण होता था, सब लोग सुनना चाहते थे। वह प्रतिपक्ष के नेता का आचरण इस सदन में रहा है। सदन में यह भी आचरण रहा है कि यदि सदन का नेता खड़ा हो जाए तो किसी में बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हम केवल भाषणों से, किताबों में तो बहुत लिखा है, अपन इन भाषणों से...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सत्ता पक्ष में होते हुए भी कितनी बार खड़े हुए, इनसे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम लोगों को नहीं सुधार पाएंगे। हम सुधार पाएंगे अपने आचरण से। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अब धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं पता नहीं लग रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह अभिभाषण में कहीं नहीं लिखा। कौन मुख्य मंत्री, क्या व्यवहार है, अभिभाषण पर बोले न आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : और यह हमें बता दें न कितनी बार खड़े होते है और कितनी बार यह बोलने लगते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभिभाषण पर बोल रहा हूं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं। आपस में चर्चा नहीं। आपको जो कुछ कहना है, माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करते हुए कहें।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, यह बार-बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं। यह भम्भोड़ की तरह ही खड़े हो जाते हैं बीच में।

एक माननीय सदस्य : असंसदीय भाषा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी सरकार ने आते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिये सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है और उसमें यह कहा है कि जो पिछली सरकार नहीं कर पाई उसको हम करेंगे। मैंने यह सब इसलिये कहा कि हमने जो डाकूमेंट दिया है, जो हमने कहा है उस डाकूमेंट पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं है। अभी माथुर साहब ने कहा, सी.पी.जोशी साहब ने कहा कि क्या योजनाएं आप पूरी कर पाएंगे, क्या हम लोगों को बिजली दे पाएंगे, क्या हम लोगों को सड़कों से जोड़ पाएंगे। यह बात सही है, यह जो अविश्वास है उसका कारण यह है कि उसकी मानिटरिंग हमने नहीं की। आज तक जो हमने दियां, आज तक जो हमने किया, उसमें मानिटरिंग नहीं की। केवल हमने अभिभाषण पढ़वा दिया, बजट भाषण दे दिया लेकिन उसकी क्रियान्विति कितनी हो, इस पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण अविश्वास होना स्वाभाविक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार ने जो वचन दिया है...

श्री टीकमचन्द कांत : इन्होंने चीफ सैक्रेटरी साहब को वह घोषणा पत्र दे दिया था, फिर आप क्या कह रहे हो मानिटरिंग ? चीफ सैक्रेटरी साहब को वह घोषणा पत्र दिया था और सबको बुलाकर कह दिया था कि यह हमारा घोषणा पत्र है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि केवल चीफ सैक्रेटरी को घोषणा पत्र देने से और केवल अपनी इच्छा प्रकट करने से किसी काम की क्रियान्विति नहीं होती। यह अनुभव सरकार में रहने वाले माननीय सदस्यों को ज्यादा है, हम तो ज्यादा सरकार में रहे नहीं इसीलिये उनका जो स्वभाव है, उनके अविश्वास का कारण है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं। सोचा कि हमने इसकी मानिटरिंग क्यों नहीं की। क्यों नहीं समयबद्ध विकास हुआ। क्यों नहीं हमने कहा था उसकी पालना हुई। यह कहा गया कि चीफ सैक्रेटरी, नौकरशाहों को जो हम कहेंगे, यदि 50 दिन में कहेंगे तो 50 दिन में ला देंगे। 100 दिन में चाहेंगे तो 100 दिन में ला देंगे। 100 दिन लाये हैं, हमने ज्यादा 5 साल की बात नहीं की। हमने क्या पहले 30 दिन, फिर 100 दिन, फिर एक साल, फिर पांच साल। आप कह सको कि 100 दिन में जो हमने कहा है वह हुआ कि नहीं हुआ। हम खुली बात करना चाहते हैं। 100 दिन का डाकूमेंट आपके पास आ चुका है, आप पढ़ते नहीं है, उसका हम क्या करें ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : डाकूमेंट कहां आया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब नहीं आया तो आप ले लें। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हमारी सरकार इन योजनाओ को पूरा करने के लिये पूरी मानिटरिंग करेगी, जिसके लिये कटिबद्ध है। इसमें अविश्वास और चुनाव के माहौल या लोक सभा चुनाव के कारण यह किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है।

मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। मैंने पहले कहा कि इंदिरा गांधी नहर की बात थी, 1984 में आपने, माथुर साहब, बीसलपुर योजना का शिलान्यास किया 1984 में। शिलान्यास के बाद आपको यह पता नहीं रहा, सरकार आपकी रही, 84 के बाद 87 तक प्रारम्भ नहीं हुई।

श्री शिवचरण माथुर : बनायी हमने थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बनायी आपने क्या थी, हमने मजबूर किया। 82 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनवायी। हमने आश्वासन लिया सरकार से 1982 में रिपोर्ट बनी। 1977 में जनता पार्टी का राज आया उस समय सर्वे हुआ था। देखो, आपने किया, हमने किया, आप ही ने किया लेकिन मैं उस और आकर्षित करना चाहता हूं। बीसलपुर योजना 80 करोड़ की स्वीकृत हुई और 80 करोड़ के बाद 300 करोड पर पहुंच गयी और आज 600 करोड़ पर आ गयी। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? राजस्थान की जनता को जिस 80 करोड़ में लाभ मिल सकता था, हजारों करोड़ रुपये का उत्पादन हो सकता था, जिस जयपुर के पेयजल की बात आप कर रहे हैं उस पेयजल का समाधान हो सकता था, अजमेर, ब्यावर के लोगों को पानी मिल सकता था, उसके लिये कौन अपराधी है ? मैं आपसे पूछाना चाहता हूं, आप दिल पर हाथ रखकर कहिये कि कौनसी ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण यह पूरी नहीं हुई ? आज मैं तो हमारी सरकार से भी कहना चाहता हूं इन्होंने कहा है कि पांच साल में हम इन योजनाओं को पूरा कराएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है, सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा है, हिन्दुस्तान का 10 परसेंट भू-भाग हमारे पास है, हिन्दुस्तान की 5 प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में है। पानी एक प्रतिशत है, इस एक प्रतिशत पानी का उपयोग किस प्रकार किया जाए इस पर यदि हम गंभीरता से चर्चा नहीं करेंगे और केवल डाकूमेंट

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

में लिख देंगे कि यह स्टेटिक्स है। यह आपने भी कहा है, हमने भीकहा है, हमने भी कहा है, सबने कहा है। लेकिन उस पानी के उपयोग के बारे में गंभीरता से चर्चा नहीं हुई, चिन्ता नहीं की, मानिटरिंग नहीं की। पहली बार हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इस पर चिन्ता की जल संसाधनों के जो सचिव हैं उनका एक संयुक्त रूप से दल गठित किया है और उसके लिए संकल्प दोहराया है कि हम इन-इन योजनाओं को अगले पांच साल में पूरी करेंगे। पांच साल में ही नहीं, जैसे बीसलपुर योजना है वह एक साल में पूरी हो सकती है, उसको एक साल में करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चुनाव के दौरान कमला जी गयी, मुख्य मंत्री जी गये, लोगों को झांसा दे आये, उदघाटन कर आये लेकिन उस पर विचार नहीं किया। वहां पर 38 टी.एम.सी.पानी उपलब्ध है। माथुर साहब, आपके जिले से होकर आता है। यह राजस्थान की बनास नदी है, पहली नदी है जो अपनी नदी है जिसका पानी अपना है। हम बाकी बाहर की जो नदियां आती हैं उनसे पानी लेते हैं। यह बनास नदी ऐसी है जिसका अपना पानी है लेकिन उसका उपयोग आज तक नहीं हुआ 1997-98 में वह बांध बनकर तैयार हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी प्राइए बढ़ने के बाद, 600 करोड़ रुपये के आसपास खर्च करके उस बांध का निर्माण करवा दिया और उसके बाद 10-12 हजार हैक्टेयर भूमि को हमने सिंचित कर दिया। पांच साल पहले 12 हजार भूमि सिंचित हो गयी। उसमं 63 करोड़ का एक साल में उत्पादन हो गया। आप यह देखिये कि यदि हमने 10-12 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित की तो उसका परिणाम यह हुआ कि 63 करोड़ रुपये का उत्पादन बढ़ गया। यह मैं कह रहा हूं, आपकी रिपोर्ट कहती है। अब उसमें 80 हजार हैक्टेयर सिंचित होनी है, करना कुछ नहीं है। बांध बना हुआ है, नहरें आधी-अधूरी बनी हुई हैं। लेकिन उन नहरों का निर्माण आपने समय पर नहीं करवाया उसके कारण से 400-500 करोड़ रुपये का जो उत्पादन बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ा। इस पर किसी ने चिंता नहीं की, केवल चुनाव में वादे किये। केवल चुनाव में हमने घोषणाएं की लेकिन उसकी चिंता नहीं की। यदि हम चिंता कर लेते तो पांच साल में 400 करोड़ रुपये का उत्पादन बढ़ता। मैं तो एमझता हूं कि 2000 करोड़ रुपये का उत्पादन बढ़ता और राजकोष में कम से कम 200 करोड़ रुपये आते। लोगों की बहबूढी बढ़ती। लेकिन हमने यह नहीं किया, इसको करने की जरूरत है। आज हम यदि उन गलतियों को कहेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, हम दोषारोपण करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे क्या निकलने वाला है।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यह सदन परंपराओं और नियमों से चले, उसके लिए जरूरी है कि जो इतनी उपयोगी पुस्तिकाएं हैं हम उनको पढ़ें। यदि हम कुछ निकालना चाहते हैं, राजस्थान में कुछ निर्माण करना चाहते हैं। अब हुआ यह कि सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया है, चाहे अनाज का मामला हो या जरा-से दूसरे मामले हों। उखड़ जाते हैं, भ्रष्टाचार जैसे ऐसी बीमारी है जो आप नाम लेते ही उछल जाते हैं... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने नहीं किया तो आप क्यों डर रहे हैं। गेहूं के चार गोदाम सीज, रिकार्ड जब्त, यह आपके यहां ही हुआ। आपके समय में हुआ है, हमारे समय में नहीं हुआ। अभी कह रहे थे कि हमरा राजकोष घाटा इसलिए बढ़ा कि हमारे पास अकाल आ गया। अकाल क्यों आ गया, कभी आपने चिन्ता की ? आपका पगफेरा खराब था इसलिए अकाल रहा। आप ऐसे बैठे कि आपने फर्जी कूपन छपवा लिये।

एक माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने उसका कांग्रेसीकरण कर लिया, गरीबों का गेहूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचा दिया।

एक माननीय सदस्य : फिर भी शर्म नहीं आती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि चाहे सड़क की योजना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो, हमारे पास अपूर्व भंडार हैं। उनके दोहन का मामला हो, हम बिना टैक्स सरकार चाल सकते हैं। यह बात बहुत अच्छी लगती है लेकिन इनका क्रियान्वयन कौन करे ? और यदि आज तक उसकी क्रियान्विति नहीं हुई तो उसके लिए कौन दोषी है ? बजाय इसके कि हमारी केन्द्र सरकार ने भेदभाव किया, आपने शिवचरण जी माथुर को ही +++ और आप केन्द्र सरकार की बात कर रहे हैं केन्द्र सरकार से योजनाएं लानी पड़ती है, जाना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, अपनी बात को समझाना पड़ता है।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय शिवचरण जी माथुर को +++

श्री हरिमोहन शर्मा : केन्द्र सरकार ने जो भेदभाव किया है वह तो स्वयं मुख्य मंत्री महोदय स्वीकार कर चुकी हैं और कहा है कि 7020 करोड़ रूपया एक महीने में लेकर आयी हूं। कहां से लेकर आयी है ? केन्द्र सरकार ने पक्षपात किया है, हमें समय पर पैसा नहीं दिया। (व्यवधान) खुद मुख्य मंत्री के बयान हैं कि 7020 करोड़ रूपया वह एक महीने में लेकर आयी हैं। यह पक्षपात नहीं है तो और क्या है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपका मुख्य मंत्री योग्य नहीं था, हमारी मुख्य मंत्री योग्य हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : बंशीवाल जी, एक मिनट।

श्री सभापति : आप विराजें, आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री टीकमचन्द कान्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस का मुख्य मंत्री योग्य नहीं था इसलिए यह पैसा अब आया है।

श्री टीकमचन्द कान्त : बीच में क्यों बोल रहे हो, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। आप विराजें, माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने यह कहा है कि शिवचरण जी माथुर को +++ क्या इंसान और घास का संबंध है। मेरा ख्याल है, वाक्य या शब्द संसदीय हो सकता है क्या, यह मैं व्यवस्था चाहूंगा।

श्री मदन दिलावर : यह मुहावरा है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन में व्यवस्था का प्रश्न उसी वक्त उठाया जाना चाहिए जब वास्तव में कोई इस तरह की अव्यवस्था हो। आप वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। बात-बात पर व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करके सदन का बहूमूल्य समय नहीं जाया करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसे मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि बीसलपुरा का बांध जिसमें इतना पानी है, सिंचाई आज तक नहीं हुई है। एक साल में उससे 80 हजार हैक्टेयर में सिंचाई हो सकती है, यदि नहरों को खुदवा लिया जाए, समय पर लोगों को मुआवजा दे दिया जाए। जो इस सरकार का संकल्प भी है। मैंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया और उन्होंने इसको माना है। मैं समझता हूं कि 80 हजार हैक्टेयर में सिंचित जमीन जब हो जाएगी तो 400 करोड़ रुपये का उत्पादन वहां से बढ़ेगा। इसी प्रकार यदि हम मानिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह अविश्वास विश्वास में बदलेगा और सौ दिन में हम बदलकर बताएंगे। ज्यों ही हमारी सरकार ने काम शुरू किया, हमने पेयजल की स्कीमें जो बंद पड़ी थी, अकाल की बात अभी हम कर रहे थे, पेयजल की स्कीमें बंद पड़ी थीं, आपने पैसा नहीं दिया। आपने पैसा दिया तो उनकी मानिटरिंग नहीं की। फ्लोराइड से मुक्त करने के लिए क्रेन्द्र सरकार ने 12 करोड़ रुपये की टौंक पंचायत समिति में स्कीम चालू की 1996-97 में, सरकार आते ही उसका काम बंद हो गया। कहीं पर तो जी.एल.आर. बन गये, कहीं पर पाइप लाइन डल गयी। पाइप लाइन डल गयी तो जी.एल.आर. नहीं हैं, जी.एल.आर. हैं तो पाइप लाइन नहीं है। वे दोनों हैं तो कनेक्शन नहीं है। तीन-चार करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी आपने उन योजनाओं को चालू नहीं किया क्योंकि आपकी इच्छाशक्ति नहीं है।

पिछली सरकार ने तो उन लोगों को धोखा देने का काम किया, किस प्रकार से एस.सी, एस.टी., माइनोरिटी हमारे पक्ष में आ जाए इसिलए त्रिशूल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसके लिये चाहे बेशर्मी से कुछ कानून में तोड़-मरोड़ करना पड़े, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया।

श्री बंशीलाल खटीक : त्रिशूल ने तो इनको वहां बैठा दिया, वहां विपक्ष में।

श्री मदन दिलावर : हमें अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हमको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने तो बहुत ज्यादतियां की हैं। त्रिशूल के ऊपर प्रतिबंध लगाकर इन्होंने हमारे अधिकारों को हनन किया, इसलिए माननीय प्रवीण जी तोगडिया की उस हवा ने इनको विपक्ष में बैठा दिया।

श्री महवीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, जरा-सा मामला, उसके लिए अजमेर कोर्ट में, आचार्य धर्मेन्द जी के लिए जोधपुर कोर्ट में स्पेशल वकीलों की नियुक्ति, अपने आदमी को बेनिफिट देने के लिए, 75 हजार रुपये रोज और बाकी का खर्चा। जिस बेदर्दी से राजकीय खजाने का खर्चा किया गया है, ऐसे राज में बरसात कैसे आती ? अकाल क्यों पड़ा, यही कारण हैं, इन्होंने काम ऐसे किये।

सभापति महोदय, हमारे यहां धर्म की स्वतंत्रता है। हमारे यहां नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने केवल मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आर.एस.एस. वाले, बी.जे.पी. वाले आऐगे तो खा जाएंगे इसलिए त्रिशूल का नाम लेवें...(व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : आपके शासन में, भैरोंसिंहजी के शासन में अकाल नहीं पडा क्या ?

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छी बात है, आप न डरें। हम तो चाहते हैं कि आप नहीं डरें, हम निडर रखना चाहते हैं आपको।

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी, वोट बैंक बनाने की मत सोचो, आप मुख्य सचेतक थे उस समय दो साल अकाल पडा लगातार, उसका क्या कारण था ? वह भी जरा समझा तो ठीक हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कितना भी अकाल पड़ा हो, महावीरजी पर कोई असर नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय भैरोंसिंहजी के शासन काल में अकाल पड़ा तो भी भैरोंसिंह जी ने यह कभी नहीं कहा कि राज्य का खजाना खाली है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। एक-एक व्यक्ति को राजेगार की गारंटी।

श्री अमराराम (धोद) : मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि अकाल क्यों पडा ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अकाल और अशोक की एक ही राशि है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने अकाल को पटका।

श्री अमराराम (धोद) : पटका ?

श्री महवीर प्रसाद जैन : पटका, इसलिए पटका कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। (व्यवधान) आपको पता होगा कि हमने अकाल राहत में काम चलाये...(व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो पूछा उसको मैं स्पष्ट कर दूं, आने वाले कांग्रेस शासन की छाया पड़ रही थी, इसी कारण से थोड़ा बहुत अकाल देखा।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि चाहे हमारी पेयजल की स्कीम हो, चाहे सिंचाई की स्कीम हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों का मामला हो, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों आदि सबका पैसा केन्द्र सरकार से आया। सभापति महोदय, इन्होंने तो अपने बजट में वह भी बंद कर दिया, बजट के दरवाजे बंद कर दिये कि सड़क से पंचायत हैड क्वार्टर जुड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट से अब कोई पैसा नहीं है। पूर्व में जो स्वीकृत योजनाएं थी, उनको भी बंद कर दिया। प्रधान मंत्रीजी का भला हो कि उन्होंने प्रधान मंत्री कोष से ग्रामीण सड़कों का इतना विकास करवाया कि ये मुंह दिखाने लायक रह गये। सभापति महोदय, उस पैसे का भी उपयोग नहीं

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किया। अकाल के नाम पर आपने कहा कि हमारे यहां पर अकाल पड़ गया, इसके कारण से हमारे यहां वित्त की यह स्थिति बनी। अब अकाल में आपने अपने बजट का कितना पैसा दिया, यह तो बताते। अकाल के तहत आपने राज्य बजट से, अपने बजट से कितना पैसा दिया ? एक धेला तो दिया नहीं और जितना अनाज आया, जितना पैसा आया, जो आपने दुर्गति की वह मैं क्या कहूं, वह अख़बार बोलते हैं। यही कारण है कि अभी पी.डब्ल्यू. डी. ने एक लेयर पूरी की 15 किलोमीटर की, एम.बी. तो भर दिया गया लेकिन उस लेयर का पता ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : बह गई वह। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : जांच करवा लो। (व्यवधान) क्या जांच करवाएंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जांच करवा रहे हैं, 60 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज हुई है और वे जेलों के अंदर होंगे। जांच करवाएंगे।

श्री बंशीलाल खटीक : सब जेलों में बंद होंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही तो कारण है कि आप सदन क्यों नहीं चलने देना चाहते। (व्यवधान) यही तो कारण है सभापति महोदय कि यह सदन नहीं चले।

श्री बंशीलाल खटीक : जांच कर लो। बाकी फालतू बात नहीं, आप जांच कर लो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान) टौंक से आने वाले माननीय सदस्य, आपके दल के 11 सदस्यों को अपनी बात कहनी है।

श्री महावरी प्रसाद जैन : दो मिनट में कह दूंगा।

श्री सभापति : आपके दल को जो समय आवंटित किया गया है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने दल को ?

श्री सभापति : वह अपने आपको बता दिया गया है, इसलिए कृपया कनक्लूड करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि समय की सीमा है और उसमें मुझे बोलना है। नाथूसिंह जी तैयार हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वह ऐसी ज्ञान की बात करेंगे कि जिनको हम भी सुनना चाहेंगे और इधर से हम सब सुनना चाहेंगे। पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी संसदीय कार्य प्रणाली और व्यवहार पर कौल और शकधर ने बहुत कुछ लिखा है। विरोधी पक्ष के नेता के लिए उसमें लिखा है, एक पेज है, सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं इसको ? (व्यवधान) सबको मिला कहां है ? कहां है आपक पास, लाओ कहां है ?

एक माननीय सदस्य : यह रहा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मुझे पता है कि कुछ लोग कल्लाजी के खिलाफ हैं और इसलिए यहां पर उसका प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप कृपया आसन को सम्बोधित करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :... नहीं करता, लेकिन हमको व्यवधान क्यों डालते हो ? आप अपनी लड़ाई सदन के बाहर लड़ो, सदन में क्यों लड़ना चाहते हो ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय महावीर जी, सबसे ज्यादा व्यवधान तो आप ही डालते हो। आप चीफ व्हिप रहे हो सरकार के, आप खुद ही व्यवधान डालते हो। (व्यवधान) । हरिशचन्द्र माथुर संस्थान में आप लोगों ने किया क्या दो दिन, यह बता दीजिए ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही तो बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आज आप शाम को घर जाकर सोचना कि आप क्या कर रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि विरोधी पक्ष के नेता को स्वयं बड़ा चतुर, संसदविज्ञ होना चाहिए और जटिल परिस्थितियों से भली-भांति परिचित होना चाहिए। उसे सभा के नियमों का भली-भांति ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह उनके अंतर्गत प्राप्त होने वाले अवस रोंका लाभ उठा सके। सतर्कता उसकी विशेषता है, और उसे अपने स्थान पर लगातार उपस्थित रहना चाहिए।

श्री रणवीर सिंह गुढा : सभापति महोदय, यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रशिक्षण चल रहा हो। सभापति महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बात मैंने आपके सामने रखी अभी, आपने अभी भी उस बात के ऊपर, वह बात आरक्षण का मुद्दा, अपेक्षित को आरक्षण और जो मूल ओ.बी.सी. के लोग हैं, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, जिनका अधिकार शक्तिशाली लोगों को देकर उनके अधिकार को खतम कर दिया, उसके बारे में अभिभाषण के अंदर उल्लेख क्यों नहीं है ?

माननीय महोदय, आपसे अनुरोध है, आपने कल सभा में, माननीय भंवरलालजी शर्मा, प्रदेश के नेता, मंच के ऊपर खड़े होकर, आप स्वयं ने मंच पर खड़ें होकर कही थी उपेक्षित को आरक्षण, गरीब को आरक्षण की बात, आर्थिक आरक्षण के आधार की बात।

श्री सभापति : गुढा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, यहां पर पहले भी इन्होंने अपना टाइम खराब किया, किसी भी बारे में बीच में बोलना, किसी भी सदस्य को अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : आप विराजिए, आसन पैरों पर है।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले भी इन्होंने टाइम खराब किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वह बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : ज्ञान देने का काम केवल आपका है क्या ?

श्री सभापति : गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, जनता ने बहुत उम्मीद और आशा के साथ इस सर्वोच्च सदन में आपको चुनकर भेजा है। सदन के कुछ नियम और परम्पराएं हैं, प्रक्रियाएं है, आपको सदन में जो भी बात कहनी है, वह नियम और प्रक्रियाओं से कहनी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अपना नाम भी दिया है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जब वाद-विवाद चले, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आपको जो सीट आवंटित है, कृपया उसी सीट से आप बोलें।

माननीय महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले केवल इतना ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की योजना आपने कही, बनास नदी के पेटे में एक ईसरदा बांध प्रस्तावित है, 1994-95 में इसकी योजना स्वीकार कर ली गई। यदि इसरदा बांध बनता है, जयपुर में पानी ईसरदा बांध से आता है तो उस पानी का उपयोग होगा। जयपुर के व्यक्तियों को ईसरदा बांध से पानी जल्दी मिल सकेगा। वह पानी और जल्दी आ सकेगा और उस पानी का उपयोग भी हो सकेगा। वहां पर कापर डेम का निर्माण केवल 11 करोड़ की लागत से हो तो पूरे टौंक जिले को लाभ मिल सकता है और ईसरदा से यदि पानी लाया जाए तो जयपुर की जनता को लाभ मिल सकता है। न केवल लाभ मिल सकता है बल्कि उसके पानी का उपयोग सारे राजस्थान की जनता के लिए, भीलवाड़ा के लिए, नागौर के लिए, टौंक जिले की सम्पूर्ण जनता के लिए हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य नाथूसिंहजी गुर्जर। (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त : सभापतिजी, नाम हमारा भी है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, हमारे निर्दलीयों के नाम भी हैं। साहब, हम 13 आदमी मारे गये इस वाद-विवाद में।

श्री सभापति : जो व्यवस्था पहलने दी गई है, जो समय आवंटित किया गया है, यह भी नहीं भुलना चाहिए कि जिस पक्ष के माननीय सदस्य

(श्री सभापति)
का नाम मैंने पुकारा है, इस सदन में उनकी संख्या 120 है। इसलिए पहले दो इधर से बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, इसका मतलब हमारा तो कहीं अता-पता ही नहीं है।

श्री सभापति : आपका भी नाम आसन के पास है। लोकशक्ति का नाम भी आसन के पास है, बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों का भी नाम है, समय पर सबका नाम पुकारा जाएगा।

श्री रामप्रताप कासिनया : सभापति महोदय, शायद रात के 10 बजे हमारा नम्बर आऐगा।

श्री सभापति : आप सबको इसी सदन में बोलना है, अनुमति भी मिलेगी, आप अपने विचार भी रखेंगे। कृपया। नाथूसिंह जी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप जो भी व्यवस्था दें, हमें शिरोधार्य है, लेकिन 120 की तुलना में 80 आदमी विपक्ष में हैं। उसकी तुलना में दो आदमियों का कोटा बी.जे.पी. का नहीं हो सकता। इस पर आप पुनर्विचार करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोशीजी का और उनका, दो लगातार हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वैसे भी आलरेडी बी.जे.पी. तीन घण्टे से ज्यादा बोल चुकी है, इसलिए समय का ध्यान रखा जाए। वाद-विवाद तभी अच्छा लगता है जब एक पक्ष से और एक विपक्ष से बोले। आप अन्य पार्टियों को भी मौका दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी बात ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक इधर से बुलवा दें और एक इधर से।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : मेरा नाम पुकार लिया गया है, आप विराज जाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस और कांग्रेस के बाद निर्दलीय का अन्य पार्टी को बुलवाने का मौका दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी बात ठीक है, कल्ला साहब।

श्री रामप्रताप कासनिया : बीच-बीच में एक निर्दलीय बोले तो बहुत शोभा वाली बात होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, कल्ला साहब की बात बिलकुल ठीक है, लेकिन नाथूसिंह जी को कहीं जाना है और अभी सी.पी.जोशी जी और माननीय माथुर साहब बोल चुके, इसलिए आज वे नहीं बोले, फिर तो इसी तरह चलेगा। (व्यवधान) एक-एक करके। अभी नाथूसिंह जी को कहीं जाना है इसलिए इनको पहले बुलाया है।

श्री सभापति : समय की सीमा का ध्यान रखें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सदन की नेता को और अध्यक्ष महोदय को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस की नेता माननीय सोनिया गांधी महिला हैं और कांग्रेस अपने आपको प्रोग्रेसिव पार्टी कहती है, हमारी पार्टी को ट्रेडिशनल पार्टी बताया जाता है, लेकिन हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां सदन की नेता और अध्यक्ष दोनों महिलाएं है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि यह पहला सदन है।

सभापति महोदय, अभी आरोप-प्रत्यारोप बहुत लगे हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन किसी भी सरकार का आकलन प्रजातंत्र में जनता करती है, हम लोग हमारी सरकार का आकलन नहीं कर सकते, आप लोग अपनी सरकार के कार्य का आकलन नहीं कर सकते। जनता सर्वोपरि है। अंग्रेजी में एक कहावत है- The proof of pudding is in the eating.खाना कैसा बना है, यह खाने से पता लगता है, देखने से नहीं। आपने अपने आपको मैग्जीन में, अब किस मैग्जीन में नम्बर वन कहलवा लिया, मुझे मालूम नहीं है। इण्डिया टुडे में आपने वन कहलवायां, कई समाचार-पत्रों में बहुत तारीफें लिखवायी चुनावें के बदले।

श्री जुबेर खान : वे तो अपने आप लिखते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : अपने आप नहीं लिखते हैं, मैं बता रहा हूं, क्यों लिखते हैं। सभापति महोदय, एक-एक वर्ष में मंत्रियों की, मुख्य मंत्रीजी की फोटो छपवाने के नाम पर, दूसरे तरीके से एक-एक साल में चार-चार करोड़ रुपये, सूखे की हालत है राजस्थान में, राजस्थान सरकार कह रही है कि पीने के पानी के लिए पैसा नहीं है, रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं है, केन्द्र पैसा नहीं दे रहा, उस परिस्थिति में आपने एक-एक साल के 4-4 करोड़ रुपये के फोटो छपवाकर, विज्ञापन के नाम पर उन पत्र-पत्रिकाओं को दिये जिससे आप नम्बर एक बने। यह कहां उचित था एक-एक साल में चार-चार करोड़ रुपया ? सभापति महोदय, हमारी भी सरकार थी, हमने कभी इस तरह से फोटो छपाकर पैसा पत्र-पत्रिकाओं को नहीं दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : रोज आ रहा है केन्द्र का। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आ रहा है, वह आपकी तरह नहीं आ रहा। (व्यवधान) मैंने देख है।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरह नहीं हुआ है। लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया खर्च किया आप लोगों ने। देश की जनता का पैसा लूटा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : हाई वे में करोड़ों रुपया खर्च नहीं हुआ है। हाई वे में करोड़ों रुपया खर्च नहीं हुआ है। देखिए, पत्थर लगाना, होर्डिंग्स लगाना...

श्री महीपाल यादव : कर्मचारियों की जय बोलो आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : कर्मचारियों पर भी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं मैं। (व्यवधान) मैं कर्मचारियों पर भी आना चाहता हूं। मैं अभी आऊंगा, आप चिन्ता मत करो।

इसलिए जो टैस्ट है वह जनता है। जनता ने क्या किया, टैस्ट में आपको बता दिया। आपने नम्बर वन कहा, 155-56 या 153 के आस पास आये थे। (व्यवधान) बताऊंगा, नम्बर वन किसमें है। लेकिन आप नम्बर वन

(डा. एन. एस. गुर्जर)

बने और उस समय के सदन के नेता महोदय नम्बर वन छीन ले गये तो केवल 56 ही रह गये। एक नम्बर वे ले गये अपने साथ तो केवल 56 ही रह गये। आपने हालत यह कर दी कि आपने प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं बनाया नम्बर वन को। इससे ज्यादा आप उनकी दुर्गति और क्या करेंगे ? (व्यवधान) मैं नहीं बोलना चाहता, आपका अंदरूनी मामला है। मैं कल्ला साहब को बधाई देना चाहूंगा कि आपने उनकी जगह ले ली। आप पहले उनके अधीन थे, अब आपने उनकी जगह ले ली। लेकिन आप कभी नम्बर वन मत बन जाना, नहीं तो उनकी जो हालत हुई है वह हालत आपकी भी हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : केन्द्र में गये नम्बर वन बनने के लिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, वे केन्द्र में तो बहुत जाते हैं। मैं जानता हूं, केन्द्र में क्या होता है, पहले जाकर आया हूं मैं केन्द्र में, इसलिए बैठे रहो। ये किसमें नम्बर एक थे ? आपने कुछ गिनाये थे, मैं भी कुछ गिनाना चाहता हूं। कर्मचारियों को धोखा देने में नम्बर एक। (व्यवधान) मैं अलावा बता रहा हूं। आप सुनिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं, आप आराम से सुनिए। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) अब आप देख लेना, कौनसा कागज है। आप ज्यादा विद्वान हैं तो देख लेना। आप बोल लो पहले, कुछ बोलना चाहते हैं तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपको बीच-बीच में क्या हो रहा है ? ये कई चीजों में नम्बर वन हैं। आपने गिना दिये, मैं नहीं गिनाना चाहता। युवाओं के लिए कल जोशीजी ने टिप्पणी की थी उस संबंध में जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं कहा चुनाव घोषणा पत्र में। यही जोशीजी थे जिन्होंने चुनावों के पहले कहा था कि चुनाव हुआ तो हम 175 सीटें जीतेंगे। यह सी.पी. जोशीजी का स्टेटमेंट था, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, वे यहां हैं नहीं, कि 175 सीटें हम जीतेंगे और इसलिए इन्होंने लगातार जब तक इनकी सरकार रही एक ही नाम का अलाप किया।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

मैं राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्रीजी को एक धन्यवाद और देना चाहूंगा कि उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापिति किये। नम्बर वन होने का कीर्तिमान, दूसरा कीर्तिमान इस बात का किया कि उन्होंने बिजनेस रूल्स में परिवर्तन करके पहली बार राजस्थान में यह कर दिया कि कोई भी फाइल उनके बिना कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये, किसी मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं किया। विभाग एक नहीं लिया, लेकिन पूरे विभागों की जो लगाम थी वह अपने पास रखी । इसलिए इस बात के लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। डेमोक्रेसी में यह नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, इन्होंने 138 वादे किये थे। कल बहुत दिखा रहे थे अपना घोषणा-पत्र जोशीजी, हमारा घोषणा-पत्र और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण। इन्होंने कुल 138 वायदे किये थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभिभाषण पर बोलो।

डा. एन. एस. गुर्जर : अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। 138 वादे की उन्होंने घोषणा की थी, हमारे घोषणा-पत्र और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को कोट करके कहा था, 138 वादे में से कितने वायदे पूरे किये ? गांव को धोखा, गरीब को धोखा, नौजवान को धोखा, किसानों को धोखा, कर्मचारी को धोखा, सबको धोखा दिया और ये उन सबको पुराने व चश्मे से देख रहे थे चुनाव में। अभी भी उसी चश्मे से देख रहे हैं जिसमें हर वर्ग के शोषण का लैंस लगा हुआ है। उस चश्मे से उन सबका शोषण किया। शोषण कैसे किया ? आपने छात्रों की फीस बढ़ा दी, किसान की बिजली की कीमत बढ़ा दी, कर्मचारियों को अपमानित किया। कर्मचारी सरकार का अंग होते हैं, सभापति महोदय, मुझे याद है, हमारी सरकार के समय भी हड़ताल हुई थी और हमने होली के दिन उनको रिहा किया था होली मनाने के लिए। लेकिन आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया ? आपने कर्मचारियों के बोनस के, समर्पित अवकाश के बदले 310 करोड़ रुपये काटे। हड़ताल के वेतन के चार सौ करोड़ रुपये काटे, बोनस बन्द किया उसके चार सौ करोड़ रुपये उनके काटे। इस तरह से आपने 1110 करोड़ रुपये का डाइरेक्ट कर्मचारियों का नुकसान किया। आपने 60 से 58 साल की आयु की उसका 1200 करोड़ रुपये का भार राजस्थान सरकार पर डाला उस समय में और कहा कि हम नये रोजगार का सृजन कर रहे हैं,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

उनको देंगे। लेकिन आपने नौकरियों पर पाबन्दी लगाई, किसी को रोजगार नहीं दिया। हमने हमारी सरकार के समय कर्मचारियों का 64 परसेंट वेतन बढ़ाया, 9-18-27 का उनको बेनिफिट दिया। आपने सब उलट-पुलट कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने आते ही कहा कि जो सुविधाएं कर्मचारियों की उस समय ले ली गई थीं वे सुविधांए हम वापस देंगे। उन्होंने...

श्री हरिमोहन शर्मा : भैरोंसिंहजी साहब जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने नहीं काटा क्या ? (व्यवधान) 23 दिनों का वेतन नहीं काटा क्या ?

श्री हीरालाल (निवाई) : भैरोंसिंहजी की बराबरी तो आप नहीं कर सकते हो।

डा. एन. एस. गुर्जर : विराजें आप।

श्री हीरालाल (निवाई) : और भी काम किया है भैरोंसिंहजी ने तो।

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन वेतन तो काटा न, विकास के लिए कौन इंकार करता है, वेतन तो काटा ?

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बैठ जाइये।

श्री सभापति : कृपया विराजें, व्यवधान नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : शुरूआत आपने की।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बैठ जाइये।

श्री बंशीलाल खटीक : आप क्या फर्मा रहे हैं ? असत्य बातों से आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री बंशीलाल खटीक : असत्य बातें करके भैरोंसिंहजी बराबरी करोगे तो बहुत दिन लग जाएंगे आपको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं, बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : और आज दिन तक रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल में नहीं आये।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपका टर्न आये तब बोल लेना।

श्री बंशीलाल : उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए उप राष्ट्रपति बन गये।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, उस समय उद्योगों में इन्होंने कई सम्मेलन बुलाये। कल माननीय प्रद्युम्न सिंहजी यहां बता रहे थे कि हमने इसलिए सम्मेलन बुलाया था कि यहां उद्योग लगें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि उद्योग लगें। लेकिन उस उद्योग लगाने में उद्योगपतियों को बुलाना चाहिए, बाहर से जो लोग उद्योग लगा सकें, जिनकी क्षमता हैं उद्योग लगाने की, उनको बुलाना चाहिए। जो मंशा दिखाएं उनको बुलाना चाहिए। लेकिन आपने फाइव स्टार होटल में ठहराया। राजस्थान अकाल से जुझ रहा था, पानी के लिए तड़प रहा था और आपने उनको फाइव स्टार होटल में ठहराया। कितना रूपया आपने उन पर खर्च किया ? और उसमें कौन कौन थे ? वह सारी गैस्ट की लिस्ट मेरे पास है, इला अरुण, इला अरुण कौन है, आप जानते हैं, सभापति महोदय ? (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, उनको कौन सा उद्योग लगाने के लिए आपने राजस्थान में बुलाया था ? आपने आब्लाइज करने के लिए दूसरे क्षेत्र के ऐसे-ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी का प्रचार कर सकें, उस सम्मेलन में बुलाया और उनको ओब्लाइज किया। इसलिए, सभापति महोदय, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। बल्कि हुआ क्या कि इन लोगों ने बिजली की दरें बढ़ाई। कितनी-कितनी बढ़ाई, मुझे कहना नहीं है कि कितनी बिजली पैदा की, कितनी दरें बढ़ाई। सभापति महोदय, इनके कार्यकाल में 70 हजार कारखाने बन्द हुए, जिनमें 25 हजार तो लघु उद्योग थे जो इन्होंने बन्द करवाये। ये किस तरह का उद्योगों का वातावरण पैदा करना चाहते थे ? इन्होंने एक नहीं लगवाया उद्योग, इन्होंने बन्द करवाये। उद्योगों को बन्द करवाने वाली सरकार इस तरह के सम्मेलन यहां करवाये, विदेशों में जाए पूरी मण्डली लेकर और उसका रिजल्ट जीरो निकले राजस्थान में, मुझे समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, इन लोगों ने उद्योग बन्द करायें, उसके अलावा इन्होंने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

व्यापारी वर्ग के साथ भी वहीं किया। हमारी सरकार ने, हमने व्यापारियों के 1100 करोड़ रुपये का टैक्स माफ किया था, हमने 600 करोड़ रुपये की चुंगी माफ की थी।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, उसमें कुछ चोरी भी हो गये थे सामान। जो सम्मेलन किया था, चांदी की चम्मच और थालियां चोरी करके ले गये लोग।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपने इसके बदले क्या किया ? कल आप बता रहे थे, इन्होंने 1600 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये, बिजली के ऊपर कीमत बढ़ाई और हम ढाई रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदकर किसानों को 50-पैसे, 55 पैसे पर यूनिट देते थे। बिजली इन लोगों ने...(व्यवधान) आपने मध्य प्रदेश की चर्चा कर दी, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, वहां पर यह नारा लगा खड्डों का राजा, रोशनी का दुश्मन। मध्य प्रदेश में नारा लगा, यह मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, खड्डों का राजा, रोशनी का दुश्मन। यह नारा लगा और ये हमेशा ट्रेनिंग वहीं से लेते थे, उनसे ही पूछकर यहां काम करते थे। अब आप कर रहे हैं वहां की बात। सड़कें इन्होंने यहां पर बनाई, दिल्ली से 600 करोड़ रुपये सड़कें बनाने के लिए इनको मिले, 300 करोड़ रुपये का इन्होंने उपयोग ही नहीं किया। सभापति महोदय, आप जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं नहीं कहना चाहता था। उन्होंने वहां बंटाधार किया, इन्होंने यहां बंटाधार कर दिया। इसीलिए आप वहां की बात कर रहे हैं। मैं आपको इतना और कहना चाहता हूं, जनता जिसको भी चुने वह मुझे कहना नहीं है, लेकिन आप मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग लेकर जो काम करते थे उससे आपको लॉस हुआ।

मैं बता रहा था कि हमने उस समय छूट दी व्यापारियों को, आपने 1600 करोड़ रुपये बिजली पर बढाये। तीन साल के अन्दर टोटल 1660 करोड़ रुपये बिजली पर बढ़ाये और तीन साल के अन्दर 1700 और समथिंग करोड़

(डा. एन. एस. गुर्जर)

रुपये का टैक्स लगा दिया। 4-5 साल पूरे होते-होते 2200 करोड़ रुपये का जनता के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। इन्होंने व्यवसाय कर जनता के ऊपर लगा दिया। मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि आते ही इन्होंने इसकी समाप्ति की घोषणा की। आपने तो टैक्स लगाने के अलावा काम ही नहीं किया। हम 8 साल टोटल सत्ता में रहे, हमने टैक्स नहीं लगाया। आपने आते ही इतने टैक्स लगा दिये जनता के ऊपर। और कर्जे की बात जहां तक आप करते हो, 1990 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, 8 हजार करोड़ रुपये का कर्जा आप लोग हमारे ऊपर छोड़कर गये थे। हम जब वापस गये सत्ता से बाहर, 8 साल बाद, 8 हजार करोड़ मैं बता रहा हूं, आप चैक कर लेना। मैं कह रहा हूं 8 हजार करोड़, आप चैक कर लीजिएगा।

श्री हेमाराम चौधरी : आप 20 हजार बता दो, चैक कर लेना, यों ही।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आप बता दीजिए, उसके बाद हम 23 हजार करोड़...

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, एक मिनट, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सुन लो। मुख्य सचेतक का दायित्व निभाकर आप वहां कैसे बैठे हैं ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपकी मार्फत सरकार से कि राज्य में अगर 70 हजार उद्योग बन्द हुए तो आप एक कमीशन आफ इंक्वायरी अपाइंट कराइये और जांच कराइये कि कितने उद्योग बन्द हुए। मनमाने ? कल आपने फीगर कोई दूसरा दिया था, कल आप जब बोल रहे थे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यही थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, प्लीज, देखो, यह मत करो, माननीय सिंघवी साहब। आपने कल फीगर दूसरे दिये। अब तो यहां होड़ मची हुई है कि मर्जी आऐ मुंह से जो निकल जाए। मैं तो अपील करता हूं, इस बारे में एक कमीशन आफ इंक्वायरी अपाइंट हो या आप एक व्हाइट पेपर लाएं जिलेवार और तहसीलवार आप कहें कि कितने उद्योग बन्द हुए हैं। मनमाने ढंग से आप फीगर देते चले जाएं यहां पर। आपने कह दिया कि 1700 करोड़ के आपने टैक्स लगा दिये नये, कहां नये टैक्स लगाये ? अब इनकी रिक्वरीज हुई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सिवाय एंट्री टैक्स के और प्रोफेशलन टैक्स के कोई टैक्स नहीं लगाये। उसकी बेहतर रिकवरीज हुई। यह ट्रेंड इंक्रीज होता है। आप जो कहते जाएं। इसलिए मैं चुपचाप बैठा था, कुद कह नहीं रहा था। आपको जो जितने आंकड़े देने है, कहिये, आराम से कहते रहिये।

श्री मदन दिलावर : 70 हजार से भी ज्यादा उद्योग गांवों तक पहुंचेंगे तो निकलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी. विराजें।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं भी आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। सभापति महोदय, हमने इनकी सरकार से भी मांग की थी, इन्होंने सरकार में आते ही राजस्थान की इकोनोमिक हैल्थ पर व्हाइट पेपर जारी किया था, मेरे पास कॉपी पड़ी है। हमने आपसे मांग की थी, आप व्हाइट पेपर जारी करो कि इस समय राजस्थान की इकोनोमिक हैल्थ कैसी है, केन्द्र से कितना पैसा मिला, आपने कितना खर्चा किया, कितने उद्योग धंधे बन्द हुए, कितने नहीं हुए। आपने व्हाइट पेपर जारी नहीं किया। मैं चाहूंगा कि इस स्थिति पर व्हाइट पेपर आना चाहिए तो आपकी तस्वीर हम बता सकें जनता को कि आपकी तस्वीर कैसी है, आपकी तस्वीर साफ है या धुंधली है, वह आपको पता लगे। मैं बता रहा हूं आपको, यह मैं भी मांग कर रहा हूं आपके साथ-साथ। नीचे तक जाएंगे कि आपने कितना क्या-क्या किया है, कितने लोगों की बिजली काटी है, कितने लोग कहां से उजड़ गये है। इसका आपको अभी अंदाजा नहीं होगा, अंदाजा मैं बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं। सभापति महोदय, इन्होंने तीन वर्ष में ही, मैंने कहा था 1736 करोड़ के टैक्स लगाये और बिजली में ये बहुत कह रहे थे कि हमने इतनी बिजली पैदा कर दी, हमने 1977 में चार इकाईयों की नींव रखी। यह सही है कि उसके बाद आपने पांचवीं और छठी इकाई बनाई 400 मेगावाट की। छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर कितने मजदूर मारे जाते है, कितना उसमें घपला हुआ, कितने करोड़ का राजस्थान को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ। मुझे बताएं कि इसमें कितना घपला हुआ और यह घपला क्यों हुआ ? इसी तरह से आपने सूरतगढ़ की बात कही। 1980 से ट्राई हो रही थी, चल रही थी, सैण्ट्रल गवर्नमेंट से आपको मंजूरी नहीं मिल रही थी। लेकिन वहां जब हेगड़े साहब

(डा. एन. एस. गुर्जर)

चेयरमैन थे, उस समय माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत, चीफ मिनिस्टर थे तो वे स्वीकृत करवाकर लाये। पहली इकाई पूरी की, दूसरी इकाई प्रारम्भ करवाई 250-250 मेगावाट की। यानि नींव रखी हमने और आपके तो केवल कंगूरे ही बनाये और अब आप उसका सारा श्रेय लेना चाहते हो कि हमने बिजली पैदा कर दी, हमने बिजली पैदा कर दी। बिजली हमने पैदा की, हमने उसका बीजारोपण किया, हमने नींव रखी । आप खुशफहमी अपने आप में करो तो करो। लेकिन आपने क्या किया ? उसके विपरीत गांवों में आपने कहा, मैं बता रहा हूं, आपने कहा कि हमने बिजली पैदा की। तो गांवों में बिजली पहुंचाते। गांवों में क्यों नहीं बिजली पहुंची ? मैं इस सदन में 1985 से 1990 तक सदस्य था, आर एस.ई.बी. उस समय हुआ करती थी। हमने सवाल पूछा था कि बिजली में छीजत कितनी होती है। सरकार की तरफ से जवाब आया था कि 23 से 27 प्रतिशत के बची में होती है। आज आपकी छीजत और चोरी 47-48 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? (व्यवधान) हम जिम्मेदार है ? यह कौन महाशय बोल रहे हैं। आपकी सरकार में ही 47-48 प्रतिशत छीजत और चोरी पहुंच गई, यह आप स्वीकार कर रहे हैं। आपने क्या किया ? एक इंस्पैक्शन सैल होता था, ज्यों ही गवर्नमेंट बनी, अगस्त, 1999 में इनके बिजली मंत्रीजी आये और उन्होंने इंस्पैक्शन सैल समाप्त कर दिया। इंस्पैक्शन सैल समाप्त करके पांच कम्पनियां बनाई। उन पांच कम्पनियों को बनाने के लिए कंसल्टेंसी के नाम पर इन्होंने 8.14 करोड़ रुपया वाटर हाउस कूपर्स एसोसिएट्स, लन्दन की कम्पनी को दे दिया। इन्होंने कम्पनी बनाने की कंसल्टेंसी के नाम पर दे दिया। क्यों कोई भी हमारा सी.ए. नहीं जानता कि कम्पनी कैसे बनाई जाती है ? लन्दन की कम्पनी वाटर हाउस कूपर्स ऐसोसियेट्स को 8 करोड़ रुपये देने का अधिकार आपको किसने दिया था ? सभापति महोदय, इन्होंनें इंस्पैक्शन सैल समाप्त किया, अगस्त, 1999 में इंस्पैक्शन सैल को समाप्त करने का असर क्या हुआ ? कि चाहे अजमेर कम्पनी हो, चाहे जयपुर की कम्पंनी हो, इनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। चाहे ट्रांसफामर्स खरीदने का भ्रष्टाचार हुआ, चाहे इलेक्ट्रानिक मीटर्स खरीदने का भ्रष्टाचार हुआ। ट्रांसफार्मर्स में भूसा भरा हुआ निकला। 10.3 करोड़ का तो जयपुर में और 10 करोड़ का अजमेर में घोटाला निकाला। 60 अधिकारियों को आपने सस्पैंड किया, 14 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया। उसके कुछ समय बाद ही उनको बहाल कर दिया, वापस ले लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, यहां पर

(डा. एन. एस. गुर्जर)

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं, ज्यों ही वो बिजली मंत्री बने, उन्होंने उस सैल को वापस शुरू किया और जब जाकर यह घोटाला उजागर हुआ। उस इंस्पैक्शन सैल को चालू किया, उसकी जांच करवाई गई। ट्रांसफार्मस की, इलेक्ट्रोनिक मीटर्स की जांच करवाई गई तो यह घोटाला सामने आया और उन अधिकारियों को आपने सस्पैंड किया, 14 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया। उसके बाद आपने बहाल कर दिया। यह किस आधार पर किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अजमेर में 10 करोड़ का हुआ। सभापति महोदय, इन्होंने बम्बई की एक कम्पनी को...(व्यवधान) आप जरा सुनिये न।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पी पी ए हस्ताक्षर करवाकर है कितनी कम्पनियों को आपने पागल बनाया, कितने लोगों को पागल बनाया, वह तो बता दो।

डा. एन. एस. गुर्जर : किसको पागल बना दिया ? आपको तो नहीं बनाया ?

श्री श्रवण कुमार : पी पी ए पर हस्ताक्षर नहीं करवाये थे क्या ?

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने आपको तो नहीं बनाया, आप तो विराज जाओ। आपको तो पागल नहीं बनाया, आप तो विराज जाओ।

श्री श्रवण कुमार : हां, आपने नहीं बनाया। ये कहने को कुछ भी कहें।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने विद्युत विभाग की छवि चमकाने के लिए मुम्बई की एक निजी विज्ञापन एजेंसी के साथ समझौता किया और उसको दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निश्चय किया। लेकिन वह मामला उजाकर हो गया, उठ गया इसलिए उन्होंने फिर तुरस-फुरत में कैन्सिल कर दिया। क्या यह सही नहीं है ? वह मुम्बई की कम्पनी सूचना दिल्ली पहुंचाती थी, दिल्ली से यहां की सूचना लेती थी। यहां की सूचना फिर दिल्ली जाती थी और दिल्ली से मुम्बई पहुंचती थी। केवल इमेज बनाने के लिए। यह जांच का विषय है कि आपने फोटो छपवाने के लिए, इमेज डवलप करने के लिए नम्बर वन बनने में

(डा. एन. एस. गुर्जर)

राजस्थान को कितने करोड़ रुपये का अकाल के समय चूना लगाया। इसकी जांच की जानी चाहिए कि राजस्थान के साथ आपने क्या भेदभाव किया।

सभापति महोदय, इसके अलावा, ये कर्जा-कर्जा बहुत चिल्ला रहे हैं, खजाना खाली छोड़ दिया, खजाना खाली छोड़ दिया। मैं अभी बता रहा हूं, 8 हजार करोड़ का कर्जा इन्होंने छोड़ा, उसको हमने बढ़ाकर 23 हजार करोड़ का कर दिया, यह सत्य है।

श्री दलजीत सिंह : हमने 8 हजार का छोड़ा 1947 से लेकर 1990 तक।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं कह रहा हूं न।

श्री दलजीत सिंह : आपने पांच साल में 15 हजार का किया।

डा. एन. एस. गुर्जर : 1951 से लेकर के...(व्यवधान) अब आप बैठे बैठे बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

श्री दलजीत सिंह : हमने पचास साल में...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं बोल रहा हूं, I am not yielding. मेरी बात पूरी होने दीजिये, उसके बाद आप बोलना।

मैं कह रहा हूं कि 1951 से लेकर 1990 तक 8 हजार करोड़ का लिया लेकिन आपको मालूम है कि उस समय इतने साल में विकास क्या हुआ ? कितने सड़कें बनीं, कितनी स्कूलें खुलीं, कितना क्या किया ? मैं बताना चाहता हूं कि 23 हजार करोड़ का अगर हमने कर्जा छोड़ा तो हम 18 हजार करोड़ के असैट्स आपको बनाकर देकर गये हैं। 18 हजार करोड़ के असैट्स हम देकर गये। उस समय मुझे याद है, माननीय भैंरोंसिंहजी इस सदन के नेता हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी कि विकास के लिए कर्जा लेना बहुत जरूरी है तो आपने विरोध किया था, सब लोगों ने विरोध किया था। लेकिन, ज्यों ही

(डा. एन. एस. गुर्जर)

सत्ता में आये तो आपने वह हमारी भाषा पकड़ ली और आने कहना शुरू कर दिया कि विकास के लिए कर्जा बहुत जरूरी है। उस कर्जे को बढ़ाते बढ़ाते 30 हजार करोड़ नहीं, 40 हजार करोड़ नहीं, 53 हजार करोड़ तक ले गये। लेकिन आज तक आपने कहीं नहीं बताया, जैसा मैं बता रहा हूं आपको आंकड़े, कि हम 18 हजार करोड़ के असैट्स आपको बनाकर दे गये तो कर्जा छोड़ा केवल 5 हजार करोड़ का। आपने आज तक नहीं बताया कि आपने असैट्स कितने करोड़ के क्रियेट किये। मैं आज भीआपसे पूछना चाहता हूं, किसी को जानकारी हो, महान् विद्वान माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, कि कितने करोड़ के असैट्स आप हमको देकर गये ? इस सरकार के आते समय असैट्स कितने छोड़कर गये ? आप जानकारी देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आपने असैट्स तैयार नहीं किये। आपको मालूम नहीं था कि कितने असैट्स हैं। इसलिए आपने इतना सारा कर्जा लिया कि कर्जे में आपने कीर्तिमान प्राप्त किया। जो तस्वीर है, यह तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। सभापति महोदय, इन्होंने चार हजार करोड़ करंट कंजम्प्शन में खर्च किये 2/3 घाटा कवर करने में खर्च किये, इसलिए हर वर्ष इन्होंने घाटा करने में कीर्तिमान स्थापित किया। मैं आंकड़े रिपीट नहीं करना चाहता, पहले कई माननीय सदस्यों ने वो आंकड़े रख दिये हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आर्थिक स्थित इनकी क्या थी ? भाजपा के शासन में आर्थिक विकास दर 6.54 प्रतिशत रही। देश के 24 राज्यों के औसत 5.92 प्रतिशत से यह अधिक रही। 24 राज्यों की औसत 5.92 प्रतिशत थी और हमारे राजस्थान की आर्थिक विकास दर 6.54 प्रतिशत रही। इसके विपरीत ज्यों ही आपका शासन आया उसमें नकारात्मक विकास दर हो गई और यह नकारात्मक विकास दर 1.70 प्रतिशत रही। यह थोड़ी-सी 2000-01 में बढ़ी और बढ़कर 0.08 प्रतिशत हो गई। इसलिए आपकी नकारात्मक विकास दर थी, हमारी विकास दर उस समय इतनी थी। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय 1989-90 में जब आपने सत्ता हमको संभलायी थी तो 3242 रुपये प्रति व्यक्ति थी और 1998-99 में जब हमने आपको सरकार संभलायी तो 12,268 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई। इसी तरह से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले जहां भाजपा के शासन आने के समय 36 प्रतिशत लोग थे और उसके बाद जब भाजपा का शासन आया तो गरीबी

(डा. एन. एस. गुर्जर)

की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या केवल 15 प्रतिशत रह गई। अभी भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अभी भी कम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है कि गरीबों को मार डालो। (व्यवधान) गरीबी की रेखा के नीचे वालों को।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बहुत विद्वान आदमी हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस ने तो सत्यानाश कर दिया गरीबों का। (व्यवधान) कांग्रेस ने जितना गरीबों का सत्यानाश किया है जो आज दिन... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप विद्वान आदमी हो, बाद में विद्वता दिखा देना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : भारतीय जनता पार्टी केन्द्र से कहती है, गरीबों का गरीबी की रेखा से नाम हटा दो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : इनसे पीछा छुड़ाओ, सभापति महोदय, विद्वान आदमी हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस ने किसान का और गरीब का जितना शोषण किया...(व्यवधान) कांग्रेस तो शोषण पार्टी है, कांग्रेस तो शोषण पार्टी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, बीच-बीच में बार-बार आप खड़े होकर व्यवधान नहीं करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, यह रिपोर्ट है, यह मेरी नहीं है। रिपोर्ट आफ द कम्पट्रोलन एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया, रिपोर्ट है इसमें सरकार के बारे में क्या टिप्पणी की गई है, जरा-सा मैं बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, चैप्टर फर्स्ट में लिखा है financial position of the state.-

(डा. एन. एस. गुर्जर)

The government accounting system does not attempt a comprehensive accounting of fixed assets. i.e. land and buildings, etc., owned by the government. However, government accounts do capture the financial liabilities of the government and the assets created out of the expenditure incurred by the government presents an abstract of such corresponding position on 31st March, 2000. मैं 2000-2002 का कह रहा हूं, जब आपकी सरकार बनी थी, जिसमें कुछ आप बढ़ा सकते थे।

"...While the liabilities in this statement consist mainly of moneys owned by the State Government such as internal borrowings, loans and advances from the government of India, receipts from the public accounts and reserve funds the assets comprise mainly the capital expenditure and loans and advances given by the State Government, Shows that while the liabilities grew by 14%" यह सुनने की जरूरत है (व्यवधान) आप विराज जाइये क्योंकि एक्स फाइनेंस मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

"... the liabilities grew by 14% ,the assets grew by only 8% during the year 2000-01 mainly as a result of very high 26% growth in the deficit on the government account. It shows overall deterioration in the financial condition of the government." (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या है यह ? क्या बात कर रहे है आप ? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : ये देखिये, लास्ट लाइन है – "It shows overall deterioration in the financial condition of the government." ये कहते हैं यह, इसलिए, सभापति महोदय, इनके क्या...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इन्टरवीन कभी करना नहीं चाहता था लेकिन बेबुनियाद, बेसिर-पैर की बातें कर रहे हैं आप। अगर आप लोन की बात करते हो, आज हिन्दुस्तान में सब सूबों की सरकार, अगर आपकी परमिशन हो तो बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हिन्दुस्तान के सब सूबों की सरकारों के ऊपर 5.83 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है, जबकि अकेली भारत सरकार के ऊपर कर्जा है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वह 12 लाख करोड़ रुपये का है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज सबसे बड़ा डिफाल्डर है, वह पूरी कंट्री का सिस्टम है। आज फाइनेंशल हैल्थ कंट्री की बड़ी चिंताजनक है। राज्यों के ऊपर फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कर्जा बढ़ा है। इसी प्रकार भारत सरकार कर कर्जा भी हर साल बढ़ता चला जा रहा है। रिजर्व बैंक ने टिप्पणी की है राज्यों के बारे में, भारत सरकार के बारे में। जो आपका इकोनोमिक सर्वे आता है यह और यह किताब अलग आती है, माननीय सभापति महोदय, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो वह चीज यहां है। कल मैं आपको टोका नहीं, कल जब आप बोल रहे थे, उस समय भी यह बात आ रही थी कि कर्जा बढ़ा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राज्य पर निश्चित रूप से 50,000 करोड़ का कर्जा है। इस साल के आखिर में एक्चुअल फिगर्स आऐगे ए.जी. के तब मालूम पड़ेगा कि 50.000 करोड़ और 53,000 करोड़ के बीच में है। एक मिनट, आप मेरी बात सुन लें। देखिये, यह आप सबकी जानकारी के लिए है, 50,000 करोड़ और 53,000 करोड़ के बीच में आऐगा। माल नें, 53,000 करोड़ का आप एंटीसिपेट करते हैं। हो सकता है। 53,000 करोड़ हो, 52,000 करोड़ भी हो सकता है, 54,000 करोड़ भी हो सकता है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप बार-बार इस बात को मत कहिये, क्या नई सरकार इस कर्जे को 53,000 करोड़ के ऊपर कंटेन कर लेगी, रोक सकेगी ? नहीं रोक पाओगे आप। नहीं रोक पाओगे आप। जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं वहां पर, आपके पास भी कोई चारा नहीं है। सारा प्रांतीय सरकारों का कर्जा बढ़ रहा है, भारत सरकार का कर्जा बढ़ रहा है। खुद केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने...एक मिनट, महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले 23,000 करोड़ का बड़ा दर्द था।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा केन्द्र और राज्यों में इन कांग्रेस वालों ने राज किया, वही ढो रही हैं आज। इतना कर्जा इन्होंने ही बढ़ाया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप विराजिये। मैंने पहले भी आपको कहा है, आप बार-बार खड़े मत होओ। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपने चूंकि इजाजत दी, मैं नार्मली इन्टरवीन करता नहीं। आप भी कल बोल रहे थे, वह तो मैंने आपसे मजाक में ले किया था कागज। लेकिन यह जो बार-बार आप कर रहे हैं कि हमारे समय में हमने व्हाइट पेपर के जरिये राज्य की वितीय स्थिति के बारे में, आप एक शब्द उसमें आलोचना का दिखा दें, आप पढ़कर बता दें, मैं चुनौती देता हूं कि व्हाइट पेपर के अन्दर कहीं हमने आपकी आलोचना की हो। राज्य की वितीय स्थिति के ऊपर हमने उसके अन्दर एक चित्रण पेश किया है। चलिये, आप कहते हैं कि नहीं है। आपसे यह एक बात कही है उसके अन्दर, जो आप बार-बार कह रहे हैं, कि 53,000 करोड़ का कर्जा है। आपकी सरकार पांच साल चलेगी, हम आपसे 3-4 साल बाद तब पूछेंगे, आज आपका कर्जा किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, हमने तो इतने साल के अन्दर किया, आपकी भी मजबूरी थी। आप कल प्लान की बात कर रहे थे, इस बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बात को बार-बार नहीं कहें कि असैट्स क्रिएट नहीं कीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज इंट्रेस्ट की लाइबिलिटी, एक मिनट में मैं खतम कर लेता हूं, आप फिर पूछ लिजिएगा। 24,000 करोड़ का कर्जा छोड़ गये थे, उसके ऊपर इंट्रेस्ट की लाइबिलिटी है। फिफ्थ-पे कमीशन के अन्दर जो तनख्वाहे बढ़ी थीं, पेंशन बढ़ी थीं, उसके तहत लायबिलिटी नई सरकार के ऊपर आई, इसलिए ठीक है, मैं आज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। आप जब वोट आन अकाउंट लेकर आऐगे, रैगुलर बजट लेकर आऐगे, तब मैं अपनी बात कहूंगा इस सदन के समक्ष। लेकिन ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। 53,000 करोड़ का कर्जा है, आप इसको कंटेन कर जाएं तो मैं कहता हूं पांच साल के बाद मिनिमम 25,000 करोड़ रुपये का कर्जा इस राज्य के ऊपर नहीं बढ़े तो मैं चुनौती देता हूं आपको इस बात के ऊपर।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : एक मिनट, आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, पूर्व वित्त मंत्रीजी यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार पे कमीशन को लाई तब फिफ्थ-पे कमीशन के कारण हमारा

(श्री विष्णु मोदी)

कर्जा बढ़ गया। सारी गलती थी, आपका तो कुछ नहीं था, सब कुछ भारत सरकार ने आपको कर दिया और आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, आपने जब यह घोषणा की थी, 23,000 करोड़ का कर्जा था, आप की जितनी घोषणाएं थीं उसको हमने पूरा कर, इम्प्लीमेंट कर...(व्यवधान) उसके बाद में 30,000 करोड़ का कर्जा बढ़ाना पड़ेगा।

श्री सभापित : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, जब 23,000 करोड़ का कर्जा था तो आप हमको क्रिटिसाइज करते थे इसलिए मैंने यह बात बोली है, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, अदरवाइज मैं नहीं बोलता। सभापति महोदय, अकाल का प्रबन्धन...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको मालूम है, अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे रखी है कि चार बजे विद्युत के सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य आऐगा, इसलिए आपका समय जा रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं, आप विराजिये। मेरा समय तो ये ले गये, मैं फटाफट कर रहा हूं। कल इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा अकाल का प्रबन्धन किया, बहुत अच्छा अकाल का प्रबन्धन किया। मैं जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, इनको ध्यान होगा आंकड़ों का, मेरे पास भी आंकड़े हैं, केन्द्र से कितना रुपया मिला, कितना अनाज मिला। उन्होंने कितना रुपया मिलाया, कितना अनाज मिलाया। इन्होंने तो यहां पर कह दिया कि वहां से जो अनाज लाने का रास्ते का किराया है, यह भी भारत सरकार दे तो हम उठाएंगे। इसलिए प्रारम्भ में अनाज भी नहीं उठाया। सभापति महोदय, इन्होंने अकाल में एक धेला नहीं खर्च किया, पूरा पैसा भारत सरकार का है और यहां बैठे हुए कह रहे थे कि हमने अकाल का बहुत अच्छा प्रबन्धन किया। अकाल को दिखाने के लिए इन्होंने...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल का माल खाने का प्रबन्धन अच्छा था।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा तो फिर ये कहेंगे। माननीय सोनिया जी को आपने बुलाया राजस्थान में अकाल का प्रबन्धन दिखाने के लिए, 600 किलोमीटर की यात्रा करवाई, इतना खर्चा हुआ लवाजमें के ऊपर और जनता से केवल 27 मिनट रूबरू हुई। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके नेता तो एक बार भी नहीं आये, एक बार भी नहीं आये अकाल में।

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं...

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह चर्चा मैं अकाल के सन्दर्भ में कर रहा हूं, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं पहली वाली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अगर आप ऐसी चर्चा करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दिन के लिए भी नहीं आये राजस्थान में। हम भी चर्चा करेंगे फिर। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी.डी. देवल : अकाल का प्रबन्धन जैसा यहां हुआ है, वैसा कहीं नहीं हुआ है। आपके नेता है अटल बिहारी वाजपेयीजी, वे एक दिन के लिए भी नहीं आये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सी.डी. देवल : यह हम नहीं कहते हैं, आपके अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कहा है, अच्छा प्रबन्धन किया गया है अकाल में पूरे हिन्दुस्तान में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भी बैठे-बैठे नहीं बोलिये। माननीय सदस्य, आप विराजें, विराजें, नहीं बोलें। माननीय सदस्य, इस सदन की परम्परा रही है नियमों में प्रावधान है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उस पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाएं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने आरोप नहीं लगाया, सभापति महोदय। पूरी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री नन्द लाल बंशीवाल : सोनियाजी को मिलने ही नहीं दिया हमसे।

डा. एन. एस. गुर्जर : सोनियाजी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। अगर मैंने आरोप लगाये हैं तो आप एक्सपंज कर दें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनकी पोल खुल जाती।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं फिर आरोप लगाना नहीं चाहता। इस सरकार ने करोड़ों रुपये व्यय करवाये, केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए। 600 किलोमीटर ले गये हैं और 27 मिनट जनता से मिलने दिया, यह मैं सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। माननीय सोनियाजी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। अकाल का प्रबन्धन आपने किया, सारा पैसा भारत सरकार का, आपने एक रुपया खर्च नहीं किया। उसके अलावा क्या किया आपने ? भर्ती के ऊपर रोक लगा दी। अकाल पर पैसा खर्च नहीं किया और आपकी डेफिसिट बढ़ा दिया। 3000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जो डेफिसिट था, उसको बढ़ाकर लगभग 4000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया आपने।

श्री सी.डी. देवल : 27 मिनट की यह कह रहे हैं कि 27 मिनट ही मिलीं, इतना असत्य तो न बोलें आप।

श्री सभापति : आप विराज जाएं, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह सारा समाचार पत्रों ने दिया है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, डी.पी.आईपी., वर्ल्ड बैंक से चलती है। गरीबी उन्मूलन योजना, डी.पी.आईपी. का मतलब। जिस समय मैं पंचायती राज मंत्री

(डा. एन. एस. गुर्जर)

था, दो योजनाएं हम लेकर आये थे, एक तो डी.पी.आईपी और एक डी.पी.ईपी। डी.पी.आईपी. में जितना पैसा इनको मिला, उसका केवल छह-सात प्रतिशत ही ये खर्चा कर पाये। अब यह तो वर्ल्ड बैंक का पैसा था, इसको खर्चा करने में क्या जोर आ रहा था ? लेकिन ये नहीं खर्च पाये। अकाल पडा हुआ था। पानी के पेटे, सभापति महोदय, प्लान साइज इन्होंने घटा दी और केवल पत्र लिखते रहे। दिल्ली में प्रेम पत्र लिखने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया। अभी माननीय शिवचरणजी माथुर बोल रहे थे कि राजस्थान को कम पैसा मिला। हम भी सरकार में विरोधी दल में थे, आपकी दिल्ली में सरकार थी हमने बेहतर तालमेल रखा। आप केन्द्र सरकार को गाली भी निकालो और केन्द्र सरकार से पैसा भी लेना चाहो। हमने ताल-मेल रखा आपकी सरकारों से और हम खूब पैसा लकर आये। इसलिए यह कह रहे हैं। जो पैसा मिला वह पैसा भी...

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, आलोचना करने का मतलब यह नहीं है कि हमारे अधिकारों का पैसा नहीं दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर : वह पैसा भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा था। छह सौ करोड़ रुपये सड़कें बनाने के लिए दिये, तीन सौ करोड़ खर्चा नहीं किया आपने। 592 करोड़ इनको पीने के पानी के लिए दिया, ये 340 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाये उस 592 करोड़ में से चार साल में। इसलिए केन्द्र सरकार जब इनसे रिपोर्ट मांगती थी, चाहेंगे, माननीय पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर तो केन्द्र के डाकूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, मैं दिखा दूंगा। चार पानी की स्कीम हैं...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापतिजी, अगर इंगित करके मुझसे सवाल करेंगे तो क्या आप मुझे जवाब देने की अनुमति देंगे ?

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा, आपसे नहीं करूंगा। आप विराज जाइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मुझसे सवाल कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप इस सदन की परम्परा और नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इतनी बात है, अपनी पार्टी की तरफ सेआप अपना नाम भिजवा दीजिये और आप जवाब दे दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, यह सवाल अभी कर रहे हैं...

डा. एन. एस. गुर्जर : ठीक है, नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं, अब आप बैठ जाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर यह सवाल मुझसे करेंगे तो मुझे जवाब तो देना ही बढ़ेगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं, आपसे नहीं करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप अनुमति नहीं दें तो इनको कहें कि यह सवाल मुझसे नहीं करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित कीजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं आसन को ही संबोधित करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। मैं खुद मना कर रहा हूं आपको।

सभापति महोदय, इसी तरह राजस्थान में रेवेन्यू क्या-क्या हैं,-माईनिंग रेवेन्यू का एक जरिया है, आबकारी रेवेन्यू का एक जरिया है, सेल्स टैक्स रेवेन्यू का एक जरिया है, माइनिंग में राजस्थान में जितनी खानें इनके कार्यकाल में बंद हुई हैं, इन्होंने मकराना के अंदर 375 खाने बंद कर दीं, साढ़े बारह हजार मजदूर बेरोजगार हो गये।

एक माननीय सदस्य : आप अंगुलि उनकी तरफ मत करें।

श्री रमेश खींची : माननीय हाई कोर्ट के आदेश से बंद हुई।

डा. एन. एस. गुर्जर : आंधी में, मैं बता रहा हूं, हमारे टाइम पर भी, मुझे याद है वह समय भी, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री माननीय हरिदेवजी जोशी हुआ करते थे और माननीय भैरोंसिंजी शेखावत लीडर आफ अपोजीशन हुआ करते थे, उस समय चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया अलवर की खानें बंद करने का, मुझे आज खुशी है, आज स्वर्गीय हरिदेवजी जोशी इस सदन में नहीं हैं, मैं उनकी प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने कहा, हम तो सत्ता में हैं, दिल्ली में हमारी सरकार है, आज लोग आंदोलन करो इस मामले को लेकर। माननीय भैरासिंहजी ने और मैंने खुद जाकर अलवर में 25 हजार पब्लिक इकट्‌ठा करके प्रदर्शन किया, अपील की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करवाई और हमने खानें पुन: चालू करवाई। आपकी स्थिति तो यह थी कि जब उस वक्त पी आई एल लगी हाई कोर्ट के अंदर तो आपके अधिकारियों ने एफिडेबिट फाइल नहीं किया। उसके लिए एक महीने के लिए आपने टैक्नीकल डाइरेक्टर बनाया और टैक्नीकल डाइरेक्टर ने जब एफिडेबिट फाइल किया, वह भी दिल्ली से बनवाकर लाये माइन आनर, उसके बाद आपने उनको एक महीने नहीं रखा और वे रिटायर हो गये। ... (व्यवधान) वापस चार्ज उस समय विनोद कपूर थे उनको दिला दिया गया और आप वह एफिडेबिट फाइल नहीं करवा सके। फलौदी के अंदर, अलवर में, उदयपुर में, राजसंमद में बहुत सारी माइन्स हैं, एक बहुत बड़ा जरिया है, सभापति महोदय, जिसमें रोजगार मिल सकता है लाखों लोगों को, लाखों-करोड़ों रुपये सरकार को रेवेन्यू मिल सकती है, लेकिन आप नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, इसके अलावा इन्होंने क्या किया ? यह सब नहीं किया बल्कि धड़ाधड़ लोन लेते रहे, लोन लेते रहे। ए.डी.बी. से 1560 करोड़ रुपये का लोन लिया, किसलिए लिया ? पांच-छह शहरों का विकास करने के लिए उसको लेकर इन्होंने उससे कहां-कहां क्या किया धड़ाधड इन्होंने खर्चा किया, पुलिया बनाओ। लोग पानी मांग रहे थे, ये पुलिया बना रहे थे। पुलिया बनाओ क्योंकि इनको एक लाभ था पुलिया बनाने में... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : कमीशन मिलता था।

डा. एन. एस. गुर्जर : अब मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्या मिलता था, लेकिन एक लाभ था...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, बात दें आप।

(13.55 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. एन. एस. गुर्जर : ए.डी.बी. से जो लोन लिया उस पैसे का कितना हिस्सा आपने खर्चा किया ? अगली सरकार चुकाएगी, आप तो लोन लेते गये। रूरल डवलपमेंट पर, मेरे पास आंकड़े हैं, इतना कम है। आप जैसे कह रहे थे, रेवेन्यू डवलपमेंट के ईयरवाइज मेरे पास आंकड़े हैं, आपके राज में रूरल डवलपमेंट पर जितना केन्द्र से पैसा मिलता था, लगातार उसमें स्टेट शेयर की भी कमी होती गई और केन्द्र के आपके शेयर में भी कमी होती गई। रूरल डवलपमेंट के अंदर पैसा घट गया इसलिए गांव का विकास आपने अवरूद्ध कर दिया। अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : टोडाराय सिंह से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें क्योंकि चार बजे समय हो गया है वक्तव्य का।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं कर रहा हूं थोड़ी देर में ही। ए.सी.डी. में कितने केस दर्ज हुए ? हस्तेड़ा में सीखो-कमाओ घोटाला हुआ, आई.ए.एस. इन्वाल्व था, इन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह से मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हमने नहीं लगाये, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे करके माननीय सोनियाजी को भेजा पुलंदा। उनकी आपने जांच नहीं करवाई। लोकायुक्त बार-बार कहते रहे, हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडा। जवाहर लाल नेहरू मार्ग चार-चार बार तोड़-तोड़ कर उखाड़ कर बनाते गये, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए यह भ्रष्टाचार में, एक ही उद्योग पनपा इनके शासन में...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : कमीशन खाई।

डा. एन. एस. गुर्जर : तबादला उद्योग और कितने, छह लाख कर्मचारियों के, जैसा मुझे बताया गया। असली तो आंकड़े सरकार के पास होंगे या इनके पास होंगे, लेकिन जैसा समाचार पत्रों में आया है, छह लाख कर्मचारियों के अठारह लाख तबादले हो गये यानि एक-एक कर्मचारी के तीन-तीन बार तबादले, चार-चार बार तबादले। एक तबादला उद्योग इनका ऐसा था जो गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी तक पनपा, बाकी उद्योग इनके राज में नहीं पनने। लॉ एण्ड आर्डर का जहां तक सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इनके शासन में...

श्री अध्यक्ष : जब आप कनक्लूड करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं बस कनक्लूड कर रहा हूं। इनके शासन में 26 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, 34 मिनट में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 43 मिनट में एक महिला का अपहरण हुआ, 93 मिनट में एक महिला की हत्या हुई 221 मामले महिला उत्पीड़न आयोग में दर्ज हुए। चार वर्षों में महिला अत्याचार में 6.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सात सांप्रदायिक दगे हुए, 310 डकैती, 5300 हत्या, 3700 लूट, 4400 बलात्कार, पचास हजार मारपीट और आई.पी.सी. के तहत 2002 में करीब डेढ़ लाख अपराध घटित हुए एक ही...

श्री प्रद्युम्न सिंह : बारां में क्या हुआ ?

डा. एन. एस. गुर्जर : और इन्होंने एक ही रट लगाये रखी, हर मामले में कोई पूछता तो जैसे वैद्यनाथ का सीरप जो कोई पूछता तो उसका सोल्यूशन,

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड करें। चार बज गये हैं, कनक्लूड करिये आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : कनक्लूड कर रहा हूं। झण्डू का च्यवनप्राश, सर्वगुण सम्पन्न, ऐसा इनके जमाने में होता था। वैद्यनाथ का सीरप-अशोकारिष्ट, अशोकारिष्ट के अलावा कुछ नहीं सब चीजों का जवाब अशोकारिष्ट होता था।

श्री अध्यक्ष : अपने को अपने जमाने की बात करनी है, इनके जमाने की बात छोड़िये, अपने जमाने की बात कहिये आप तो।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसलिए आज हमारी सरकार ने कर्मचारीयों की भावना को समझा है, नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर खोले हैं। किसानों को रियायतें दी हैं बिजली के मामले में। यह मेरे पास है, पंचायतों को अधिकार चले गये आज। पंचायतों को अधिकार की जो बात कर रहे हैं, जितने अधिकार पंचायतों को हमने दिये, आपने नहीं दिये। आपने एकमुश्त अधिकार दे दिये, उसका उलटा असर हुआ। सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कुछ आपको सुझाव भी देना चाहता हूं कि भूजल का गिरता स्तर राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या है, अभी एक स्टड़ी में....

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक स्टडी में यह बताया गया है कि ज्यादा भूजल स्तर गिर जाएगा वहां भूकम्प की संभावना बढ़ जाती है। यह जो बिजली के वैकल्पिक स्रोतों की बात की जा रही है, जोहान्सवर्ग में पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें भी यह बात कही गई। ई-गवर्नेंस की बात कही गई, विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की शिक्षा देने का कल बता दिया, मैं नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष : आपने तीन बजकर दस मिनट पर बोलना शुरू किया था, पचास मिनट बोल लिये आप, अब कनक्लूड करिये आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : विधायकों के लिए भी कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि 690 बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। पौपुलेशन कन्ट्रोल के लिए भी हमको कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। आप जो कह रहे थे अभी कि बढ़ेगा कर्जा, मैं कहना चाहता हूं- Happiness is not a station one arrives at, but a manner of traveling.

(16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान)...आप कनक्लूड करिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मैनर है विकास का, जिसमें कर्जा भी बढ़ेगा, विकास भी होगा, इसलिए मैं अन्त में कहना चाहता हूं, लेकिन उसको हम पर कर जाएंगे। पार कर जाएंगे, उसकी मैं 4 पंक्ति कहते हुए खतम करूंगा।

"मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है।" स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। "हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर"। ठोकरें इंसान का चलना सिखाती हैं।" माननीय मुख्य मंत्री जी आयी हैं, उनमें कितनी क्षमता है काम करने की और किस तरह से राजस्थान को आगे ले जाएंगी, इसके लिए कहना चाहता हूं यह जो विजन डाकूमेंट बनाया है...

श्री अध्यक्ष : शेर से तो आपने समाप्त कर दिया, अब आप बैठिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो विजन डाकूमेंट बनाया है जिसकी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यह कैसा विजन डाकूमेंट है, यह कैसा है...

श्री अध्यक्ष : शेर से समाप्त कर दिया। आपने शेर सुनाकर समाप्त कर दिया न भाषण तो पूरा।

डा. एन. एस. गुर्जर : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन्होंने कहा, उस विजन डाकूमेंट के बारे में कहना चाहता हूं कि "धीर, क्षीर, बीर, गंभीर बनायी है, भावी राजस्थान की तस्वीर बनायी है।" अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, पक्ष-विपक्ष दोनो साइड से बोल लिये।

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय मंत्रीजी वक्तव्य देंगे, चार बजे का समय नियत किया हुआ है, उसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह कल ही तय हो गया था, अध्यक्ष महोदय, हम सारे मिलकर ...(व्यवधान)... रात को 10 बजे हम बोलेंगे, पहले ये बोलेंगे...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : विराजिये। स्थान ग्रहण करें।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में बिजली की स्थिति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल डा. करण सिंह यादव और अन्य माननीय सदस्यों ने किसानों की चिन्ता के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था, मैं धन्यवाद दूंगा डा. करणसिंह जी को, वह हृदय रोग विशेषज्ञ हैं लेकिन कल उन्होनें जो फेफड़ों की ताकत दिखायी, वो बहुत कम नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया सरकार को कि सरकार इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें। उसी निदेश की अनुपालना में मैं कुछ तथ्य माननीय सदस्यों के सामने रख रहा हूं और ये तथ्य किसानों के हित में सरकार जो करना चाहती है उसका परिप्रेक्ष्य है किसी भी राजनीतिक रूप से मैं इस सदन में इस मामले को, अध्यक्ष महोदय, उलझाना नहीं चाहता।

किसानों को रबी की फसल के लिए 8 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है और इसी के अनुरूप किसानों को 8 घंटे विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। यही नहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग के लिए रात्रि में 6 से 10 बजे तक एवं प्रात: 5 से 7 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पिछली सरकार द्वारा गत वर्ष किसानों को रबी की फसल के लिए विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में कटौती लागू की थी। इस वर्ष 8 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। राज्य सरकार ने अपनी सौ-दिवसीय कार्य योजना में भी इस घोषणा की क्रियान्विति के लिए निम्न प्रयास किये हैं :-

नवम्बर, 2003 में औसतन 823 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करायी गयी थी। दिसम्बर, 2003 में औसतन 827 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करायी गयी जो कि दिसम्बर, 2002 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक रही है। 19 जनवरी, 2004 तक प्रतिदिन औसतन 862 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है जो कि पिछले वर्ष जनवरी, 2003 में 718 लाख यूनिट की तुलना में 144 लाख यूनिट प्रतिदिन अतिरिक्त लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य के इतिहास में अपने-आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में एक कीर्तिमान है। पिछले वर्ष रबी की फसल के लिए किसी भी दिन अधिकतम उपलब्धता 764 लाख यूनिट से अधिक नहीं थी, जबकि इस वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 870 लाख यूनिट आपूर्ति की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अतिरिक्त ऊर्जा का क्रय निम्न स्रोतों से किया जा रहा है :-

1. डी.बी.सी. वैस्ट बंगाल पूर्वी ग्रिड 17 लाख यूनिट 2.50 रुपये यूनिट के हिसाब से 67.50 लाख रुपये की।

2. अन्ता औरैया उत्तरी ग्रिड के मात्र सांयकाल पीक आवर के लिए 15 लाख यूनिट प्रतिदिन 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 60 लाख रुपये की।

3. दिल्ली प्रसारण लिमिटेड, उत्तरी ग्रिड से 28 लाख यूनिट प्रतिदिन 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 56 लाख रुपये की।

राजस्थान प्रसारण निगम के अंता, औरैया एवं दादरी से आवंटन मात्र सांयकाल पीक आवर्स के लिए 8 लाख यूनिट 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 36 लाख रुपये की। कुल 219.5 लाख रुपये अतिरिक्त विद्युत का पेमेन्ट राज्य सरकार को इसके लिए करना पड़ रहा है। इस प्रकार लगभग 78 लाख यूनिट प्रति दिन अतिरिक्त बिजली क्रय की जा रही है। यह कीर्तिमान नयी सरकार के द्वारा विभिन्न स्रोतों से बिजली के क्रय के लिए विशेष प्रयास के कारण सम्भव हुआ है। इन स्रोतों से विद्युत क्रय करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने माननीय प्रधान मंत्री से दिनांक 8.12.2003 को केन्द्रीय विद्युत मंत्री से, दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत सचिव से 'पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष से 3.1.2004 को दिल्ली में राजनेताओं व अधिकारियों से सम्पर्क कर व बैठकें आयोजित कर बिजली की व्यवस्था की है। अतिरिक्त विद्युत का क्रय करने के लिए राज्य सरकार विद्युत कम्पनियों को केवल तीन माह जनवरी, फरवरी, और मार्च हेतु दो सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा रही है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी मैं ध्यान दिलाऊंगा यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने अपने हिस्से की बिजली को छोड़ा नहीं है और न ही अपने हिस्से की बिजली को कभी बेचा है, वरन् इसके स्थान पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य पड़ौसी राज्यों से बिजली की खरीद की है। इसके अतिरिक्त किसानों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उत्तरी ग्रिड से भी रबी की फसल के लिए विद्युत ओवरड्रा की है। पावर ग्रिड द्वारा उत्तरी क्षेत्र में यू.एल.डी.सी. स्कीम की स्थापना की गयी है जिसका परिचालन सम्बन्धित राज्यों के लोड स्पेस सैंटर द्वारा किया जाता है। किसानों की खड़ी फसल को बचाने के लिए सरकार ने विद्युत वितरण निगमों को निर्देश दिये कि किसी भी स्थिति में रबी की फसल के दौरान बकाया वसूली के लिए कृषकों के कनेक्शन नहीं काटे जाएं। साथ ही कृषकों के ट्रांसफार्मर जलने की दशा में उन्हें हर स्थिति में मात्र 72 घंटे में बदला जाए। अगर नहीं बदला गया तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पिछली सरकार ने वर्ष 2003-04 में कृषि के नये कनेक्शनों को 15 हजार प्रतिवर्ष तक सीमित रखा था, परन्तु हमारी सरकार के गठन के तुरन्त पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष की शेष अवधि में पूर्ववर्ती सरकार के निर्धारित 15 हजार कृषि कनेक्शन के लक्ष्य के अलावा 5 हजार नये कृषि कनेक्शन देंगे। इस प्रकार इस वर्ष 20 हजार नये कनेक्शन देने का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बिलकुल साफ शब्दों में दो बात कहना चाहूंगा, कि प्रदेश में कृषि कनेक्शनों के लिए लगभग 1 लाख 75 हजार किसान 10-12 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। पिछली सरकार ने इस सूची को कम करने के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि कनेक्शन जारी करने के वार्षिक लक्ष्य में कमी की। किसानों के लम्बे इंतजार को कम करने के लिए मैं सदन में यह घोषणा करता हूं कि आज तक पंजीकृत सभी लंबित कृषि कनेक्शनों के आवेदनों को आगामी तीन वर्ष में कनेक्शन दे दिये जाएंगे। इसके लिए जो भी उपाय किये जाने हों, चाहे वो अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराना हो, तंत्र को सुदृढ़ करना हो या सामग्री क्रय करने के लिए धनराशी का प्रबन्ध करना हो, ये सारे प्रबन्ध योजनाबद्ध तरीके से किये जाएंगे। विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में सुधार हेतु कई फैसले किये गये हैं तथा लोड नियंत्रण के लिए नयी-नयी व्यवस्थाएं भी की गयी हैं। विद्युत प्रसारण निगमों के स्तर पर यह निर्णय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिया गया है, यह महत्वपूर्ण निर्णय है कि वर्तमान रबी की फसल के लिए किसी भी 132 के.वी. लाइन को काटा नहीं जाएगा। लोड नियंत्रण हेतु जो व्यवस्था की जानी है, वो 33 के.वी. लाइन पर ही की जाएगी ताकि सीमित क्षेत्र में ही बिजली का व्यवधान हो।

(2) इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में 132 के.वी. एवं 33 व 11 के.वी. के सब स्टेशनों में मेगावाट तथा विद्युत यूनिटों का पुन: निर्धारण किया गया है ताकि सभी स्थानों पर आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति की जा सके।

(3) 8 घंटे रबी क्राप्स की सप्लाई के अतिरिक्त विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग के लिए रात्रि 6 से 10 तथा प्रात: 5 से 7 तक विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के पुख्ता मानिटरिंग की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा, किसान की समस्या है।

इसके लिए प्रति दिन निर्धारित प्रपत्र में तीन वितरण निगमों से सूचना प्राप्त की जाकर उच्च स्तर पर विश्लेषण किया जाता है। उदाहरणार्थ दिनांक 19 जनवरी को राज्य के तीनों वितरण निगमों के ग्रामीण क्षेत्रों में 11 के.वी. के कुल 8096 फीडरों पर विद्युत उपलब्धता का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा जो घोषणा की है, उसका बता रहा हूं।

जयपुर से 5 से 7 बजे तक सिंगल फेस विद्युत सप्लाई उपलब्धता प्रतिशत में 99.54 प्रतिशत, जोधपुर में 97.99 परसेंट, अजमेर में 95.38 परसेंट। कुल राज्य में जो हमने तय किया, 100 परसेंट नहीं हुआ। 97.96 परसेंट हम सफल हुए सुबह 5 से 7 बजे तक विद्युत देने में। इसी प्रकार रात्रि में 6 से 10 बजे तक देने में जयपुर में 99.87 परसेंट, जोधपुर में 97.59 परसेंट, अजमेर में 96.20 परसेंट। इसमें भी हम 100 परसेंट सफल नहीं हुए, लेकिन कुल मिलाकर हमने इसमें 97.99 परसेंट विद्युत उपलब्ध करवायी। इसी प्रकार से कृषि कार्यों के लिए जो 8 घंटे के ब्लाक हैं, उसमें जयपुर में 99.37 परसेंट, जोधपुर में 98.48 परसेंट और अजमेर में 96.36 परसेंट कुल मिलाकर 97.98 परसेंट विद्युत हमने उपलब्ध करवायी है। अर्थात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था अत्यंत संतोषप्रद है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह सूचना मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यह जो विवरण दिया है और यह 8096 फीडर जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में आप सहयोग कीजिए। आपका भी और हमारा भी यह निश्चित मत है कि राजस्थान के किसान को प्रतिदिन 8 घंटे अबाध विद्युत सप्लाई की हम व्यवस्था कर सके तो यह किसान के हित में है, राज्य के हित में है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया राज्य सरकार की बात रखने के लिए और माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, इसके लिये मैं पुनः आपको एक बार मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं और इसमें सहयोग की आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सुनिए, वक्तव्य के बाद आप कोई क्लैरिफिकेशन चाह सकते हैं वह क्लैरिफिकेशन चाह लिजिए, बाकी कोई सबका बोलना आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से सदन के मार्फत यह पूछना चाहता हूं की गांवों के बारे में जो आपने अभी फरमाया है कि विद्युतीकरण के नाम पर घरेलू...

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। संयम लोढा को पूछ लेने दीजिए, आपको भी समय दूंगी। आप दोनों माननीय सदस्य विराज जाएं। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैंने संयम लोढ़ा का नाम पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप शिक्षा मंत्री भी हैं। जो कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है ...

श्री अध्यक्ष : यहां बिजली की बात हो रही है और आप कहां चले गये ?

श्री संयम लोढ़ा : मेरे क्षेत्र के 18 विद्यालयों में कम्प्यूटर बंद पड़े हुए हैं क्योंकि आप बिजली नहीं दे रहे है। एक बच्चा उस कम्प्यूटर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो यह दावा कर रहे हैं कि 8 घंटे आप बिजली दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले बार नहीं चुन कर आये हैं। माननीय सदस्य, आपको बिजली से संबंधित कोई बात पूछनी है तो वह पूछिए।

श्री संयम लोढ़ा : आज का, कल का, परसों का, जयपुर के सारे अखबार उठाकर पढ़ लीजिए, हर अखबार में इस बात की रोज खबर छप रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ही तो स्थगन प्रस्ताव रखा, उस पर ही वक्तव्य दिया और आप बिजली के मामले में कितने गंभीर हैं यह मुझे स्पष्ट हो गया है, सदन को स्पष्ट हो गया है। आप बात कम्प्यूटर की कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : क्या स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया ?

श्री अध्यक्ष : स्थगन है आपका बिजली पर और आप बात कम्प्यूटर की कर रहे हैं, यह कोई बात नहीं हुई आपकी ...(व्यवधान)... बिजली के मामले में आप कितने गंभीर हैं। बात बिजली की हो रही है, चले गये कम्प्यूटर पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में किसान धरने पर बैठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री सी.डी.देवल : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य यह भी बता दो कि कम्प्यूटर कब से बंद पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। दूसरे लोग कोई क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते हैं, उन्हें मैं समय दूंगी अब आप स्थान ग्रहण करें(व्यवधान) श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ... (व्यवधान) हमने मारा, आप जिंदा रखो।

श्री धर्मपाल चौधरी : ...(व्यवधान) पांच साल तक हमने भी खड़े होकर किसान की आवाज जिंदा रखी। पूरे पांच साल रोये हैं हम आपको कि

(श्री धर्मपाल चौधरी)

राजस्थान के किसान को 8 घंटे बिजली दो। आप पूरे पांच साल में किसान को 8 घंटे बिजली नहीं दे पाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पूरे पांच साल छाती पीटते रहो, ऐसे ही छाती पीटते रहना पड़ेगा। यहां बैठे थे जब बड़े मजे आ रहे थे, वहां बैठने के बाद सिवाय छाती पीटने के कुछ नहीं है। आपके राज में जो किसान तबाह हुआ, वो आजादी के बाद कभी किसान तबाह नहीं हुआ। अशोक गहलोत के राज में बिजली की अव्यवस्था रही और आज डेढ़ महीने के बाद में जब सरकार पूरी बिजली दे रही है और मंत्रीजी ने जवाब दे दिया तब सिवाय नेतागिरी करने के और यहां पर असत्य बात कहने के कुछ काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी सरकार ने कम्प्यूटर खराब दिये हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इसलिए करते हो कि हमको लोक सभा में वोट मिल जाएं। 25 की 25 सीटें हमारी पार्टी जीतेगी।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्रवण कुमार जी, मैं आपको मौका दूंगी। नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मुझे पहले कहने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनूंगी। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण यदि आसन का काम करने लग जाएंगे तो फिर आसन क्या करेगा ? आप बीच में नहीं बोलिए, गलत बात है। नहीं, नहीं यह गलत बात है। उनकी बात का जवाब आसन पर जो बैठा हुआ है, वह देगा, आप बीच में मत बोलिए। (व्यवधान) मैंने नाम पुकार लिया है श्रवण कुमार जी का, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप वह ले सकते है, बाकी और बात नहीं होगी।

श्री श्रवण कुमार : मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में चारा योजना के नाम पर किसानों को कनेक्शन दिया गया था, भैंरोसिंहजी के समय में नर्सरी के नाम से दिया गया

(श्री श्रवण कुमार)

था। (व्यवधान) आप सरकार में हो, शांति रखो, सरकार चलाने वाले शांति रखते हैं। हम तो दक्षिण में बैठे है, आप उत्तर में बैठे हो, क्या हो गया आपको +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बोलिए, आप बोलिए।

श्री श्रवण कुमार : चारा योजना में कनेक्शन दिये गये थे। माननीय भैरोंसिंह जी ने नर्सरी में दिया था। उन्होंने इस बात का एक सर्कुलर जारी किया था जो नर्सरी में कनेक्शन दिया जाएगा, उसको दो साल के बाद जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने बार-बार इस बात का आश्वासन दिया कि चारा योजना को जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पर कांग्रेस सरकार ने उसको नहीं किया। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के आप हितैषी हो और किसान के हित की बातें करते हो तो चारा योजना में जहां 94 पैसे प्रति यूनिट के दिये जाते हैं और उस योजना में 1 रुपया 60 पैसे दिये जाते हैं, इससे किसान के साथ दुराचार हो रहा है। इसकी आप तत्काल घोषणा करें कि यह जो दुराचार हो रहा है इसको सदाचार में परिवर्तित करेंगे ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा तब आप अपनी बात उठाइए। कोई क्लैरिफिकेशन सीक करना है तो करिए। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप जब राज में थे तब क्यों नहीं किया ? अब यह क्या उम्मीद लगाये बैठे हो आप ? आपका पांच साल तक राज था तब क्यों नहीं किया ?

श्री श्रवण कुमार : नहीं किया तो इधर बैठे हैं न।+++(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद विवाद शुरू होगा और इसके लिए मैं नाम पुकार रही हूं।(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : ... (व्यवधान) 38 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, इनकी कोई क्वैरी है तो इनकी क्वैरी का जवाब देने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव जिन माननीय सदस्य ने दिया वह किसानों की बात छोड़कर कम्प्यूटर पर आ गये। स्थगन प्रस्ताव किसानों का था, किसानों की बिजली का था और कम्प्यूटर पर आ गये। किसानों की बात छोड़कर वह तो कम्प्यूटर पर आ गये। (व्यवधान) वह प्रश्न कहां था ? स्थगन प्रस्ताव में तो दिया हुआ नहीं था। गलत बात है, यह कोई थोड़े ही हुई। (व्यवधान) देखिए, स्थगन प्रस्ताव तो आपने दिया था किसानों के सम्बन्ध में (व्यवधान) आप सुनिए।

श्री श्रवण कुमार : अगर सरकार किसान की हितैषी है तो चारा योजना को आज ही जनरल योजना में घोषणा करके सदन का समापन करें, तब मैं समझता हूं सरकार किसान की हितैषी है। केवल थोथी बातों से काम नहीं चलेगा। इस बात को कोई नहीं मानेगा कि पहले वाली सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, हम इस बात को नहीं मानते। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : वह नहीं कहते और आज किसान के हित की बात कहते हो। (व्यवधान) अभी घोषणा करें, (व्यवधान) यह तो हमारी सरकार है, हमरी सरकार ने कम से कम जवाब तो दिया। हम कह-कह कर मर गये, जब हम विपक्ष में थे, कभी गौर नहीं किया। कभी चोर योजना, कभी चारा योजना...(व्यवधान) राजस्थान के किसान को तबाह करने वाले आज किसान की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : 5 साल पहले चिन्ता नहीं हुई और अब चिन्ता करने लगे।...(व्यवधान) आपने 5 साल तक क्या किया किसानों के लिये ? अब बोल रहे हो आप लोग...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पहली विधान सभा चल रही है, हमारा कार्यकाल शुरू हुआ नहीं, उससे पहले आपको सब कुछ चाहिए। (व्यवधान) पहले दिन आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : 5 साल में आपने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है।...(व्यवधान) 5 साल के अन्दर किसानों का शोषण किया है और अब चिन्ता कर रहे हो आप लोग। (व्यवधान) किसानों के बिजली कनेक्शन काट-काट कर चले गये आपके राज

(श्री बंशीलाल खटीक)

में...(व्यवधान) कांग्रेस के राज में किसानों को शोषण हुआ, आपने कुछ नहीं किया। गरीबों के घर की बिजली आपने छीनी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य आपके माध्यम से प्रश्न पूछेंगे, मैं उनका जवाब देने के लिये तैयार हूं, इसमें एक साथ लड़ाई करने की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) वक्तव्य के बाद में केवल क्लैरिफिकेशन सीक किया जाता है। यदि कोई सदस्य आपकी बात को ठीक से नहीं समझे हों और क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हों तो वह सीक कर सकते हैं। लेकिन भाषण देने का, अन्य मुद्दा उठाने का, अलग से प्रश्न हो जाएगा। (व्यवधान) आप अपनी बात कह चुके हैं, अब वे जवाब देंगे। आप कह चुके अपनी बात, अब आप विराजिये, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) श्री दलजीत सिंह जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : कल पहले दिन साढ़े तीन घण्टे इस सदन के बरबाद किये और 12 मिनट में हमारे विद्युत मंत्रीजी ने आपकी गाड़ी को फुस्स कर दिया, अब बोलने की हिम्मत करते हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के लोग ही आपको नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : 12 मिनट में आपकी हवा निकल गयी। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : क्या मामला है ? चारा योजना का मामला है, जो साढ़े तीन घण्टे कल आपने पहले दिन विधान सभा के बरबाद किये तो उसका

(श्री विष्णु मोदी)

एजेण्डा क्या है ? (व्यवधान) पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कोई एजेण्डा तो हो, पहले दिन... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : कोई एजेण्डा नहीं है, 12 घण्टे में हवा निकल गयी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : ये मगरमच्छी आंसू हैं, ये किसानों का हित नहीं करना चाहते हैं, केवल समय बरबाद करना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान) ये स्पीकर रहे हुए हैं।

श्री दलजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं, क्लैरिफिकेशन।

श्री दलजीत सिंह : प्रश्न इस बात का है कि आप 8 घण्टे बिजली किसानों को देंगे और ग्रामीण घरों में अलग से देंगे। प्रश्न इस बात का है कि 8 घण्टे बिजली जो होगी, बिना कटौती के होगी। क्योंकि अमूमन यह देखा गया है कि स्टेट के अन्दर जब बिजली का आप 8 घण्टे का वादा करते हैं तो हर 15 मिनट बाद या घण्टे भर बाद बीच-बीच में, एक-एक घण्टे के बाद में बिजली की कटौती होती जाती है। वह कटौती... (व्यवधान) आप सुन लो। आपके हित की बात है, यह सबके लिए है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है।

श्री दलजीत सिंह : वह 8 घण्टे की बिजली जो लगातार मिलनी चाहिए, वह 12 घण्टे या 24 घण्टे के अन्दर मानी जाती है। इसलिये हम आपसे यही स्पष्टीकरण चाहते हैं कि 8 घण्टे की बिजली लगातार दी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सबका साथ दे दूंगा।

श्री अम राराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक-दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, अभी ऊर्जा मंत्रीजी ने कहा था...

श्री अध्यक्ष : वह क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जो उन्होंने मांगा, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अभी-अभी ऊर्जा मंत्रीजी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर घरेलू बिजली और कृषि कुओं में बिजली 8 घंटे दी जाएगी।(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या पाइण्ट आफ आर्डर है? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : लेकिन अभी जो आपने फरमाया कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रात्रि को और सुबह 5 बजे से 7 बजे घरेलू बिजली दी जाएगी, तो बिना कटौती के कैसे आप बिजली उपलब्ध कराएंगे ? क्या आपने इसके लिये कोई जी.ओ. लगाने का प्रावधान किया है ? वर्तमान समय में जो 8 घंटे बिजली की बात की जा रही है, वर्तमान समय की स्थिति यह है कि अंधकार में गांव डूबे रहते हैं पढ़ाई के लिये बिजली नहीं मिल रही है। यह सत्यता है और किसान इस बात के लिये आन्दोलनरत हैं। (व्यवधान) वर्तमान समय में जब घेरेलू बिजली की बात आप द्वारा फरमायी जा रही है तो कृषि कुएं को और घरेलू बिजली एक ही लाइन से दी जा रही है, इनको आप कैसे अलग-अलग करेंगे, यह मैं आपसे जानकारी चाहता हूं ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के शहरी इलाकों में 24 घण्टे बिजली मिलेगी...

(श्री अमराराम)

(व्यवधान) शहरी इलाकों में एक मिनट की भी कटौती नहीं होगी, 24 घण्टे बिजली मिलेगी और राजस्थान के 40 हजार गांवों में मात्र 6 से 10 बजे तक 4 घंटे बिजली मिलेगी, यह फर्क क्यों ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वहां सुबह भी 2 घंटे मिलेगी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पहला स्पष्टीकरण तो यह है दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने और उससे भी पूर्ववर्ती सरकार ने नर्सरी, चारा, चोरी, स्पेशल और मुर्गीपालन में कनेक्शन दिये उन्हीं किसानों को जो वैसी ही फसल पैदा करते हैं वहीं सप्लाई लेते है, उनको डबल बिल से लगातार पिछले 4 साल से लूटा जा रहा है। क्या उनको डबल बिल से सामान्य में करने का सरकार इरादा रखती है ? (व्यवधान) तीसरा स्पष्टीकरण, पिछली नर्सरी योजना में एच.पी. चार्जेज लिये जाते थे, पूर्ववर्ती सरकार ने टिल फर्दर आर्डर्स डैफर कर दिया था, वे एच.पी. चार्जेज पूववर्ती सरकार ने यह कह कर लिये थे कि सरकार उसको बिलों में.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, इन भाषणों की समाप्ति होगी कि नहीं ? कोई समय सीमा होगी कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसमें बोलने का मौका दिया जाए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए ऊर्जा मंत्रीजी से, आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 3 लाख की बी.सी.आर. भर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री हेमराज : जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने की योजना इन्होंने कब से लागू की है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने की योजना इन्होंने कब से लागू की है ? (व्यवधान) अभी तक तो ऐसी कोई योजना नहीं थी और दो महीने से मेरे विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 5 एच.पी. का कनेक्शन देकर जाते हैं उसमें... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने की जो बात इन्होंने कही, है वह 72 घण्टे के बजाय जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई सुन नहीं रहा है मैं इस को समाप्त कर रही हूं। (व्यवधान) क्या बोलेंगे, अब आप....What clarification will you want to seek ? क्या बोलेंगे तो ? (व्यवधान) नहीं, नहीं, आपको कोई क्लैरिफिकेशन करना है तो कर दीजिए।(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता, प्रतिपक्ष खड़े हैं और उन्हीं की पार्टी के सदस्य खड़े हैं।(व्यवधान)

श्री हेमराज : 72 घण्टे में बदलने की व्यवस्था कब से की है, यह भी बताएं, मंत्रीजी ?

श्री बंशीलाल खटीक : इन लोगों ने सूचना नहीं दी होंगी, 72 घण्टे में सूचना देंगे तो बदल जाएंगे। सूचना ही नहीं देते तो फिर कैसे बदलेंगे ?

श्री सुभाष चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं और स्पष्टीकरण चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेता, प्रतिपक्ष खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 3 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। (व्यवधान) आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आज तक उन्होंने अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की ? पूरे एक महीने तक अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने सुना नहीं, 3 दिन का नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जयपुर विद्युत वितरण निगम कम्पनी न तो सामान उपलब्ध करवा रही है, न ट्रांसफार्मर

(श्री सुभाष चन्द्र)
उपलब्ध करवा रही है। केवल एक बहाना इस बात का लिया जाता है कि हमारे पास सामान और ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्रीजी से, कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने की जो स्थिति है वह किस प्रकार पूरा करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कह तो दिया उन्होंने । (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : दूसरी बात, कोई सामान नहीं मिल रहा है। तार नहीं मिल रहे हैं। खम्भे नहीं मिल रहे है, इसके अलावा ऊपर के इंसुलेटर नहीं मिल रहे है, उनकी व्यवस्था के लिए ऊर्जा मंत्रीजी ने क्या किया है ? किसान त्रस्त है। पीडित हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सुन लीजिए पहले, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आप हाउस चलाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष। आपके नेता बोल रहे हैं। आपके नेता बोलेंगे। यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर क्या है ? मिनट-मिनट में पाइंट आफ आर्डर, काहे का पाइंट आफ आर्डर है, बेकार बात करते हैं ? (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ कहना है नहीं, हर बात पर पाइंट आफ आर्डर, काहे का पाइंट आफ आर्डर ? आपको नेता नहीं मानते हैं यह। (व्यवधान) क्या किया जाए इनका ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आपको नेता नहीं मान रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता, आपको अपनी पार्टी वाले नेता नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ आर्डर तो कोई भी उठा सकता है। पाइंट आफ आर्डर में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : कनेक्शन लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी वहां... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप हमको तो कह देते हैं यह देखिये कि कितने लोग खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इतनी अनुशासनहीनता मैंने कभी नहीं देखी।

श्री अध्यक्ष : देखिये, सदन की एक व्यवस्था है कि कम से कम इतना तो आप ध्यान रखिये कि नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं आप शोर मचा रहे है। उनको तो सुनिये कम से कम पहले कि वे क्या कहना चाहते है।

श्री कालीचरण सराफ : दुर्भाग्य यह है कि इनको इनके दल के लोग नेता मानते ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप तो मान लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नेता प्रतिपक्ष गम्भीर हो तो हम समझते हैं कि इनको हम आराम से सुनें। आप शोर मचाने के लिए नये सदस्यों को कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भी उनमें शामिल रहते हैं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज दिन तक सदन में यह डैकोरम रहा है कि जब सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोलने खड़े होते हैं तो माननीय सदस्य अपने आप बैठ जाते हैं, लेकिन मैं देख रही हूं कि आप इस नियम का बिलकुल पालन नहीं कर रहे हैं।(व्यवधान) हमने सुन ली आपकी बात। आपकी बात पूरी सुन ली। स्पष्टीकरण देने का मौका कब दिया आपने ?

श्री सुभाष चन्द्र : हां, तो आप ही दिलवाइये इस बार जवाब।

श्री अध्यक्ष : मौका ही नहीं दिया आपने तो स्पष्टीकरण देने का मौका कब दिया है ?

श्री सुभाष चन्द्र : हां, दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह इतनी बार खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको क्लैरिफिकेशन सीक करने के लिए कहा था, वह तो आप करते नहीं हैं। (व्यवधान) आप भाषण देने खड़े हो जाते हैं।

श्री सुभाष चन्द्र : क्लैरिफिकेशन ही मांगा है मैंने तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने मंत्रीजी की बात सुनी ही नहीं है।

श्री सुभाष चन्द्र : क्लैरिफिकेशन ही मांगा है मैंने तो। यह व्यवस्थाएं नहीं हुई है, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन मांगा है मैंने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके बारे में अभी ऊर्जा मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले चालीस दिनों में आपके सत्ता में आने के बाद कहां-कहां पर बिजली को लेकर आन्दोलन हुए ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : यह कौनसा प्रश्न है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : और आपने यह तो बताया कि हमने 870 लाख यूनिट बिजली... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आन्दोलन की बात कहां है ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : 870 लाख यूनिट बिजली आपने दी लेकिन क्या आपने 8 घंटे बिजली कृषि कार्यों के लिए दी है ? मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पूगल, छत्तरगढ़, लूणकरणसर, चित्तौड़ और अलवर, इन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सभी स्थानों पर आठ घंटे बिजली नहीं मिलने के कारण किसान आन्दोलनरत रहे हैं। आपने यह तो बता दिया कि आप 219.5 लाख रुपये कि बिजली खरीदने जा रहे हैं लेकिन आपने सदन को यह नहीं बताया कि आपने बिजली बेची कितनी।

अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों समाचार-पत्रों में ऐसे समाचार आये कि राज्य सरकार बिजली बेचेगी। दो-तीन दिन बाद एक न्यूज आती है कि राज्य सरकार बिजली खरीदेगी। खरीदने की तो इन्होंने जानकारी दे दी, लेकिन आप कितनी बिजली बेच रहे हैं और कितनी बिजली बेची है, इसकी जानकारी भी आप दें। इसके अलावा आपके सत्ता में आने के बाद आपने कितने लोगों को कृषि कनेक्शन दिये और उसमें कितने अनुसूचित जाति कितने अनुसूचित जनजाति को कनेक्शन दिये ? इसके अलावा आप यह भी सदन को बताएं कि आप बिजली दहेज में लेकर आये थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने 1750 मेगावाट बिजली पैदा करके इस राजस्थान को दी ? मैं जाना चाहता हूं कि आपके 1600 मेगावाट बिजली.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसा स्पष्टीकरण हुआ ? आप फिर कहेंगे कि हम खड़े होते हैं। यह क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : क्षमा करना, साहब, जब इस बैंच से इधर बैठे थे न जब पांच साल में क्या किया ? पांच साल में कितने आन्दोलन हुए, पांच साल में कितने किसान मरे, पांच साल के बारे में बताइये ? (व्यवधान) यह दहेज असंसदीय है। कितने किसान अकाल से मरे, जिनके लिए बिजली-पानी की व्यवस्था सरकार ने नहीं की ? उनका सारा पैसा वह खा गये जब उनको पता लग जाएगा कि इनकी पांच साल की सरकार ने क्या कर्म किये हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने में, आप क्यों खड़े हो रहे हैं ? आपके मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने में, आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्यों खड़े हो रहे हैं ? आप क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री गोविन्दराम चौहान : यह कह रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं, वहां कोई ट्यूबवैल नहीं है... (व्यवधान) वहां किसान का कोई बिजली का... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए, वरना खतम करें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात रह गयी।

एक माननीय सदस्य : पांच साल का हिसाब दो।

श्री अध्यक्ष : कितना रहा आपका ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरी बात पूरी तो करूं। यह तो बहुत गलत परम्परा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि बी.जे.पी. के लोग बार-बार कहते थे कि बिजली में करंट है, क्या आप बिजली की दर कम करने का विचार रखते हैं ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने बढ़ाई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने बढ़ायी या नहीं बढ़ायी, वह तो बात छोड़ दीजिए, आप क्या बिजली की दर कम करने का विचार रखते हैं ? कम करते हैं तो कितनी करेंगे ? इन सब बातों का खुलासा आप करिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्या कहना चाहते हैं आप ? कितनी कम्पनियों को बेच दिया आपने ? गिरवी रख दिया बिजली कम्पनियों को आपने। आपने बिजली की दरें बढ़ाई और हमारे से कम करवाना चाहते हो आप।

श्री सांगसिंह भाटी : यह बिजली की पूगल में... (व्यवधान) पूगल में आन्दोलन कहीं नहीं है। मैं वहां का रहने वाला हूं। कहीं कृषि कनेक्शन नहीं है, सदन को गुमराह कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता। पूगल में कोई ट्यूबवैल नहीं है, कोई कृषि कनेक्शन नहीं है। सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पूगल का वासी बोल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनको ज्ञान देने की बात करो। जानकारी इनको है नहीं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो फिर आप इनसे पूछो न (व्यवधान) यह भी एम.एल.ए; है।

श्री सांगसिंह भाटी : कोई आन्दोलन नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चित्तौड़ में, इनमें सब जगह आन्दोलन हुए हैं। धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : यह झूठी-झूठी सूचनाएं देकर यहां सदन को गुमराह करना चाहते हैं।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहीं पर आन्दोलन नहीं हुए हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : इनके राज में बिजली की दरें इतनी बढ़ाई कि बिल देखें तो... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने बताया कि चित्तौड़ में आन्दोलन हुआ, मैं यह आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बी.जे.पी. की सरकार बनने के बाद आज की तारीख तक एक भी प्रदर्शन, चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील में, बिजली को लेकर किसी ने नहीं किया असत्य के अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे पास समाचार-पत्रों से जानकारी मिलती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह क्या कह रहे हैं, हिम्मत है तो... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : धरना, प्रदर्शन बराबर हुए हैं। बिलकुल गलत बात कह रहे हैं यह। चित्तौड़ के रहने वाले ही नहीं है और मंत्रीजी को राय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : प्रतिपक्ष के नेताजी, यह पूरी तरह असत्य है, असत्य है, ऐसा नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके सदस्य जो आपको सूचना देते हैं वह असत्य है। पूरी असत्य कह दी, सच्चाई तो एक परसेंट भी नहीं हे। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं +++ आनी चाहिए आपको, सदन को गुमराह कर रहे हो। कहीं भी धरना, आन्दोलन नहीं हुआ। आप प्रतिपक्ष के नेता हो और असत्य बोल रहे हैं, बड़ी +++ की बात है प्रतिपक्ष के नेता आपने जहां.. (व्यवधान) हो रही है, यहां पर नहर का पानी आता है वहां आप आन्दोलन की बात करते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : समाचार पत्रों में जो समाचार छपता है, उसके आधार पर धरने, प्रदर्शन हुए हैं चित्तौड़गढ़ में, क्या बात करते हो आप ?

श्री राकेश मेघवाल : आप प्रतिपक्ष के नेता हैं आपके पास सही सूचना नहीं है। यह सब झूठा प्रचार है, आज हाई कोर्ट में जवाब दायर किया है पूर्व मंत्री के खिलाफ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन का समय इन्होंने नष्ट किया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पुष्कर में डी.पी. बदलने के लिए (व्यवधान) ए.ईएन. कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। कहां-कहां की बात बताऊं मैं, बोलिए आप ? (व्यवधान) पुष्कर में..

श्री नन्दलाल मीणा : अब पुष्कर आ गया।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को इनके विधायक नेता मानते ही नहीं है, वे तो मात्र सोनियाजी के बने हुए नेता हैं। यह इनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। विधायकों ने नेता नहीं चुना इनको, इसलिए दनकी कोई परवाह नहीं करते है और बीच-बीच में यह खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता इस सदन को गलत सूचनाएं दे रहे हैं। इन्होंने सदन की गरिमा भंग की है। आज यह कह रहे हैं। जबकि उधर पूगल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : लूणकरणसर के अमरपुरा में ए.इएन. कार्यालय पर ताला लग गया, क्या बात करते हो आप ? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : बिजली को लेकर अलवर जिले में इस आन्दोलन हो चुके हैं अब तक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहीं पर आन्दोलन नहीं हुआ और यह कह रहे हैं कि (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में चार आन्दोलन हो चुके हैं, आठ घंटे बिजली नहीं मिल रही है किसानों को। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने पांच साल में क्या किया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके पास जवाब है या नहीं, आप बोलिये ?

श्री महीपाल यादव : आठ घंटे बिजली नहीं मिल रही है, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में चार आन्दोलन हो चुके हैं।(व्यवधान)

श्री हेमराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आप शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तत्काल कनेक्शन दे रहे हैं, उसी प्रकार से शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को ट्राइबल सब प्लान के अलावा... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पाइंट आफ आर्डर।

श्री हेमाराम चौधरी : जो.एस.सी. के लोग हैं उनको आप तत्काल कनेक्शन देने की नीति पर विचार करेंगे, देंगे या नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, आपको क्षमायाचना करनी चाहिए। आपने पूगल की बात कही, पूगल के कह रहे हैं, आन्दोलन नहीं हुए। छंतरगढ़ की बात आपने कही, कोई आन्दोलन नहीं हुए है।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल्ड ट्राइब वालों को कब तक कनेक्शन दे देंगे ? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी :... (व्यवधान) तो हम सब हार जाएंगे और कई बार आंसू टपके। आप सही बात कर रहे हो आपने चिन्ता की। (व्यवधान) वह आपकी बात सही है।

श्री हेमाराम चौधरी :... (व्यवधान) लेकिन आप हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है।(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : आप सही कह रहे हो, सही। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डीडवाना तहसील में मौलासर में माननीय मुख्य मंत्री जी का क्या हाल हुआ था बिजली के मामले में ? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इनको सिखाया जाए कि सदन का समय कितना उपयोगी है। ये लोग अभी समझ नहीं रहे कि सदन का समय कितना उपयोगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से... (व्यवधान) आपके कानों की मलाई निकालों और सीधा सुनो। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों ने डिमाण्ड राशि जमा करा रखी है, 6-6 महीने हो गये, उनको आप कब तक कनेक्शन दे देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आर्डर, आर्डर।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

वक्तव्य पर अब चर्चा समाप्त हो चुकी है और अग्रेत्तर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा। (व्यवधान) नहीं, कुछ नहीं अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा और रामप्रताप कासनिया बोलेंगे। रामप्रताप कासनिया बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण किसान विरोधी रवैये के कारण सदन से हम बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आसन ग्रहण करिये। आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री सुभाष शर्मा : मेरे स्पष्टीकरण का जवाब दिलवाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण देने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं मैंने सुबह ही सदन में कहा था और आज इस सदन में कह रहा हूं कि मैं 8096 ग्रिड स्टेशनों की, 132 के.वी. स्टेशनों की और मैंने जो विद्युत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डलों और कम्पनियों में दी है, उसका विवरण सदन के पटल पर यह कहकर हस्ताक्षर करके रख रहा हूं कि इसमें कहीं गलती होगी तो मैं जिम्मेवार हूं या जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट भेजी है वे जिम्मेदार हैं। सब जानते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में इस समय जितनी बिजली मिल रही है, आज तक नहीं मिली। मैं कहना चाहता हूं 1,75,000 कनेक्शन देने का जब तीन साल में तय कर दिया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से यहां बर्दाश्त नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आ रहा हूं, उस बात पर आ रहा हूं।... (व्यवधान) आ रहा हूं, अमराराम जी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आठ घण्टे कह गये, वह कभी नहीं मिली। राजस्थान में 24 घण्टे तक मिली है। आप कह रहे हो, आज तक नहीं मिली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। दूसरे माननीय सदस्य ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था अमराराम जी ने, और श्रवण कुमार जी ने यहां पर कहा कि नर्सरी में और अन्य कनेक्शनों पर डबल पैसा लगता है। मुझे ध्यान है, इस सदन में जब मैं विद्युत मंत्री था, हमने घोषणा की थी कि दो साल जिस आदमी को नर्सरी में कनेक्शन लिये हो गये है, उनको सामान्य में बदल दिया गया है। इस सरकार ने आने के बाद में पाप किया है किसानों के साथ, इन्होंने कहा कि जब आठ साल बाद उसका नम्बर आवे तब उसको नर्सरी में बदलना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज घोषणा की कि तीन साल में सारे कनेक्शन देंगे। जो तीन साल में सारे कनेक्शन होंगे तो सामान्य श्रेणी वाले या विशेष श्रेणी वाले भी उसी तीन साल की श्रेणी में आ जाएंगे। उनका भी यह फायदा हो जाए, उनको कौन रोकने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वाला है। अध्यक्ष महोदय, वे सबके सब आ जाएंगे। वह कांग्रेस का पाप उनके ऊपर नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात फिर आपको सदन में आज कह रहा हूं, राज्य सरकार दृढ़तापूर्वक कृतसंकल्प है कि वह 8 घण्टे किसानों को रबी की फसल के लिये सांयकाल 6 से 10 बजे तक बच्चों को पढ़ने के लिये और सुबह 5 से 7 बजे तक हर दृष्टि में अबाध विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करेगी और जो भी खर्चा होगा वह राज्य सरकार करेगी। यह राजनीतिक कारणों से कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न उठाया। न कहीं आन्दोलन हुआ है, न कोई बात हुई है। एक दो ग्रिड पर कोई आन्दोलन हो गया तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। मैं पुनः आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार किसानों को भरपूर विद्युत सप्लाई करेगी। आपने मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुभाष शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्टीकरण मांगा था उसका जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद रामप्रताप कासनिया।

श्री सुभाष शर्मा : मैंने पूछा था वह जवाब नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया है।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया है इसके लिये मैं आभारी हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक बार जब जिस बात पर आपने बर्हिगमन कर दिया... (व्यवधान)

श्री सुभाष शर्मा : जयपुर विद्युत मण्डल का जो स्पष्टीकरण मांगा था वह नहीं दिया।

श्री रामप्रताप कासनिया : आपस में क्यों उलझ रहे हो ? आपस में मत उलझो। हमारी पहले से ही पिटाई हो रही है, आपस में तो मत उलझो।

श्री सुभाष शर्मा : हां तो वह जवाब तो दें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : जवाब अब नहीं आएगा, समझो बात को।

श्री सुभाष शर्मा : इनको जवाब देना चाहिये, स्पष्टीकरण देना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण दिलाया जाए।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया।(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह आपसी मामला है। (व्यवधान) आपस में मत उलझो।

श्री हेमाराम चौधरी : शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के साथ आप भारी अन्याय कर रहे हैं। एस.सी. के लोगों को आपने तत्काल कनेक्शन दे दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया है रामप्रताप कासनिया का और माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करुंगी, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी स्थान ग्रहण करें। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी अपना स्थान ग्रहण करे। रामप्रताप कासनिया, अग्रेत्तर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय एस.टी. के लोगों के साथ भारी अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपना स्थान ग्रहण करें। आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, स्थान ग्रहण कर लीजिये। आप चार बार जीतकर आ चुके हैं, स्थान ग्रहण कर लीजिये। कर लीजिये। कर लिजिये, अब कुछ नहीं होगा। अब वह बात समाप्त हो गयी। (व्यवधान) बात समाप्त हो चुकी है, स्थान ग्रहण कर लीजिये। आपको फिर मौका मिलेगा।(व्यवधान) आपको मौका मिलेगा, लेकिन आप अब स्थान ग्रहण करिये। नहीं-नहीं गुढ़ामालानी से आने वाले सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह हमारा शोषण मत करो आप। हम भी आपके बीच में आएंगे फिर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कर लें। बात समाप्त हो गयी। बात समाप्त हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : बोलना हम भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामप्रताप कासनिया, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, आप विराजें हो सही। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस सदन के अंदर जो अभिभाषण दिया है मैं उनके प्रति आभारी हूं। अभिभाषण.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो मंत्री रह चुके हैं, आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप विराज जाएं देखिये, आप मुझे मजबूर न करें। (व्यवधान) अब आप बैठिये। बैठिये। आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण नहीं करना है तो बाहर चले जाइये, नहीं तो स्थान ग्रहण कर लीजिये। एक काम तो करिये। रामप्रताप कासनिया, या तो बोलिये वरना मैं दूसरा नाम पुकारूं। नहीं तो मैं माहिर आजाद साहब को बुला दूंगी। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : आप विराजो तो सही, साहब, आप पैरों पर हो, मैं कैसे बोलूं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलना चाहते ? रामप्रताप कासनियां, आप नहीं बोलना चाहते तो क्या माहिर आजाद को मौका दूं ? क्या मैं माहिर आजाद को मौका दूं ? आप या तो बोलिये, नहीं बोलेंगे तो मैं माहिर आजाद साहब को मौका देती हूं।(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : राज्यपाल महोदय ने इस सदन के अंदर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गयी। चर्चा समाप्त हो चुकी है। उनका भाषण प्रारम्भ हो गया। कृपया सुनिये आगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : राज्य सरकार की मंशा.... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यदि किसी बात का जवाब नहीं दे तो फिर हम करेंगे क्या ? हमारे पास कौनसा तरीका है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों के मुताबिक आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। नियमों के मुताबिक आप आजाद हैं, कोई भी तरीका अपनाइये। नियमों के अंदर काम करिये। बिराजें आप। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामप्रताप कासनिया : राज्यपाल महोदय, ने जो अभिभाषण दिया है, राज्यपाल महोदय ने, इस अभिभाषण में रोड का जिक्र किया है कि 500 से कम आबादी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गयी। इनका भाषण प्रारम्भ हो गया। कृपया सुनिये .. (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या यह तरीका अपनाना पड़ेगा हमको ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों के तहत कोई भी तरीका अपना सकते हैं। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में रोड का जिक्र किया गया है कि 500 से कम आबादी वाले... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिहं मिर्धा : सफेद मूसली बेचो आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लकडियां बीनो जाकर, लकडिया बीनो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे नहीं बोलेंगे आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब तो देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह हमारे समय को क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप क्यों कह रहे हो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : लकडिया बीनो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उनकी उम्र का ध्यान रखिये। आपको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए और आपको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यह बीच में कहते हैं तब मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : यदि सदन में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, आप अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। यहां पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको भी नहीं कहना चाहिए और आपको भी नहीं कहना चाहिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, जब से सत्र चालू हुआ है रिछपालजी का मुंह उतरा हुआ है। वह सोच रहे हैं कि मैंने गलत डिसिजन ले लिया है, अगर सही डिसिजन लिया होता तो आज इधर ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे होते। इसलिए इनका मुंह उतरा हुआ है।

श्री रामप्रताप कासनिया : क्या बोलूं मैं ऐसे, बीच-बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वह तो आपकी मेहरबानी है। ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह डिसिंजन जनता ने दिया है, 120 सीट दे दीं आपको। आप अभी भी इधर आ सकते हो, ले लेंगें आपको।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं कोई निवेदन नहीं सुनूंगी, मैंने नाम पुकार लिया, वही बोलेंगे अब।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : स्थगन प्रस्ताव पर मेरा नाम था।.. (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, 500 से अधिक जनसंख्या के गांव, 8969 गांव जो 2007 में पक्की सड़क से जोड़े जाऐंगे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सदन नियमों से चलेगा, आसन की व्यवस्था के मुताबिक काम करना पड़ेगा आपको, आपका नाम होगा उसमें तो... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : स्थगन प्रस्ताव पर नाम था।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये, आपको जो कुछ कहना हो, आप स्वतंत्र है, जो आपको मर्जी हो करिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : इसके अलावा इस अभिभाषण में नौकरी पर पाबंदी लगी हुई थी, उसको सरकार ने जो हटाने का निर्णय लिया है यह सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या है, सीपेज है, जिसके लिए इस सदन में पिछले पांच साल से पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में 8 वर्ष तक मैं लगातार प्रयास करता रहा। अंत में माननीय शेखावत साहब ने एक कमेटी सेम की समस्या का समाधान करने के लिए बनायी जिसका अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अध्यक्ष, माननीय कपूर साहब को नियुक्त किया गया। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि सेमग्रस्त एरिया...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कपूर साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि सेमग्रस्त क्षेत्र के इर्द-गिर्द जो नहरें है, वहां पर ट्यूबवैल लगा कर पानी नहर में डाला जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस निर्णय का विरोध किया। पूर्व मुख्य मंत्री श्री भैंरोसिंह जी शेखावत ने कहा कि आप टैक्निकल आदमी नहीं हो, आप इस बात को समझते नहीं हो, कपूर साहब बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, आप इनकी बात मानो। मैंने वो बात मान ली, ट्यूबवैल लगे। पर जो मैंने दोषारोपण पहले किया था, वही बात हुई। वे ट्यूबवैल कामयाब नहीं हुए। उनके ऊपर बिजली के कनेक्शन किये गये, वे ट्यूबवैल कामयाब नहीं हुए। उसके बाद मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि वह स्कीम कामयाब नहीं है, तब बड़ोपल गांव के अन्दर माननीय भैंरोसिंह जी पधारे और वहां पर मैंने एक सुझाव दिया कि ड्रेन बना कर पानी पम्पिंग करके नाली बैड में डाल दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। कपूर साहब भी मौके पर गये हुये थे। पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने कपूर साहब से पूछा कि क्या यह हो सकता है ? तो उन्होंने कहा, कुछ 50 परसेंट तो इसमें सहयोग हो सकता है ? तो उन्होंने कहा, कुछ परसेंट तो इसमें सहयोग हो सकता है। तब मुख्य मंत्रीजी ने मौके पर निर्णय लिया कि इस ड्रेन को खुदवाया जाए और उस पानी को पम्पिंग करके नाली बैड में डाल दिया जाए।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से 5-6 महीने बाद सरकार चली गयी। पर उसमें जो ड्रेन बनी थी, वे जो पम्पिंग स्टेशन लगे थे, वह स्कीम बड़ी कामयाब रही और उसी वर्ष हजारों बीघा जमीन सेम से बाहर निकल गयी। जहां पानी पड़ा था वहां फसल लहराने लगी। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार आयी, बदले की भावना से बजट होते हुए, टेण्डर हुए थे, पैसे बाकी पड़े थे, उस स्कीम को वहीं बंद कर दिया। यह बिलकुल सच्चाई है। इसके अलावा करोड़ों रुपये लग कर जो नलकूप लगे थे, ट्यूबवैल थे, उनके कनेक्शन काट दिये और सारा सामान, बिजली के पाल उखाड़ने के लिए टेण्डर करवाये। उसमें भी लाखों रुपये खर्च हुए। वहां के काश्तकारों ने लिखित में दिया एक्स.ईएन., एस.ई. के आफिस में, कि ये ट्यूबवैल आप क्यों उखाड़ रहे हो, तो ट्यूबवैल तो अभी तक नहीं उखड़े, सिर्फ मोटरें उठायी है और कनेक्शन काटे हैं। काश्तकारों ने कहा कि हम अपने खर्चे से ये ट्यूबवैल चला लेंगे। पर कांग्रेस सरकार टस से मस नहीं हुई और वे कनेक्शन काट दिये और समस्या ज्यों की त्यों हैं। कांग्रेस का पांच वर्ष शासन रहा, इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 35-40 गांव सेम की समस्या से उजड़े हुए हैं। इस सरकार में करोड़ों रुपये मौका देखने पर खर्च हो गये। अभी माननीय सिंचाई मंत्रीजी उस क्षेत्र में होकर आये हैं। मौका भी देखा है। उन्होंने मौके पर कहा कि ठीक है, हम इस समस्या का समाधान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कोई बहुत बड़ा खर्चा लगने वाला नहीं है, 5-6 करोड़ रुपये की स्कीम है सारी और 5-6 करोड़ रुपये तो इस सदन में हो। हल्ले में खर्च हो जाते हैं। एक हफ्ते अगर राजस्थान सरकार के मंत्री और सरकारी अधिकारियों के दौरे बंद कर दिये जाएं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, न कोई योजना बनायी, न कोई टैक्निकल बात। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मौके पर जो स्कीम लागू थी, जो चालू हुई थी उसके रिजल्ट आ गये। अब सिर्फ ड्रेन बनानी है और पानी पम्पिंग करके चाहे नाली बैड में डालो, चाहे सूरतगढ़ ब्रांच में डालों, उस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस योजना पर मौका देखने वाले प्रधानमंत्री तक पहुंच गये, हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मंत्री

(श्री रामप्रताप कासनिया)

और मुख्य मंत्रियों ने तो पता नहीं कितनी बार मौका देख लिया। मैं सोच कर हैरान हो जाता हूं कि जितना पैसा दौरों पर खर्च हुआ है अगर उतना पैसा इस समस्या के समाधान पर खर्च हो जाता तो रिजल्ट आ जाता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री महोदय आये थे, वहां अलग-अलग जगह सर्वे हो रहा है, एस्टीमेट बन रहा है, योजनाएं बन रही है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समस्या का समाधान चाहता हूं। यह पीड़ा है। आप वहां जाकर देखें। जिस भूमि में सैंकड़ों मण अनाज बीघा का पैदा होता था आज वहां हालत यह है कि लोगों के पास न खाने के लिए अनाज है और न पशुओं के लिए चारा है। लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार ने रायसर के अन्दर कुछ पैसा दिया जिससे भी समस्या का समाधान हुआ है। बात बार-बार बजट पर आकर अटकती है। बजट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पांच छः करोड़ रुपये खर्च करना राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है।

(17:00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अन्दर कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अवियाना 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिय और हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाने का भी प्रावधान कर दिया। (व्यवधान) अभी नहीं, कांग्रेस के राज में। जो सच्ची बात होगी मैं वही बात कहूंगा।

राज्य सरकार ने सिंचाई पटवारियों के पद समाप्त किये जिसके कारण से किसानों के तीन-तीन आवियाने इकट्ठे हो गये। राज्य सरकार ने आवियाना वसूल नहीं किया। फिर एक बार नरमें की फसल खराब हुई और नरमें की फसल खराब होने के बाद कांग्रेस सरकार ने एक नरमें का मामला माफ किया। उसके बाद लगातार अकाल पड़े और अब आवियाना इकट्ठे हो गये छः सात। अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों की हालत बहुत दयनीय है, इतना सारा पैसा एक साथ भरने में काश्तकार सक्षम नहीं है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आवियाना है काश्तकारों का, उसको माफ

(श्री रामप्रताप कासनिया)

किया जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ से काश्तकारों के गीत गाये जा रहे हैं, मैं काश्तकारों के हक में राज्य सरकार को तभी समझूंगा जब हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, चाहे कोई जिला हो, आवियाना माफ करें। तो यह संवेदनशील सरकार है, काश्तकारों के हित की सरकार है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करुंगा। यह मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कांग्रेस ने जो कार्य किये हैं वह मैं बखान करना चाहता हूं। हमारे जिले के अन्दर टी.सी. से पुख्ता अलाटमेंट होता था।...

(समय-समाप्ति -सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपके 60 मिनट हैं। अब आप भाषण कनक्लूड कर दीजिए, खतम कर दीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, एक मुरब्बे की कीमत थी एक लाख रुपये कांग्रेस सरकार ने चार लाख रुपये कर दी। इसी तरह से राय सिक्खों का आबटन था, जो पुराने कब्जाधारी थे, पाकिस्तानी से आये थे, बी.जे.पी. सरकार ने उनको एक लाख पच्चीस हजार रुपये में मुरब्बा आबटन किया। कांग्रेस सरकार ने उनके पांच लाख रुपये प्रति मुरब्बे के हिसाब से लगा दिया। उनकी कोई गलती नहीं थी। कुछ काश्तकारों को तो एक लाख पच्चीस हजार रुपये में मुरब्बा आबटन हो गया। जो शेष बच गये उनकी गलती नहीं थी, राज्य सरकार की गलती थी। अलाटमेंट कमेटी ने जानबूझकर मीटिंग नहीं बैठायी। अब जो लोग वंचित रह गये उनके पांच लाख रुपये लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, यही हालत बालिग पुत्रों की है। बालिग पुत्रों का आबंटन जो शेष रह गया उसके भी चार लाख रुपये प्रति मुरब्बे के हिसाब से लग रहे हैं, जबकि उनके साथ वाले बालिग पुत्रों को एक लाख के अन्दर मुरब्बा आबंटन हुआ है। एक ही राज्य के अन्दर एक ही श्रेणी के काश्तकार और उनके साथ इस तरह का भेदभाव। एक आदमी को एक लाख रुपये में मुरब्बा आवंटन होता था और उसी श्रेणी के आदमी को चार लाख रुपये में आबटन होता है। यह कहां का न्याय है ?

(श्री रामप्रताप कासनिया)

अध्यक्ष महोदय, समय का अभाव है। मैं इसके अलावा निवेदन करना चाहता हूं, यहां भ्रष्टाचार का बहुत जिक्र होता है, बहुत चर्चा होती है। भ्रष्टाचार कैसेट होता है। अभी सब माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, सबको पता है कि चुनाव के अन्दर जिस तरह के हथकण्डे, जिस तरह के हालात हो गये हैं, कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगी, गांवों के अन्दर लोगों को जीपें तक दी हैं तोहफे में। कम्बल बांटे हैं और तरह-तरह के प्रलोभन दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अगर हालात रहे तो यह प्रजातंत्र नहीं बच पाएगा। कोई गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यह हकीकत है, बिलकुल सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें यहां कहूंगा तो लोग कहेंगे कि यह भुगतभोगी है। और हकीकत भी है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। एक-एक वोट के तीन-तीन हजार रुपये देकर उसके बच्चे को गोद में लेकर उसके ऊपर हाथ रखवाया है, यह हकीकत है। हमें प्रजातंत्र को बचाना है तो मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि चाहे केन्द्र सरकार को कहना पड़े चाहे चुनाव आयोग को कहना पड़े, इस व्यवस्था में कोई न कोई बदलाव होना चाहिए। इस तरह की जो हरकतें होती हैं उन पर पाबन्दी लगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर प्रजातंत्र को जिन्दा रखना है।

एक बात और कहना चाहूंगा, इसके साथ माफी भी चाहूंगा कि विधान सभा के अन्दर जो हल्ला हो रहा है, सदन का कीमती समय जो बरबाद हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलते-बोलते 15 मिनट से ज्यादा हो गये, 4.52 बजे आपने शुरू किया था अपना भाषण, अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो विधान सभा के अन्दर दो-दो घंटे अनावश्यक रूप से समय बरबाद किया जाता है, इसमें पक्ष और विपक्ष इस बात का जरूरी ध्यान रखें...

श्री अध्यक्ष : समय जो बरबाद होता है इससे मैं भी बहुत दुखी हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि झगड़े की जड़ प्रेस और मीडिया है। अगर किसी को हो-हल्ला, भाषण प्रेस के अन्दर मीडिया के अन्दर नहीं छपे, नहीं आए, आप एक हफ्ते तजुर्बा करके देख लें। मैं आपके माध्यम से प्रेस और मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह की हरकत जो सदन में करें उनकी एक भी बात आप नहीं छापें तो इस राजस्थान के हित में बात होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, इस 12वीं विधान सभा में महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से इस सरकार ने जो अभिभाषण इस पवित्र सदन में पढ़वाया...(व्यवधान) माननीय मदन दिलावरजी, अब आप मंत्री हैं, अब आप विधायक नहीं हैं ये ओछी हरकतें आप जो विपक्ष में रहते हुए करते थे वे छोड़ दें।

श्री मदन दिलावर : पहले भी मंत्री था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डाले। इन्हें भाषण देने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नयी सरकार ने सत्ता संभाली। लोकतंत्र में सरकारों की अदला-बदली होती रहती है। कल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आदरणीय वसुन्धराजी ने लगभग 22 हजार किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में की और सत्ता परिवर्तन के लिए माहौल पैदा किया। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे, तब जब पूर्व वित्त मंत्रीजी बोल रहे थे, कि यह धौलपुर से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, इनको पूछ रहा हूं कि यह परिवर्तन की लहर पूरे राजस्थान में चली मगर धौलपुर से शुरूआत हुई थी, धौलपुर में क्या हुआ ? धौलपुर में तो आपका रिजल्ट जीरो-जीरो रहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चारभुजा से शुरु हुई थी वह परिवर्तन यात्रा।

श्री बंशीलाल खटीक : परिवर्तन यात्रा शुरु हुई है, माननीय सदस्य आराध्य देव चारभुजा जी से, माननीय सदस्य जान लें (व्यवधान) जानकारी नहीं हो तो पूरी जानकारी ले लें, जानकारी लेकर बात करें(व्यवधान) परिवर्तन यात्रा चारभुजा जी से शुरू हुई, हमारे आराध्य देव चारभुजा जी से शुरू हुई। आप कहां की बात कर रहे हैं ? धौलपुर की क्या बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मुझे इनसे बचाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने स्थान पर बैठे रहिये, कहने दीजिये। गलत कहते हैं तो गलत कहने दीजिए। मैंने इन्हें करैक्टर कर दिया था ना।

श्री बंशीलाल खटीक : पूरे राजस्थान से धो दिया, धौलपुर की क्या बात करते हैं यह। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : यह एक कोने में सिकुड़ गये हैं इसलिए कह रहे हैं। चारों कोनों में घूमे राजस्थान के में और आपको एक कोने में घुसेड़ दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मदन दिलावर जी, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हर बार खड़ा होना आवश्यक नहीं है आपके लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : 33 की संख्या ज्यादा होती है या 56 की ? आप तो 33 की संख्या में आकर बैठे थे, हम 56 की संख्या में तो आये हैं।

श्री मदन दिलावर : अबकी बार 33 पर ला देंगे। हमने तो सोचा था.. (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीलाल : ++++ माहिर आजाद, 56 नहीं थे 53 थे। आप शामिल हुए थे, निर्दलीय थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अब की बात कह रहा हूं, अब की। आप बैठ जाओ। (व्यवधान) आपको मेरी बात समझ में नहीं आती।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको गणित का ज्ञान है क्या ? 156 में से आप आऐ हैं 56 और हमारे पास हैं 95/95 में से आये 33, गुणा-भाग कर लो, समझ जाओगे.. (व्यवधान) एवरेज निकाल लो कितना प्रतिशत है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तथ्यात्मक बात करें इस सदन में ।(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? (व्यवधान) बीच में समय खराब कर रहे हैं यह क्या चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : यह आप खराब कर रहे है कि हम कर रहे हैं ? (व्यवधान) आपने कितना बोलने दिया था ? नहीं बालने देंगे हम.. (व्यवधान) नहीं बोलने देंगे।(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : +++(व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : आपने कितना बोलने दिया था ? नहीं बोलने देंगे हम। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सत्ता में नहीं हो तो तड़प रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी :+++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह दादागीरी तो हो गयी इसीलिए अल्पमत में हो गये आप लोग। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह क्या कोई +++(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री हेमाराम चौधरी : (व्यवधान) यह क्या है, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप संयम में रहें। (व्यवधान) गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य आप मंत्री रह चुके हैं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संसदीय परम्परा के प्रतिकूल ही नहीं बल्कि अवांछनीय है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन शब्दों को जो इन्होंने कहे हैं, आप सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए। यह गलत बात है, आप संयम में रहें(व्यवधान) उनके भी करुंगी। पहल चूंकि इन्होंने की इसलिए पहले इनका करुंगी। आपको भी ऐसे अपना संयम नहीं खोना चाहिए। गैर जिम्मेदारी से कोई बोल देता है, बोलने दीजिए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी रखिये। आप सत्ता पक्ष में हैं, आपको संयम रखना चाहिए। कोई गैर जिम्मेदारी से बोल देता है तो वह स्वयं की ही तो संस्कृति को प्रकट करता है, आप क्यों चिन्ता करते हैं ? लेकिन राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपको बार-बार उठने की, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से बैठे रहें अपने स्थान पर। दूसरों को बोलने दें आप। हर बात पर क्यों उठ जाते हैं ? हर बात पर उठ जाते हैं आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : अजीर्ण है दिमाग का।

श्री बंशीलाल खटीक : इनको सभ्यता सिखाई जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे ज्यादा बार यहां आ गया, मैं सब सभ्यता जानता हूं। अपने आपको सीमा में रखिये। आसन से बात कीजिए (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहता हूं जो बोल रहे हैं इनको सभ्यता सिखाई जाए(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, संसदीय भाषा का इनको पहले ज्ञान दीजिए, यह अरे-तुरे बोलते हैं। कोई भी माननीय सदस्य अगर अरे तुरे बोले सदन में, यह परम्परा के खिलाफ है। इनको थोड़ी शिक्षा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह दुर्भाग्य है सदन का कि आप लोग चाहे जो कुछ बोल देते हैं यहां पर। आप ध्यान नहीं रखते है कि आप तीन-तीन लाख के प्रतिनिधि हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी से बोलते हैं आप लोग।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि पूर्व में प्रतिपक्ष के नेता पर जो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने झूंठ बोलने का आरोप लगाया था वह कृपया सदन की कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : कब लगाया था ?

श्री संयम लोढ़ा : जब यहां बिजली की चर्चा हो रही थी तब।

श्री राकेश मेघवाल : वहां जब ट्यूबवैल ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, जब सच्चाई है तो सच्चाई है। झूठ तो इनके पास थी सूचना। (व्यवधान) इनके माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी वह गलत दे दी। वह कार्यवाही से कैसे निकलेगा..? (व्यवधान) माननीय सदस्य जो वहां के रहने वाले हैं, माननीय विधायक हैं जब उन्होंने कह दिया कि वहां बिजली नहीं हैं, जब बिजली का कनेक्शन नहीं है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्पराओं का ज्ञान रखते हुए माननीय सदस्य सभ्य भाषा में बोलें। अरे-तुरे नहीं बोलें।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि झूठ शब्द असंसदीय है, लेकिन उसको अगर असत्य में बदल दें तो इनकी मांग पूरी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : झूठ तो वैसे ही असंसदीय है, वैसे ही निकल जाता है। होता ही नहीं है इसके अन्दर आपके। लिखा ही नहीं जाएगा, लिखा ही नहीं जाता। झूठ को जब कोई बोल देता है गलती से तो लिखा नहीं जाता।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय जब इधर से माननीय सदस्य बोल रहे हैं टोका टोकी हो रही है तो फिर उसको भी कहो आप।

श्री अध्यक्ष : कह तो रही हूं और क्या कह रही हूं ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कहां कह रही हो ?

श्री अध्यक्ष : कह तो रही हूं, और क्या कह रही हूं मैं ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जिस समय आपका चुनाव हुआ था उस समय आपने सदन में जो व्यवस्थाएं दी थी।

श्री अध्यक्ष : आप आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वह कहां गयीं व्यवस्थाएं अब ?

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं तो विराज जाऊंगा। आप कहेंगी तो हम तो विराज जाएंगे। आपके आदेश की पालना करेंगे हम तो।

श्री अध्यक्ष : माहिर आजादजी, आप बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य शुरू करुं उससे पहले मैं आसन से यह चाहता हूं, कृपया मुझे आसन संरक्षण दें। बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाए, क्योंकि कोई भी सदस्य इतने यहां बोले, मैंने कभी बीच में व्यवधान नहीं किया। मेरे को अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया है, मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकता।

श्री अध्यक्ष : आप कंटींयू रखिये। नहीं टोकेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं जो समझता हूं वहीं बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछली सरकार पांच साल तक राजस्थान में सत्तारूढ़ रही और उसमें अधिकांश समय भयंकर अकाल से सरकार को जूझना पड़ा। अब सरकार के सामने दो बातों में से एक विकल्प था कि या तो सरकार उन अकाल पीड़ित जनता को जिनको खद्यान्न मुहैया नहीं हो रहा था। जिनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया था, उस अकाल पीडित जनता को पेयजल सुलभ कराएं, उन पशुओं को जिनके लिए भूख का, चारे का संकट था, उस पशुधन को बचाने के लिए चारा उपलब्ध कराए या राज्य कर्मचारियों को वेतन के अलावा महंगाई भत्ता, बोनस और दूसरी ग्रेच्युटी और पी.एफ. देने का काम करें। मैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि काश उस वक्त माननीय अशोक गहलोत जी की जगह, कांग्रेस की सरकार की जगह आपकी सरकार होती तो आपकी प्राथमिकता क्या होती ? क्या आप अकाल पीडित... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : टी.टी. साहब, आप बहुत समझदार बुजुर्ग आदमी हैं, मेरी बात आप सुन लें।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की प्रथमिकता क्या होती ? क्या सरकार प्रदेश की लाखों-करोड़ों अकाल पीड़ित जनता के साथ न्याय करती ? या कर्मचारी जिनको वेतन तो मिल ही रहा था, उनको अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती ? इन दोनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या होती ? मैं समझता हूं, नैतिकता का तकाजा यह था, राजस्थान की जनता के प्रति आपका उत्तरदायित्व यह था कि आप उस अकाल पीड़ित जनता के साथ न्याय करें। वह पिछली सरकार ने किया। और केन्द्र में बैठी हुई सरकार, आज तो वसुन्धराजी कह रही हैं कि इतना पैसा हम एक महिने के अन्दर ले आये। केन्द्र में बैठी हुई सरकार भी चूंकि चुनाव सिर पर थे इसलिए राजनीति कर रही थी और जो सहायता देनी चाहिए थी वह राजस्थान की जनता को सहायता नहीं दी।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि आपने विपक्ष की नेता को राजस्थान में सड़क मार्ग से अकाल के क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिंये घुमाया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के महामहिम प्रधानमंत्री उस वक्त क्या कर रहे थे। जब राजस्थान की जनता अकाल से जूझ रही थी, वह कुल्लू मनाली के अन्दर छुट्टियां मना रहे थे। गर्मियों में आराम से दिन वहां पर गुजारने का काम कर रहे थे। जहां उनको... (व्यवधान) माननीय कालीचरणजी, मैं आपका वोटर हूं... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : करोड़ की सहायता की है केन्द्र सरकार ने.. (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 43,000 मैट्रिक टन गेहूं दिया, और साथ में... (व्यवधान) अगर अकाल के समय देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की सहायता नहीं करते तो आप काहे का प्रबंधन करते ? (व्यवधान) एक नया पैसा बजट में से दिया ? एक भी नया पैसा बजट में से दिया क्या अकाल में ? आप यह बताओ, अकाल में राजस्थान की सरकार ने कितना पैसा दिया अपने बजट से... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको पूछने का हक नहीं है।(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : जब राजस्थान के राज्यपाल ... (व्यवधान) तो यह सरकार क्या कर रही थी..? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : खाली असत्य बात कहकर... (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारुपाल : माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात सुनिये। अकाल में गेहूं आया वह केन्द्र सरकार ने भेजा और प्रधानमंत्री ने ही भेजा, आपको ध्यान नहीं है! (व्यवधान)

मोहम्मदर माहिर आजाद : मैंने यह पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहां थे और क्या कर रहे थे ? मैंने यह नहीं बोला कि आप.. (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : जब राज्यपाल महोदय यहां बीमार हुए थे, वह सरकार कहां थी ? (व्यवधान) जब राज्यपाल महोदय बीमार हुए थे तो यह सरकार कहां थी ? (व्यवधान) राज्यपाल महोदय, बीमार हुए और मर गये, तब यह सरकार कहां थी, यह बताओ आप ? (व्यवधान) राजस्थान के राज्यपाल महोदय जब बीमार हुए और उनकी मौत हो गयी तब यह सरकार कहां थी, इसका जवाब दो मुझे आप ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा समय गिना जा रहा है, यह क्या हो रहा है (व्यवधान) (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चला कर ही तो कर रहे हैं, नहीं तो शांति से सब लोग सुन रहे हैं। चलाकर प्रधानमंत्रीजी और गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं तो आप खा गये आधा.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रधानमंत्रीजी के नाम से... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप यह क्यों कह रहे हो, प्रधानमंत्रीजी कुल्लू मनाली में बैठे थे ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता क्या, प्रधान मंत्रीजी कुल्लू मनाली में बैठे थे ? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना भाषण समझकर जवाब दें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सदस्य महोदय, कृपया किसी बात को समझकर जवाब दें। इतना एकदम प्रधान मंत्री की.. (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अभी मालूम ही नहीं है कि कुल्लू मनाली भारत में है कि बाहर है। इनको अभी मालूम ही नहीं है कुल्लू मनाली कहां है। कुल्लू मनाली हिन्दुस्तान में ही है और भारत में ही थे प्रधन मंत्री... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, बार-बार राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें।

श्री बंशीलाल खटीक : किसी गांव में गये थे, किसी तहसील में गये थे। आम परिवर्तन यात्रा जैसे हमने गांव में घर-घर जाकर लोगों को पूछा, आप भी पूछते कि अकाल में हम क्या कर रहे हैं, गायें कितनी मर रही हैं। जानवर कितने मर रहे है। आपने पूछा है क्या कभी ? आपने गेहूं तो याद रखा। खुद खा गये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : आज भी आप नागौर के कलेक्टर को फैक्स करके पूछिये, गेहूं कितना बकाया है गरीबों का। (व्यवधान) अब हम को देना पड़ेगा।

श्री राईया मीणा : अब आप सरकार में बैठे हैं जांच करा लें। बार-बार असत्य कहने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : खुदा को हाजिर-नाजिर करके बोलना, आप जो भी बोलो,..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और इस अभिभाषण के पृष्ठ 3 को जरा आप देखें, इसमें लिख है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके जन-जन की सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। जनता को शक्ति, पावर टू पीपुल-यह एक नारा नहीं बल्कि हकीकत में क्रियान्वित होगा।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बढिया सरकार का विकेन्द्रीकरण आपने किया है, यह राजेन्द्रजी राठौड़, नाथूसिंहजी, शांतिलालजी चपलोत और कालीचरणजी से पूछें। माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास कितने विभाग हैं ? यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण है ? आपने तो अभी तक मंत्रिमण्डल ही अपना नहीं बनाया। आप तो 9 मंत्रियों से काम चला रहे हो..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : यह मुख्य मंत्रीजी और इनकी सरकार का है कि क्या करें, किसको क्या बनाएं, यह आपका मामला नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सत्ता का विकेन्द्रीकरण तो देखिये जरा आप...

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नाम लेकर अलग अलग जो बात कर रहे हैं, यह खुद ही व्यवधान डाल रहे हैं। यह सरकार का मामला है, यह हमारे मुख्य मंत्री महोदय का मामला है, यह आपका मामला नहीं है कि किसके लिये क्या करें। आप अपना भाषण दीजिये (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : यह आपसे पूछने के लिये नहीं है, हमारी मुख्य मंत्री अपने आप करेंगी। वह तो आपसे पूछने की जरुरत नहीं है। आपको इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : यह अन्दर की बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अन्दर की बात, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल : आप उसकी चिन्ता क्यों करते हो ? आप अपना अभिभाषण चालू रखो ना, समय निकल रहा है। हमारा भी नम्बर आने वाला है इसलिये आप इनको खुश करने के लिये कि राजेन्द्रजी का नाम लो, नाथूसिंह जी का नाम लो। यह हमारे मुख्यमंत्रीजी का काम है, हमारे नेता का काम है, आप हम पर छोड़ दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्या हो ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आपका नाम लें ? इनका नाम लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्या हो ? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम किसी का भी लेने की जरूरत नहीं है। आप तो अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके भाषण चालू रखिये..।(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके घर की मुख्यमंत्री हैं क्या? (व्यवधान) मुख्य मंत्री राजस्थान की हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कर्म वाणी और आचरण में समरूपता होनी चाहिये। आप लिख रहे है, सरकार के विकेन्द्रीकरण की और आप पावर को केन्द्रित कर रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा है कि हमको सत्ता सौंपी। आप जरा यह तो विचार मंथन कर चुके हैं क्या कि यह सत्ता आपको राजस्थान की जनता ने सौंपी कि यह सत्ता आपको राजस्थान के कर्मचारियों के नाते मिली ? या यह सत्ता आपको जैसा राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि माननीय तोगड़ियाजी के कारण या त्रिशूल पर प्रतिबंध लगाने के कारण मिली ? इसमें से एक कारण कोई आपने तय कर लिया क्या कि यह सत्ता आपको किसलिये मिली...? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : तोगड़ियाजी का नाम न लें, फिर कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : कर्मचारी भी जनता में शामिल हैं। (व्यवधान) जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार...

श्री बंशीलाल खटीक : तोगड़िया जी का नाम न लें, मैं सीधी कार्यवाही के लिये आतुर हो जाऊंगा। हां, कह रहा हूं तोगड़िया जी का नाम न लें। तोगड़ियाजी का नाम लेना भारी होगा। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, तोगड़ियाजी का नाम न लें... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : तोगड़ियाजी का नाम न लें।(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी) : राजस्थान के कर्मचारी भी चुनावी प्रक्रिया में है.. (व्यवधान) इसलिये उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिये। सरकार बनाने में सरकारी कर्मचारी की भूमिका है, इसलिये बार-बार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप पहले अपना स्थान ग्रहण करिये। मैं आपको पूर्व में भी कह चुकी हूं। फिर आपसे अनुरोध कर रही हूं कि हर बात हर समय आपका खड़ा होना उचित नहीं है, नियमों के विपरीत है। आप विघ्न न डालें, आप बीच-बीच में व्यवधान पैदा न करें। आप अपने स्थान से नहीं उठेंगे।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बात इसलिये कही... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों उठ रहे हैं, बोलने दीजिये उन्हें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने यह बात इसलिये कही कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है..

श्री अध्यक्ष : अब आप संगठन पर न जाइये। आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बात कीजिये, संगठन पर न जाइये। आप इनके संगठन पर मत जाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यह फितरत है कि ये राज के लिये राम को भी भूल जाते हैं। अगर ये तोगड़िया जी के प्रति इतना प्रेम जता रहे हैं, आपने राज्य कर्मचारियों पर से तो मुकदमा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वापस ले लिया, आपने तोगड़ियाजी पर से मुकदमा वापस क्यों नहीं लिया ? मदन दिलावरजी, आप इस सरकार के मंत्री बने बैठो हो, आपको तो शर्म आनी चाहिये। (व्यवधान) क्योंकि जो मुकदमा आपने लगाया है.. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तोगड़ियाजी का भी वापस होगा। यह सरकार तोगड़ियाजी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) बहुत विचित्र बात है कि आप बीच में खड़े हो जाते हैं। आप मंत्री हैं। याद रखिये इस बात को कि आप मंत्री हैं (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : इनकी आदत पड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : मैम्बर का नाम लेकर बोलेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। यह नाम क्यों ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए उन्हें, क्या बोल रहे है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अभिभाषण पर बात करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें। (व्यवधान)

श्री बन्ने सिंह राठौड़ : उन्होंने मंत्रीजी का नाम पुकारा था, इसलिए मंत्री जी बोले।

श्री अध्यक्ष : आप किसी का नाम लेकर क्यों बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, आप मत लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब नहीं लूंगा।

एक माननीय सदस्य : खां साहब, आप तोगड़ियाजी के बारे में क्या जानते हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बोल रहे हैं, देखिये।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी) : केवल नाम लेना जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं जानते।

मोहम्मद माहिर आजाद : तरीका सीखो कुछ, यह क्या हुआ ? (व्यवधान) यह क्या हो रहा है ?

श्री जालम सिंह : तोगड़ियाजी को बंद किया इसलिए कांग्रेस गयी। (व्यवधान) तोगड़िया जी को बंद करने वाले गद्दारों ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वातावरण शांत हो गया था। यह सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य यू-यूं हाथों को क्या करते हैं ? किसे डराते हैं आप यूं करके? (व्यवधान) यह क्या करते हैं आप ?

श्री संयम लोढ़ा : यह बोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब मैंने कह दिया राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को कि वह नहीं उठेंगे तो आप यूं-यूं हाथ करके क्या करना चाहते हैं? (व्यवधान) क्या करना चाहते हैं आप यूं-यूं करके ? क्या दिखाना चाहते हैं ? क्या ताकत दिखाना चाह रहे हैं आप यहां पर ? (व्यवधान) आप यूं हाथ ऊंचे करके क्या करना चाहते हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : क्या करना पड़ता है ? यह कोई कुश्ती का मैदान है क्या यहां पर ?क्या करना चाहते हैं आप इस तरीके से यूं-यूं हाथ करके ? क्या करना चाहते हैं आप ? (व्यवधान) जब आप ऐसा करेंगे तो वह पक्ष भी करेगा। (व्यवधान) आप क्यों उत्तेजित करते हो किसी को ? आप प्रारम्भ रखें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने भाषण में अनेकों बार इस बात का जिक्र किया कि पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को नम्बर एक करार क्यों दिया गया ? इनको उससे क्या परेशानी हुई, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये भूल गये और मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार ने साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने का काम किया, वह अच्छा नहीं था ? मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 23 लाख बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा पिछली सरकार ने यह कहकर कि जिस बाप के बेटा नहीं है या जिस बेटे का बाप नहीं है, सरकार उसकी माई-बाप है और उसकी बीमारी का इलाज राज्य सरकार कराएगी, 23 लाख परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर.. (व्यवधान) अब यह देखें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : यह सरासर असत्य बोल रहे हैं (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े होते हैं बीच में ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मसीहा कहलाने वाले बोल रहे है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको क्या परेशानी हो रही है ? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इन्होंने किस तरीके से बी.पी.एल. कार्ड का दुरूपयोग किया है, वह मैं आपको प्रमाण देना चाहती हूं। गरीबों को बी.पी.एल. मिलना था, कारों वालों को बी.पी.एल. दिया है इन्होंने यह सरासर गलत कह रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कुछ भी नहीं बोलने देंगे।(व्यवधान) क्या हो गया है यह ?

श्री हेमाराम चौधरी : इस तरह से इंटरप्ट करना, आपको मौका मिलेगा तब आप बताना।

श्रीमती सूयकान्ता व्यास : कार वालों को बी.पी.एल. दिया है आपकी सरकार ने। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : इसका जवाब भी आप देंगे या अध्यक्षजी देंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं आपको इसका प्रमाण दे दूंगी... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह जवाब आप देंगे या अध्यक्षजी देंगे ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका प्रमाण दूंगी, प्रमाण (व्यवधान) गरीब आदमियों के साथ आपने क्या अन्याय किया है, उसका प्रमाण मैं आपको दूंगी।

एक माननीय सदस्य : यह गुढामालानी का घोटाला हे, गुढामालानी का। (व्यवधान) गुढामालानी के डीलरशिप का घोटाला है।

श्री जालम सिंह : बी.पी.एल. का राजनीतिकरण किया गया था। वास्तव में बी.पी.एल. का कोई फायदा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या दिखा रहे हैं और आप किसकी अनुमति से लाये हैं यह अंदर ? आप क्या दिखा रहे हैं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : छूट है इनको।

श्री अध्यक्ष : किसी को छूट नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : छूट है इनको।

श्री अध्यक्ष : किसी को छूट नहीं है। सत्ता पक्ष से मैं फिर निवेदन कर रही हूं कि आप बीच में विघ्न न पहुंचाएं। उन्हें बोलने दें, अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्री जालम सिंह : बी.पी.एल. के राशनकार्ड हैं जो एक साल से इन्होंने विपरीत नहीं किये हैं (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जालमजी, विराजें।

श्री जालम सिंह : गुढ़ामालानी विधान सभा क्षेत्र के हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या लाये हैं ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) जालम सिंहजी, बैठ जाइये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जब वह नाम लेकर... (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि सदन में वाद-विवाद स्वस्थ रूप से चले।

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए माननीय सदस्य आपस में टोकें नहीं, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा। लेकिन आपसे भी करूंगा कि आप उत्तेजनात्मक बातें नाम लेकर न करें। करेंगे तो उसका जवाब देंगे। उचित यही होगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष या बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कह रहा था, इसमें क्या आपत्तिजनक है ? अगर आप पिछली सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं सुनना चाहते हो, क्या सारे ही गलत काम किये थे ? एक भी अच्छा काम नहीं किया था ? यह कैसेट चलेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हैं (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने दलितों के साथ अन्याय किया है, माहिरजी, दलितों के वोट से आये थे आप पिछली दफा। (व्यवधान)

श्री बन्ने सिंह राठौड़ : दवाइयां नहीं दी गयी हैं। यह बिलकुल सत्य है कि बी.पी.एल. तो यूं ही भटक रहा है... (व्यवधान) धंधा कर करके वह दवइयां ले रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अपनी बात कह देंगे। मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो आसन मुझे प्रताडित कर देगा, सजा दे देगा, लेकिन यह एक-एक खड़े हो रहे हैं, इनके स्प्रिंग लग रहे हैं क्या सीटों में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। आप सुबह से कर रहे थे न, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो, घनश्यामजी, आपको धन्यवाद दे रहा था।

श्री अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप अपने सत्ता पक्ष के सदस्यों को थोड़ा अनुशासन में रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरे नियंत्रण में हैं। आप उन्हें कहिये कि उन्हें प्रेरणा नहीं दें। वह प्रेरणा के स्रोत हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इनके नियंत्रण में हैं, इसका मतलब यही करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इनको कहें कि बीच-बीच में न उठें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह नहीं उठेंगे। प्रेरणा के स्रोत वह हैं, उसका प्रेरणा का स्रोत बंद होना चाहिए। उनको देख-देखकर इनकी इच्छा हो जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर हम इनकी प्रेरणा के स्रोत हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद। (व्यवधान) हमसे प्रेरणा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 23 लाख परिवारों को पिछली सरकार ने उनके उपचार के लिए जो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी, क्या यह नम्बर एक के लिए काम नहीं था ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, कोई असर नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो गम्भीर रोगी थे, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट का वाल्व चेंज करने के लिए और दूसरें रागों के उपचार के लिए भी मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से लाखों-करोड़ों रुपयों की सहायता राजस्थान के लोगों को मुहैया करवायी गयी, क्या यह नम्बर एक आने के लिए काफी नहीं था ? मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आप 6 विश्वविद्यालय छोड़कर गये थे, क्या पिछली सरकार ने 12 विश्वविद्यालय नहीं किये ? शिक्षा के क्षेत्र में यह अनुकरणीय काम किया, इस काम से आप संतुष्ट नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जो बिजली का उत्पादन पिछली सरकार ने 1750 मेगावाट बढ़ाया था, जिस बिजली की आप दुहाई दे रहे हैं, क्या पिछली सरकार का यह काम अच्छा नहीं था ? किन -किन उपलब्धियों को आप रोकेंगे ? लेकिन यह आने वाली सरकार को बजाय नया कोई काम करने के, मुझे याद हो रहा है और आपको भी पता होगा कि एक क्लास रुम में एक अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर एक लाईन खींच दी और बच्चों से कहा कि इस लाइन को छोटा करो तो घनश्यामजी जैसा कोई आया और उसको हाथ से छुपा लिया कि छोटी हो गयी। टीचर ने कहा कि ऐसे छोटी नहीं होती है। कोई आया उसने उससे बड़ी खींच दी कि छोटी हो गयी। अध्यापक ने कहा कि अगर इसको छोटी करना चाहते हो तो इससे बड़ी खींच दो। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अगर कोई नया काम आप करना चाहते तो आपकी उपलब्धि मानते। आपने तो जो पिछली सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय अलग था, डीपीईपी का अलग था, लोक जुम्बिश का अलग था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग था, पिछली सरकार की एक सोच थी कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले लोगों को अलग-अलग कार्यालयों में नहीं भटकना पड़े, एक ही छत के नीचे स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी शिक्षा संकुल केन्द्र की स्थापना की, आपने नया बनाने के बजाय उसी का नाम बदल दिया। इस सरकार की मानसिकता देखिये, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, आपने जयपुर में नगर निगम का भवन बनाया और उसका नाम आदरणीय पंडित दीनदयालजी उपाध्याय के नाम पर रखा। कांग्रेस सरकार की मानसिकता भी अगर आपके जैसी ओछी होती तो हम भी पांच साल सत्ता में रहे, हम भी उसका नाम बदलकर और किसी कांग्रेस के नेता के नाम पर कर सकते थे। लेकिन हमारी मानसिकता में और आपकी ओछी मानसिकता के अंदर फर्क है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)
मैं मानता हूं कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षाविद् थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। अगर आपको उनके नाम और ही कुछ करना था तो अलग से कोई निर्माण करवाते। हमारे किए हुए कामों को आप केवल नाम बदल करके, उसका नाम बदलने से, राजीव गांधी ने इस देश के लिए जो कुर्बानी की है, उन कुर्बानियों में जरा भी कमी नहीं आ सकती, राजीव गांधी का नाम इस देश में अमर है और अमर रहेगा, यह मैं आपको कह देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठो ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप ये देखिये, वाजपेयी जी का नाम लें तो तबियत खराब, राजीव जी का नाम लें तो तबियत खराब, मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, कुछ तो शर्म करो।

श्री कालीचरण सर्राफ : जिस पार्टी ने .. (व्यवधान) उसी पार्टी से आपने समझौता किया। राजीव गांधी के हत्यारों से आपने समझौता किया।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : खुद ही समझौता कर लिया। इटली चले जाओ आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब बताओ, क्या करुं मैं इनका ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : राजीव गांधी के हत्यारों से समझौता कर लिया।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिन राजीव गांधी का नाम ले रहे हैं, उनके हत्यारों से तो आपने समझौता कर लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो विराजिए। आप तो +++ आपकी तो बात ही अलग है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : (संसदीय कार्य मंत्री) : यह एक्सपंज किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आप +++ हैं।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने कहा है कि आप +++ इन शब्दों को एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक्सपंज कर दिया जाए। यह इनकी ओछी बात बोलने की आदत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस +++ को पता ही नहीं है, यह +++ इनको पता ही नहीं है, हम +++

एक माननीय सदस्य : माफी मांगे आप।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : पाकिस्तानी बनकर देश में नहीं रह सकते है, माफी मांगनी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माफ कर दो आप लोग। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक्सपंज कर दिया फिर क्या बात है ?

एक माननीय सदस्य : माफी मांगिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माफी मांग ली, फिर क्या बात है ? क्या माफी मांगे ? कोई माफी नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ बहुत बड़ी बात होती है।

श्री कालीचरण सर्राफ : +++ कहकर हम सब लोगों को अपमानित किया है। इनको प्रताडित किया जाना चाहिए। +++ कहने वालों को प्रताडित किया जाना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल्ला साहब, अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज कर दिया है वह तो ठीक है, लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रकार से बोलते हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनके लिए यह ठीक नहीं है, इससे उनकी प्रतिष्ठा कोई बढ़ेगी नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी टोक रहे हैं बीच-बीच में, मुझे बीच-बीच में टोक रहे हैं। मतलब कोई अच्छी बात नहीं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री का नाम लिया तो आपत्ति हुई, मैंने हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम लिया तो आपत्ति हो, तो मैं नाम किस का लूं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह +++ है, इनको लेने दो (व्यवधान) पर आप संजय गांधी के हत्यारे नहीं कह सकते इनको ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप विराजें।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाते रहो। हमने तो 1993 से सदन देखा है, ऐसा सदन नहीं देखा है, चाहे जो खड़ा हो जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप कया कर रहे हो ? बैठिए आप, अभी आप क्या कर रहे हैं ? बैठिए आप। (व्यवधान) अपने आपको देखो।

श्री श्रवण कुमार : इस तरह से सदन चलने का नहीं लग रहा है, चाहे यह कहें, चाहे वह कहें। चाहे इन्होंने +++ कहा है तो गलत कहा है और उन्होंने अगर राजीव गांधी को कुछ कहा है तो गलत कहा है। मैं यह नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

कहता सदन चलाना दोनों तरफ की जिम्मेदारी होती है, पक्ष और विपक्ष को चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। मैं यह नहीं कहता कि आप ठीक कह रहे हैं या ये ठीक कह रहे हैं, परन्तु सदन की गरिमा है उसको गरिमापूर्ण तरीके से चलाया जाए। यह गलत बोलते हैं तो भी गलत है और हम बोलते हैं तो भी गलत है। पर सदन की कार्यवाही इस तरह से चले, बड़ी शर्म की बात है।

एक माननीय सदस्य : अभी आप क्या कर रहे हैं ?

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान की पांच करोड़ जनता ने फैसला किया है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। इसका फैसला राजस्थान की 5 करोड़ जनता करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि सदन चले।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कम बोला है, छह करोड़ माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी) (करणपुर) : पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन पहले आपको है, बोलने वालों का वैल में आना बंद कर दो तो यह सब बंद हो जाए। सारे ठीक हो जाएंगे।

श्री श्रवण कुमार : चाहे जो बोलते हो, चाहे जो करते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु 3 की अंतिम पंक्ति में लिखा है कि हमारी सरकार ने समयबद्ध विभिन्न क्षेत्रों की जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है जिन्हें 100 दिवस, 1 वर्ष व आगामी 5 वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि जरा यह तो आप कृपा करके बता दें, क्लेरिफिकेशन दें कि इनमें से कौन-कौनसी योजनाएं, काम तो आप 100 दिन में पूरे करेंगे, कौन-कौनसे काम आप। 1 वर्ष में पूरे करेंगे और कौन-कौनसे काम आप 5 वर्ष में करेंगे ? माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, कृपया आप यह बता दें कि इनमें से 100 दिन में कौन-कौनसे काम करेंगे, और माननीय अध्यक्ष महोदय इनके ये 100 दिन कब से शुरू होंगे ? जिस दिन से इन्होंने जनपथ पर शपथ ली उस दिन से शुरू होंगे या इन्होंने जिस दिन सरकार बनाई, उस 1 जनवरी से होंगे ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी) : पहले 100 दिन में कांग्रेस को लोक सभा में साफ करेंगे।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : डांगावासजी, मैं जानता हूं कि किसको सम्बोधित करना है, किसको नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष : आप लोग बीच में उठकर व्यवधान पैदा करते हैं, बोलने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं, राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है, कृपया यह तो बतातें कि आपके ये 100 दिन कब से शुरु हुए, जिस दिन सरकार ने शपथ ली थी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिस दिन आपकी सरकार के 100 दिन पूरे हुए।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है तो फिर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पूरे साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का महामहिम राज्यपाल महोदय से इसमें उदघोषित करवाया है तो आज 45 दिन, 50 दिन तो हो गये, इसमें जितने हिस्से। महीने के बनने चाहिए थे, आठ हजार दौ सौ और कुछ, तो 45 दिन में आपने क्या एक भी नौजवान को रोजगार दिया क्या ? क्या आपने इसमें 100 दिन का विजन शुरू किया ? इसमें से उपलब्धि तो गिनाओ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे अभिभाषण को मैंने पढ़ा है। इस अभिभाषण में हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी, हम यह प्रस्तावित करते हैं, इन शब्दों को अगर निकाल लें तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि चुनाव घोषणा पत्र बनाने में जो बात रह गई, लोक सभा चुनावों में वापस राजस्थान की भोली-भाली जनता को मुगालता देने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से यह कोरी कल्पना और असत्य कथन करवाया है ताकि लोक सभा चुनाव में एक बार फिर आपको वोट मिल जाए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर केवल विरोध करने के लिए विरोध न किया जाए। कल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य पता नहीं कहां से आंकड़े पेश कर रहे थे, अपराध इतने बढ़ गए, यह हो गया, वह हो गया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी यहीं विराजती थीं, उस समय यही चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जब सुमेधा दुर्लभजी का अपहरण हुआ और राजस्थान की सरकार ने सकुशल उनको वापस घर पर लौटाया था तब ये ही चूरू से आने वाले सदस्य यहां पर खूब भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सुमेधा दुर्लभ जी को आप वापस सकुशल ले आये। कितनी जल्दी आदमी के नजारे बदल जाते हैं। कल यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने श्लोक सुनाया था, मेरे मित्र मावली से आने वाले माननीय सदस्य भी एक श्लोक सुना रहे थे, जरा मेरा भी एक शेर मुलाहिजा फरमाएं आप। एक शायर ने सही कहा है-

" नजर से नजर में उतरना कमाल होता है,
नफस से नफस में निखरना भी कमाल होता है,
बुलन्दियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है,
बुलन्दियों पर टिके रहना कमाल होता है।"

आप जहां पहुंचे हो, वहां पर 100 दिन भी टिक पाओगे, कितने दिन टिक पाओ, जरा पहले यह सोचो, उसके बाद आप बात करना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के मुख से जो अभिभाषण दिलवाया गया है, मुझे यह कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है, यहां युवा और खेल मंत्री नहीं है, अभी यहां टौंक से आने वाले माननीय सदस्य अपने भाषण में कह रहे थे, आप रिकार्ड उठा कर देख लें कि कांग्रेस एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटी को भुगालता देकर उनके बोट बटौर लेती थी। उब माइनोरिटी एस.टी. ने इनको वोट दिया है, यह बात आप कह रहे थे, उसका इनाम आपने यह दिया है कि इस पूरे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैं चुनौती देता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयाग तक भी इस सरकार ने करने की कोशिश नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमानों के प्रति मानसिकता क्या है वह तो जगजाहिर है, लेकिन मावली से आने वाले माननीय सदस्य, आपने कम से कम माननीय गुलाबचंदजी कटारिया का तो खयाल किया होता,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जैनों को भी आपने अल्पसंख्यक में जोड़ दिया, उन्हीं के नाते इसमें कहीं अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कर लेते। थोड़ा-बहुत तो आपको कम से कम इसमें सोचना चाहिए था। (व्यवधान) आप कौन हो, बीच-बीच में बोलते हो ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं..

श्री अध्यक्ष : वक्फ जायदादों के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा है, फिर कैसे कह रहे हैं आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 42 के पैराग्राफ 84 में इन्होंने सैनिक कल्याण के हैडिंग में कहा है कि पिछली सरकार ने जितने कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उन सैनिकों की विधवाओं को जो पैकेज था वह तो अधिकांशतः सबको दे दिया, यह तो सरकार ने अच्छा काम किया। अब ये कह रहे है, जयपुर के विद्याधर नगर में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए कितनी राशि आपने आबटित की है, कितने कमरे बनाएंगे, क्या इसकी योजना है, कितने बन गऐ, कब तक इसको पूरा कर लेंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह तो बता दें।

इसी पैराग्राफ 85 पर आपने वक्फ की हैडिंग लिख दी है और इस वक्फ में लिखा है कि वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण 31 मार्च, 2004 तक पूरा कराया जाएगा। (व्यवधान) सुन लें आप, एक मिनट। कब्रिस्तान में ही पहुंचाकर रहोगे क्या, महावीरजी, सुन लो ?

श्री अध्यक्ष : आगे पढिए, आगे भी पढ़िए।

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ रहा हूं इसके अतिरिक्त वक्फ सम्पत्तियों पर..

श्री कालीचरण सर्राफ : अभी तो आप कह रहे थे, अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अल्पसंख्यक वर्ड कहीं नहीं है पूरी किताब में।

श्री कालीचरण सर्राफ : तो फिर यह क्या है ? वक्फ बोर्ड किसका है ?

श्री अध्यक्ष : कब्रिस्तान किसका है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनें तो सही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सम्बन्ध में कहते, मदरसा बोर्ड के सम्बन्ध में कहते, उर्दू अकादमी के सम्बन्ध में कहते, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए कहते। उनके कब्रिस्तान की बात कह दी, अंतिम जगह जहां (व्यवधान) उससे पहले कुछ भी नहीं है क्या ? उससे पहले भी बहुत कुछ होता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हो।

एक माननीय सदस्य : बहुसंख्यक हो गये, आप अल्पसंख्यक नहीं हो, माहिर साहब।

श्री कालीचरण सर्राफ : हमने तो अल्पसंख्यक का एक सदस्य जीतकर आया उसको कैबिनेट मंत्री बनाया। पहली बार जीतकर आया उनको बनाया।

मोहम्मद माहिर आजाद : मजबूरी थी, मजबूरी। 2-4 नहीं थे, एक ही आता है।

श्री कालीचरण सर्राफ : एकमात्र विधायक जीतकर आया उसको भी कैबिनेट मंत्री बनाया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उसके लिए आपकी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद, अच्छे काम की तारीफ की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे लिखा है, " इसके अतिरिक्त वक्फ सम्पत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने तथा कब्रिस्तानों और श्मशनों की चारदीवारी बनाने, बिजली व पानी की व्यवस्था की जाएगी।" कहां से करोगे ? कहां से करोगे व्यवस्था ? कहां से पैसा आएगा ? (व्यवधान) एम.एल.ए., एम.पी. कोटे से इसमें सरकार का क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फल और सब्जी मण्डी बनाने के लिए कहा, इतने करोड़ रुपये से हम मुहाना में बनाएंगे। इन्होंने निर्यात संवर्द्धन पार्क के लिए कहा, और सब के लिए कहा। मैं पूछ रहा हूं, इसमें भी अगर कह देते कि इतने पैसे का प्रावधान करके यह काम करेंगे तो भाई क्या हो रहा था ? इसलिए ये केवल मात्र कहने की बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : वोट ऑन अकाउंट लाएंगे तब बताएंगे न आपको। उसका प्रोविजन होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या ?

श्री अध्यक्ष : वोट ऑन अकाउंट लाएंगे उसमें प्रोविजन करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार कह देगी अपने जवाब में यह बात। इसमें जो जाहिर हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसमें जो लिख रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी बात कह रहा हूं। जब वोट ऑन अकाउंट में प्रोविजन कर देंगे तो मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त कर दूंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका डाउट इसलिए है कि यह जिस पार्टी में हैं, वह कहती कुछ है करती कुछ है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, जो करती है वह कहती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह केन्द्रीयकरण कर रखा है न। अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य ने कहा कि एक बार मेरे मंत्री बनने की बात दुबारा कहो। क्या इनका यह कहना इंगित नहीं करता है कि सरकार ने विकेन्द्रीकरण नहीं किया, केन्द्रीयकरण कर रखा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके कहने से कौन मंत्री बना रहा है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं दुबारा दोहराता हूं कि कर्म, वाणी और आचरण के अंदर जो अंतर है उसको सरकार को दूर करना चाहिए। सरकार की विकेन्द्रीकरण की बात इस अभिभाषण में कही है तो जल्दी से मंत्रिमण्डल का विस्तार करें ताकि इन लोगों की जो शंका है उस शंका का समाधान हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने इसमें लिखा है..

श्री अध्यक्ष : आपको 50 मिनट के आसपास हो गये बोलते, अब आप समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें 40 मिनट तो व्यवधान हुआ है। 40 मिनट तो व्यवधान हुआ है, 10 मिनट मेरे खाते में आये हैं। 40 मिनट तो इनके खाते में चढ़ा दीजिए, 10 मिनट मेरे खाते में लिख दीजिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का समय समाप्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप कोई कंट्रोवर्सियल बात कहेंगे तो बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कांग्रेस का समय तो अब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड करिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, जब 2004 नए वर्ष की शुरूआत होने जा रही थी...

श्री अध्यक्ष : शुरुआत तो हो गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात तो सुन लें। नए वर्ष की शुरूआत होने जा रही थी और देश व प्रदेश की जनता इस नयी सरकार की तरफ टकटकी लगाए, आंखे फाड़कर देख रही थी उस वक्त इस सरकार ने क्या तोहफा दिया ? 31 दिसम्बर की रात को केन्द्र सरकार ने पैट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करके इस देश की जनता को तोहफा दिया और राजस्थान की सरकार ने जिसको आप पारदर्शी और पता नहीं क्या-क्या उपमाएं देकर कह रहे हो, इसने उपलब्धि क्या दी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान परिवार से आती हो, आप भी पशुपालक हैं, इन्होंने क्या उपलब्धि दी ? पिछली सरकार ने अकाल को देखते हुए जो खल और चूरी पर चार परसेंट टैक्स था उसको समाप्त किया था, इस सरकार ने नए साल में किसानों के ऊपर अभी तक अकाल की छाया मिटी नहीं है, अभी जब नयी सरसों और गेहूं की फसल आएगी तब जाकर किसान उबरेगा, वह चार परसेंट छूट खल और चूरी के ऊपर देते थे उस छूट को इन्होंने वापस ले लिया।

श्री अध्यक्ष : वह कर तो पूर्व सरकार ने बढ़ा दिया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने इसके अंदर कहा है, आपने मद्य निषेध और नशाबंदी की बात की है, मुझे आपके मुंह से यह बात कहने पर आश्चर्य होता है। आप तो बीयर बार के लाइसेंस के अंदर उस रोज कटौती कर रहे थे और इधर आप शराबबंदी की बात कर रहे हो। अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कर्म, वाणी और आचरण की समरूपता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

का आपका उदाहरण है कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे और एक लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो, हम कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर देंगे। जब 58 से 60 कर देंगे और कर्मचारी रिटायर ही नहीं होगा तो आप नई नियुक्ति कहां से दोगे ?

श्री कालीचरण सर्राफ : यह कहां लिखा है ? अभिभाषण में यह कहां लिखा है कि 58 से 60 करेंगे ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभिभाषण में नहीं लिखा, यह सरकार तो रोज तुगलकी फरमान जारी कर रही है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : असत्य बात मत बोलो। है क्या अभिभाषण में ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अपनी बात में खण्डन कर देना इसका।

श्री कालीचरण सर्राफ : अभिभाषण में है क्या ? रात को आपको सपना आया होगा। बता दो अभिभाषण में कहीं भी लिखा हुआ है तो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप हमारा सदस्य उठता है तब तो हमको कहते हैं कि कंट्रोल करो और ये बिलकुल अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं। इनके बारे में भी आप कुछ संसदीय कार्य मंत्री को बताइए कि कम से कम अपने माननीय सदस्यों को नियंत्रण में रखें।

श्री अध्यक्ष : मैं कई बार कह चुकी हूं, माननीय मंत्री को कह चुकी, इनको कह चुकी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोलें तब मेरी बात को कांट्राडिक्ट कर सकते हैं, इनको अधिकारी है, लेकिन बीच में टोकने का क्या तरीका हुआ।

श्री अध्यक्ष : कितनी बार तो कह दिया मैंने इनको।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आप कह दो कि यह गलत है। आप कह दो कि नहीं कर रहे हैं आप 58 से 60 । क्या दिक्कत आ गई आप लोगों को।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह कहां है, बताओ तो सही इस बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नट जाओ कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह बयान नहीं दिया कि हम सारे स्कूलों के अंदर पानी की व्यवस्था कर देंगे एक महिने के अंदर। क्या खाद्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा कि जितने कालेज में पढ़ने वाले छात्र हैं उन सबको रोटी बनाने के लिए हम कैरोसिन दे देंगे ? ये तुगलकी फरमान जारी मत करो। आप इसके लिए व्यवस्था करें कि आप दे कहां से दोगे। ये लोक-लुभावन घोषणाएं करके आप प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी आए, अहंकार नहीं करना चाहिए। आप याद करो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984 में आपके सांसद दो रह गये थे। यह जनता है। माथुर साहब कह रहे थे, 1984 में 25 के 25 एम.पी. कांग्रेस के आये तो 1989 में 25 के 25 विपक्ष के भी आ गये थे। यह जनता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शायर का शेर सुनाना चाहता हूं, एक शायर ने सही कहा है,

ओस कहते हैं आसमान को और पश्ती कहते हैं जमीन को
वो जो पश्ती के मकामात बदल सकते हैं,
देखते-देखते हालात बदल सकते हैं,
लोग तो वहीं रहते हैं, लेकिन खयालात बदल सकते हैं।

इस लोक सभा चुनाव में मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं... (व्यवधान)

(18.00 बजे)

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपके खयालात बदल गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मंत्री रहे हो, जरा कुछ तो सोचो, माननीय गर्ग साहब। आप मेरे पड़ोसी भी रहे हो, मेरे मित्र भी रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आप बीच-बीच में क्यों व्यवधान डालते हैं ? माननीय सदस्य, आप कम से कम इस बात का ध्यान तो रखिये, उनका भाषण समाप्त होने दीजिए नहीं तो वे बोलते चले जाएंगे। आप बीच में बाधा पहुंचाते हैं उनको।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में एक निवेदन कर दूं अगर आप कहें तो। मैं निवेदन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना मानकर हमने, पिछली सरकार ने रामस्वरूपजी को मंत्री बना दिया था, कि हाउस ठीक ढंग से चले। अब वह रामस्वरूपजी महावीरजी के रूप में दुबारा अवतरित हो गये, इनको मंत्री बना दो जल्दी से जल्दी तो कम से कम हम अपनी बात तो निर्भीकता के साथ, बिना विघ्न के कह सकें। इतना तो निवेदन कम से कम आप भी हमारा मान लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप हमें ये बददुआएं दे रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री बनाने की बददुआएं हैं ? आप कह दें, नहीं लेंगे। बस कह दो आप।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपनी बात कनक्लूड करिये। आप भाषण कनक्लूड करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने शेर भी सुना दिया, अब तो कनक्लूड करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, मै कनक्लूड कर रहा हूं।

देश की जनता परिवर्तन चाहती है। सरकारें परिवर्तित होती रहती है। अभी आप सत्ता में आये हो तो कोई पाजिटिव आस्पैक्ट से नहीं आये हो, आप नैगेटिव आस्पैक्ट से आये हो। पांच साल में आप कुछ पाजिटिव करके दिखाओंगे तब बनेगा।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सत्ता तो परिवर्तित की जनता ने पर आपने महिला को मुख्य मंत्री बनाया और आपने प्रथम बार राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में माननीय सुमित्रा सिंह जैसी अनुभवी महिला को भी इस आसन पर बिठाया। आपने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का जो काम शुरू किया है, इस देश की जनता भी आदरणीय सोनियाजी को प्रधान मंत्री बनाकर इस काम को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय धर्मपाल चौधरी ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदयजी को कि उन्होंने इस पवित्र सदन में पधार कर इस ऐतिहासिक अभिभाषण के माध्यम से अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा किया। यह नई सरकार का पहला अभिभाषण व राज्यपाल के रूप में महामहिम का पहला अभिभाषण था। आप 9 बार विधान सभा में जीतकर आई और आज पूरे देश में किसी भी विधान सभा में अध्यक्ष महिला नहीं है। आप राजस्थान की महिला के रूप में इस पद पर बैठी, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई।

आज हमारे 8 बार जीतकर आये और पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर इस अभिभाषण के ऊपर बोल रहे थे। कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने प्रशासनिक सुधार आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया था। मंत्री का दर्जा दिया शिवचरणजी को और उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी तैयार की। उस रिपोर्ट को मुख्य मंत्रीजी ने, पूर्व मुख्य मंत्रीजी की सरकार ने नहीं माना। मुख्य मंत्री जी ने अखबारों में भी कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग की मैंने रिपोर्ट दी थी जो इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं मानी। उन्होंने भी अपना दुख अखबार में प्रकट किया था। अब उन्होंने तो नहीं मानी, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने उसको पढ़ा और उसको पढ़कर उसे लागू करने की अपनी मंशा प्रकट की। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनीं और परिवर्तन यात्रा के रूप में उन्होंने सोचा। जिस तरह से माहिर आजादजी कह रहे थे, बड़ी तकलीफ है, उस समय भी कांग्रेस के लोग कहते थे कि 93 दिन में यात्रा 48 से 50 डिग्री का तापमान, यह महलों में रहने वाली रानी, ए.सी; में घूमने वाली रानी कैसे इस परिवर्तन यात्रा को पूरा करेगी। उस महारानी ने, उस वसुंधराजी ने 22 हजार किलोमीटर चलकर 93 दिन में लगभग 2 हजार गांवों का दौरा किया। इस राजस्थान की जनता ने रुबरु हुई और जगह-जगह जो भी शिकायतें मिली, बिजली के बारे में, अकाल के बारे में, उनको सुना। राज पर बैठते ही उनकी पहली सोच तो रही कि 30 दिन, 60 दिन, सौ दिन, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल क्या हमारी सरकार करना चाहती है, क्या हमारी सरकार की इच्छाएं हैं। भैंरोसिंहजी भी जब 33 पर आये थे, भारतीय जनता पाटी जब 33

(श्री धर्मपाल चौधरी)

सीट पर आई थी तो एक साल तक तो कांग्रेस के लोगों ने जो कुछ भी कहा, विपक्ष ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ गलतियां की उन गलतियों पर पछतावा करें, उन गलतियों के बारे में कुछ सोचें। कि हम 156 की जगह 56 क्यों आये। जब हम 95 की जगह 33 आये थे तो भैंरोसिंहजी ने उस बात को सोचा लेकिन आप लोगों ने नहीं सोचा। महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण में पहले ही रोज बिजली, सभी किसान थे, हम भी उधर बैठते थे, आप सत्ता में बैठे थे, क्या किया था आपने किसान के साथ ? पूरे पांच साल का रिकार्ड उठाकर देखिये। हमने तो मंत्रीजी से कहा था, घनश्याम तिवाड़ीजी से, बिजली मंत्री जी से कि सन् 1999 से लेकर अब तक आप एक-एक दिन का ब्यौरा दें इस सदन में और बिजली पर पूरी बहस हो तो पता लगे आपको कि आपकी ही कांग्रेस की सरकार ने किसान के साथ धोखा किया है। माननीय अमरारामजी ने भी कहा, पहले जो भी योजनाएं थी, चारा योजना थी या कोई योजना थी, जिनको रैगुलर करना था, जिनको नार्मल में करना था, आपने नहीं किया। उसके अलावा भी आपने दूसरे रास्ते निकाले, चोर योजना। चोर चन्द्रभान योजना चली आपके राज में, स्पेशल कनेक्शन में किसानों को ठगा। किसान 16 साल से बिजली के कनेक्शन के लिए...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ऐसी कोई योजना नहीं थी चोर चन्द्रभान कौन-सी योजना थी ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चन्द्रभानजी का नाम इस तरीके से लेना अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : रमेश खींचीजी, आपको भी सब पता है, अभी थोड़ा-सा इंतजार कीजिए, थोड़ा तसल्ली से सुनिये कि कौन कौन सी योजना थी। क्षमता रखें सुनने, की यह आपको भी पता है आपके क्षेत्र में। लेकिन ठीक है आप जीत गये। जीत गये तो अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं।

श्री मंगलाराम : काम किया जब ही तो जीतकर आये हैं।

श्री रमेश खींची : आप तो इनका सुविचार करो।

श्री मंगलाराम : पिछली सरकार ने काम अच्छे किये तब ही जीतकर आये हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : 156 में से 56 आये हो, हम पहले जो 32 विधायक थे... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : लेकिन आप इस अधिकार के साथ नहीं आये हैं कि आप किसी को चोर कहें।

श्री धर्मपाल चौधरी : योजना थी चोर योजना के नाम से। (व्यवधान) चोर योजना थी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : आप किसी रिकार्ड में हो तो बताइये। अगर किसी रिकार्ड में हो तो बताइये ऐसी कोई योजना । आप एक पूर्व माननीय मंत्री के बारे में इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यह अनुचित है।

श्री मंगलाराम : अध्यक्ष महोदय, जो चन्द्रभान चोर योजना के नाम से माननीय सदस्य ने बताया है उसको जरा एक्सपंज करिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : चन्द्रभान योजना कोई योजना नहीं थी, इन्होंने नाम लिया है।

श्री मंगलाराम : चन्द्रभान चोर योजना कोई योजना नहीं थी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : बार-बार यह बताया जा रहा है कि यह योजना थी। अगर कोई ऐसी योजना है तो उसको बताया जाए। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम : कनेक्शन दिये चारा योजना के नाम पर।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, वह चन्द्रभान चोर योजना नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज करिये।(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जब बिजली की कोई बात आती है, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य दिखाने में लग रहे थे वसंधराजी का और हमारा घोषणा पत्र, अभी हमारा राज आये ही 40 दिन हुए हैं, 40 दिन से हम राज में बैठे हैं, जबकि आपने पांच साल राज किया है। यह फोटो छपवाई, इस फोटो छपवाने में अशोक गहलोतजी जो माननीय मुख्य मंत्री थे, आपने किसान के

(श्री धर्मपाल चौधरी)

साथ सबसे बड़ा धोखा किया। आपने चुनाव लड़ते समय किसान को सस्ती बिजली देने की बात कही थी कि हम 37 पैसे पर यूनिट किसान को बिजली देंगे। क्या किया आपने किसान के साथ ? लगातार 8 घंटे बिजली मिलेगी। दी 8 घंटे बिजली आपने ? पांच हार्स पावर के कनेक्शनों के खंभे फ्री मिलेंगे, दिये आपने ? पांच साल में राजस्थान के किसान को बिजली के मामले में आपने ठगा। जो आपने 37 पैसे पर यूनिट की बात की, 94 पैसे पर यूनिट बिजली दी, घरेलू बिजली के दाम बढ़ाये। इस तरह से राजस्थान के उस गरीब किसान पर आपने 1400 करोड़ का बोझ लादा। और आज आपको किसान याद आते हैं। आपके किसान से कोई ताल्लुकात नहीं है। लोक सभा का चुनाव आ रहा है, ध्यान आपको वह आ रहा है। गरीब गांव का किसान नहीं आ रहा है। अगर गरीब किसान की आपको परवाह होती तो आप पांच साल के राज में जो बैठे हुए हैं, यहां मंत्री भी है, विधायक भी हैं उस समय जब हम उधर से खड़े होकर कहते थे, आज हमारे मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य ने अभी जो मांग की उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन पूरे चार पांच साल में कभी कोई हमने प्रस्ताव रखा तो कभी किसी का कोई जवाब नहीं मिला। हमारे मंत्रीजी ने तो आज आपको बता दिया कि बिजली हम कहां से लेंगे। हम बिजली कहां बेचेंगे या लेंगे, उसके बारे में आपको पूरा बताया। 200 करोड़ रुपये बिजली की तीनों कम्पनियों ने मांगे तो किसान के लिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये का इंतजाम किया। अब आप जैसे पूछ रहे थे कि कहां से किया, तो घर से लाये नहीं, 200 करोड़ रुपये का सरकार ने इंतजाम किया है। सरकार उन बिजली कम्पनियों को देगी। आज हम अलवर जिले से आते हैं या पूरे राजस्थान में, किसान को आज से 10 रोज पहले बिजली पूरी नहीं मिल रही थी लेकिन बिजली खरीदने की व्यवस्था करनी थी। सरकार ने बिजली खरीदने की व्यवस्था की। व्यवस्था करके 10 दिन से लगातार किसान को 8 घंटे पूरी बिजली मिलती है। शाम को चार घंटे बिजली मिलती है, दो घंटे सुबह मिलती है। जिस तरह से अमरा राम जी कह रहे थे कि पहले 24 घंटे आती थी, तो सरकार इस बारे में इंतजाम करेगी कि शहर की तरह गांवों में भी लोगों को 24 घंटे बिजली मिले। यह भेदभावी गांवों के साथ नहं होना चाहिए। लेकिन इसकी व्यवस्था करनी पडेगी। आज की डेट में कहां से मिले ...

श्री अमराराम (धोद) : बराबर कर दो शहर की और गांव की। यह तो कर सकते हो। पैदा तो नहीं कर सकते, बराबर कर दो दोनों को, सरकार है तो।

श्री धर्मपाल चौधरी : धीरे-धीरे जब अपन सभी गांवों के...

श्री अमरा राम (धोद) : धर्मपालजी, 56 साल हो गये, धीरे-धीरे में घटती जा रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : धीरे-धीरे अगर हम गांव के, अमरा रामजी, आप तो लगातार जीतकर आ रहे हैं, गांवों के किसान के नाम पर...

श्री अमराराम (धोद) : पांच साल में तो कर दोगे बराबर ?

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल में कर देंगे बराबर। सरकार से अभी अपन सभी जो गांवों से आये लोग हैं, सभी किसान वर्ग से हैं, अगर हम साथ बैठकर इस बात को रखेंगे कि हम गांव और शहर के लोगों को सब चीज बराबर मिलनी चाहिए तो 80 प्रतिशत जनसंख्या जो गांवों में रहती है, जो इस कांग्रेस को सबक सिखाया, अगर इसी तरह आगे लोक सभा में सिखाएंगे तो जो भी सरकार राज करेगी, उसे गांव के गरीब किसान की बात को सुनना पड़ेगा और शहर और गांव को बराबर करना पड़ेगा।

श्री जुबेर खान : अलवर में किसान नहीं रहते क्या जिन्होंने आप लोगों को सबक सिखाया ?

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, अब आपको इस बारे में हम क्या कहें, हम तो पूरे राजस्थान की बात करते हैं। आप पहले 7 थे, 7 बनकर आ गये, हम तीन थे तीन रह गये। कई जगह हमारे राजस्थान में जातिवादी माहौल भी है, कई जगह जातिवादी प्रथा की वजह से कई सीटें कमती-बत्ती हो गई होंगी बाकी 120 पर हमारी पार्टी पहली बार वसुंधराजी के नेतृत्व में आई है। हमारी पार्टी के लिए कहते थे कि राजस्थान में बहुमत में नहीं आ सकती, लेकिन पहली बार पूरे राजस्थान में वसुंधराजी के नेतृत्व में 120 सीटें हमको मिली हैं। हमारी सरकार की मंशा काम करने की है। हमने 100 दिन की कार्य योजना और अन्य योजनाएं बनाई

(श्री धर्मपाल चौधरी)

हैं उसमें चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो। पहले अभिभाषण हमने पढ़े भी और देखे भी हैं, आज अगर सड़कों के बारे में हम कहते हैं, तो गांवों में आज हाईवेज, फोर लेन, सक्सि लेन हैं, देश की आजादी के बाद में 43 साल तक कांग्रेस ने राज किया, कितने हाईवेज बनायें ? कितनी फोरलेन की सड़कें बनाईं ? लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री ने पहली बार सोचा और हाईवेज बनाये। दूसरा यह सोचा कि गांवों के का विकास बिना सड़क के नहीं हो सकता, इसलिए ग्रामीण सडक योजना निकाली। देश में राज तो बहुत समय कांग्रेस ने भी किया लेकिन गांवों के बारे में नहीं सोचा। इस देश के प्रधान मंत्री ने पहली बार गांवों में सड़क बनाने के बारे में सोचा और तब अभिभाषण के द्वारा आपको कहने लगे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 एवं उससे अधिक की आबादी के समस्त 8969 गांवों को सन् 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्य हाथ में लिया है। इस योजना में अब तक 1086.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिससे 9114 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 2562 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध 501.77 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है... (व्यवधान) यह जो लिखा हुआ है वह बता रहा हूं। यह भी सुन लो, इसको भी सुनने की क्षमता रखो। जब वो पढ़कर सुनाओ रहे थे सड़कों के बारे में आप लोग... (व्यवधान) अब ऐसा है, थोड़ी सुनने की क्षमता भी रखो।

(18.14 बजे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़, सभापति, पदासीन)

दूसरा, आपने 5 साल तक राज किया, कितने हास्पिटल खोले, कितनी भर्तियां की ? अभी जब शिक्षा के नाम पर बात होने लगी थी, राजीव गांधी के नाम पर बड़ा शोर शराबा हुआ कि राजीव गांधी के नाम को हटाकर आप नाम बदल रहे हो। आपने राजीव गांधी पाठशाला के नाम पर पाठशालाएं तो खोली, लेकिन उनमें 8वीं पास, 10वीं पास, अनट्रेंड टीचर लगाये। गांवों के लोगों को क्या शिक्षा आप देना चाहते थे ? कि गांव में पढ़ने वाला गरीब बच्चा सिपाही और चपरासी से ज्यादा न बने ? शहरों के मास्टरों के कोई पद खाली नहीं और गांवों में पढ़ाने वाला मास्टर नहीं, गांवों के हास्पिटल में डाक्टर नहीं, ऐसी सारी समस्याएं पांच साल तक आपके राज में रहीं। हमारी मुख्य मंत्री और

(श्री धर्मपाल चौधरी)

हमारी सरकार की पूरी मंशा है हम हर क्षेत्र में विकास का काम करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अभी सुपरफास्ट स्पीड से माहिर आजादजी कह रहे थे, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर नये नये कांग्रेस में आये और उससे पहले जनता दल में थे, घूमते-फिरते रहते हैं और घूमते-फिरते कहने लगे कि दो महिला मुख्य मंत्री बन गईं अब इटली की रानी भी बन जाएगी। यहां पर कोई बात कह देते हैं, लेकिन इस देश में 100 करोड़ की जनसंख्या है, क्या भारत वर्ष का कोई आदमी इस पार्टी में नहीं है जो देश का प्रधान मंत्री बन सके ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, अब हमें नहीं टोकोगे फिर। हमें यह नहीं कहोगे कि अटल बिहारीजी का नाम न लें, लालकृष्ण आडवाणीजी का नाम न लें। यह नहीं कहना चाहिए उस समय...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप लोग बार-बार यह कहते हो... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इटली की रानी नहीं बन सकती है, प्रधान मंत्री बन सकती है, देश की बन सकती है यह चर्चा अगर हो रही है तो हम भी करेंगे। हम भी करेंगे...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : मिनखां री तरह बोले भी कोने सोनियाजी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी) : इसका मतलब आप सोनियाजी को विदेशी महिला मानते हो ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपके लालकृष्ण आडवाणी कहां से आया है ? (व्यवधान) लालकृष्ण आडवाणी कहां से आया ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...लालकृष्ण आडवाणी कहां से आया ? पता है क्या कि लालकृष्ण आडवाणी कहां का है ? (व्यवधान) पता है आपको कि लालकृष्ण आडवाणी कहां का है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : स्वदेशी-विदेशी की बात हो रही है, किसी का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मैंने यह बात इस बात पर कही...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : तो हम भी कहेंगे, आपको परमीशन देनी पड़ेगी। हमको भी परमिशन देनी पड़ेगी। (व्यवधान) आप यह नहीं कहेंगे कि नाम नहीं लेंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद जी ने यहां पर कहा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री जब महिला बन गई, राजस्थान की विधान सभा की अध्यक्ष... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : जब माहिर आजादजी ने... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, सदन में नियमों में जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो उस पर आरोप नहीं लगाये जा सकते। अगर पासिंग रिमार्क में कोई बात कह दें और वो कोई आरोप नहीं हो तो मैं समझता हूं कि उससे उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : विदेश महिला कैसे कह सकते हैं ? विदेशी महिला कैसे कह दिया ? (व्यवधान) यह कैसे हो जाएगा ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी) : विदेशी महिला है क्या ? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ...इस देश का धर्म निभाती है। (व्यवधान) को कैसे कह सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी) : आप विदेशी महिला मानते हो न ? (व्यवधान) हमने किसी महिला का नाम नहीं लिया।

एक माननीय सदस्य : हमने आरोप लगाया, लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान का... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) आप विराजें। चलिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : मैंने इस बात को तो सिर्फ इसलिए कहा, बड़े उत्तेजित होकर माननीय माहिर आजादजी जो नगर से आये हुए विधायक हैं, बहुत सीनियर हैं, जब उन्होंने यह बात कही कि राजस्थान की मुख्य मंत्री महिला है, राजस्थान की विधान सभा की अध्यक्ष महिला है, देश की प्रधान मंत्री भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने के रूप में यहां प़र पूजा करने के लिए जिस तरह राजीव गांधी के नाम पर पाठशालाओं का नाम चेंज होते ही। यहां पर जिक्र नहीं है पाठशालाओं का नाम चेंज होने का लेकिन समाचार कैसे पहुंचे सोनियाजी के पास में... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा :...राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, क्या बात करते हो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, राजीव गांधी... (व्यवधान) अब आप सुनना चाहते हो असलियत को... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वाद-विवाद नहीं। आप अभिभाषण की मूल बात पर आयें माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्योंकि जो बात यहां पर हुई उस बात पर भी आना पड़ेगा। जब बार-बार यहां पर यह कहा कि राजीव गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे, सब उनका मान-सम्मान करते हैं, लेकिन यह पार्टी इतने वर्षों तक जिस के लिए कहती रही कि यह पार्टी हमारी +++है, उस +++ के साथ इन्होंने चुनाव का समझौता कर लिया, तो कैसे शहीद मानते हो उनको ? थोड़ा तो शर्म करो इस बात के लिए कि जिसने हत्या की और जिसको शहीद के रूप में कहते हो, राजीव गांधी चूंकि देश के प्रधान मंत्री रहे हुए हैं उनका हम सम्मान करते हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : यह राजीव गांधी के हत्यारों के साथ आपकी पार्टी ने पहले क्यों की ? अगर आप यह मानते हो कि वो +++हैं तो आपने क्यों की फिर ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय हरिमोहनजी, आप सुनने के लिए हैं क्योंकि हमारी पार्टी में तो हमारे को किसी की पूजा नहीं करनी पड़ती। हमारी

(श्री धर्मपाल चौधरी)

पार्टी में तो कार्यकर्ताओं का मान-सम्मान है, लेकिन आपको चमचागीरी करनी पड़ती है क्योंकि इस पार्टी में पहले हम भी रह चुके। इस पार्टी में पहले हम भी रह चुके हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : तीन दल बदल कर इधर से उधर हुए हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : इस पार्टी में पहले हम भी रह चुके हैं इसलिए, ठीक है आपकी आदत है, आप जानो आपका काम जाने।

अब आएं शिक्षा के ऊपर। (व्यवधान) हां, यह आदत में है क्योंकि हम रहे हुए हैं, पुराने घर को जानते हैं। सरकार ने शिक्षा के सार्वजनीकरण के नाम पर शिक्षा का सत्यानाश किया। गांव के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए राजीव गांधी पाठशालाओं में पढ़ाने वाले जो मास्टर लगाये, वे 8वीं और 10वीं पास लड़के लगाये। आपने अपने समय में अंधाधुंध स्कूल खोले और स्कूल खोलने में भेदभाव किया। जहां भाजपा के विधायक थे, हम यहां पर विधान सभा में कह कर मर गये कि... (व्यवधान) आपने किया, सुन लो अब। हमारे नहीं खोले, मैं लिख कर देता हूं। आपने स्कूल नहीं खोले। आपने जहां स्कूल क्रमोन्नत किये तो स्कूल क्रमोन्नत करके वहां मास्टर नहीं लगाये। और कल हमें कह रहे थे। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने 40,000 मास्टर लगाने की बात कही तो आपने कहा, कैसे लगाओगे। आपके समय में तो 60,000 मास्टरों के पद खाली रहे। आपने राजस्थान के उन बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया है। यहां पर कह रहे थे कि हमने 6-6 कालेज खोले... (व्यवधान) मैं आपके शासन की बता रहा हूं। रामचन्द्र सराधना जी, मैं आपके शासन की बता रहा हूं। हमारे पास उस समय के सवाल के जवाब आये हैं, यह आपके राज की बता रहा हूं अभी के नहीं बता रहा हूं। (व्यवधान) आपके शासन काल की बात कह रहा हूं, आपके शासनकाल में हमारे पास जवाब भी आये हुए हैं। हम वहां बैठते थे, फर्क इतना है, आप यहां बैठते थे। अब आप हय वाहं बैठे और हमं याहं बैठे। फर्क इतना ही है। अब आपको परमानेंट सीट वहीं मिलेगी। इस तरह से इस कांग्रेस की सरकार ने... (व्यवधान)

पांच साल में जो कार्यकलाप किये उनका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप 156 की जगह 56 आ गये। अब जो हमारी सरकार आई है,

(श्री धर्मपाल चौधरी)

उसकी मंशा इस राजस्थान को आगे ले जाने की है। आगे चुनाव होंगे लोक सभा के, आप कहते हैं कि 25 नहीं आएंगे, जिस तरह से जब हम उधर बैठते थे तो आप कहते थे कि आप तो दुबारा वहीं बैठोगे। रामचन्द्र जी, आपने भी कई बार कहा, और हमने कहा कि हम इधर बैठेंगे, आप उधर बैठेंगे। हमारी बात सत्य हुई, आपकी बात असत्य हुई। आगे भी जो हमारा मिशन है, ''मिशन 25'' 25 की 25 सीटों पर हम जीतेंगे, यह आपको आज हम इस सदन के बीच में कहते हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : पांच साल के बाद में आपको मेरी सीट पर आना पड़ेगा इधर।

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं। अगर उस सीट पर भी आ गये तो हम आपकी तरह नहीं करेंगे कि पहले दिन ही वैल में आ गये, पहले दिन ही विधान सभा चली नहीं। किसान के सपने याद किये गये क्योंकि चुनाव में जिस तरह से आप पहले दिन ही वैल में आ गये, हम एक साल तक नहीं आये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन का सम्बोधित करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं भूल गया आपका नाम लेना क्योंकि आप सभापति के पद पर आसीन है... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अब हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो भी 100 दिन के कार्यक्रम बनाये है, उनको सबको क्रियान्वित करेंगे। (व्यवधान) जो भी बनाये हैं, वे सब करेंगे। ऐसा है, अभिभाषण में तो कोई लिखा नहीं है। किसी के पास कापी नहीं है। जो हमारी सरकार कर रही है वह आपके सामने आ जाएगा कि 100 दिन में हम क्या कर रहे हैं। (व्यवधान) जब 100 दिन पूरे होंगे तो जो नौ लोक सभा के सदस्य हैं, वह एक भी नहीं रहेगा, वे भी सब साफ हो जाएंगे। यह 100 दिन का कार्यक्रम है और इस 100 दिन के कार्यक्रम में आपको पता लग जाएगा...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : वह सपने क्या होते हैं मुंगेरी लाल के ?

श्री धर्मपाल चौधरी : मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप लेकर बैठे थे। यहां पर जब बैठते थे, आप सपने लेते थे कि हम 175 जीतकर आएँगे। 56 आये। आप 156 में से कितने जीतकर आये, यह तो देखो आप, 156 का एका हटा।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य तो ज्यादातर जीतकर दुबारा आ गये सारे, जीतकर दुबारा ही आ गये हैं ज्यादातर।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम तो 33 थे, उसमें से 4 को टिकट नहीं मिली, उसमें से भी हम 21-22 जीतकर आये... (व्यवधान) कौन से माननीय सदस्य दुबारा जीतकर आ गये ?

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बार-बार कह रहे हैं, इधर कम होगा, ज्यादा होगा, यह राजस्थान की जनता 100 का आंकड़ा उड़ाती है। हमें 56 पर रख दिया, आप 20 पर आकर टिक जाओगे, ध्यान रखना इस बात का। एक साथ 100 उड़ाती है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब नम्बर वन मुख्य मंत्री, इनको बहुत तकलीफ हुई, कि साहब यह तो कहते हैं नम्बर वन मुख्य मंत्री। नम्बर वन मुख्य मंत्री राजस्थान की दीवारों पर, राजस्थान के सब पोस्टर्स पर और प्रति दिन जब अखबार उठाते थे तो किसी भी अखबार के किसी भी पन्ने को देख लो, मुख्य मंत्री जी की तस्वीर देखने को मिल जाती थी। अगर किसी स्कूल के बच्चे किताब लेने जाएं तो पानी बचाओ, बिजली बचाओ, अशोक गहलोत। अगर किसी भी सरकारी आफिस में जाओ तो पानी बचाओ, बिजली बचाओ, अशोक गहलोत। न तो आपके राज में पानी बरसा, न आपके राज में बिजली किसान को मिली, न आपके राज में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने मास्टर लगाये, इसलिए आपके तो तीनों नारे फेल हो गये, उससे आपका सफाया हो गया। नम्बर वन मुख्य मंत्री जिनको प्रतिपक्ष का नेता बनना चाहिए था, आपने नम्बर वन करके खूब कोशिश की, आज बी.डी. कल्ला जी को वह जगह मिल गई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितने दिन हमने कहे हैं, उतने दिन तक हमारे काम को देखिये, फिर उसके बाद में बोलना। राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय विजय बंसल। मैं यह भी बताना चाहूंगा, इण्डियन नेशनल लोकदल, आपको समय मिला है 15 मिनट, आपने जो पर्ची भेजी है उसमें आपने लिखा है कि हम चार सदस्य है और चारों सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समय की सीमा में ही अपनी बात कहें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह वर्ष समूचे प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह मेरा प्रथम अवसर है, अगर मेरे कथन से किसी माननीय सदस्य या पार्टी को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं। मेरी मंशा केवल अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने की है न कि किसी माननीय सदस्य को ठेस पहुंचाने की। माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देना चाहूंगा। इस अभिभाषण में सदन की माननीय नेता एवं लोकप्रिय मुख्य मंत्री के कथन को वास्तविकता का रूप देकर राज्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मुझे ध्यान है, प्रदेश की समूची जनता और सभी वर्ग कांग्रेस के पांच साल के शासन से त्रस्त थे। शिक्षित युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। किसान व गरीब बिजली के करंट से थर्रा रहा था। अकाल की विभीषिका में करीब करीब भूखा मर रहा था। पानी के अभाव में फसलें सूख गई थी। महिला अत्याचार और उत्पीडन की घटनाओं में वृद्धि हो रही थी और सरकारी कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं को छीन लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि राज्य अंधेरे के साये में डूब रहा है। सरकार और प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा था। सरकार के नुमाइंदे अपनी अपनी जेब भर रहे थे और समूची जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जनता को एक आशा की किरण और रोशनी दिखाई दी श्रीमती वसुन्धरा राजे के रूप में। माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इस राज्य की बागडोर सम्भालने के पहले विषम परिस्थितियों में राज्य के गांव-गांव और ढाणी ढाणी का दौरा किया। इस ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा के दौरान..

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से ये लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं, या पढ़ सकते हैं ? पढ़ नहीं सकते। पहला अवसर है, लेकिन पढ़ नहीं सकते। अगर सभापति महोदय ने इजाजत दी है तो मुझे एतराज नहीं है। (व्यवधान) नहीं मैंने तो कहा है। मैंने तो सभापति जी का ध्यान आकर्षित किया है, वह जैसा चाहे वैसा फैसला करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं और पहली बार अपनी बात कह रहे हैं और मैं यहां से देख रहा हूं वह पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, वह तो देख-देख करके उन पाइंटों को पढ़ रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, वे पढ़ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप नये माननीय सदस्यों को डिमोरलाइज नहीं करें मेहरबानी करके।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलिये बोलिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री विजय बंसल : मैं माननीय सदस्य महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरा पहला अवसर है और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को समर्थन देने की बात कही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : पाइण्ट आफ आर्डर। बंसलजी, एक मिनट।

श्री सभापति : एक मिनट विराजें, माननीय सदस्य। क्या पाइंट आफ आर्डर हैं ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन की यह परम्परा रही है कि कोई भी सदस्य पहली बार चुनकर आने के बाद मेडन स्पीच, पहला भाषण जैसा भी बोलें, कोई भी टोकता नहीं है। यह इतने पुराने सदस्य उनको टोक रहे हैं तो यह उचित परम्परा नहीं बना रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि आपकी भावना सारे सदन की भावना है इसलिए कृपया उनको बोलने दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यह कह रहा हूं कि सभापति महोदय आदेश दे दें, वह उपयुक्त समझें जो करें।

श्री सभापति : कृपया बोलने दें। माननीय बंसल साहब, बोलिए।

श्री विजय बंसल : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इस राज्य की बागडोर संभालने से पहले विषम परिस्थितियों में राज्य के गांव-गांव व ढाणी-ढाणी का दौरा किया था। इस ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा के दौरान गरीब किसान, महिला, युवा, व्यापारी, मजदूर आदि की समस्याओं व दशा को उन्होंने देखा व समझा। प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक व आर्थिक स्थिति को समझा। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जनता में एक आशा व जोश का संचार हुआ, सारा माहौल परिवर्तित हुआ। जनता को लगा कि राज्य को आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से यही महिला आगे ले जा सकती है, अतः राज्य की बागडोर इनके हाथों में दी जाए। और जनता ने इस ऐतिहासिक परिवर्तन का ऐतिहासिक जनादेश दिया। सभापति महोदय, इसी जनादेश को साकार रूप देकर सरकार ने इस अभिभाषण के माध्यम से ऐसी कार्ययोजना प्रस्तुत की है जिसके माध्यम से राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा, चारों तरफ अमन-चैन व खुशहाली होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस अभिभाषण में कही गई बातों एवं घोषणाओं को अगर पूरा कर दिया गया तो शायद भारतीय जनता पार्टी को वे दिन नहीं देखने पड़ेंगे जो आज कांग्रेस को देखने पड़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, कल माननीय सदस्य डाक्टर सी.पी. जोशी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर सत्ता में नहीं आई है, बल्कि हिंदुत्व के ऐजेण्डा व सरकारी कर्मचारियों के षडयंत्र से सत्ता मिली है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि 1998 के चुनाव में कांग्रेस भी पूंजीपतियों से आलू-प्याज का भण्डार करा कर एवं बाजार में कृत्रिम तरीकों से भावों में तेजी लाकर सत्ता में नहीं आयी थी क्या ? क्या शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार का सपना नहीं दिखाया गया था। लेकिन सत्ता में आने से लेकर सत्ता समाप्ति तक किसी को रोजगार नहीं दिया गया, सरकारी नौकरी नहीं दी गई।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस शासन काल में अकाल की विभीषिका के बावजूद किसान को प्रति दिन चार घंटे बिजली नहीं दी गई, उल्टे बिजली की दरों में वृद्धि करके बिजली के बिलों को बढ़ाकर किसान व गरीब को ऐसा मारा गया कि वे आज भी नहीं उठ पाये हैं। गरीब तो गरीब,

(श्री विजय बंसल)

सम्पन्न वर्ग भी बिजली के बिलों के करंट से झटके खा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाना एक भारी चुनौती है। परंतु जिस वैचारिक एवं व्यावहारिक मंथन के बाद अमृत रूपी जो अभिभाषण का दस्तावेज तैयार किया गया है, उसमें राज्य की एक ऐसी भावी तस्वीर दिखाई दे रही है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में चारों ओर खुशहाली व अमन चैन दिखाई देगा।

मानानीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण से सदन की नेता का परफैक्ट विजन एवं सोच भी परिलक्षित होता है। मुझे कम से कम ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले पांच वर्षों में राज्य का भविष्य श्रीमती वसुन्धरा राजे के हाथों में सुरक्षित रहेगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने साधनों की उपलब्धता के आधार पर एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ताकि आमजन को राहत मिल सके। अब मैं मुद्देवार कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा।

पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक छलावा किया गया युवाओं के साथ। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का सब्जबाग दिखाया था और इसलिए कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु भी 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई थी कि युवाओं को रोजगार दिया जा सके, किंतु हुआ बिलकुल उलटा जिसके परिणामस्वरूप युवाओं में उदासीनता छाई और उनमें आर्थिक अपराध करने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। खुद को युवा मुख्य मंत्री बताने वाले तत्कालीन मुख्य मंत्री युवाओं को ही भूल गये। माननीय सभापति महोदय, इसी सम्बन्ध में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना भी स्वागत योग्य कदम है। सर्व शिक्षा अभियान को और मजबूत बनाना, चाइल्ड पैकेट सिस्टम पर जोर देना, स्कूली पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पैटर्न पर तैयार करना, दूरस्थ स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने जैसे कदमों से प्रदेश में शिक्षा का एक नया व अनुकूल माहौल बन सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने के लिए मानव विकास के साथ-साथ आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ एवं मजबूत होना चाहिए। सरकार ने ऊर्जा, सिंचाई, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण को प्राथमिकता देकर और इसके लिए अतिरिक्त साधनों को जुटाकर

(श्री विजय बंसल)

आधारभूत ढांचा तैयार करने का संकल्प लिया है। सिंचाई, पेयजल, भूजल व पानी से सम्बन्धित अन्य सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया है ताकि अगले पांच वर्षों में आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं सभी को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, किसानों को रबी की फसल के लिए प्रति दिन आठ घंटे बिजली देना, फसल बीमा योजना लागू करना, ग्रामीणों को चौदह घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था व अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विस्तार तथा सिंचाई एवं पेयजल की परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने का बीड़ा उठाया है जिससे कृषि का तीव्र गति से विकास कर कृषि उत्पादन की दर में बढ़ोतरी होगी और जो पानी बेकार पाकिस्तान एवं अन्य भागों में जा रहा है उसका सदुपयोग हो सकेगा। मुझे खुशी है कि चम्बल -भरतपुर-धौलपुर जल परियोजना को समय पर पूरा करने का संकल्प लिया गया है। माननीय सभापति महोदय, बिजली की मार दोबारा जनता को नहीं खानी पड़े, इसलिए बिजली की बचत करने, बिजली की चोरी व छीजत रोकने व ट्रांसमिशन लॉस को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है जिसके लिए कुशल प्रबंधन की व्यवस्था की बात करना बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की पिछले पांच वर्षों में नगरीय विकास की कोई नीति देखने को नहीं मिली, केवल जयपुर, जोधपुर, और कोटा को ही सम्पूर्ण राजस्थान मान लिया गया जिसके परिणामस्वरूप शहरों व गांवों में काफी अधिक विषमता हो गई। छोटे छोटे जिला मुख्यालयों पर तो स्थिति और भी खराब हो गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन शहरों में जोधपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का पूरा बजट केवल जोधपुर में लगा दिया गया चाहे वह बरकतुल्ला खां का स्टेडियम हो या पुराना स्टेडियम हो या अशोक उद्यान का मामला हो, ऐसी अनेक परियोजनाएं वहां शुरू की गई जिसमें पैसा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का था। यह सब इसलिए हुआ कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष एवं तत्कालीन मुख्य मंत्री में सांठ-गांठ थी, खुलकर भ्रष्टाचार किया गया। जोधपुर से सटे सोलह गांवों को शहरी सीमा में लाया गया, वह भी एक षडयंत्र था क्योंकि उन गांवों में एक विशेष जातिवर्ग का बाहुल्य था, उनको विशेष फायदा देने के उद्देश्य से यह किया गया। वह जांच का विषय है।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, इस तरह आरोप लगा रहे हैं। जो माननीय सदस्य हाउस में नहीं हैं उनके खिलाफ इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री रमेश खींची : भ्रष्टाचार की जो बात कही गई, पूर्व मुख्य मंत्रीजी और अध्यक्ष की सांठ-गांठ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पद का नाम ले दें, व्यक्ति का नाम नहीं लें।

श्री रमेश खींची : इस पद पर भी कैसे भ्रष्टाचार किया था..

श्री विजय बंसल : मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, पद का ही नाम लिया है।

श्री रमेश खींची : कार्यवाही से निकलवा दें, एक्सपंज करवाएं साहब।

श्री श्रवण कुमार : जो माननीय सदस्य आयें हैं वह पार्टी तो हरियाणा को...

श्री विजय बंसल : अशोक उद्यान बोला है मैंने.. (व्यवधान) जांच करवाई जाए यह कहा है मैंने।

श्री रामनारायण डूडी : उद्यान का नाम लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है और यह भी अभी तक कन्फ्यूजन है कि अशोक महान था या यह अशोक गहलोत...

श्री श्रवण कुमार : अशोक महान, अशोक महान।

श्री रामनारायण डूडी : अच्छा, अशोक महान। हां, यही तो फिर...

श्री महावीर प्रसाद जैन : वही अशोक महान जिसको आपने... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या गोरा कहेंगे ?

श्री श्रवण कुमार : पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री विजय बंसल : माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास को देखें तो पिछले पांच वर्षों में औद्योगिक इकाई आना तो दूर, जो थी वे भी बंद हो गई जिसकी मार आम जनता पर पड़ी। मैं भरतपुर जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। भरतपुर में तीन बड़े कारखानों को एक षड़यंत्र के तहत बंद करवा दिया गया तथा कांग्रेस शासन द्वारा उन्हें चालू कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं सरकार से जरूर कहना चाहता हूं कि भरतपुर जिले की बंद औद्योगिक इकाइयों को पुनः शुरू करवाया जाए तथा नयी इकाइयां लगवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी व्यक्तिशः रूचि लेकर उद्योगपतियों को आमंत्रित करें।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन एवं विरासत संरक्षण के लिए कांग्रेस शासनकाल में उल्लेखनीय प्रयास नहीं हुए। पर्यटकों की संख्या में कमी आयी, लपका गिरोह सक्रिय हुए, पर्यटन स्थलों की उपेक्षा की गयी। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर में घना नेशनल पार्क है जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस पार्क में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, अतः इस ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल को बचाने के लिए आवश्यक है कि घना में पानी की नियमित आपूर्ति हो और सड़कों को सुधारा जाए ताकि विश्व प्रसिद्ध इस प्राकृतिक पर्यटनस्थल को बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि भरतपुर में नील गायों की भयंकर समस्या है जिसकी वजह से करोड़ों रुपयों की फसल बर्बाद होती है, अतः कोई नियंत्रण की व्यवस्था विकसित की जाए ताकि फसलों को बचाया जा सके। इसी तरह से अभिभाषण में नयी गौशालाएं खोलने की बात नहीं कही गयी है। भरतपुर में जो गौशालाएं थी उन्हें बंद कर दिया गया। मैं मांग करता हूं कि बंद की गयी गौशालाओं को पुनः खोला जाए और नयी खोली जाएं।

श्री सभापति : माननीय, समाप्त करें कृपया।

श्री विजय बंसल : बस दो मिनट। माननीय सभापति महोदय, सरकार से भरतपुरवासी यह अपेक्षा रखते हैं कि सरकार सुजान गंगा परियोजना को

(श्री विजय बंसल)

शीघ्र पूरा करवा कर शहर को गन्दगी से निजात दिलाएगी। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर शहर के लिए हरियाणा सरकार से पानी देने की बात हो चुकी है लेकिन गुड़गांवां कैनाल जिससे वो पानी आता है, वो टूटी पड़ी है और सिल्ट से भरी पड़ी है। उस गुड़गांवा कैनाल को अगर सही समय पर सही करा दिया जाए तो भरतपुर की जनता और किसानों को पानी से बहुत राहत मिल सकती है।

श्री सभापति : अब धन्यवाद दें, बस।

श्री विजय बंसल : मैं इनेलो विधायक दल का नेता होने की हैसियत से सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि विकास के रचनात्मक कार्यों में हमेशा सहयोग मिलेगा। किन्तु सरकार से अपील करता हूं कि वो किसानों, युवाओं, गरीबों के हितों को सर्वोपरि स्थान दें ताकि किसान एवं युवा खुशहाल हों और प्रदेश खुशहाल हो सके। अन्त में मैं सदन की माननीय नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कर्मचारी वर्ग के साथ किये गये वायदों को हूबहू शीघ्र पूरा करें तथा सेवानिवृत्ति की आयु को भी 58 से 60 वर्ष न करें जिससे कि युवाओं का आक्रोश फिर न भड़के। अन्त में मैं अपनी तरफ से अपने विधायक दल की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : सम्माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्रीय प्रक्रिया के अन्तर्गत इस चुनाव के माध्यम से जो माननीय सदस्य यहां जीतकर आये हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इसके साथ ही सदन की नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने उन पर जो विश्वास अभिव्यक्त किया है। उन भावनाओं के अनुरूप सरकार और उनके दल के सभी लोग व्यवहार करेंगे और अहम नहीं पालते हुए सरकार के जो कार्य हैं उनमें सबका सहयोग लेकर चलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह भी आप जानते हैं कि बहुमत भले ही मिला है लेकिन 40% से कम वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्राप्त

(श्री हरिमोहन शर्मा)

किये हैं और इस बात का भी आपको ज्ञान है कि राजस्थान की 60% जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने में सहयोग नहीं किया है। 60% जनता की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के साथ नहीं हैं, यह भी निर्विवाद सत्य है मेरे कहने का मतलब आप लोगों से यह है कि जो भावनाएं जनता की हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टोका-टोकी नहीं। आप जारी रखें।

श्री हरिमोहन शर्मा : 60% जो जनता की भावनाएं हैं...

श्री कालीचरण सर्राफ : यह भी बताओ, आपको 35% ही मिले। 65% जनता खिलाफ है आपके।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां-हां इसमें क्या है, यह तो रिकार्ड की बात है। अगर मैं यह कहूंगा कि हमको 35% मिले, ना करूंगा तो रिकार्ड से हटूंगा। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है, आपसे चार-पौने चार प्रतिशत वोट कम मिले हैं।

श्री सभापति : आप विषयान्तर न हों। आपकी पार्टी का समय व्यतीत हो रहा है, आप अपने मूल विषय पर आईये।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप मुझे बोलने दें।

श्री सभापति : हां, बोलिये न। बोलें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय अकाल की स्थिति इस राजस्थान में थी, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगह-जगह घूम रहे थे, परेशान थे, केन्द्र सरकार से याचना कर रहे थे, केन्द्र सरकार से अपने अधिकार स्वरूप वो धन मांगने के लिए जाते थे। तो, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि सदन की माननीय वर्तमान नेता ने उस समय जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री इस अकाल के समय में जब भी इनको आवश्यकता होती है, केन्द्र में जाकर भीख मांगते हैं। वो भीख नहीं वो हमारा

(श्री हरिमोहन शर्मा)

अधिकार था। इस प्रकार के शब्दों का चयन सदन की नेता ने जो किया, वो शोभाजनक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता का अधिकार नहीं है ? राजस्थान की जनता जो टैक्स देती है, केन्द्र से अपना हक प्राप्त करने का उसको अधिकार नहीं है ? आज आपको इस बात का पता होगा कि जो राजनीति की गयी, जिस प्रकार की राजनीति की गयी, आज यह साबित है और राजनीति यह साबित है कि केन्द्र सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है...।

श्री तगाराम चौधरी : कई बार वो खुद कहते थे कि भीख मांग रहा हूं...(व्यवधान)... इस शब्द का उन्होंने कितनी ही बार प्रयोग किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : राजनीति के कारण इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए 7020 करोड़ रुपये जिनके लिए माननीय सदन की नेता स्वयं कह चुकी है कि मैं एक माह में केन्द्र सरकार से 7020 करोड़ रुपये लेकर आयी, तो क्या कारण था, 7020 करोड़ रुपये क्यों रोके गये ? यह हमारा पैसा क्यों रोका गया ? क्योंकि राजनीतिक दुर्भावना थी। चुनाव का समय नजदीक था और चुनाव के समय केन्द्र राजनीति करना चाहता था और इसलिए राजस्थान की जो वर्तमान मुख्य मंत्री महोदया है, उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने रोका, दिल्ली में जाकर रोका कि राजस्थान सरकार की मदद न करें। यह दूसरी बात है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पूरी ईमानदारी से अकाल राहत कार्यों को चलाया। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आप गांवों में जाइये, आज भी आप गांवों में जाइये...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं करैक्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि जब अकाल की भयंकर व्याप्ति थी उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिये थे कि खजाना खाली है। बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के चक्कर में बता दिया। पखवाड़ा 15 दिन के अंदर ...(व्यवधान) जब घेराव हुए, जब लोग भूख से मरने लगे, केन्द्र ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तब जाकर केन्द्र का अनाज जो आया उसको खा गये थे।

श्री सभापति : विराजिये आप। आप चालू रखें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : आप विराजिये। आपका नाम आपकी पार्टी की तरफ से आएगा तब आपको मौका मिलेगा, विराजिये। एक बार बोलने दीजिए। व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, कल आप धन्यवाद प्रस्ताव पर बड़ी होशियारी के साथ बड़े अच्छे शब्दों मे शब्दों के जाल में अपना भाषण और अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, आप यह भी फर्मा रहे थे कि उस समय के जो नम्बर-1 मुख्य मंत्री हैं वो किन कारणों से नम्बर-1 मुख्य मंत्री थे। मैं कुछ विश्लेषण करना चाहता हूं-राजस्थान में शिक्षा का स्तर उठा, राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की। मुरली मनोहर जोशी जी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को और राजस्थान सरकार को प्रमाण पत्र दिया कि राजस्थान में शिक्षा का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आपको याद होगा, माननीय सभापति महोदय, आपने फरमाया था कि बिजली उत्पादन में बिजली नहीं मिल रही है इसलिए वो नम्बर-1 मुख्य मंत्री थे। माननीय सभापति महोदय, नम्बर-1 मुख्य मंत्री इसलिए थे कि राजस्थान में विद्युत सुधार में राजस्थान में बिजली उत्पादन में आपके ही केन्द्र के मंत्री ने प्रमाण पत्र दिया है कि राजस्थान की यह मौजूदा सरकार पूरे हिन्दुस्तान में बहुत अच्छे ढंग से बिजली का उत्पादन कर रही है। यह भी आपके केन्द्रीय मंत्री ने दिया है। माननीय मंत्री महोदय, आप इस बात को जानते हैं। इसके साथ ही जो प्रधान मंत्री सड़क योजना थी उस प्रधानमंत्री सड़क योजना में...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वो किसलिए दिया था ? वो इसलिए दिया था कि चल बेटा आगे चल।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप जैसे वरिष्ठ आदमी को तो बाद में बोलना चाहिए। आपको तो ठीक स्थान मिला हुआ है। ठीक स्थान मिला हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने आगे कहा कि चल आगे चल। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तारतम्य तोड़ देते हैं। इसके साथ ही जो प्रधान मंत्री ...(व्यवधान)... आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं महावीर जी साहब, मैं हाथ जोड़ लूं आपके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री श्रवण कुमार : रामस्वरूपजी मीणा भी यहीं विराजते थे, इनकी भी सीट बदलो।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रधान मंत्री सड़क योजना राजस्थान में लागू की गई मंत्री महोदय उन प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, यह राजस्थान ही है जिसको केन्द्र ने कहा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना की क्रियान्विति हिन्दुस्तान में अच्छे प्रदेशों में करने वाला यह राजस्थान है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल प्रबन्धन के मामले में जो राजस्थान का मैनेजमेंट था वह आपने भी देखा, पूरे राजस्थान की जनता ने देखा, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने देखा और प्रधान मंत्रीजी ने खुद कहा कि अकाल प्रबन्धन की व्यवस्था जैसी राजस्थान में है, वह माडल के रूप में पूरे हिन्दुस्तान में अपनाई जानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसलिए इन सब बातों को देखते हुए. ...(व्यवधान)...

श्री धर्मपाल चौधरी : देने वाला कोई, लेने वाला कोई बीच में पलदारी कर दी तो पलदारी का ही सर्टिफिकेट हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी सीट से बोलें।

श्री रामनारायण डूडी : हींग लगे न फिटकरी रंग आवे चोखो-चोखो।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : 7200 बोरी एक साथ गबन किया है एक-एक गोदाम में और फर्जी कूपन जमा करके 40 लाख रुपये उठाये हैं इन्होंने।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)
फर्जी कूपन, फर्जी कूपन और 7200 बोरी एक एक गोदाम में से ...(व्यवधान) चित्तौड़ क्लेक्टर ने पकड़ा है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : (व्यवधान) धोखा किया है, 43 सेंटर राजस्थान में पशुपालन के खोले हैं और कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। बीच में व्यवधान पैदा करने से जो उनके मन में मूल विचार आते हैं, वह तारतम्य टूट जाता है, इसलिए कृपया टोका-टोकी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, आप जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बात कह रहे थे और जिन शब्दों में कह रहे थे, यह उनका मैं जवाब दे रहा हूं। यह मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूं। मैंने इण्डिया टुडे के सर्वे में या किसी के कहने से उनको प्रथम मुख्य मंत्री घोषित नहीं किया है। यह आपकी केन्द्र सरकार की तारीफ है और जनमत ने किया है कि हिन्दुस्तान के प्रथम मुख्य मंत्री है। उसमें आपकी पार्टी के मुख्य मंत्री भी थे, पूरे हिन्दुस्तान के..;

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाऐ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृति)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा दूसरा पहलू यह है कि जिस आधार पर इनको हिन्दुस्तान में प्रथम मुख्य मंत्री के रूप में चुना गया उसमें उनके कार्यों का योगदान है, हमारा कोई योगदान नहीं है और जिन कारणों से आप बता रहे हो कि इस नाम पर मुख्य मंत्री थे, तो वे बिलकुल बेबुनियाद, राजनीतिक दृष्टिकोण से कही हुई बातें हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी 100 दिन की योजना है, 100 दिन की योजना से पूर्व इस लोक सभा चुनाव को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सदन की नेता ने कुछ रियायतों की घोषणा की है। अगर माननीय भैंरोसिंहजी जैसे आदमी यहां राजस्थान में होते तो इस प्रकार की घोषणाएं जो सदन के चलते समय सदन के बाहर की गयी हैं उन से परम्पराओं का उल्लंघन नहीं होता। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। जब सदन आपने आहुत कर दिया, सदन बुला लिया आपने जो छूटें दी है, जो घोषणाएं की है वे बाहर नहीं करके सदन में करने की परम्परा रही है। आज तक की परम्परा है उस परम्परा को निभाना चाहिये था। मुझे अफसोस है कि सदन की माननीय नेता ने उन परम्पराओं का उल्लंघन किया है। अच्छा होता, वह परम्पराएं कायम रखती जो आज संसदीय इतिहास में कायम हैं। संसद के इतिहास में जो परम्पराएं कायम है उन परम्पराओं को तोड़ना लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कुछ 600 सैकेण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा अलग कर दी। हम यहां आकर माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ते हैं उसमें तो मिडिल स्कूल मिलता है, अखबार में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि राजस्थान में 600 सैकेण्डरी स्कूल भी खोली जाएंगी। अगर सैकेण्डरी स्कूलों की घोषणा ही करनी थी तो 1114 के साथ यहां भी की जा सकती थी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सदन आहुत होने के बाद, सदन चालू होने के बाद, सदन की नेता का लोकतंत्र में अगर विश्वास है तो उनको उन परम्पराओं का अनुसरण करना चाहिये जिन परम्पराओं को आज तक लोकतंत्र में कायम किया गया है। नहीं किया गया, यह एक दुर्भाग्य की बात है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो 100 दिन की आपकी कार्य योजना है, उन योजनाओं को देख लें कि 100 दिन की कार्य योजना के मामले

(श्री हरिमोहन शर्मा)

में विशेषज्ञ क्या कहते हैं। 2 चीज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक विशेषज्ञ हैं मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय। (व्यवधान) यह आपकी राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आपकी प्रिय पत्रिका है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह आपकी ही रही है पांच साल आपकी ही रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप घोषणा कर दो कि आपकी नहीं है, हमारा तो हर अखबार है। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अखबार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरुणा रायजी की बात कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अरुणा राय तो न इनकी है न आपकी गलत फहमी मत पालो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और विपरीत परिस्थितियों में भी अगर यह लोकतंत्र का चौथा खम्भा हम पर हमला भी करता हे तो हम सहन करने की ताकत रखते हैं, सहन करते हैं। हमारे खिलाफ लिखी हुई बात को सहन करते हैं ऐसा नहीं होता है कि झालावाड़ में जैन टी.वी. ने अगर कुछ उलटा बता दिया तो थप्पड़ों से पिटाई कर दें। या उमा भारतीजी के यहां पर कोई पत्रकार कोई अलग बात कर दे तो थप्पड़ लगा दें, ऐसे लोकतंत्र में हमारा विश्वास नहीं है।

मैं आपके सामने अरुणा रायजी की राय निवेदन करना चाहता हूं। सरकार हवाई बातें कर रही है, वास्तव में सरकार कुछ करना चाहती है तो रोजगार, पानी एवं पारदर्शिता की योजना के बारे में बताया जाए। सरकार बताएं कि साम्प्रदायिक सदभाव के लिये क्या एजेंडा है। लोगों को राइट टू वोट देने के लिये भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं डा.सी.एम. बिरला, वह आपकी 100 दिन की योजना के लिये क्या कहते हैं ? प्रशासनिक तंत्र का कार्य करने का जो तरीका है उसके अनुरूप 100 दिन में शायद ही यह लक्ष्य पूरा हो पाएगा। सरकार को 100 दिन में कुछ कर दिखाना

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है तो इस ओर सबसे पहले ध्यान देना होगा। यह नौकरशाही का एजेंडा है, विशेषज्ञों की उपेक्षा की गई है। यह उनकी राय है। 100 दिन में आप क्या करेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं पूछा।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुझे क्या पता, आपने किनको बुलाया या किनको नहीं बुलाया या आपसे भी राय ली या नहीं ली।

श्री सभापति : आप आसन को सम्बोधित करें, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, आपका भाषण हमने बहुत गंभीरता से और तल्लीनता से सुना और आपकी एक-एक बात को सुना। आपकी वह बात भी सुनी कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति..

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य बार बार आपको यह कह रहे हैं कि 'आपने' यह कहा। यह सभापति महोदय को एड्रेस कर रहे हैं, जबकि कल माननीय सदस्य ने महामहिम राज्यपाल महोदय के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये थे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : वह चूरू से आने वाले माननीय विधायक का भाषण था, सभापति का नहीं, फर्क तो समझिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन कल आप ही बोल रहे थे तो मैं यह कैसे बोलूं कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ? आपने कानून और व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला था और कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे कि इतने बलात्कार हुए, इतनी हत्याएं हुई, इतनी डकैतियां हुई, इतनी लूट हुई। ये सब बातें आपने बताई। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : फिर आपने, आप करैक्ट कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो इनको क्या तुम बुलवाना चाहते हो ? आप में क्या आपत्ति हो गई ? अर्थ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो

(माहम्मद माहिर आजाद)

इनका ? क्या आपत्ति की बात हो गई ? हर बात पर टोकना। आप कोई आपत्तिजनक है क्या ? क्या बात हो गई इसमें ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें, विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह आपने एक चर्चा का विषय बनाया था जबकि आप स्वयं भी जानते हैं, आप इस सदन के माननीय सदस्य लगातार चले आ रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं कि राजस्थान हमेशा पूरे हिन्दुस्तान में कानून और व्यवस्था के मामले में अग्रणी रहा है, राजस्थान एक शांत प्रदेश रहा है। राजस्थान ने अपनी क्षमता प्रदर्शित की है और राजस्थान की जनता ने उसमें सहयोग दिया है। कानून और व्यवस्था की बात करते तो उन प्रदेशों को याद करों आप, जहां कभी आपका राज रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 दिसम्बर को आपका और हमारे चुनाव का नतीजा आया। 10 दिसम्बर को घोषणाएं होना चालू हो गयीं। 10 दिसम्बर को सदन की माननीय नेता ने अधिकारियों को बुलाकर यह कहा कि सौ दिन में राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुसार, उनकी मनोभावनाओं के अनुसार कार्य हो जाना चाहिए। इन सौ दिन में क्या होने वाला है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो कानून-व्यवस्था वाली बात है, एक महीना हुआ, कोटा सम्भाग से आने वाले माननीय मंत्रीजी, आप यह बताएं कोटा में खुले आम डाक्टर की हत्या हुई, कोटा में खुले-आम पैट्रोल पम्प पर डकैती हुई। कोटा में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ अलग-अलग स्थान पर ले जाकर उनकी हत्या की गयी और उनके साथ बलात्कार किया गया। कोटा में किसान की हत्या की गयी, कोटा में और हत्या हुई।

(10.00 बजे)

श्री जोगेश्वर गर्ग : हत्यारा तुरन्त पकड़ा भी गया।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि नहीं पकड़ा गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपकी तरह से उनको बचाने नहीं गये।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि नहीं पकड़ा गया है। दो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। और जयपुर के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मामले तो मैं इसलिये नहीं बोलता हूं कि पूरी सरकार अखबारों को पढ़ती है। बीकानेर के मामले में इसलिये नहीं बोलता हूं कि सरकार को जानकारी है। सीकर में जिन बच्चों की पिटाई की गयी उस मामले में मैं इसलिये नहीं बोलता हूं कि आप सब उसको जानते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अपराध तो होते हैं लेकिन आपके कार्यकाल में एक माह में जिस गति से अपराध हो रहे हैं, अगर आपने समय रहते इनको नहीं रोका तो आगे आने वाला जो समय है (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अजमेर में अश्लील फोटो काण्ड हुआ, उसको जानते हैं क्या ?

श्री बंशीलाल खटीक : आपके कांग्रेसी फंसे हुए हैं तंदूर काण्ड में, क्या बात कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री हरिमोहन शर्मा : आगे मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि खाली बात करने से काम नहीं चलेगा। हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगे, यह एक नियम है और इसलिये सरकार की जरूरत है कि उनको रोके। लेकिन जो आरोप आपने लगाया था, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस प्रपोर्शन में इस एक महीने में पूरे राजस्थान में ज्यादा अपराध घटित हुए हैं और अगर आपने इन अपराधों को नहीं रोका तो आगे आने वाला समय जो स्थिति करेगा, वह आपके सामने है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सौ दिन में आप क्या काम करेंगे। सौ दिन की जो आपकी योजना है उन योजनाओं में एक काम कहा है। उसमें और तो है, आधा प्रतिशत टैक्स कम कर देंगे, यह कर देंगे। एक काम आप जरूरी कर सकते हैं, आपने लिखा है, अस्पतालों में जो भवन निर्माण हो गया उसका हम उदघाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। यह काम आप करेंगे। जो हमने कर दिया उसका उदघाटन का लक्ष्य आपके सौ दिन का है। तो इसके लिए धन्यवाद। उदघाटनों के लिये तो कम से कम आप हमको धन्यवाद दो। अगर हम इमारतें नहीं बनाते तो आप अपने एजेण्डे में कैसे शामिल करते ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारे बनाये हुए, 5 साल तक करते रहे आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जिस प्रकार की व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें और आपकी सौ दिन की कार्य योजना में आपने कानून और प्रशासन के मामले में कोई चीज नहीं रखी। वह रखनी चाहिए। कैसे सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा, यह बात आपने इस सौ दिन की योजना में नहीं रखी। कैसे यहां की प्रशासनिक व्यवस्था सुधरेगी, इस मामले में सौ दिन का कोई कार्यक्रम नहीं है। अच्छा हो, आप इन तीनों बातों-कानून और व्यवस्था प्रशासन सुधार, जल्दी न्याय मिले गरीब को, का समावेश भी उसमें करें।

माननीय सभापति महोदय, आपकी इस घोषणा में दो चीजों की कमी है। मेरी तरफ से सुझाव है, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने आगे आने वाले समय में बर्थ-कन्ट्रोल नहीं किया, इस बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोका तो 1952 से आज तक चली आ रही सरकार, आप और हम कितने ही लक्ष्य पूरे कर लें, कितनी ही इमारतें बना दें, कितने ही अस्पताल बना दें, कितने ही विद्यालय बना दें, अगर यह आबादी इस प्रकार से बढ़ती रही तो, सभापति महोदय, आपकी सरकार सौ दिन में तो क्या सौ साल में भी इन जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि आबादी कण्ट्रोल के इस मामले में आप गम्भीरता से विचार करें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : मोहम्मद माहिर आजादजी से कहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो खुली छूट रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या हो गया ? सभापतिजी जानते हैं, मैं इसका समर्थक हूं। मैंने सन् 1985 में आपरेशन करवा लिया था, आपको समझ में आना चाहिए इस बात को मैं इस बात का। पक्षधर हूं कि फैमिली कण्ट्रोल [illegible]ना चाहिए, व[illegible] आपको [illegible] योजना[illegible]

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया पूरा करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, दो मिनट।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरा जो मेरा सुझाव है, आप यह मानकर चलें कि कितनी आप यह घोषणा कर दें... (व्यवधान) कितनी आप घोषणाएं करें, गांव में पेयजल की समस्या ऐसी भयंकर आएगी, अण्डरग्राउण्ड वाटर नीचे चला गया है, उसके लिये आपकी कोई योजना इस राज्यपाल के अभिभाषण में नजर नहीं आयी। मैं जानना चाहता हूं कि अण्डरग्राउण्ड वाटर पर किस प्रकार कण्ट्रोल किया जाएगा, अण्डरग्राउण्ड वाटर का कैसे आप उपयोग करेंगे । ये हैण्ड पम्प तो आपकी और हमारी जान को जंजाल है। गांव में जाते हैं, आप भले ही यहां स्टेटमेंट दे दें, लेकिन 20-30-40 प्रतिशत हैण्ड पम्प गांव में खराब हैं और गांव में जब हम विधायक बनने के बाद इधर-उधर जाते हैं तो परेशानी का कारण बनते हैं।(व्यवधान)

अन्त में मेरा निवेदन है कि सदन की जो नेता है वह अभी कर्मचारियों के यहां पर उदघाटन में पधारीं। समस्याएं आएंगी राजस्थान में, अकाल भी आ सकता है, ला एण्ड आर्डर की समस्या भी हो सकती है, दूसरी समस्या भी आ सकती है। वह वहां पर जब पधारीं और पधारकर जो उन्होंने भाषण दिया, उसकी दो लाइनें मैं आपको बता दूं। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि गाय को खिलाएंगे नहीं तो दूध कैसे देगी। इसके आगे की दो लाइनें हैं अगर हालात ठीक नहीं हुए तो प्रदेश गर्त में चला जाएगा। मेरा क्या, मैं तो वापस चली जाऊंगी। सभापति महोदय, हमारी भावनाओं को पहुंचा दें कि घबराएं नहीं, अभी तो जुम्मा-जुम्मा एक महीना हुआ है, कहां जाना है जाना नहीं है, रुकना है, समस्याओं का निराकरण करना है, सबका सहयोग लेकर नये राजस्थान का निर्माण करना है। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय ओम बिरला।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, हमारा भी नम्बर है क्या ?

श्री सभापति : आपका भी नम्बर है, माननीय सुभाषजी का भी नम्बर है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं. जिन्होंने इस पवित्र सदन में अपने ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से राजस्थान के विकास के बारे में राज्य सरकार के विचार रखे। मैं इस निर्वाचित सदन में जब पहली बार आया था उसके पहले मैं कोटा के नगर-निगम के सदन में गया था। वहां जिस तरीके का माहौल था, मैंने देखकर कहा, कि यह निचला सदन है, इसमें जो नोंक-झोंक हो रही है और जिन अपशब्दों का उपयोग हो रहा है, आप पहले सदन में आये हैं, ऊपर के सदन में सीखकर जाएंगे तो शायद आपको कुछ सीखने का यहां मिलेगा। जब हम प्रशिक्षण शिविर में गये थे हमने मत व्यक्त किया था कि राजस्थान की विधान सभा का सदन एक ऐसा सदन होगा जो हिन्दुस्तान की लोक सभा और अन्य विधान सभाओं से अलग सदन होगा जिसमें राजस्थान के विकास की चर्चा होगी, जिसमें जनता की समस्याओं को ठीक से उठाने की चर्चा होगी। लेकिन, सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के दिन मेरे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो बर्ताव किया, हम नये सदस्यों को वह बर्ताव सीखने को मिला। अच्छा होता कि वह सदन की गरिमा रखते। तो शायद हम नये आये सदस्यों को सदन की गरिमा का पाठ पढ़ाते।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं युवकों के बारे में। इस नाते निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत साहब ने, जो इस सदन मे नहीं है, बड़े जोरों से कहा था कि मैं राजस्थान के नौजवानों की तकदीर को परिवर्तित कर दूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने भैंरोसिंहजी शेखावत ने राजस्थान के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, मैं उन नौजवानों को रोजगार के माध्यम से नये सपने दिखाऊंगा। और सपने ऐसे दिखाये कि 60 से 58 साल उम्र की। नौजवानों ने सोचा कि हमें रोजगार का मौका मिलेगा, हमारे दो हाथों को काम मिलेगा। हम अपने बूढे मां-बाप को नया जीवनदान देंगे। लेकिन बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि चार साल तक पूर्ववर्ती सरकार ने सरकारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने आते ही सबसे पहले नौजवानों के रोजगार पर प्रतिबंध हटाया और साथ में यह भी कहा कि हम प्रतिबंध ही नहीं हटा रहे है, हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। यह पहली सरकार है जिसने राजस्थान के नौजवानों के बारे में सोचा।

(श्री ओम बिरला)

सभापति महोदय, यह पहली सरकार है जिसने राजस्थान के किसानों के बारे में सोचा। कांग्रेस कहती थी कि पूर्ववर्ती भैंरोसिंहजी शेखावत सरकार ने किसानों का जीवन दूभर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक मेगावाट बिजली उत्पादन नहीं की। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने कितनी मेगावाट बिजली पैदा की, लेकिन सदन के पटल पर इतना कहना चाहता हूं कि जितनी माननीय भैंरोसिंहजी शेखावत के राज्य में बिजली मिली थी, उससे आधी भी बिजली राजस्थान के किसानों को नहीं मिली। विपक्ष के सदस्य, एक महीना भी नहीं हुआ और कह रहे हैं कि गांवों में बिजली नहीं मिल रही है। या तो माननीय सदस्यों ने गांवों का दौरा नहीं किया है। हम जब 33 थे, 31 थे तब भी हमने यह कहा था कि एक वर्ष सरकार काम करे उसके बाद आलोचना करें, लेकिन इन्होंने तो 45 दिन में बिजली के मामले में बहिर्गमन किया, विरोध किया। मैं विपक्षी दल के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्यगण, हमारी नई अध्यक्षजी ने कहा था कि इस वैल में हमें नहीं आना चाहिए। नयी अध्यक्षजी ने पाठ पढ़ाया था कि ऐसा सदन चलना चाहिए कि मेरे कार्यकाल में वैल में नहीं आना पड़े। लेकिन आज दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सरकार बिजली दे रही है, आप वैल में आ रहे है। आज हमारे शिक्षा मंत्री, बिजली के प्रभारी मंत्री ने सदन के पटल पर कहा है कि हम आठ घंटे बिजली देंगे, लगातार बिजली देंगे। मैं पूर्ववर्ती सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार एक है जिसने गांवों में बिजली दी, जिसने गांवों में उजाला दिया। आपने तो बिजली चोर, गांवों के ट्रांसफार्मर उठा लिये, लोग बिजली को तरसते रहे हैं। हमारी सरकार ने बिजली दी और उस बिजली से अंधयारे को उजाले में परिवर्तित कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, विषय बहुत हैं।

श्री सभापति : समय की सीमा में। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : समय की सीमा में बोलना चाहते हैं। नौजवान पहली बार आये हैं, सदन के नियम-कानून नहीं जानते हैं। उनकी परम्पराओं

(श्री ओम बिरला)

को सीख रहे हैं, कहीं गलती हो तो माफ कर देना। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार का घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि यह हमारी बाइबल है, उनके वाक्य हैं कि यह घोषणा पत्र हमारा बाइबल है। यह बाइबल है या कुरान है या रामायण है, मैं यह तो नहीं कहना चाहता, लेकिन बाइबल का अपमान तो नहीं कर रहे ? बाइबल, कुरान, रामायण वह चीज होती है जिसको हाथ में रख कर जब गीता हाथ में रखकर अदालत में जाता है तो आदमी मन से सत्य बोलना चाहता है। लेकिन आपने घोषणा-पत्र को बाइबल बताकर, ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ओम बिरलाजी, आप से सत्य बोलने की उम्मीद है। आप तो अब वाले घोषणा-पत्र की कहो, पुराने के लिए सजा मिल गयी। अब सजा मिले हुए को क्या आप कह रहे हो। अब तो अबकी कहो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए।

श्री ओम बिरला : अच्छा, माननीय सदस्य ने तो स्वीकार किया इस बाइबल का एक-एक पन्ना खोलूं, एक-एक विषय खोलूं तो आपने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार में चौपट कानून-व्यवस्था है, हम दलितों के साथ न्याय करेंगे। मैं पूर्ववर्ती सरकार के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, जो सभापति है, अभी के आंकड़े उन्होंने पेश कर दिये, में उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। मैं उन आंकड़ों पर जाना चाहता हूं जो 1999 से लेकर 2003 तक 480 ब्लाइंड मर्डर इस सरकार के रहे, जो सरकार खोल नहीं पायी थी। सरकार कहती है कि हम दलितों के रहनुमा हैं, हम दलितों के साथ न्याय करेंगे और भैंरोसिंहजी शेखावत ने दलितों और महिलाओं के साथ अन्याय किया है। मैं सदन के पटल पर आवश्यकता हो यदि तो रख सकता हूं। कि 4329 मुकदमों में से 1947 मुकदमें जो दलितों के दर्ज हुए थे, पूर्ववर्ती सरकार ने उनमें एफ.आर. लगा दी। यह दलितों के साथ अन्याय है।

सड़क नीति की बात कह रहे थे। मैं हमारे प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत राजस्थान में सड़कों का जाल फैला दिया। जो माननीय सदस्य मेरे विरोधी हैं वे भी यह मानने के लिए तैयार होंगे कि गांवों में जो सड़कें बनती थी, प्रधान मंत्री सड़क

(श्री ओम बिरला)

योजना और राजस्थान राज्य सार्वजनिक निर्माण सड़क योजना की अगर आप तुलना करें तो शायद बढिया क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की सड़क बनती थी तो प्रधान मंत्री सड़क योजना में बनती थी और जितना सड़कों का जाल राजस्थान में बिछा है, वह सड़कों का जाल बिछा है तो प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत बना है। अगर प्रधान मंत्री सड़क योजना नहीं होती तो शायद गांव, ढाणी का व्यक्ति शहरों तक नहीं पहुंच सकता था। सड़कें ऐसी बनायी राजस्थान की सरकार ने जिनमें गड्ढे थे। जिससे हड्डी के डाक्टरों के यहां पर

(19.19 बजे)

(डा. एम. एस. गुर्जर, सभापति 19.19 पदासीन)

मरीजों की संख्या बढ़ गयी। लेकिन मैं दावा करता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री जी के राज में कोई टूटा पैर लेकर डाक्टर के पास नहीं जाएगा। वहीं, उन ठेकेदारों की जेब भी नहीं भरने दी जाएगी, जो पूर्ववर्ती सरकार में भरी गयी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आवासन का, जिसकी चर्चा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने की थी। आवासन मण्डल बना इसलिए था कि छोटे गरीब व्यक्ति को मकान मिल सके, उसकी छत उसको मिल सके। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, अभी चर्चा करुंगा तो सदस्य कहेंगे, भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा रहा। राजस्थान आवासन मण्डल ने सड़क बना दी उन इलाकों में जिनमें नगर विकास न्यास को सड़क बनानी चाहिये। सड़क बना दी उन इलाकों में जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क बनानी चाहिये। सड़कें बना दी, स्टेडियम बना दिया लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। अच्छा होता, उनका काम था गरीबों के लिये मकान बनाने का। मकान भी ऐसे बनाये जिसके कई उदाहरण पेश कर सकता हूं सदन के पटल पर, जो पहली बरसात में चूते रहे। लोगों ने सोचा कि ऐसे ही मकान मिलेंगे, उन्होंने मकान नीचे से तोड़ा और बनाया। यह राजस्थान की आवासन नीति है।

इन्होंने कहा सहकारिता, मैं सहकारिता के अंदर वाइस चेयरमैन हूं। सदन के पटल पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले भाषण में कहा कि मैं राजस्थान के अंदर सहकारिता को जन आन्दोलन बनाना चाहता हूं, जन-जन का आन्दोलन बनाना चाहता हूं। पूववर्ती सरकार ने कहा कानून बनाएंगे, नियम

(श्री ओम बिरला)

नये बनाएंगे। पांच साल तक हम टकटकी लगाये झांकते रहे कि आज मंत्रीजी ने बयान दिया है, विधान सभा के पटल पर बयान दिया है, शायद अगली बार चुनाव हो जाएं। फिर सदन के पटल पर बयान दिया कि सहकारिता के चुनाव होंगे, जन भागीदारी बनेगी लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पांच वर्ष तक सहकारिता के चुनाव पूर्ववती सरकार ने नहीं कराये। सहकारिता विभाग जिसके बारे में चर्चे आम हैं, चुनाव करा देते तो शायद पूरबर्ती सरकार को इसका लाभ नहीं मिलता। आगे इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। सहकारिता की चर्चा करुंगा तो एक-एक पन्ना खोल दूंगा, लेकिन इसकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता। अभी नया-नया आया हूं, पांच वर्ष बोलने का मौका मिलेगा, मुद्दे बहुत हैं।

सभापति महोदय, पूरवर्ती सरकार जो बात यहां पर कर रही है, हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमसे शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किया, हमने शिक्षा में नये केन्द्र खोल दिये। आप लोगों ने ऐसे केन्द्र खोले राजीव गांधी की पाठशाला के नाम पर, जहां पर छत नहीं है मकान नहीं है, बैठने के लिये बच्चे नहीं है। किसी स्कूल में बच्चे हैं नहीं और अध्यापक लगे हुए हैं। अध्यापक भी ऐसे लगे हुए है जो शायद उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकें। सारी सरकार पैरा टीचर्स पर अगर सरकार थोड़े दिन और रह जाती तो शायद इस राजस्थान के अंदर पैरा डॉक्टर भी लग जाते और राजस्थान की जनता बचती नहीं। वे डाक्टर जो अनुभवी नहीं है, पैरा मेडिकल डाक्टर लग जाते। (व्यवधान) वे नहीं लगे, वे लगे हैं जो एम.बी.बी.एस. हैं। सरकार की योजना तो गांवों में उन लोगों को लगाने की थी जिन्होंने एम.बी.बी.एस. नहीं किया, जिन्होंने मेडिकल का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा। उनको पैरा डाक्टर के रूप में लगाना चाहते थे। सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 100 दिन की कार्य योजना के आधार पर जो लक्ष्य तय किये हैं वे लक्ष्य 100 दिन के नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ओम बिरला : 100 दिन का लक्ष्य है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं अंधियारे से उजाला आएगा तो इन पांच वर्षों में आएगा न्याय और सभी को सम्मान मिलेगा तो राजस्थान में वसुन्धरा राजे सिंधियाजी के नेतृत्व

(श्री ओम बिरला)

में मिलेगा, जिनकी दूरदृष्टि दिल्ली की सरकार ने देखी है, जिनकी दूरदृष्टि झालावाड़ की जनता ने देखी है। वह ऐसा परिवर्तन लाएंगी कि राजस्थान में सभी सम्मान से रह सकें, राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, राजस्थान के गांव और सड़कों से जुड़ सकें, राजस्थान नौजवानों की बेरोजगारी दूर कर सके। ऐसा राजस्थान जिसमें किसानों को बिजली मिले, ऐसा राजस्थान जिसमें किसान का बेटा बेरोजगार न हो जिसके नेकर पर थेगला न लगा हो, जिसका कुर्ता फटा हुआ न हो, जिसका बनियान फटा नहीं हो, जिसको चिकित्सा की व्यवस्था मिल सके। ऐसे राजस्थान की कल्पना हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कल्पना कर ऐसा राजस्थान बनाएंगी। मैं विपक्ष के नेता महोदय को भी कहना चाहता हूं, जो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं कि आप इनका एक वर्ष तक सहयोग करें। जैसे हमने सहयोग किया था, आप भी सहयोग करें तो राजस्थान की जनता को अच्छा लगेगा। एक वर्ष तक हमें काम करने दीजिए, अगर एक वर्ष में राजस्थान के इतिहास को परिवर्तित नहीं कर दें तो सदन का पटल तो पांच वर्ष चलने वाला है, आप हमें कभी भी कह सकते हैं। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने ध्यानपूर्वक मेरा वक्तव्य सुना इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरारामजी (धोद) ।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उस पर विचार रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी जीत पर बड़ा गर्व कर रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। राजस्थान में सत्ता चलाने वालों का पाठ पढ़ाने का काम इसने पहले भी किया है। सत्ता में आने के बाद किये गये वादों को अगर पार्टी पूरा नहीं करती है तो उनको सजा देने का काम भी बराबर करती रहती है। पहले आपके साथ में किया है, अभी इनके साथ किया है और अगर ऐसा ही काम किया तो मैं समझता हूं, आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा ही करेगी। जहां तक अभिभाषण में मूल बात है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के विकास की जो बात अभी कोट से आने वाले

(श्री अमराराम)

माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्य कह रहे थे, राजस्थान का वह ग्रामीण जो आज गांव और ढाणी में बैठा हुआ है, उनकी समस्याओं पर इस अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं है। आज भी राजस्थान के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं उनकी समस्याओं पर इस अभिभाषण में एक भी शब्द नहीं है। 1956 में सीलिंग कानून बनने के बाद, 56 साल की आजादी के बाद आज भी सीलिंग से ज्यादा ज़मीन इसी प्रदेश के राजा महाराजाओं के पास 72-72 हजार बीघा जमीन आज भी खाते में है। राजस्थान नहर की बेशकीमती जमीन राजस्थान के किसान को देने की बात इस अभिभाषण में कहीं भी नहीं है। पूववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, राजस्थान की वह बेशकीमती जमीन जिस पर राजस्थान के किसान का पहला हक है, राजस्थान के बड़े-बड़े राजनेता जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इस राजस्थान के भ्रष्ट अफसर जो डूबे हुए हैं या बड़े-बड़े धन्नां सेठ, इनको नीलामी के माध्यम से सरकार देना चाहती है और उसमें एक शब्द उस गरीब के लिये नहीं है। राजस्थान का वह गरीब जिसके बारे में चिन्ता इन 56 सालों में नहीं हुई। इस राजस्थान के पवित्र सदन में सबके लिए कानून बने, लेकिन राजस्थान का 25 से 30 प्रतिशत गांवों में बैठा हुआ वह गरीब जिसके पास न जमीन है, वह अपना पेट मजदूरी से भरता है, उसके लिये कानून बनाने के लिये न पूर्ववर्ती सरकार के पास समय था और न आज की सरकार के पास समय है। बड़ी घोषणाएं जरूर होती हैं कि हम गरीब को गणेश मानते हैं लेकिन राजस्थान का गांव में बैठा हुआ गरीब जिसमें अधिकतर दलित हैं, वह पिछड़ा हुआ है। न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान की धरती को छोड़ कर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के भट्टों पर जाकर अपना जीवन-यापन करने के लिए पसीना बहाते हैं। उनके साथ कुकर्म होते हैं। उनको यहां रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी हो, उनकी सामाजिक सुरक्षा हो, इस बात के लिए राजस्थान की विधान सभा में आज तक कोई कानून नहीं बना है। घोषणाएं हो जाएं। 100 दिन की हो जाएं, 300 दिन की हो जाएं, इन घोषणाओं से सरकार केवल वाहवाही ले सकती है, अखबारों में फोटो छपवा सकती है, लेकिन राजस्थान का वह गांव में बैठा हुआ गरीब जो खेत में पसीना बहा रहा है, उसकी आज राजस्थान में क्या हालत है ? उसकी लागत का तीन गुना बढ़ गया। राजस्थान का किसान दोनों तरफ से मारा जाता है। सभापति महोदय, अकाल पड़ जाए तो मारा जाता है, फसल पैदा हो जाए तो मारा जाता है। यही राजस्थान की धरती है जहां अकाल पड़ता

(श्री अमराराम)

है, राजस्थान में भूख से मौते होती हैं। यही राजस्थान है जहां जमाना होगया, बाजरा पैदा हो गया, केन्द्र में बैठी हुई सरकार और राजस्थान में बैठी हुई सरकार बयान देती रहे और राजस्थान का किसान लुटता रहे। इस बात के लिए राजस्थान के साथ भेदभाव आज नहीं, हमेशा से होता रहा है। आज भी राजनीतिक आधार पर हरियाणा और पंजाब का गला हुआ, सड़ा हुआ गेहूं खरीदा जाता है। और राजस्थान के किसान का बाजरा नहीं खरीदा जाता। राजस्थान में मात्र एक प्रतिशत पानी है, अभिभाषण बजट आते रहे और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन 56 साल की आजादी के बाद राजस्थान के सरफेस वाटर का मात्र 52 प्रतिशत पानी उपयोगी है और 48 प्रतिशत पानी ऐसा है, लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीते है, और 25 साल में कूबड़े हो जाते हैं। हम आज पेयजल की कितनी ही घोषणाएं कर दें, कितने ही हम विज्ञापन छपवा दें, कितने ही टेलिविजन में दिलवा दें, 56 साल की आजादी के बाद भी हजारों गांवों को शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाया। आज राजस्थान से होकर पाकिस्तान पानी जाता है। आज राजस्थान की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो कि राजस्थान के गरीब को जमीन मिले, उसको पानी का साधन हो लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार राजस्थान के 6 शहरों को सुन्दर बनाने के लिए हजारों करोड़ का लोन लेकर फ्लाई ओवर बना सकती है। उससे पूर्ववर्ती सरकार राजस्थान के गढ़ों और महलों को हैरिटेज होटल बनाने के लिए चिंतित हो सकती है, लेकिन राजस्थान के गांव में बैठे आदमी के पानी के लिए पैसा नहीं है। उसके लिए नहर बना कर पीने का पानी पाइप द्वारा पहुंच जाए, इस बात के लिए उनके पास चिंता नहीं है। हम पक्ष और विपक्ष में बात कह दें, इससे काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी उस गरीब के लिए, जहां की बात की गयी है ? मैं नहीं समझता, राजस्थान में पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में नीतियों में कोई फर्क है। हम गरीब को गणेश मान रहे हैं लेकिन उन नीतियों का क्या नतीजा है ? अभिभाषण में कहा गया कि हम निजीकरण की नीतियों पर चलेंगे। खाद्यान्न की हालत यह है कि राजस्थान में केवल बी.पी.एल. परिवार को राशन की हमारी जिम्मेदारी होगी, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, थोड़ा जल्दी करें।

श्री अमराराम (धोद) : इस बात को कह देना काफी नहीं कि राशन की व्यवस्था होगी।

सभापति महोदय, निजीकरण की हालत यह है कि जिस बिजली की वाहवाही लूट रहे हैं, आपकी सरकार आने के बाद उत्तर मिला है कि क्या हालत है इस बिजली के निजीकरण में। केन्द्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने और राजस्थान की सरकार ने भी बिजली का निजीकरण किया, राजस्थान के विकास का कोई आधार था तो इस बिजली को निजीकरण में ले जाकर तबाह करने का काम किया। इसका नतीजा यह है कि पिछले दो साल में अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी ने दो साल में जितने घरेलू कनेक्शन दिये हैं उससे ज्यादा, 53 हजार कनेक्शन कम हुए है। आज गरीब बिजली की रेट न कुएं पर चुका सकता है। आज हालत यह है। राजस्थान में बिजली की कि आने वाले समय में मैं समझता हूं....

श्री सभापति : प्लीज समाप्त करें । आपको डबल टाइम दे दिया मैंने।

श्री अमराराम (धोद) : डबल दे दिया तो ट्रिपल दे दें।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, समाप्त करें। और बहुत माननीय सदस्य हैं बोलने वाले।

श्री अमराराम (धोद) :समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मेरा तो आप से निवेदन है कि इस बात के लिए हम केवल वाहवाही लूट लें तो राजस्थान के किसान की, राजस्थान के गरीब की, राजस्थान के उस दलित का जिस दलित के नाम पर आप वोट लेकर आये हैं, बहुत-सी सीटें जीत कर आये हैं लेकिन हकीकत राजस्थान का दलित जानता है। इसी राजस्थान में चकवाड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता जाकर आये हैं, वहां दलित एक तालाब में नहीं नहा सकता, वहां पशु नहा सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं जो साथ जाकर अपमानित करने वालों का साथ देते हैं। न कि पीडित होने वालों का साथ देते हैं।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक ही निवेदन है कि जो बहुमत राजस्थान की जनता ने कांग्रेस से दुखी होकर आपको दिया है, अगर उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतरे तो इनका तो एक अंक गायब किया है, आपका 120 से जीरो गायब करेगी। मुझे आशा है कि इनकी आशाओं पर आप खरे उतरेंगे, वर्ना आपके साथ भी वहीं सुलूक होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रणबीर सिहंजी गुढा पहले आप बोले। अपनी सीट पर जाकर बोलें। इसके बाद आपको ही ले रहा हूं, टीकमचंदजी।

श्री टीकम चंद कान्त : कोई न कोई क्रम तो रहना चाहिए, सभापति महोदय।

श्री सभापति : क्रम है, ले रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इनडिपेंडेंट को बुला रहे हैं, कांग्रेस को बुला लें। हम इनसे कम से कम तीन गुना हैं।... (व्यवधान)... ऐसे नहीं, एक आपने दूसरी पार्टी का बुला दिया तो एक इधर कांग्रेस से।

श्री सभापति : मैं उसी क्रम में ले रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : क्रम में हम नीचे रह गये साहब।

श्री सभापति : नहीं, ऐसे नहीं। मैं उसी हिसाब से बुला रहा हूं, उस के रेशो में ही।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि चुनाव से पहले समाज के मंचों के ऊपर बैठ कर आप अपने समाज को, गरीबों को आरक्षण दिलाने की बात का वादा करके आये थे, आप आज सरकार में हो तो चुप क्यों बैठे हो ? लाखों लोगों को इकट्ठा करके आपने भाषण क्यों दिया ? वे सारी बातें आपने बोल दी तो उन सारी बातों पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे ? यहां आकर आप कुछ बोलते हो और वहां जाकर आप कुछ बोलते हो, इससे क्या जनता में मैसेज नहीं जाएगा ? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

पिछले पांच साल के राज में कांग्रेस के पास दो तिहाई बहुमत था और मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में दलितों को घोड़ी पर से उतार कर पटका जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, उनको जलील किया जा रहा था लेकिन जलील करने वालों के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप कोई ऐसा कानून बना दो कि किसी गांव में अगर दलित को कोई घोड़ी के ऊपर से उतारेगा तो उसको फांसी की सजा होगी, उसको उम्र कैद होगी। यह कानून बना दो दो तिहाई बहुमत से, हम उसको पास करवा देंगे, कोई उसका विरोध नहीं कर सकेगा। उस कानून को आप क्यों नहीं रख देते ? जो गलती कांग्रेस ने की वह आप क्यों कर रहे हो ? वह गलती आप मत करो।

एक मेरा निवेदन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय दर्जा दिलवा दो, मैं आपको बता रहा हूं कि सारी जनता आपके साथ हो जाएगी। जो भी बात बोलते हो उस पर अमल करके दिखाओ। चार लडकों को बेरोजगारी भत्ता हाथ में देकर उसके बाद बोलो। एक साल मत मांगो। पहले 100 दिन मांग रहे थे, आज आप एक साल मांग रहे हो, कल आप पांच साल मांगोगे। आप भी वही गलती मत करो, बहाने मत खोजो। काम करने के बारे में सोचो कि काम का तरीका क्या हो सकता है। आप राय ले लो, सब ले लो, मदद ले लो, लेकिन आप बहाने मत बनाओ, बातों में मत टालो। चुनाव के बाद कोई काम नहीं करता है। मैं आप से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय दर्जा दो, बेरोजगारी भत्ता दो, बेरोजगारी के ऐसे हालात हैं।

पानी के बहुत बुरे हालात हैं। गुढा में पहाड़ी गांवों में रहने वाले लोग है, वहां पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। चाहे आप जांच करवा लो। बीजियावास के अन्दर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, गरीब को कुछ नहीं मिला और जिनके पास बड़े-बड़े घर हैं, महल हैं, उन लोगों के लिए मकान बन गये। फालतू के मकान बन गये। उसमें घोर पक्षपात किया गया। अकाल राहत में घोर घोटाला हुआ, मैं उदयपुरवाटी पंचायत समिति की बात करता हूं। बी.डी.ओ. के खिलाफ, कांग्रेस के प्रधान के खिलाफ और उस अकाउंटेंट के खिलाफ, एक कर्मचारी को फंसा दिया। सबके खिलाफ सैशन कोर्ट ने आदेश दे

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

दिया, सैशन कोर्ट के आदेश की पालना आज तक नहीं हुई। वह गरीब जीतेन्द्र बलाई जेल में चला गया। सेम केस सेम बदमाशी करने वाले और ऊंचे-ऊंचे तीन अधिकारी, एक प्रधान है, आज भी बैठा हुआ है। वह कोर्ट के आदेश के बावजूद बैठा हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि सी.आई.डी. कोई आसमान में नहीं बैठी थी, सी.आई.डी. कांग्रेस के राज में इनके नीचे थी। आज धन्यवाद देना चाहता हूं बी.जे.पी. की सरकार को कि चुनाव के ठीक पांच, दस, पन्द्रह दिन के बाद बी.डी.ओ. को सस्पैण्ड कर दिया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान को सस्पैण्ड करो, उदयपुरवाटी के प्रधान को गिरफ्तार करो और वहां के अकाउन्टेन्ट को गिरफ्तार करो। आठ लाख का घोटाला जिसके खिलाफ सैशन कोट, झुंन्झुनूं ने सीधा-सीधा आदेश पुलिस को गिरफ्तार करने का दिया है, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटाना अगर आप चाहते हो तो भ्रष्ट लोगों को जेलों के अन्दर भेजना शुरू करो।

दूसरी बात मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गलती कांग्रेस ने की वह गलती आप मत करो। राजस्थान की विधान सभा के अन्दर डा. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, दलितों को आरक्षण दिया था, उनके मान-सम्मान के लिए जब लोक सभा में डा.भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हो सकती है तो राजस्थान की विधान सभा में वह मूर्ति क्यों नहीं हो सकती ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने डा. अम्बेडकर की मूर्ति राजस्थान की विधान सभा में लगवाने के लिए जब हम मांग कर रहे थे तो हमार ऊपर लाठियां बरसा दीं। दलितों के सैंकड़ों लड़कों के हाथ-पैर तोड़ दिये। कांग्रेस ने सबके ऊपर मुकदमें लगा दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस अम्बेडकर का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस ने 40 वर्ष तक लोगों की यह हालत बनाकर रखी है। तालाबों में जानवर पड़े रहते हैं लेकिन दलितों के बच्चे तालाबों में नहा नहीं सकते। जो मूर्ति बनाता है वह मूर्ति बनाने वाला उस मूर्ति के मन्दिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ ऐसा कानून बना दो कि किसी दलित को किसी मन्दिर में जाने से कोई रोकेगा तो उसको कठोर सजा मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारा राजस्थान आप लोगों का सम्मान करेगा और अटल बिहारी

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

वाजपेयीजी दो तिहाई बहुमत से प्रधान मंत्री बन जाएंगे। यह असमानता खतम करो, भेदभाव खतम करो, आपसे मेरा यही अनुरोध है।

जो बेरोजगारी भत्ता है, स्कूलें खोल-खोल कर चालू कर दीं, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, लाखों करोड़ बेराजगार हैं। पंखे के ऊपर लटक-लटक कर मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार पर मुकदमें होने चाहिए। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आप बेरोजगारी के लिए कुछ करिये।

श्री सभापति महोदय : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें थोड़ा।

श्री रणबीर सिंह गुढा : दूसरी बात, आपसे इतना-सा कह रहा हूं कि मूल ओ.बी.सी. के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं। ओ.बी.सी. में वे लोग थे जो बकरियां चराते थे और जिनके पास जमीन नहीं थीं, पहाड़ियों में चराते थे, उनको आरक्षण मिला ओ.बी.सी. में। माननीय अटल बिहारीजी ने अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने उनकी छाती पर शक्तिशाली लोगों को बैठा दिया, उन बच्चों का पूरा का पूरा गला काट कर पटक दिया। मैं इतना कह रहा हूं कि विभाजन कर दीजिए। अति पिछड़े और पिछड़े लोगों को अलग-अलग कर दीजिए ताकि जो अति पिछड़े हैं उनको भी कुछ मिल जाए उनके बच्चों का भी नम्बर आ जाए और विश्वविद्यालयों में भी उनके बच्चे पढ़ लें।

मैं दूसरी बात यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बात सभाओं में बोलते हैं अधिवेशनों में बोलते है, सरकार वह काम करे यहां पर।

पूरा का पूरा निजीकरण होने के कारण से, निजीकरण कांग्रेस ने लागू किया था और बी.जे.पी. ने उसका इम्पलीमेन्टेशन कर दिया, दोनो दोषी हैं। प्राइवेटाइजेशन के अन्दर आरक्षण नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं तो आप एक बात बताओ कि दलितों का और अनुसूचित जाति का तो आरक्षण खतम हो गया। प्राइवेट सैक्टर के अन्दर लोक जन शक्ति पार्टी एस.सी., एस.टी. के आरक्षण की मांग करती है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करती है मैं इतना

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

कहता हूं कि क्रीमीलेयर को निकाल दो। जिस कास्ट में भी क्रीमीलेयर है, जो एस.पी. है, कलेक्टर है, एम.एल.ए. है, एम.पी. है...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। डबल टाइम हो गया, धन्यवाद दे दीजिए।

श्री रणबीर सिंह गुढा : उनको निकालकर जो बचे हुए हैं जो अब भी पिछड़े हुए हैं वर्गीकरण करो, उपेक्षित को आरक्षण दो और डा. अम्बेडकर की मूर्ति लगाइये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री टीकमचन्दजी कान्त ।

श्री टीकम चंद कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, महामहिम राजयपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में पढ़ा उनको यह सदन धन्यवाद देता है, इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन के सदस्य श्री नन्दलाल मीणा ने रखा और श्री राजेन्द्रजी राठौड़ ने जिसका समर्थन किया, उस पर वाद -विवाद आगे बढ़ रहा है। मैं भी इसमें भाग ले रहा हूं। सरकार बदली है। एक पक्ष जीता है, एक पक्ष हारा है। जीतने वालों को खुशियां स्वाभाविक है और हारने वालों को पीड़ा होती है। हो गयी पीड पर्वत-सी पिघलनी चाहिये, और कांग्रेस की पीड़ वास्तव में पर्वत जैसी हो गयी है। अब यह पक्ष पिघले इस प्रकार का कार्यक्रम में इस सदन में देख रहा हूं। बिजली की मांग उचित हो, अनुचित हो लेकिन उसके करंट से यह पीड़ पिघले, इस प्रकार का कार्यक्रम कांग्रेस ने हाथ में लिया। बाहर का किसान इसे उचित नहीं मानता। उन्होंने कहा कि आपने क्या दिया अब तक। दिन को डेढ़-डेढ़ घंटा बिजली, दो-दो घंटे बिजली। ज्यादा से ज्यादा आपने घोषणा कर दी, अखबारों में छपवा दिया कि चार घंटे बिजली मिलेगी। अपने गिरहबान में झांकने की कोशिश करें। महामहिम राज्यपाल महोदय बोलने के लिए खड़े हुए उससे पूर्व माननीय सदस्यों ने शहीद की बात कही कि यह पार्टी शहीदों का अपमान कर रही है, उनका नाम मिटा रही है। जिस प्रकार कहा गया उससे मुझे लगता है कि शहीद के नाम पर राजनीति हो रही है। अपनी ही राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी नाम को बार-बार चलाया जाता है। शहीदी में से निकालकर उनको मात्र चलन में आया जा रहा है। इस बात का मैं भी विरोध करता हूं। "शहीदों

(श्री टीकम चंद कान्त)

की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशां होगा" । (व्यवधान) और हम शहीदों के नाम को सदन में ला दें ताकि पार्टी को कुछ मजबूती मिले। और उस समय में जिस समय इस सदन को गरिमा का पालन करना चाहिए।

शहीद तो फिर, सभापति महोदय, महर्षि दधीचि से प्रारम्भ करें जिनकी हड्डियों के औजार बनाकर पारिश्क्तता से मानवता की सुरक्षा की गयी थी। सभापति महोदय, कुमारी भट्ट को शहीद माने जिसने भूसी में खड़े होकर भूसी को आग लगायी थी और निरन्तर धीरे-धीरे जलते रहे थे कि भारत की संस्कृति बची रहे, उसका धर्म बचा रहे। सभापति महोदय, फिर शहीद लाला हरदयाल को नहीं माने ? फिर क्या शहीद हम भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, उनको नहीं मानें ? उनके नाम पर कितनी स्कूल हमने खोली है, उनके नाम पर कितने अस्पताल हमने खोले हैं, उनके नाम पर कितनी कालोनी हमने बसायी हैं ? सभापति महोदय, बात आती है तो डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश को एक करने के लिए कहते थे दो विधान नहीं चाहिए, दो निशान नहीं चाहिए, दो प्रधान नहीं चाहिए। नहीं स्वीकार करूंगा परमिट, कंश्मीर भारत का हिस्सा है, उसमें प्रवेश किया और अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था, पूरे देश को कह देना कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर गया। सभापति महोदय, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर से वापस इस देश में नहीं आ सके। कहते हैं कि उनको जहर दे दिया गया था। फिर शहीदी में एक नाम और लिख दीजिए। अभी कह रहे थे, मोहम्मद माहिर आजाद पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम का जिक्र कर रहे थे। मुगलसराय के स्टेशन पर किन दुश्मनों ने उनको मार दिया, क्यों हत्या कर दी क्योंकि इस देश के अन्दर एक नई व्यवस्था का दर्शन उन्होंने दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री टीकम चन्द कान्त : फिर उनके ही नाम लिखे जाएं। फिर हर पार्टी आएगी, अपने शहीदों का नाम लिखती जाएगी। यह मेरा बिलकुल मानना है कि किसी भी शहीद का नाम मेहरबानी करके चलन में सिर्फ इसलिए मत लाओ कि वह पार्टी को कहीं वोट दिलवा दे, मजबूती दिलवा दे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : वोट नहीं टिकट दिलवाता है वह।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, यह चीज मैंने देखी। अभी यह पर्वत-सी पीर हो गयी कांग्रेस की, लेकिन क्यूं हारे ? 156 में से एक तिहाई रह गये, दो तिहाई हार गये। और राजस्थान जनता भी महान है, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, 95-95 की बार बार बात कर रहे थे, फिर बाद में कहते हैं, हम 33 रह गये।

सभापति महोदय, पिछली बार यहां की जनता ने दो तिहाई भा.ज.पा. के आदमियों को हरा दिया था और इस बार दो तिहाई कांग्रेस के आदमियों को हरा दिया। क्यों हारे ? 156 थे। अभी यह कह रहे थे, कुछ भी कर सकते थे, कैसा भी विधान ला सकते थे, कानून ला सकते थे। राजस्थान का जिस प्रकार से चाहते विकास कर सकते थे। विकास की नींव तो 1990 से प्रारम्भ कर दी गयी थी राजस्थान के अन्दर जिस समय श्री भैंरोसिंहजी शेखावत ने सत्ता सम्भाली थी। उस समय उन्होंने पहला काम किया था कि इस प्रदेश का विकास अगर कहीं करना है तो इस प्रदेश की योजनाएं भले ही वह वार्षिक हों भले ही पंचवर्षीय योजनाएं हों, विस्तृत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए तब कहीं योजनाओं के आधार पर इस प्रदेश का विकास हो सकेगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन्हें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो मात्र तीन हजार करोड़ की थी, उसके बाद की आठवीं पंचवर्षीय योजना साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की बनाई। जब योजनाएं बड़ी होती हैं तो कोई भी प्रदेश हो, पूरी की पूरी योजना जिस प्रकार

(श्री टीकम चन्द कान्त)

की आपने रखी है उसी प्रकार पूरा का पूरा अगर खर्च कर लें तो प्रदेश का विकास होता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। सभापति महोदय, उनके समय के अन्दर जो योजनाएं 11,650 करोड़ की बनी थी, उससे भी ज्यादा खर्च करके उस के आधार पर इस प्रदेश का विकास किया गया। आप भी उस विधान सभा में थे, सभापति महोदय और आपने भी वहां भाषण किया होगा, मैंने भी उसमें भाषण किये हैं इस प्रकार के।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द कान्त : मैंने बहुत इन्तजार किया है, अब तो बोलने दीजिए थोड़ा।

उसके अन्दर कहा था, वह राजस्थान जो सोलह बड़े राज्यों के अन्दर बारहवें स्थान पर था, 1998 तक हमने घोषणा की थी कि पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। सोलह राज्यों के क्रम के अन्दर विकास जो हमने किया था, उसमें पांचवें स्थान तक पहुंच गया है। अभी मैंने कुछ थोड़े बहुत अखबार देखे थे, थोड़ा बहुत और देखा था, उसके अन्दर इन्होंने कहा था, राजस्थान नवें स्थान पर है। इसको विकास कहें, अवनति कहें, पतन कहें, उसका मूल कारण एक और भी रहा है।

सभापति महोदय, 1998 के अन्दर जो प्रारूप हम नवीं योजना का छोड़कर गये थे वह था साढ़े सत्ताइस हजार करोड़ का जब इनके हाथ में वह योजना आयी, प्रति वर्ष उसमें हास होता रहा। पांच सौ करोड़ इस बार कम हुए, इस बार हजार करोड़ कम हुए, इस बार पन्द्रह सौ करोड़ कम हुए...

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री टीकम चन्द कान्त : फलस्वरुप 27,650 करोड़ की वह योजना 19 करोड़ में सिमट गयी। राजस्थान का विकास कैसे हो सकता था ? क्या किया, संसाधन क्यों नहीं जुटाये गये, क्यों नहीं और कार्यवाहियां की गयी, क्यों नहीं खर्च किया गया ?

(श्री टीकम चन्द कान्त)

इसी प्रकार सभापति महोदय, केन्द्र से जितना भी योजनाओं के माध्यम से पैसा आया, अगर इस प्रदेश का कल्याण चाहते, इसका विकास चाहते तो सभापति महोदय, उन योजनाओं के तहत सारा का सारा पैसा खर्च कर लेते। आप लोग बहुत आंकड़े दे चुके हैं इसी कारण से मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके कारण यह प्रदेश पीछे रहा।

सभापति महोदय, अकाल की बात नहीं करेंगे तो सब कुछ यूं ही रह जाएगा। कांग्रेस और अकाल इनकी राशि एक है, ये एक दूसरे के पर्याय हो। क्या आपका जन्म एक ही लग्न के अन्दर हुआ है ? क्या एक ही मुहूर्त में हुआ है ? यह क्या बात है ? आप राजस्थान के ऊपर शासन करने के लिए आते हैं, अकाल को साथ ले आते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भ्रम में हो, उस पार्टी के नहीं हो जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हो।

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं प्रश्न वो नहीं करता, मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं। अकाल को साथ लेकर आ रहे हैं और अब तो मिथक सच हो गया..

श्री सभापति : आपस में बहस नहीं।

श्री टीकम चन्द कान्त : जनता के मस्तिष्क में कि काल और कांग्रेस एक ही राशि है। कांग्रेस आती है और काल आता है।

श्री शांतिलाल चपलोत : काल, कांग्रेस और कमाई साथ साथ चलती है।

श्री संयम लोढ़ा : बी.जे.पी. बंगारु... (व्यवधान) आपकी है वह।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उठें नहीं। आसन की इजाजत से बोलिए। समाप्त करें प्लीज।

श्री टीकम चन्द कान्त : इस अकाल के अन्दर जो हालात हुए, सभापति महोदय, जितना भी अनाज भेजा गया केन्द्र से, उसका सम्पूर्ण

(श्री टीकम चन्द कान्त)

वितरण नहीं हो पाया। ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि इन्होंने अपने अपने लोगों को आकर अनाज बांटा है लेकिन गरीब तक अनाज पहुंच नहीं पाया। अब यह बात हो सकती है कि खाद्यान्न कितना आया-चार करोड दस लाख बोरी आया था या तीन करोड़ दस लाख बोरी।

श्री सभापति : समाप्त करें। बहुत समय ले चुके हैं आप प्लीज।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए, कितनी देर बैठे रहे हैं, और कौन है निर्दलीयों में, और कोई नहीं है।

श्री सभापति : है, अभी और हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : हैं तो ठीक है, बाकी निर्दलीय तो नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अच्छा बोल रहे हैं बोलने दीजिए।

श्री सभापति : अच्छा बोल रहे हैं पर 15 मिनट दे चुके हैं। बोलिए।

श्री टीकम चन्द कान्त : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस अकाल के अन्दर अनाज गरीब तक पहुंचा नहीं, बाजारों में बेचा गया। बाड़मेर जिले में सिबाना से जो अनाज गया, वह तो गुजरात के मार्केट में बिका है। गुजरात के बाजार के अन्दर वह बेचा गया, वह तो गुजरात के मार्केट में बिका है। गुजरात के बाजार के अन्दर वह बेचा गया अनाज। उस अनाज के आधार पर जो काम किये गये उन कामों का लाभ शासनकर्ता पार्टी के प्रधान और एम.एल.ए. के खेतों में सभा भवन बन रहे हैं, उनके बेरों पर सड़कें जा रही है, इस प्रकार इसका दुरूपयोग किया गया।

सभापति महोदय, अकाल के अन्दर जिस प्रकार से भागीदारी थी कमीशन बांटने की, वह भी आज एक जांच का विषय बन सकता है। ये हालात इस अकाल के अन्दर हुए है..

सभापति महोदय, कई सारी बातें थी, समय का अभाव है, एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज । You have taken a lot of time.

(20.00 बजे)

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं बस एक बात कहना चाहता हूं बाड़मेर जिला राजस्थान के अन्दर सबसे पिछड़ा जिला है। उस जिले के अन्दर शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सभी दृष्टिकोणों से पिछड़ापन है। सन् 2001 में बैंगलोर के अन्दर एक राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई थी कि इस देश के पिछड़े हुए जिलों पर चर्चा की जाए। कौनसे जिले पिछड़े हुए हैं, उनको विशेष सहायता दी जाए। 2001 में बाड़मेर जिले का प्रतिनिधित्व भी उस कान्फ्रेंस में हुआ था। राजस्थान का एक मात्र जिला जो कान्फ्रेंस हेतु लिया गया था। उसके बाद उसकी चर्चाएं आगे नहीं बढ़ीं, उस जिले के ऊपर पुनर्विचार नहीं हुआ। बाड़मेर जिला सीमान्त जिला है...

श्री सभापति : अब समाप्त करिये। प्लीज समाप्त करिये। अब प्लीज समाप्त करें।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, बाड़मेर जिला सीमान्त जिला है, पिछड़ा जिला है...

श्री सभापति : लेकिन आप समाप्त करिये, समय की भी सीमा है।

श्री टीकम चन्द कान्त : वह सरहद पर है...

श्री सभापति : वह भी सीमा है, यहां समय की भी सीमा है।

श्री टीकम चन्द कान्त : सीमा का प्रहरी है, इस कारण से उसको विशेष लाभ दिया जाना चाहिये, यह मेरी मांग है। इसको अगर समृद्ध बनाना है तो रूकी हुई जो नर्मदा की नहर है, पहले सरकार ने उस पर पैसा नहीं दिया गुजरात को और न उसके अन्दर जमा करवाया, फलस्वरूप वह नहर आगे नहीं बढ़ी। अब जल्दी से जल्दी हम पैसा देंगे तो नर्मदा की नहर आगे बढ़ेगी और जालौर, बाड़मेर दोनों को पानी भी मिलेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान नहर जो रूकी पड़ी है पिछले पांच सालों के अन्दर..

श्री सभापति : आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द कान्त : एक पैसा उसके अन्दर नहीं डाला गया। उसका लाभ इस रेगिस्तान को मिलना चाहिये था। अब उस नहर को जल्दी से जल्दी आगे बढाएं।

मेरा एक और निवेदन है। अभी बात हुई थी सुबह डीजल और पैट्रोल वहां से निकल रहा है, तेल निकल रहा है, लेकिन तेल की रिफाइनरी बाड़मेर में ही हो...

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री टीकम चन्द कान्त : इस बात का भी ध्यान रखा जाए।

सभापति महोदय, सिवाना विधान सभा क्षेत्र में बिजली की बहुत कमी है, मेहरबानी करके वहां बिजली की ओर ध्यान दिया जाए। वहां 25 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं पहुंचा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें आप, आज बहुत हो गया।

श्री टीकम चन्द कान्त : भारतीय जनता पार्टी के राज में 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. खड़ा हो गया था, जिस समय वह कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा था। इस पांच साल के कांग्रेस के शासन में वह ट्रांसफार्मर...

श्री सभापति : माननीय श्री जालम सिंहजी।

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं चाहता हूं कि 25 बम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर वहां लगे।

श्री सभापति : माननीय जालम सिंहजी। माननीय जालम सिंहजी, प्रारम्भ करिये।

श्री टीकम चन्द कान्त : आपने किसी का नाम पुकार लिया क्या ?

श्री सभापति : जी हां। समाप्त करिये आप। आपको कितना समय दे दिया।

श्री टीक मचन्द कान्त : हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। अपनी बात कहते हुए राज्यपाल महोदय ने इस पवित्र सदन में पधार करके जो कृपापूर्वक अभिभाषण दिया है उस अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। जो धन्यवाद प्रेषित किया जा रहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र : सभापति महोदय, यह चार हो गये।

श्री सभापति : माननीय जालम सिंहजी।

श्री जालम सिंह (शिव) : सभापति महोदय, प्रतापगढ़ से सम्माननीय सदस्य द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके पुरजोर समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मैं सबसे पहले अभिनन्दन करता हूं कि इस सदन की सम्माननीय अध्यक्षा पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गयी हैं। मातृ शक्ति का गौरव बढ़ा है। यह और सौभाग्य की बात है। कि सदन की नेता भी मातृ शक्ति के रूप में हमारे समक्ष हैं। सभापति महोदय...

श्री सभापति : इनके बाद आपका ही नम्बर है।

श्री जालम सिंहजी : नवम्बर तक जो कांग्रेस का राज रहा उसकी पूरे राजस्थान में व्यापक रूप से चर्चा हुई है। उनका जो कुशासन रहा है...

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, ऐसा है, आसन द्वारा जो भी व्यवस्था दी जाए, हमें शिरोधार्य है, लेकिन चार चार आदमी बोलें और इधर कांग्रेस का नम्बर नहीं दे, इस व्यवस्था के खिलाफ हम बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिगर्मन)

श्री सभापति : नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिये, आप सुनिये। ऐसा है जितना समय है, सबको उतना ही समय दिया जा रहा है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, आप जरा सदन में बताने का श्रम करें कि कांग्रेस पार्टी को कितना समय दिया गया था और उन्होंने अपना कितना समय ले लिया ? यह बता दें कि उनका समय कितना था और कितना समय ले लिया...

श्री सभापति : देखिये, कांग्रेस पार्टी...

श्री सुभाष चन्द्र : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं बहुत देर से दो बार पर्चियां भेज चुका हूं लेकिन इसमें मुझे बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री सभापति : नहीं, ऐसा है, बोलने तो दे रहे हैं न आपको। सबको एक साथ नहीं दे सकते। जितना समय है...

श्री जालम सिंह : सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र दो जिलों के क्षेत्रों से मिलकर बना है-शिव। उन दोनों जिलों में कांग्रेस ने पिछले पांच सालों में जो कुकृत्य किये हैं, वहां जो राष्ट्र विरोधी लोगों को बढ़ावा दिया है, मैं उन बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 घण्टे 22 मिनट का टाइम था, इसमें लगभग 3 घण्टे का समय उनको हम दे चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बताओ। फिर काहे का बहिर्गमन।

श्री सभापति : इसलिये जो कह रहे हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह गलत कह रहे हैं।

श्री सभापति : चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ पांच हुए हैं। हम शासन में हैं, 120 की हमारी संख्या है। सभापति महोदय, यह आसन से किस तरह का न्याय है।

श्री सभापति : मैं इसलिये कह रहा हूं कि वह जो कह रहे हैं, वह सुनते, वह चले गये...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह गलत है, यह बताओ।

श्री सभापति : वह गलत है, बिलकुल गलत है। उनको टोटल अलाटेड टाइम 3 घण्टे 22 मिनट है जिसमें से वह 2 घण्टे 58 मिनट बोल चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर तो कल 22 मिनट कल्लाजी को दे देना आप...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको... (व्यवधान) यह बार बार वाक आउट करने का आपको... (व्यवधान)

श्री जालम सिंह : सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य हैं, 1986 से पक्ष और विपक्ष में हैं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : हमारे पुराने मित्र हैं, सुनेंगे पहली बार बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : और यह सीमान्त जिले के हैं इसीलिये हम इनको सुनने के लिए आए हैं

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिये बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 घण्टे 22 मिनट का समय अलाटेड है...

श्री खुशवीर सिंह : सभापति महोदय, निर्दलियों का देख लें फिर, कितना है।

श्री सभापति : निर्दलियों को 27 (व्यवधान) एक मिनट सुनिये, मैं बता दूं निर्दलीयों का 27 मिनट का टाइम है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कितने बोले हैं ?

श्री सभापति : 47 मिनट का टाइम है, 2 बोले हैं।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह जो बहिर्गमन किया या तो उनको कार्यवाही से निकाला जाए, नहीं तो इनको समय ही नहीं दिया जाए।

श्री सभापति : आपका समय बहुत कम है फिर भी हम आपको एकोमोडेट कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह : धन्यवाद उसके लिये, सभापति महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी मेहरबानी से नहीं आऐ हैं... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : माननीय सदस्य, आप बोलिये, हम आपको सुनने के लिये आए हैं।(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका वाक आउट करना ठीक नहीं था।

श्री हेमाराम चौधरी : सीमान्त जिले के बोल रहे हैं बोलिये माननीय सदस्य। आप बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मदन दिलावर जी को देखा नहीं आपने आप तो ये नहीं पिछले सदन में। मदन दिलावरजी को पहचानो आप तो...। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी... (व्यवधान) बात तो नहीं मानी...1(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कपड़े फाड़ दिये थे। चड्डी बनियान में हो गये थे सदन में। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहली बार बोल रहे हैं...

श्री सभापति : टेक योअर सीट प्लीज।... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवड़ी : माननीय सदस्य, यह पहली बार बोल रहे हैं, ध्यान दें।

श्री सभापति : पहली बार बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आप सुनना नहीं चाहते हो।

श्री संयम लोढ़ा : इसीलिये आए हैं, हुजूर। इसीलिये आए हैं।

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री जालम सिंह : वह सभी मेरे मित्र हैं जो आये हैं। कांग्रेस के लोग बहिर्गमन के बाद आये हैं। मैंने इन सबसे कह रखा था कि मैं आपकी पार्टी की

(श्री जालम सिंह)

आलोचना करूंगा और स्वस्थ आलोचना करूंगा, इसलिये आप रहना। इस नाते आये हैं इसलिये इनका स्वागत है।

सभापति महोदय, मैं पिछले दस साल में बाड़मेर, जैसलमेर के लगभग सभी क्षेत्रों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सक्रिय रहा हूं। विधान सभा में और राजनीति में मेरा अभी डेढ़ माह का ही, प्रवेश समेत तीन महीने का मानो पुराना है। मैं बाड़मेर, जैसलमेर की सीमावर्ती समस्याओं के बारे में हमेशा सक्रिय रहा हूं। पांच साल का जो कांग्रेस का शासन रहा है उसमें इन लोगों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी लोगों को और तस्करों को प्रोत्साहन दिया है, इसी कारण इनकी यह स्थिति हुई है। पिछले विधान सभा चुनाव की तुलना में ये तीन लाख मतों से बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र से हारे हैं। सभापति महोदय, इनको शिव क्षेत्र में 30,000 वोटों से हार हुई है। गुढ़ामालानी में ये पिछले चुनाव की तुलना में 40,000 वोटों से हारे हैं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, इन्होंने राष्ट्र विरोधी कहा है, इसको आप कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री रमेश खींची : राष्ट्र विरोधी कहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नाम नहीं है। आपका नाम लिया है क्या ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने नाम लिया है क्या ? नाम नहीं है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सीधा आरोप है कि तीन लाख वोटों से लीड ली थी और अब पीछे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : यह कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राष्ट्र विरोधी ताकतों को...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपसे हमारा अनुरोध है कि इसको कार्यवाही से निकाला जाए।... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम नहीं लिया है। उन्होंने नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कांग्रेस कहा है.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह सीधा-सीधा एक राजनीतिक दल पर आरोप है... (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : दल पर आरोप है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : किसी व्यक्ति के नाम से आरोप नहीं लगाया।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : वह पहली बार बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : तो किसके ऊपर आरोप है ? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : यह कहा है राष्ट्र विरोधी ताकत है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ : किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

श्री जालम सिंह : नहीं सुनेंगे, मेरी 14 पेज की तैयारी है... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम नहीं लिया है। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, सयंमजी। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : माननीय सदस्य, मन में चोर है इसलिए डरते हो। व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक बोलिये, एक बोलिये। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है...।(व्यवधान)

श्री सभापति : एक बोलिये, क्या कहना चाहते हैं आप ? एक बोलिये कोई। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र विरोधी ताकतों का सहयोग किया... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये, एक मिनट एक मिनट, सिट डाउन, टेक योर सीट्स। आप बैठें। (व्यवधान) तीनों में से एक बोलें। (व्यवधान) एक बोलें, बाकी बैठ जाए। क्या आरोप लगाया है, अब बोलें ?

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पांच साल इनका राज रहा, पिछली बार ये बाड़मेर, जैसलमेर जिलों से तीन लाख वोटों से लीड लेकर आये थे लेकिन पांच साल में इन लोगों ने राष्ट्र विरोधी लोगों और तस्करों को संरक्षण दिया और प्रोत्साहन दिया। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, यह कहना... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, ऐसी बातों पर कई बार सदन में तस्करों को या राष्ट्र विरोधी ताकतों ..... (व्यवधान)

श्री जालिम सिंह : किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री सभापति : आपका नाम किसी ने नहीं लिया... (व्यवधान) जनरल है।

एक माननीय सदस्य : प्रमाण है हमारे पास। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : ऐसे आरोप लगते रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्यों चिल्लाते हो आप लोग ? (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : कार्यवाही से नहीं निकालने की... (व्यवधान) सभापति महोदय की व्यवस्था आ चुकी है और कार्यवाही से नहीं निकालेंगे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हमारे पास इतनी सामग्री है आपके खिलाफ। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : इसे कार्यवाही से नहीं निकाला जाए, यह सभापति महोदय की व्यवस्था आ चुकी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : तो यह सदन नहीं चलने देंगे... (व्यवधान) नहीं चल सकता है।

श्री टीकम चन्द कान्त : अभी तो पार्टी पर आरोप है... (व्यवधान) आरोप लग सकता है... (व्यवधान) सत्ता पर बैठे हुए लोगों का संरक्षण तस्करों और राष्ट्र विरोधी ताकतें लेती रही हैं और इस देश का नाश हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : इन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया... (व्यवधान) प्लीज, टेक योवर सीट्स।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, फिर हम भी आरोप लगा सकते हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : हमारे पास प्रूफ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठें। आप भी बैठ जाएं, एक मिनट। (व्यवधान) आपने पाइंट आफ आर्डर यह उठाया है कि कोई एक्सप्रैशन उन्होंने किया है। यह जनरल है, आपका किसी का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कांग्रेस का नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कांग्रेस का नाम भी उन्होंने नहीं लिया है.... (व्यवधान) कांग्रेस का नाम कहां आया है इसमें ? नहीं है कांग्रेस। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : थे तो उसका नाम लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा ?

श्री सभापति : कांग्रेस का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : कौन दोषी है ? इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनपाने का दोषी कौन है ? सत्ता पर बैठी हुई कांग्रेस है तो उसका नाम लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया जा सकता है ? (व्यवधान) आज तो इस सदन के अंदर इस प्रकार के आरोप लगे हैं और पार्टियों के अंदर इनके नेता किससे मिले हुए हैं, यह साबित हो चुका है। इसको कार्यवाही से निकालने का क्या मतलब है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तंदूर में कांग्रेसी, कांग्रेसी (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : सीमा पर गाजी फकीर के साथ कांग्रेसी नेता थे। हमारे पास प्रूफ है, उनके फोटो हैं।

श्री सभापति : आरोप-प्रत्यारोप नहीं... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर जाए। (व्यवधान) बैठिये, प्लीज एक मिनट। (व्यवधान) देखिये, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि एक-दूसरे पर आरोप -प्रत्यारोप नहीं लगाए, आप जो भी बोलें संयमित भाषा में बोलें ताकि किसी को हर्ट नहीं हो। आप अपना भाषण जारी रखें और किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, शासन करने वाली पार्टी पर ये आरोप लगते हैं और लगाये गये हैं और देश में ऐसा हुआ है... (व्यवधान) सभापति महोदय, यहां तक बात है कि इस जिले के अंदर गायों को काटकर दावत भी दी गयी है... (व्यवधान) गौ-मांस वितरण किया गया है इस जिले के अंदर 1 पूरे के पूरे जिले के अंदर इस प्रकार का...।(व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट, एक मिनट, सुनिये न आप। (व्यवधान) देखिये, इस सदन में किसी के ऊपर व्यक्तिगत नाम लेकर आरोप लगाना... (व्यवधान)

श्री जालम सिंह : नहीं लगाया था।

श्री सभापति : एक मिनट बैठें। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं। यदि इंडिविजुअल नाम लेकर आरोप लगाये जाते हैं तो उसके नियम हैं, जब नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं तो नियम के तहत आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा।

(श्री सभापति)
इसलिए यदि किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रुप से नाम लेकर आरोप लगाये हैं तो एक्सपंज किया जाता है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, पार्टी पर लगाया है और शासन करने वाली पार्टी पर लग सकता है... (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ : पार्टी पर लगा है।

श्री टीकम चन्द कान्त : यह नयी व्यवस्था न मालूम इस सदन के अंदर बोलने से किस-किस को रोकेगी, न मालूम क्या हाल होगा ? इस सदन के अंदर देख लीजिएगा, ऐसे आरोप लगते रहे हैं (व्यवधान)

श्री जालम सिंह : हत्यारा कहा जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, देखिये आप नये हैं... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं। सदन के नियम हैं, किसी पर व्यक्तिगत रूप से आप नाम लेकर आरोप लगाएंगे तो आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी, इसलिए आप नाम नहीं लें। नाम लेकर आरोप लगाते हैं तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी, इसलिए आप संयमित भाषा का प्रयोग करें, धन्यवाद। प्रारम्भ करें।

श्री जालम सिंह : मुझे इस बात का दुःख हो रहा है, जिस तरीके से पहले कहा गया था कि नये आने वाले सदस्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मेरे कांग्रेसी मित्र मुझे ही टोक रहे हैं। मैं और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य 16 साल तक जोधपुर विश्वविद्यालय की राजनीति में रहे हैं। मैं दो सत्रों में जोधपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं। लेकिन जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघों की जो मीटिंग होती थी वह इनसे कई गुणा ज्यादा व्यवस्थित हुआ करती थी। सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा था कि मैं पहली बार आया हूं, बहुत सारे अरमान लेकर आया हूं। सीमावर्ती क्षेत्र से आया हूं। मुझे सदन के सभी वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद चाहिए और मेरे साथियों की शुभकामनाएं मुझे चाहिये।

श्री सभापति : मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि मेडन स्पीच है इसलिए उनको सुनिए।

श्री जालम सिंह : इन पांच सालों में इन लोगों ने बाड़मेर और जैसलमेर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगुवा रहे लोगों को प्रोत्साहन दिया। इनके खुद के कारनामे इसी के ईर्द-गिर्द रहे। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ जितने अत्याचार पांच सालों में बाड़मेर, जैसलमेर में हुए उतने शायद ही कहीं राजस्थान में हुए होंगे। सरकारी कार्यों और अकाल राहत कार्यों का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण किया गया। बी.ए.डी.पी. की राशि का दुरूपयोग किया गया। महिलाओं के साथ घिनौने अत्याचार किये गये। गौ-हत्या करके गौ मांस बहुसंख्यकों को खिलाया गया और राष्ट्र भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इनके एम.पी. और एम.एल.ए. सार्वजनिक मंचों पर पूरे पांच साल तक लड़ते रहे। मैं आपको कह रहा हूं, बाड़मेर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, पिछली बार हम एक सीट जीते थे, इस बार कांग्रेस एक सीट जीती है। गुढामालानी के माननीय सदस्य पिछली बार 52 हजार से जीते थे, इस बार इन्होंने खुद माना है कि ईश्वर ने उन्हें 12 हजार से जिता दिया। इस क्षेत्र में पिछले चुनावों की तुलना में ये तीन लाख मतों से पीछे रहे हैं। शिव से ये 30 हजार से पीछे रहे, गुढामालानी में 40 हजार से, जैसलमेर में 50 हजार से, शेरगढ़ में 30 हजार, चौहट्टन में 35 हजार से, बाड़मेर में हमारे तगारामजी माननीय सदस्य है। ये वहां 62 हजार से हारे और सिवाना से 40 हजार से हारे हैं। तीन लाख मतों से इनकी हार हुई है। इनकी हार का कारण, कल नाथद्वारा से आये हुए माननीय सदसय बता रहे थे कि इन्होंने 39 प्रतिशत मत लेकर सत्ता बनायी है, मैं कहता हूं कि बाड़मेर में सीधी टक्कर थी और इनकी तीन लाख मतों से हार हुई है। सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था कि कांग्रेस ने पांच वर्षों में बाड़मेर जैसलमेर, में विशेषकर जैसलमेर में जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगुवा थे, जो तस्कर थे, उनको इन्होंने सत्ता सौंपी।

मान्यवर, 1998 के जो विधान सभा चुनाव थे, विधान सभा चुनाव के मतदान के दो दिन पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष जयपुर से जैसलमेर हवाई जहाज से जाते हैं, वहां तस्करों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को बुलाया जाता है, उनके साथ एक समझौता होता है कि तुम हमें जिताओ और बदले में तुम जो चाहोगे वह क्षेत्र तुम्हें मिलेगा। जो अध्यक्ष बाद में मुख्य मंत्री बने उन्होंने पांच साल तक तस्करों और राष्ट्र विरोधी लोगों को आगे बढ़ाया। इसके पुख्ता उदाहरण हैं मेरे पास। इनके जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति

(श्री जालम सिंह)

के सदस्य, सरपंच, अधिकांशतः राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और जिनके रिकार्ड हैं, अधिकांशतः उनको टिकटें दी गई हैं और उनको जिताकर प्रशासन दिया गया। यहां तक कि एम.एल.ए. के टिकट जो अभी दिये गये; वे भी तस्करों को दिये गये।

श्री टीकम चन्द कान्त : जिला प्रमुख जैसलमेर के या बाड़मेर के ?

श्री जालम सिंह : जैसलमेर के जिला प्रमुख। मैं दोनों जिलों को रिप्रजेंट करता हूं।

इनके कांग्रेस के शासन में जैसलमेर जिला कार्यकारिणी और ब्लाक और जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगवा रहे लोग हैं। यह शर्म की बात है। देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, लेकिन इसका कांग्रेस के लोगों ने कोई ध्यान नहीं रखा। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। बाड़मेर में लोक सभा चुनाव में इनका और पत्ता साफ होने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको दलितों ने वोट दिये, इनको अल्पसंख्यकों ने वोट दिये लेकिन इन्होंने आम मुसलमानों का कोई ध्यान नहीं रखा। मैं आर.एस.एस. से सम्बन्ध रखता हूं लेकिन मतदान आंकड़ों से आप अंदाज लगाएं कि आर.एस.एस. के व्यक्ति को मुसलमानों ने जिताया। इसका कारण है कि हमारी सोच राष्ट्रवादी है। इन्होंने केवल जो मुसलमान...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जालम सिंह : जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगुवा रहे लोग होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, चाहे वह राजपूत राष्ट्र विरोधी रहा हो, चाहे बनिया राष्ट्र विरोधी रहा हो, चाहे अन्य कास्ट का रहा हो, उन सबको उन्होंने आगे बढ़ाया। आम अल्पसंख्यकों की इन्होंने कोई चिंता नहीं की।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जालम सिंह : समाप्त नहीं करुंगा, आपको कार्यवाही बढ़ानी पड़ेगी। मैं सीमा क्षेत्र से आया हूं और वहां पर कमल का फूल खिला है इस बार। (व्यवधान)

श्री सभापति : वहां सीमा का सवाल है, यहां समय की सीमा का सवाल है।

श्री जालम सिंह : मुझे तो बोलने का अवसर दीजिए। एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ दुराचार की जो घटनाएं हुई हैं, मेरा एक-एक बिन्दु बहुत कीमती है, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं बिलकुल तथ्यों के साथ आया हूं। एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ विशेषकर बाड़मेर जिले में बहुत दुराचार हुए हैं, लगभग दर्जनों घटनाएं हुई हैं। इन पांच सालों में से साढ़े चार सालों में साढ़े नौ महीने तक, सभापति महोदय, बाड़मेर के जिला कलक्टर के सामने दलितों का टैंट लगा रहा है, जिन दलितों ने उन्हें जिताया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिनमें दलितों के साथ अत्याचार हुए हैं। मैं केवल पांच उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, आप इनको ध्यान से सुनिए प्लीज।

पीपराली गांव है बाड़मेर में, वहां के सरपंच जो कांग्रेस के नेता हैं, एक दलित महिला जो अकाल राहत का भुगतान लेने आई थी, उसके साथ बलात्कार किया। राजनीतिक भेदभाव से उस मुकदमें में एफ.आर. लगी, वह न्यायालय गई और न्यायालय ने आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिये। चौहटन के पूर्व विधायक, जो 8 बार विधायक रहे हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य का और फिर 15 मिनट कांग्रेस के एक माननीय सदस्य का, बस पौने नौ बजे तक का समय।

एक माननीय सदस्य : हम निर्दलीयों का भी नम्बर आना चाहिए।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह : (व्यवधान) भाई साहब, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा न हो, भाई साहब।

चौहटन के पूर्व विधायक के पुत्र ने एक दलित की इसलिए हत्या की कि वह 8 घण्टे तक बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाया। उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें एफ.आर. लगी और न्यायालय ने फिर उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया।

गुंढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य विराजमान हैं, इनके क्षेत्र का मामला है इसलिए आप ध्यान से सुनें। (व्यवधान) सभापति महोदय, स्कूल

(श्री जालम सिंह)

के उदघाटन समारोह में विधायक महोदय और जिले के अधिकारी उपस्थित थे, उनके सामने दलित सरपंच को साफा पहनाने नहीं दिया गया। साफा पहनाने नहीं दिया गया, उसे ''ढेड़'' शब्द कहकर गाली-गलौंच किया गया। जो शिलालेख बनाया था, उस पर से उसके नाम को खरोंचा गया, उस शिलालेखा को तोड़ा गया। राजनीतिक भेदभाव और कांग्रेसी नेता को बचाने के चक्कर में वहां फिर नया हमला हुआ।(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें जल्दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बैठो-बैठो, हो गया भाई।

श्री जालम सिंह : भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार माना। सभी स्तरों पर वह शिष्टाचार हुआ। एक बड़ी योजना कलस्टर है, वहां 75 करोड़ का घपला किया। सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण कर दिया। चाहे कलस्टर योजना हो, चाहे बी.ए.डी.पी. योजना हो, चाहे गौ-शिविर का मामला हो, सभी मामलों में इन्होंने पूरी तरह से कांग्रेसी करण किया और भेदभावपूर्ण तरीके अपनाये। बी.ए.डी.पी. की राशि केन्द्र सरकार खर्च करती है सीमा क्षेत्र के गांवों के लिए, लेकिन इन्होंने इसका उपयोग किया शहरों में कलक्टर के बंगलों और सर्किट हाउस में, कारों को खरीदने में गौ हत्या करवाई, उसका गौ मांस हिन्दू और बहुसंख्यकों को खिलाया गया। उसका डेढ़ महीने तक आंदोलन हुआ मुख्य मंत्रीजी बाड़मेर गये तो बाड़मेर बंद मिला लेकिन अपने आदमियों को उन्होंने बचाया।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें प्लीज । आप बहुत समय ले चुके है।

श्री जालम सिंह : जलगांव और दक्षिण गुजरात से महिलाओं को लाया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका टाइम हो गया, भैया, बैठो।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, वह गौ हत्या वाली बात की, गौ मांस खिलाया गया गांव के अंदर, उसकी जांच पूरी नहीं हुई। इनके कहने का तात्पर्य है कि उसकी जांच पुनः करवाई जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीरजी मीणा, नहीं है। माननीय श्री करणसिंहजी यादव, नहीं है। इनको बोलने दें ? माननीय श्री खुशवीर सिंहजी।

श्री खुशवीर सिंह (खारची) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे माननीय सदस्य जिन्होंने अपना समय निकाल कर मुझे दिया है, उनको भी धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट, देखिए, 8.30 पर समाप्त हो जाएगा, क्या इनका भाषण जारी रहने तक ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोल लेंगे दोनों।

श्री सभापति : ठीक है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री खुशवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह पाली जिले का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इससे पूर्व में उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहूंगा कि किस पार्टी ने क्या कहा। पार्टी पोलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहूंगा। मेरी सोच सकारात्मक है, मेरी सोच नकारात्मक नहीं है। अगर आपकी सरकार अच्छा काम करेगी, रचनात्मक कार्य

(श्री खुशवीर सिंह)
करेगी, निश्चित रूप से मैं आपकी सरकार का समर्थन करूंगा, लेकिन अगर राजस्थान की छह करोड़ जनता के साथ में आपने वादे किये हैं उन वादों के अनुसार आप नहीं चले तो निश्चित रूप से मैं मेरा प्रतिपक्ष का दायित्व निभाऊंगा।

सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हालांकि मेरे से पूर्व वक्ता जो बोले उनती लच्छेदार हिन्दी और उतने आंकड़े तो मैं कलक्ट नहीं कर पाया, पहली बार आया हूं, मेरे हाथ और पांव थोड़े-थोड़े कांप रहे हैं।

श्री सभापति : आप रिलैक्स होकर बोलिए। (व्यवधान) आप इंटरप्ट न करें। माननीय सदस्य नये सदस्य हैं।

श्री खुशवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप मेरे अग्रज हैं।(व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, ये नऐ माननीय सदस्य हैं, इंटरप्ट न करें इनका मेडन स्पीच है, इंटरप्ट न करें प्लीज।

श्री खुशवीर सिंह : सभापति महोदय, मेरी जो सोच थी विधान सभा की, उससे पूर्व मेरे एक आदरणीय सदस्य, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद सदन में भी हो सकते हैं, मैं विधान सभा के प्रांगण में नहीं आया, जब तक अधिकार के साथ प्रवेश नहीं हो और वह बात मैंने निभायी और पहली बार बोलने का मौका मिला। अगर मैं पहले दर्शक दीर्घा में बैठ जाता तो शायद मैं भी लच्छेदार हिन्दी बोल सकता था।

मैं मेरे क्षेत्र के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं किसानों के मुद्दे की बात करना चाहूंगा। सरकार ने किसानों के लिए बिजली की बात कही कि आठ घण्टे बिजली मिलेगी। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बिजली का मिनिमम चार्ज नहीं लगेगा और बिजली की दरें घटेंगी। यह सरकार ने उसके अंदर कहीं उल्लेख नहीं किया है। हालांकि जब बिजली के करंट का झटका हमारे लगा ओर हम उधर से इधर आ गए, उसी मुद्दे का

(श्री खुशवीर सिंह)

सरकार ने इसके अंदर जिक्र नहीं किया, तो आप भी ध्यान रखना, यह झटका आपको भी लग सकता है। निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि आपने इसके अंदर जिक्र नहीं किया है। कल बात चल रही थी तो माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि घोषणा-पत्र की बात और हाती है और अभिभाषण की बात और होती है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं यह बात मुझे सदन में आने के बाद पता चली कि घोषणा के अंदर क्या होता है। और इसके अंदर क्या होता है।

मैं एक अनुरोध किसानों के लिए करना चाहूंगा। सरकार ने इसके अंदर बहुत लम्बा-चौड़ा, दो-तीन पेज के अंदर किसानों की बात कही है, घुमा-फिराकर कहीं है, प्रयासों की बात की है। मैं तो यही चाहूंगा कि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य समय पर मिलना चाहिए। किसान की फसल बिजनेसमैन के पास में, खरीददारों के पास में चली जाती है, उसके बाद मूल्य निर्धारण होता है। इसमें विलम्ब हो जाता है तब तक उसको तो फायदा नहीं मिलता है। तो समय पर मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। बीज जो किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं वो समय निकलने के बाद में किसानों के पास पहुंचते हैं। तो उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था कराई जाए कि किसानों को खाद और बीज जो भी सरकार उपलब्ध कराती है, समय पर मिले।

मैं सिंचाई के बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें पृष्ठ संख्या 12, 13, 14 और 15 पर सिंचाई के बारे में लगभग पूरे राजस्थान का, प्रदेश का जिक्र किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 1998 में जब चुनाव हुये थे और पाली जिले के 8 विधान सभा क्षेत्रों में से 5 भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आये थे उस समय मैं भी लाइन में था, लेकिन मैं दरवाजे के एक पांव अंदर और एक पांव बाहर तक रह गया था। इस बार 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आये, एक और बढ़ गया। अब चुनाव में जो हो उससे मुझे कुछ नहीं कहना, जनता का जनादेश उनको मिला है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंचाई की जो बात चल रही थी पूरे प्रदेश को लिया गया है, लेकिन उसमें कहीं भी पाली जिले का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं मेरे अग्रज जो माननीय सदस्य यहां बैठे है, उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, आप भी मेरी इस बात का समर्थन करें कि

(श्री खुशवीर सिंह)

सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए पाली जिला उपेक्षित जिला है समुद्र तल से ऊपर होने की वजह से नहरों का कनेक्शन अभी तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अनुरोध करना चाहूंगा। कि अरावली क्षेत्र के अंदर मेरा विधान सभा क्षेत्र खारची है उसमें लगभग 12 पंचायतें पूर्णतः अरावली की पहाडियों में सघन वन क्षेत्र के अंदर है, वे वन्य जीव अभयारण के अंदर बसे हुए हैं और वहां पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। जंगल कट चुके हैं और वहां पर पानी नहीं है। मैं चाहूंगा, या तो चम्बल नदी का पानी नहर द्वारा उस क्षेत्र में लाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की है नदियों को जोड़ने की, इस बात का मैं समर्थन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में इससे बढ़कर कोई योजना इस राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती है। जल ही जीवन है और आज इस जल की बदौलत, इस पानी की बूंद की बदौलत मैं इस सदन के बीच में खड़ा हूं। नहर द्वारा पानी जो हमारे अरावली के अंदर सबसे ऊंचे झरने हैं, माननीय सभापति महोदय, आपने मैनाल का नाम सुना होगा, मैनाल की हाइट 80 फीट है जबकि मेरे क्षेत्र में कई ऐसे झरने हैं, 182 फीट स्ट्रेट वाटरफाल है और पानी सीधा ऊपर से नीचे गिरता है। चम्बल नहर के द्वारा सोजत, रायपुर, खारची, देसूरी, वाली विधान सभा क्षेत्र में पानी लाकर पन-बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और उससे दोनों ही काम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा, पेयजल की समस्या के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसमें जिक्र किया है, पाली जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक फ्लोराइड की समस्या है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पाली जिले को बिलकुल भुलाया गया है, इसके अंदर कहीं उल्लेख नहीं है। फ्लोराइड युक्त पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसलिए या तो तुरंत जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराया जाए या गंगा का पानी जो पाली तक आ रहा है, उसको लिफ्ट कैनाल द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। 1.5 पी.पी.एम. फ्लोराइड परमिटेबल है, वह पानी नुकसान नहीं करता। लेकिन मेरे क्षेत्र में 5 से 6 पी.पी.एम. पानी फ्लोराइड युक्त है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री खुशबीर सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार आया हूं और थोड़ा समय तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसमें भी विधान सभा क्षेत्र खारची को तुरंत फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने के लिए कोई न कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं इस मुद्दे को यहीं खतम करने के लिए एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी बदौलत मैं आज सदन के बीच में खड़ा हूं। पिछले चार वर्षों में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सौ एनीकट मैंने बनवाये हैं और आज उसी की बदौलत मैं यहा हूं, जबकि सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है, सभापति महोदय, कि कैचमेंट एरिया में एनीकट नहीं बना सकते हैं। 100 फीट नीचे बांध बना हुआ है, हमारी आंखों के सामने से पानी बहकर जा रहा है और हम आंख में से पानी पटक सकते हैं लेकिन उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते है। फिर भी मैंने कहा, अगर सजा होगी, जेल होगी तो जाने के लिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं और मैंने दो सौ एनीकट बनवाये। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि इस नीति को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाए। एनीकट हम बना सकते हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान ज्यादा है वहां पर....

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री खुशवीर सिंह : पानी बहकर चला जाता है। माननीय सभापति महोदय, मुझे सबसे गंभीर मुद्दा है उसके ऊपर आप पांच मिनट और दीजिए। 15 मिनट और सदन की कार्यवाही माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूगा, बढ़ा देंगे। हमारे अग्रज को भी मुझे सुनना है।

श्री सभापति : जल्दी कीजिए, समाप्त करिये।

श्री खुशवीर सिंह : मैं एनीकट के बारे में कह रहा हूं कि एनीकट अधिक से अधिक बनाने के लिए जो सौ दिन की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है, उसके अन्दर यह भी लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अगर सौ दिन के अन्दर यह क्रियान्वित हो जाता है तो इससे बढ़कर और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है हमारे प्रदेश के लिए।

(श्री खुशवीर सिंह)

अब मैं चिकित्सा के बारे में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। जब मैं प्रधान था पंचायत समिति में, मेरे एक अनुरोध पर पूर्व चिकित्सा मंत्री ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे कोई संकोच नहीं है धन्यवाद देने में, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अनुरोध पर एक साथ 10 ए.एन.एम. सब सेंटर खोल दिये।

श्री सभापति : माननीय, जल्दी कीजिए। नहीं, बहुत बार बोलना पड़ेगा, आज ही कोई नहीं है आपका।

श्री खुशवीर सिंह : मैं पहली बार आया हूं।

श्री सभापति : लेकिन और बोलने के बहुत अवसर मिलेंगे इसलिए समाप्त करिये।

श्री खुशवीर सिंह : आज अभिभाषण के अन्दर ग्रामीणों के लिए चिकित्सा सुविधा की माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : नहीं, नहीं।

श्री खुशवीर सिंह : सभापति महोदय, मेरे हाथ-पांव कांप रहे हैं, मुझे आप थोड़ा समय दीजिए।

श्री सभापति : ऐसे नहीं।

श्री खुशवीर सिंह : माननीय सभापति महोदय, ग्रामीणों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 12 पंचायतें जो पहाड़ी क्षेत्र है, अगर उदयपुर जिले की झाड़ोल पंचायत समिति और कोटड़ा पंचायत समिति को पहाड़ी क्षेत्र के नाम से विशेष दर्जा देकर लाभान्वित किया जा रहा है तो क्यों नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो 12 पंचायतें रिर्जव फोरेस्ट के अन्दर गेम सैंक्चुरी के अन्दर आ रही है उन 12 पंचायतों को भी विशेष दर्जा दिया जाए।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टरों की कमी है मेरे वहां। एक करोड़ की लागत से हास्पिटल बना हुआ है और वहां एक महिला

(श्री खुशवीर सिंह)

चिकित्सक तक नहीं हो सकी है इस सरकार से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं कि महिला चिकित्सक की पोस्टिंग क्या, रैफरल हास्पिटल खिवाड़ा के अन्दर खोला जाएगा। इस आशा के साथ मैं सरकार को अग्रिम धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जल्दी में हूं।

अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार ने कानून व्यवस्था के बारे में शायद इसमें कोई जिक्र नहीं किया है सरकार ने एक थोड़ा-सा जिक्र किया, महिला थाना ज़रूर होगा, इससे इतिश्री कर दी, लेकिन पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह हो, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री खुशवीर सिंह : माननीय ·भापति महोदय, दो मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। उसके साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस के आधुनीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं, पुलिस के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिए ताकि वह बेहतर काम कर सके। फिर हम उनके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं।

मैं सड़कों के मसले पर भी एक बात कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आप यहां विराजे है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें जो हो चुकी हैं उनकी आज स्थिति यह है कि पैदल क्या, गाड़ी, साइकिल, या जानवर तक नहीं जा सकता, पत्थर बाहर निकल गये हैं। तो तुरन्त उनको पहले टेक अप करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह : आधे मिनट में मैं धन्यवाद और दूंगा। पर्यावरण के बारे में जो ज्वलन्त मुद्दा है उसके बारे में सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री खुशवीर सिंह : मैं आधे मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री सुभाष शर्मा।

श्री खुश सिंह : सभापति महोदय, आधा मिनट प्लीज। सबसे ज्वलन्त समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में जंगलों की। आज जंगलों की स्थिति यह हो ई है कि अरावली प्रोजेक्ट के नाम से जंगलों के अंदर औषधीय वनस्पतियां थीं, जो कीमती वनस्पतियां थी, वे समाप्त हो चुकी हैं और उसकी जगह जूलीफ्लोरा लगाया गया है। वह जहरीला प्लांट है और उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। उससे वन्य प्राणी भी समाप्त हो गये है।

श्री सभापति : सुभाष जी शर्मा।

श्री खुशवीर सिंह : मैं एक स्वतंत्रता सैनानी के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्वतंत्रता सेनानी की बात कहना चाहता हूं। 1857 के अन्दर गदर हुआ था और उसके अन्दर हबुआ ग्राम के अन्दर अंग्रेजों ने खभे के ऊपर लटका दिया।

श्री सभापति : सुभाष जी शर्मा ।

श्री खुशवीर सिंह : उस ग्राम के अन्दर अंग्रेजों ने मन्दिर में से सुगाली माता की मूर्ति ले ली, वह आज पाली के म्यूजियम में पड़ी है। मैं सदन के माध्यम से चाहूंगा, वह मूर्ति गांव वालों को वापस मिले और हबुआ ग्राम के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाकर उसके विकास की योजना बनाई जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए बड़ी जद्दोजहद के बाद बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत देर से इंतजार कर रहा था, मैं सोचता था कि प्रतिपक्ष और पक्ष के बीच में हमसे निर्दलीयों की दयनीय स्थिति न हो। लेकिन आसन ने यह व्यवस्था चाहे देरी ही जो दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि निर्दलीय सदस्यों को भी आप पूर्ण रूप से संरक्षण देकर राजस्थान विधान सभा में समय-समय पर मौका देंगे तो निश्चित ही जनता की भावना हम इस विधान सभा भवन में रख सकेंगे।

जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कानून-व्यवस्था के पैरा की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कानून

(श्री सुभाष चन्द्र)

व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की और सुदृढ़ीकरण रने की बात तो जरूरी कही है, लेकिन मेरे पूर्ववर्ती अभी बोल रहे थे कांग्रेस मानननीय सदस्य उनकी बात से सहमति जताते हुए मैं इतना बताना चाहता हूं कि निरंकुश पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी और जो थानों में बेरहमी के साथ अत्याचार किये जाते हैं आम जनता के साथ में, उसके लिए क्या सजा दी जाएगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य कर्मचारियों के मामले में जो कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहते है, निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहते हैं। पिछली सरकार ने पांच साल में उनको उपस्थित रहने के लिए पाबंद नहीं किया, अब क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार के पास कोई ऐसा जादू का डंडा है जिससे वह राज्य कर्मचारियों को अपने स्थान पर उपस्थित रहने को पाबंद करेगी ? महोदय, राज्य कर्मचारियों के जुगाड़ उच्चे अधिकारियों और मंत्रियों और सरकार तक होते हैं कि वे अपने कार्य स्थल को छोड़कर और इनके आगे पीछे घूमकर अपनी पगार उठा लेते हैं। तो इसका भी इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में जहां तक विद्युत उत्पादन बढ़ने चोरी की छीजत रोकने तथा लाईन लास रोकने की बात कही गई है, यह तो बिलकुल सराहनीय है। लेकिन जो चोरी से उपभोग कर रहे हैं विद्युत का, उस चोरी के उपभोग का खर्चा वास्तविक उपभोक्ता पर डाला जा रहा है, इसको दूर करने की कोई व्यवस्था महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो चोरी करने वाले चोर हैं उनके ऊपर जितनी विद्युत खर्च की जा रही है, उसका खर्चा उन्हीं के द्वारा जुर्माना, पैनल्टी और सजा देकर वसूल किया जाए। वास्तविक उपभोक्ता को उसके लिए नहीं मारा जाए। सम्पूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, और पांच हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति की बात कही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और गांवों में रहने वाली जनता का पांच हजार की आबादी का क्राइटेरिया तो पूर्ववर्ती सरकार ने ही कर रखा था, वर्तमान सरकार ने इसमें

(श्री सुभाष चन्द्र)

कौन-सा नया काम कर दिया ? अगर वर्तमान सरकार 2500 की आबादी को शामिल करती तो मैं समझता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्र की जनता का भला होता। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि पांच हजार की आबादी ग्रामीण क्षेत्र की बजाय 2500 की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में निरन्तर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था किये जाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात इसी सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों में जो आबादी 5 हजार या 2500 की होगी उनको निरन्तर विद्युत सप्लाई ये देंगे, लेकिन इनके पास उसको निरन्तर विद्युत सप्लाई के लिए न तो अलग लाइनें हैं और न ही उनके पास अलग कोई व्यवस्था है। सरकार ने इसमें कोई घोषणा नहीं की है कि उनको अलग लाइन डालकर दी जाएगी या जो ब्लाक की सप्लाई आती है उसके माध्यम से उनको 24 घंटे की निरन्तर सप्लाई दी जाएगी। आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन गांवों के अन्दर इस प्रकार की लाइनों की व्यवस्था करेगी जिससे निरंतर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति कर सके।

स्वजल धारा योजना को लागू करने की जो बाते पंचायतों में की जा रही हैं, माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वजलधारा योजनाएं जिस प्रकार केन्द्र में बैठकर बनाई गई हैं उनका वास्तविक रूप से गांवों के अन्दर कोई आधार नहीं है। स्वजलधारा योजना को ग्रामों में लागू करने के पश्चात् भी ग्राम पंचायतें इस मामले में सक्षम नहीं हैं और वे निर्णय नहीं कर पा रही है। 10 प्रतिशत राशि गांवों में इकट्ठी हो नहीं पा रही है और उस 10 प्रतिशत राशि के अभाव में जो ग्राम पंचायतें इन योजनाओं को लागू करना चाहती हैं वे भी नहीं कर पा रही हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, कि भारत सरकार से निवेदन करें इस बात के लिए कि 10 प्रतिशत की राशि उन गांवों के लिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। बोलिये, जरा जल्दी करें थोड़ा।

श्री सुभाष चन्द्र : कम से कम व्यवस्था की जाए कि जिनमें पैसा जमा नहीं हो सकता उसके लिए कोई न कोई ऐसा सुझाव और नियमों में सरलीकरण होना चाहिए जिससे पेयजल उपलब्ध हो सके।

(श्री सुभाष चन्द्र)

रोजगार के अवसरों के सृजन की बात कही गई है लेकिन गांवों में रोजगार दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है। सरकार ने बाहर कितनी भी घोषणाएं की हों लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार किस प्रकार दिया जाएगा और कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा।

साथ ही महिलाओं को घरेलू उद्योगों के माध्यम से जो रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है उस बारे में महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत की गई है लेकिन उनको उद्योगों से जोड़ने की कोई बात नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए।

तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात तो कही गई है लेकिन किसी भी तकनीकी संस्थान में सीटें बढ़ाने और अलग-अलग प्रकार के उद्योगों के लिए सीटें अलग से आरक्षित करने की बात नहीं कही गयी है। जब तक जनसंख्या के अनुपात में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में सीटों का आवंटन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक वास्तव में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की सरकार की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में जनसंख्या की बढ़ोतरी के अनुसार सीटें बढ़ाई जाएं और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दिया जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मामले में आपने इसमें कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि 80 प्रतिशत गांवों में रहने वाली जनता के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। एक तरफ आप मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 15-15, 20-20 किलोमीटर के दायरे में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर प्राथमिक

(श्री सुभाष चन्द्र)
स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव सरकार रखेगी तभी जाकर हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र : इसी के साथ शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने के लिए ज़िला स्तर पर सहायता समितियां बनाने के लिए कही गई है, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिला स्तर पर एक महिला का पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए उपखण्ड और तहसील स्तर पर उसके उत्पीड़न की बात को सुनने के लिए समुचित व्यवसथा की जाए। यह मेरा आपसे आग्रह है। देवस्थानों के...

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र : महोदय, एक बात मेरी रह रही है छोटी-सी। सिर्फ थोड़ी-सी बात रह रही है।

श्री सभापति : पांच मिनट भंवरलाल जी राजपुरोहित बोलना चाहते हैं। माननीय भंवरलाल जी राजपुरोहित, बोलिये।

श्री सुभाष चन्द्र : देवस्थानों के समुचित विकास की बात तो मंदिरों में कही गई है लेकिन मंदिरों की भूमि अवैध कब्जेदारों से छुड़वा कर मंदिर को आज तक नहीं सौंपी गई है। इसके लिए भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है।

श्री सभापति : शुरू करिये। धन्यवाद। माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री सुभाष चन्द्र : इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी मंत्रणा में, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, सद्भावना हो...

श्री सभापति : शुरू करिये, माननीय सदस्य। आपको 9 बजे तक ही बोलना है।

श्री सुभाष चन्द्र : विषमता और दुर्भावना नहीं हो, को चरितार्थ करते हुए महोदय, आपसे आग्रह है कि हम लोग जो निर्दलीय हैं, सदन के अन्दर, उनके भी हितों का पूर्ण संरक्षण किया जाए और बी.जे.पी. और कांग्रेस की चक्की में हमें नहीं पीसा जाए। आपसे आग्रह है इस बात का कि मैंने जो बातें आपके माध्यम से निवेदन की हैं उन पर सरकार अमल करे। इसी के साथ मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, सदन का समय माननीय भंवर लाल जी राजपुरोहित के भाषण के समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : वो केवल 4-5 मिनट ही बोलना चाहते हैं

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, तो तब तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृति)

भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है। वों 4-5 मिनट ही बोलना चाहते हैं बोलिये।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : मैं बहुत संक्षेप में ही बोलूंगा। सिर्फ मुद्दे की बात कहूंगा।

श्री सभापति : 9 बजे तक समाप्त करें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : परम आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस पवित्र सदन में सन् 1980 से लगातार प्रयास करने के बाद 23 वर्ष तक

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)
लगातार इस विधान सभा का चुनाव लड़ते हुए इस समय पहुंचा हूं और मैं मुद्दे की बात कहना चाहता हूं। वह मुद्दे की बात मेरे सभी साथी करेंगे। मैंने पार्टी का घोषणा पत्र और आदरणीय हमारे गवर्नर साहब महामहिम का जो भाषण है, वह 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ा। आप सभी सदस्यों ने हर बात को अपने तरीके से कहा। माननीय सदस्यगण, मैंने इस बात को जिन्दगी में महसूस किया है, चाहे वह किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, जब तक इस देश में भ्रष्टाचार को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कोई भी योजना बनाइये, आपका कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा, कोई योजना सफल नहीं होगी। मैंने अपनी जिन्दगी में इस 40 वर्ष की राजनीति में देखा है, भ्रष्टाचार इतना पनप गया है कि चाहे वह पुलिस हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, चाहे पटवारी हो मेडिकल हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, आप स्वयं जानते हैं कि बिना पैसे दिये कोई काम किसी महकमें में नहीं होता। आप बड़ी-बड़ी स्कीमें सैंक्शन करते हैं, इनमें बड़े-बड़े कमीशन चलते हैं। मेरा यह अनुरोध है कि इस घोषणा पत्र में इस बात का थोड़ा भी अंकित नहीं हुआ, आप लोगों ने भी इस बात को नहीं कहा, पर अच्छा हो कि सरकार इस बात पर पूरा ध्यान दे। मैंने मेरी जिंदगी में इस 25 साल में तीसों अफसर पकड़वाये हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी को आप पकड़वाएं। मैंने मेरी जिन्दगी में 40 अफसर पकड़वाये हैं और सभी को सजाएं हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे वह बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, चाहे बड़े से बड़ा एस.पी. हो, चाहे कोई भी हो, सरकार इस बात का ध्यान रखे कि हम कोई भी स्कीम क्रियान्वित करें उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करें और अच्छे अफसर लगाएं। इस बात को अंकित करें, सरकार इस बात की सावधानी बरते कि कौन आई. जी. लगे, कौन एस.पी. लगे कौन कलक्टर लगे, कौन सैक्रेटरी लगे। इस बात का ध्यान रखें। विशेषकर इतना ही निवेदन करते हुए मुझे आपने मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिभाषण का मैं पुरजोर शब्दों में स्वागत करता हूं, मंजूर करता हूं, स्वीकार करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 22 जनवरी, 2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.58 बजे गुरुवार, 22 जनवरी, 2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सरहिन्द फीडर से राजस्थान के भाखड़ा क्षेत्र को जलापूर्ति

15. **श्री गुरजंट सिंह (संगरिया) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरहिन्द फीडर के माध्यम से पंजाब द्वारा राजस्थान के भाखड़ा क्षेत्र के लिए कितने क्यूसेक जल सिंचाई हेतु प्रदान करने की वर्तमान में व्यवस्था है ?

(2) क्या सिंचाई क्षेत्र हेतु जल की नियमित आपूर्ति राजस्थान के भाखड़ा क्षेत्र के लिए पंजाब द्वारा सरहिन्द फीडर के माध्यम से की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सरहिन्द फीडर के माध्यम से राजस्थान को प्राप्त हो रहे सिंचाई जल में प्रतिदिन भारी उच्चावन आते हैं ?

(4) सरहिन्द फीडर से राजस्थान को अपने हिस्से का पानी नियमित रूप से प्राप्त हो, इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) माह जनवरी में 100 क्यूसेक पानी सरहिन्द फीडर के माध्यम से भाखड़ा क्षेत्र के लिए प्राप्त करने की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं।

(3) ज़ी नहीं।

(4) राज्य सरकार पंजाब को सरहिन्द फीडर की तुरंत मरम्मत कराने के लिए प्रयासरत है।

राज्य में मलेरिया उन्मूलन

16. श्री देवीशंकर (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए व वर्ष 2002-03 में अब तक कुल कितने मलेरिया रोगी चिन्हित किये गये ?

(2) मई, 2003 से अब तक जिला चिकित्सालयों, सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. में मेडिसिन एवं शिशु रोग विभाग में कुल कितनी मौतें हुई तथा इनमें से कितने मलेरिया पी.एफ. पाया गया ?

(3) क्या राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए इन्क्यू-वेटर खरीदे जाना प्रस्तावित है ? क्या इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना हुई ?

उत्तर

(1) राज्य में मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया कार्यकारी योजना 2003 के तहत प्रभावी प्रयास किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

कलेन्डर वर्ष 2002 में 68627 मलेरिया रोगी चिन्हित किये गये तथा कलेन्डर वर्ष 2003 में दिसम्बर माह तक 139247 रोगी चिन्हित किये गये।

(2) जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मई, 2003 से अब तक मेडिसिन एवं शिशु रोग विभाग में कुल 7439 मौतें हुई जिनमें से 58 मामलों में मलेरिया पी.एफ. पाया गया।

(3) बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए इनक्यूवेटर (Incubator) आवश्यक नहीं होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के Dr. B.L. Wadhera बनाम यूनियन आफ इण्डिया के केस 286/94 में दिये निर्देशानुसार राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए संयत्र की स्थापना के लिये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "1"

राज्य में डीडीटी स्प्रे के दो चरण में 54.42 लाख जनसंख्या को अति संवेदनशील मानते हुए मलेरिया वाही मच्छरों की रोकथाम हेतु छिड़काव कराया गया।

राज्य में 21471 दवा वितरण केन्द्रों एवं 2440 ज्वर उपचार केन्द्रों को क्रियाशील कर दूरदराज वाले क्षेत्रों में त्वरित जांच एवं उपचार की व्यवस्था कराई गई।

माह सितम्बर, 2003 से आपरेशन मलेरिया कन्ट्रोल अभियान के तहत जिला कलक्टरों के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं पंचायत राज संस्थानों के सहयोग से 547 मोबाइल टीमों का गठन कर त्वरित जांच एवं उपचार का कार्य कराया गया। इन दलों द्वारा 13,71,974 व्यक्तियों की रक्त पट्टिका का संचयन कर उपचार दिया गया एवं पाजिटिव पाये जाने वाले रोगियों को आमूल उपचार दिया गया। टीम के द्वारा मच्छरों के प्रजनन स्थल पर मलेरिया आयल डालना, लार्वाभक्षी मछलियां (Gambusia-fishes) डालना, पानी के टॉकों में टेमीफोस डालना व नलों पर जालियां लगवाना, घर के अन्दर छिड़काव करने इत्यादि कार्यवाही की गई।

भारत सरकार द्वारा प्राप्त 5000 त्वरित निदान किट एवं 5 लाख ब्लिस्टर पैक उपचार हेतु वितरित किये गये ताकि पीएफ रोगियों की जांच कर तुरन्त उपचार एवं फालोअप कर पीएफ मलेरिया से मृत्युओं को रोके जाने के प्रयास किए गए।

जिला कलक्टरों के माध्यम से राज्य के 17 जिलों में 1 अप्रेल से 14 मई तथा 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक मलेरिया क्रेश कार्यक्रम के दो चरण चलाए गए।

मलेरिया से अधिक प्रभावित पश्चिमी राजस्थान में अतिरिक्त स्टाफ को नियुक्त किया गया। मेडिकल कालेज की टीमों ने भी इसमें योगदान दिया। भारत सरकार द्वारा भेजी गई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, मलेरिया अनुसंधान केन्द्र एवं राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के संयुक्त दल ने पश्चिमी

राजस्थान का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार मलेरिया नियंत्रण की कार्यवाही की गई।

शहरी क्षेत्र में भी नगर निगम की सहायता से विशेष अभियान चलाया गया जिसके द्वारा मच्छरों के प्रजनन स्थल पर मलेरिया आयल डालना, टेमीफोस डालना व घर के अन्दर छिड़काव करने की कार्यवाही की गई।

प्रिन्ट मिडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर जनता को मलेरिया से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

कोलायत-गजनेर सिंचाई जलोत्थान योजना

17. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कोलायत, गजनेर, साहबा (चूरू), पोकरण एवं फलोदी जलोत्थान सिंचाई योजनाएं कब तक पूरी हो जावेंगी ? उक्त जलोत्थान सिंचाई योजनाओं से कितने-कितने गांवों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध कराया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि कोलायत या गजनेर जलोत्थान सिंचाई योजना से कोलायत के तालाब को जोड़ने का निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय की क्रियान्विति कब तक हो जावेगी ?

(3) अब तक उक्त पांचों जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के पम्पिंग स्टेशनों के कार्य कितने हो चुके हैं और शेष पम्पिंग स्टेशनों का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ? लिफ्टवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की जलोत्थान योजनाओं को वर्ष 2011-12 तक पूरा करना प्रस्तावित है। जलोत्थान योजनाओं से पीने का पानी उपलब्ध करवाने की योजनाएं तैयार करना/उन पर

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

क्रियान्विति करने का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जावेगा।

(2) यह सही है कि कोलायत सिंचाई जलोत्थान योजना की कोलायत डिस्ट्रीब्यूटरी से कपिल सरोवर (कोलायत तालाब) को जोड़ने के निर्णय के परिपेक्ष्य में इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की 174 वीं बैठक के आइटम नं. डी-4 में कोलायत तालाब के लिए एवं पीने के पानी के लिए 15 क्यूसेक पानी का आरक्षण किया गया है। योजना की क्रियान्विति पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा की जावेगी।

(3) पांचों जलोत्थान सिंचाई योजनाओं में प्रस्तावित 29 में से 13 के कार्य पूर्ण करवाये जा चुके, शेष पम्पिंग स्टेशनों के कार्य वर्ष 2004-05 तक पूरे करवाने प्रस्तावित है। लिफ्ट अनुसार पम्पिंग स्टेशनों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	लिफ्ट का नाम	कुल पम्पिंग स्टेशन	पूर्ण हुए	शेष
1	साहवा लिफ्ट	5	3	2
2	गजनेर लिफ्ट	5	2	3
3	कोलायत लिफ्ट	6	4	2
4	फलौदी लिफ्ट	7	2	5
5	पोकरण लिफ्ट	6	2	4
	योग	29	13	16

दूदू-बीसलपुर पेयजल परियोजना

18. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जयपुर व टोंक जिले के गांवों हेतु पेयजल समस्या

(श्री बाबूलाल नागर)

के निराकरण के लिये स्वीकृत दूदू-बीसलपुर पेयजल परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था?

(2) इस योजना पर स्वीकृति से आज तक क्या-क्या व कितना कार्य पूर्ण किया गया तथा कितनी जनता लाभान्वित हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त परियोजना को सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है?

(3) अब सरकार द्वारा घोषित 100 दिन की कार्य योजना में इस परियोजना पर क्या-क्या कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर

(1) बीसलपुर, जयपुर, टोंक ग्रामीण पेयजल परीोजना (दूदू-बीसलपुर पेयजल परियोजना) का कार्य वर्ष 2005-06 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था।

(2) इस योजना की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2002-03 में जारी हुई। स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित कार्यवाही की गई है तथा अब तक जनता को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है।

(अ) सक्षम स्तर पर 10 पैकेज की स्वीकृति करवाकर इनमें से 4 पैकेज की विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(ब) 8 स्थानों पर भू-आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर 6 स्थानों पर अन्तिम परिणिती।

(स) 3 स्थानों पर रेलवे क्रासिंग तथा 2 स्थानों पर नेशनल हाइवे क्रासिंग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अगस्त, 2003 में आवेदन कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(द) 4 स्थानों पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर डिमाण्ड नोट प्राप्त कर जमा करवा दिया गया है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

धन तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धि व योजना के आकार को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत योजना वर्ष 2007-08 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) सरकार द्वारा घोषित 100 दिन की कार्य योजना में इस परियोजना की मुख्य पाइप लाइन के निविदा पत्र तैयार करना, निविदा पत्र का अनुमोदन करना, निविदा आमंत्रित करने का कार्य एवं क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हेतु सूचना एकत्रीकरण तथा सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

भूंजर बांध (बेगूं) का निर्माण

19. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में भूंजर बांध की स्वीकृति की जाकर शिलान्यास कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी निविदा भी स्वीकृत की जा चुकी थी ? यदि हां, तो वर्तमान में किन कारणों से निर्माण कार्य रोक दिया गया ? क्या सरकार निकट भविष्य में इस बांध के निर्माण कार्य को शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां।

जी हां। बांध के डूब क्षेत्र में वन विभाग की भूमि आने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

जी हां। निर्माण कार्य वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रारम्भ किया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. स्टेशन की स्वीकृति

20. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. स्टेशन स्वीकृत नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 132 के.वी. स्टेशन नहीं होने से नौगांवा एवं अलाबड़ा में भी 33 के.वी. सब-स्टेशन संभव नहीं है ? यदि हां, तो अब कब तक रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. स्टेशन स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन अभी विचाराधीन है।

(2) यह सही नहीं है। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन नहीं होने पर भी नौगांवा एवं अलाबड़ा में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाना सम्भव है।

घाट कैनाल नहर (अलवर) का जीर्णोद्धार

21. श्री रमेश चन्द खींची (कठूमर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में घाट कैनाल के नाम से कोई नहर निकलती थी? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कैनाल अब बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कैनाल का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री रमेश चन्द खींची)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कैनाल के जीर्णोद्धार से विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ एवं कठूमर के किसानों को खेती के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जा सकती है ? यदि हां, तो उक्त कैनाल को पुनः चालू करने में कितनी राशि व्यय होगी ?

(4) क्या सरकार उक्त कैनाल के जीर्णोद्धार को अपने 100 दिन की योजना में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। घाट कैनाल रियासत काल की बनी हुई है।

(2) जी हां।

जी नहीं। रूपारेल नदी में पानी की आवक नहीं होने के कारण इसके जीर्णोद्धार के प्रस्ताव नहीं हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। रूपारेल नदी में पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी की आवक नहीं होती है।

गोगुन्दा (उदयपुर) की ढाणियों का विद्युतीकरण

22. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितने गांव हैं ? उनमें से कितने विद्युतीकृत हो गये व कितने शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितनी अनुसूचित जाति की बस्तियों को विद्युतीकृत कर दिया गया एवं कितनी शेष हैं?

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(3) उक्त क्षेत्र में किस-किस गांव/ढाणी को विद्युतीकृत करने के लिए सांसद एवं विधायक मद में कितने रूपये स्वीकृत किये गये ? इन्हें अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कुटीर ज्योती योजना में विगत वित्त वर्ष में कितने कनेक्शन जारी किये गये एवं कितने देने शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल 330 गांव सम्मिलित हैं जिनमें से 148 गांव पंचायत समिति गोगुन्दा के एवं 182 गांव पंचायत समिति कोटडा के हैं।

पंचायत समिति गोगुन्दा के सभी 148 गांव विद्युतीकृत घोषित हैं जबकि कोटड़ा पंचायत समिति के 182 गांवों में से 96 गांव विद्युतीकृत घोषित हैं एवं 86 गांवों का विद्युतीकरण शेष हैं।

(2) विधान सभाक्षेत्र गोगुन्दा में अनुसूचित जाति की बस्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र की 72 अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(3) उक्त क्षेत्र की 2 बस्तियों सेरिया बस्ती एवं मकवाना का गुढा के विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से 8.62 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है उक्त बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राशि प्राप्त होते ही बस्तियों के विद्युतीकरण करने का कार्य शीघ्रताशीघ्र निष्पादित करने का प्रयास किया जायेगा।

(4) कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत गत वर्ष पंचायत समिति गोगुन्दा के 174 एवं कोटड़ा के 66 परिवारों को कनेक्शन दिये गये। जबकि इस वर्ष इन पंचायत समितियों में क्रमशः 200 एवं 60 कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

ईसरदा बांध निर्माण पर व्यय

23. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ईसरदा बांध के निर्माण हेतु सर्वे आदि पर अब तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार व्यय राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध के निर्माण हेतु किये गये सर्वे में जयपुर को पेयजल उपलपब्ध कराने हेतु उपयुक्त माना गया है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध के निर्माण से जल स्तर बढ़ने एवं जल की गुणवत्ता ठीक होने को भी उपयुक्त माना गया है ? यदि हां, तो अब कब तक उक्त बांध का निर्माण शुरू किया जायेगा और उक्त के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ? परियोजना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ईसरदा बांध के निर्माण के सर्वे हेतु वर्षवार किया गया व्यय निम्नानुसार है-

वर्ष	राशि (लाखों में)
1994-1995	2.64
1995-1996	12.14
1996-1997	0.79
1997-1998	0.43

(सिंचाई मंत्री)

2000-2001	0.07
2001-2002	2.07
योग	**18.14**

(2) जी हां। परियोजना की स्वीकृति हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। बांध का निर्माण केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति पश्चात प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण पर लगभग 360.27 करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना की संक्षिप्त रिपोर्ट परिशिष्ट 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट "क"

ईसरदा परियोजना की स्वीकृति हेतु की गई कार्यवाही का विवरण

ईसरदा बांध परियोजना के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति के लिए सिंचाई मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्र क्रमांक प.3(33) से 315-17 दिनांक 28-8-2001 को प्रस्तुत किये जा चुके हैं एवं राज्य आयोजना विभाग से ईसरदा परियोजना की स्वीकृति दिनांक 14-09-2001 को प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा परियोजना की स्वीकृति हेतु जांच के दौरान पाए गए आक्षेपों को अपने पत्र क्रमांक राज./2001-पी.ए.सी./838 दिनांक 29-11-2001 के द्वारा सिंचाई विभाग को भिजवाये गये। इन आक्षेपों की पूर्ति कर केन्द्रीय जल आयोग को पुनः विभाग के पत्र क्रमांक टी/188/पार्ट-चतुर्थ/02/51 दिनांक 12-4-2002 को भिजवाये गये इसके पश्चात केन्द्रीय

जल आयोग ने अपने पत्र क्रमांक राज/97/200-पी.ए.सी/554 दिनांक 14-6-2002 के द्वारा परियोजना रिपोर्ट को संशोधित प्रपत्र में नई बी.एस.आर. के आधार पर बनाकर निम्न बिन्दुओं की पूर्ति कर भिजवाने हेतु लिखा। निम्नलिखित आक्षेपों की पूर्ति किया जाना शेष है :-

1. ईसरदा बांध की कुल लागत को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एवं सिंचाई विभाग में क्रमशः 74.5 प्रतिशत एवं 25.5 प्रतिशत के अनुपात में वहन किये जाने की सहमति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से काफी प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई है।

2. केन्द्रीय जल आयोग की राय में प्रोजेक्ट पर जब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति जारी नहीं की जाती।

3. पर्यावरणीय अध्ययन एवं प्रावधान।

जालौर के अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण

24. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जालौर में ऐसे कितने राजस्व गांव हैं जो अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में वर्ष 1991 की जनगणना पुस्तिकानुसार 2 राजस्व ग्राम भवतरा जोड उर्फ सरदारपुरा एवं राखर जो कि गैर आबाद हैं, के अतिरिक्त जिले के बाकी सभी ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जालौर जिले में शेष रहे अविद्युतीकृत दो ग्राम गैर आबाद ग्राम हैं अतः इन ग्रामों में विद्युत की मांग आने पर नियमानुसार विद्युतीकरण किया जा सकेगा। समय सीमा बता पाना फिलहाल संभव नहीं है।

हनुमानगढ़ जिले की रावतसर ड्रेनेज

25. **श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से ड्रेनेज को चालू करके इन्दिरा गांधी नहर के नीचे आगे पानी ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार पानी की बरबादी को रोकने के लिये फव्वारा एवं बूंद बूंद सिचाई प्रणाली को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वाटर मैनेजमेंट पर कार्य करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, क्योंकि इन्दिरा गांधी नहर के नीचे साइफन बनाया जाना सम्भव नहीं है। यह नहर पेयजल एवं सिंचाई हेतु प्रायः लगातार चलाई जाती है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में फलों के बगीचों को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से दिनांक 16-10-1999 को आदेश जारी किये, जिसमें बूंद-बूंद अथवा फव्वारा सिंचाई जैसे साधनों के उपयोग की अनिवार्यता रखी गई। इसी प्रकार नर्मदा परियोजना पर फव्वारा पद्धति अनिवार्य की गई है। चरणबद्ध तरीके से फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को अन्य सिंचाई परियोजना में लागू किये जाने पर विचार किया जावेगा।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी हां। बांध से सिंचाई प्रारम्भ होते ही वाटर मैनेजमेंट कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है।

जयपुर में मुस्लिम विश्वविद्यालय हेतु भू-आबंटन

26. श्री अशोक (खण्डार) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालयों के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन आवंटित किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या गत 5 वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिये कोई जमीन आवंटित की गई ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय खोले जाने के लिये जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में जमीन आवंटित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा स्वायत्त शासन विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत 5 वर्षों में किसी मुस्लिम विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित नहीं की गयी है। किन्तु अल्मास संस्था को पालड़ी मीणा में विद्यालय हेतु 40 हजार वर्ग मीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि पर आवंटित की गई थी।

(2) जी हां, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में जमीन आवंटित किये जाने हेतु अल्मास सोसायटी ने शैक्षणिक प्रयोजनार्थ पालड़ी मीणा में आवंटित भूमि के बदले विद्याधर नगर में भूमि चाही थी, लेकिन प्रस्तावित भूमि सांस्कृतिक पार्क होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा आवंटन के लिये मना कर दिया गया। दिनांक 20.8.2001 को

(नगरीय विकास मंत्री)

पालड़ी मीणा में आवंटित 40 हजार वर्ग मीटर भूमि की वांछित राशि 60 दिवस में जमा नहीं होने के कारण आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार आवंटन स्वतः ही निरस्त हो चुका है।

बारां जिले में सीपेज से हानि का मुआवजा

27. **श्री प्रमोद कुमार** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले की किस-किस तहसील के कितने ग्रामों की कितने कृषकों की कितनी भूमि को चम्बल की नहरों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले में तहसीलवार चम्बल बांध की मुख्य नहर, माइनर व वितरिकाएं कितने किलोमीटर क्षेत्र में निकल रही हैं ?

(3) बारां जिले में चम्बल बांध की मुख्य नहर, माइनर व उसकी वितरिकाओं से किस-किस तहसील के किस ग्राम के कितने कृषकों की कितनी भूमि पानी के सीपेज के कारण फसल काश्त करने योग्य नहीं रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त नहरों से पानी के सीपेज को रोकने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है ? यदि हां, तो कार्य-योजना की प्रति व इस योजना से नहरों के पानी सीपेज को रोकने हेतु कब तक कार्य पूर्ण करवा लिया जाएगा ?

(5) नहरों के सीपेज से जिन कृषकों की भूमि काश्त योग्य नहीं रही है, क्या सरकार इन कृषकों को हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस दर से?

उत्तर

(1) बारां जिले की दो तहसील (क्रमशः मांगरोल एवं अन्ता) में

(सिंचाई मंत्री)

मांगरोल तहसील के 75 गांवों की 11754 कृषकों की भूमि 18686.5 हैक्टेयर एवं अन्ता तहसील के कुल 40 गांवों की 7836 कृषकों की 12568 हैक्टेयर भूमि को चम्बल की दांई मुख्य नहर से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। सूची-"अ" सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) बारां जिले में तहसीलवार नहरों की लम्बाई निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	तहसील का नाम	मुख्य नहर किलोमीटर	वितरिकाऐं किलोमीटर	माइनर्स किलोमीटर
1	मांगरोल	28.00	75.00	02.00
2	अन्ता	34.00	34.70	112.10

(3) सीपेज से पानी के कारण फसल काश्त करने योग्य नहीं हो रही, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(4) जी हां। कार्ययोजना की लागत का सारांश संलग्न है। यह योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

(5) भूमि खराब होने का कोई प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं है।

सूची-"अ"

बारां जिले के तहसीलवार उन गांवों की सूची जिनमें चम्बल दाईं मुख्य नहर से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है

क्र.सं.	गांव का नाम	सी.सी.ए. (एकड़ में)
तहसील मांगरोल		
1.	सोनावा	915
2.	छत्रपुरा	853
3.	पापडली	426
4.	गादावरी	33
5.	बालापुरा	15
6.	पीपल्दा	502
7.	तिखोद	426
8.	सीसवाली	2846
9.	कनाडा	261
10.	रायथल	2811
11.	मुण्डली भेरूजी	750
12.	सेकन्दा	10
13.	महूआ	1140
14.	पाकलखेडा	1250
15.	नलपुरा	491

क्र.सं.	गांव का नाम	सी.सी.ए. (एकड़ में)
16.	कुश्या	220
17.	कूण्डला	216
18.	सरकन्या	807
19.	मूण्डला	812
20.	माण्डपुर	546
21.	घोड़ी गांव	1062
22.	बलदेवपुरा	117
23.	पटपडा	590
24.	तिसाया	1641
25.	शाहपुरा	686
26.	रकतपुरा	720
27.	घुमरखोड़ी	236
28.	श्रीमाल (अ)	130
29.	श्रीमाल (ब)	20
30.	चेनपुरिया	33
31.	चन्दाहेड़ी	117
32.	मांगरोल	4515
33.	बालापुरा	893
34.	रामपुरा भगतान	1045

क्र.सं.	गांव का नाम	सी.सी.ए. (एकड़ में)
35.	कराडिया	842
36.	रावलजावल	402
37.	बमोरीकलां	2829
38.	चकभेटेडिया	233
39.	धोकलखेडी	82
40.	पाली	79
41.	रीझा	826
42.	झारेला	429
43.	गुडावदिया	143
44.	बालून्दा	491
45.	भावगढ़	492
46.	रेनगढ़	528
47.	मोरडी	411
48.	महलपुर	449
49.	जड़ावदिया	257
50.	गुडिया	111
51.	नन्दगांवड़ी	7
52.	ईसरपुरा	150
53.	मालबगौरी	1272

क्र.सं.	गांव का नाम	सी.सी.ए. (एकड़ में)
54.	सीमलिया	632
55.	भोज्याहेड़ी	678
56.	बलवनखेड़ी	100
57.	केकाखेड़ी	225
58.	किशनपुरा	648
59.	भटवाड़ा	1265
60.	पारलिया	587
61.	जेतलहेड़ी	129
62.	चन्द्राहेडी	203
63.	सीधना	431
64.	बोहत	10
65.	मउ	1306
66.	खानपुरिया	495
67.	भेटेडिया	219
68.	काशीपुरा	448
69.	मुण्डला	86
70.	चकरापुरा	473
71.	बोरदा	230
72.	जालोदा तेजा जी	513

क्र.सं.	गांव का नाम	सी.सी.ए. (एकड़ में)
73.	रामपुरिया	128
74.	सेरखण्ड खुर्द	83
75.	सांकली	117
	योग	46174 या 18686.5 हैक्टेयर

तहसील अन्ता

1.	अमलसरा	319
2.	उदपुरिया	1024
3.	पाटन्दा	1801
4.	अन्ता	1147
5.	बमोरी	1048
6.	मोलखी	476
7.	आखेडी	226
8.	देहलाहेड़ी	426
9.	बरखेडी	66
10.	धामखेडा	42
11.	बमलिया कलां	1063
12.	बडवा	8
13.	भेज्योखेड़ी	950
14.	रातडिया	1442

क्र.सं.	गांव का नाम	सी.सी.ए. (एकड़ में)
15.	लदवाडा	831
16.	विशनखेडी	741
17.	पलायथा	1873
18.	गुलाबपुरा	372
19.	रामपुरिया	920
20.	गोपालपुरा	486
21.	दुगारी	1016
22.	बालदडा	1450
23.	अलीपुरा	817
24.	रूपपुरा	331
25.	गणेशपुरा	50
26.	बालाखेड़ा	1031
27.	धतुरिया	1274
28.	बमूलिया जोगियान	960
29.	बमलिया माताजी	1063
30.	धकडखेड़ी	849
31.	लिसाडी	421
32	ताखा	112
33.	खजरनाकलां	15

क्र.सं.	गांव का नाम	सी.सी.ए. (एकड़ में)
34.	बावडीखेडा	10
35.	नागदा	1662
36.	ठीकरिया	1110
37.	बडगांव	1240
38.	पचेलकलां	1330
39.	पचेलखुर्द	886
40.	सारेखण्डकलां	166
	योग	31054 या 12568 हैक्टेयर

REHABILATION OF CHAMBAL RIGHT MAIN CANAL SYSTEM ABSTRACT OF COST

S.No.	Particulars	Amount (in lacs)
1	A-PRELIMINARY	
	Survey, diagnostic survey for assessment of canal & its structure	33.00
2	B-MASONARY	
	(a) Main Canal	
	(1) Linking	6600.00
	(2) Cast of new structure	60.00
	(3) Repair of Structures	1317.00
	(4) Fiter toe	20.00

S.No.	Particulars	Amount (in lacs)
3.	K-BUILDINGS	
	(1) New Construction of quarters	0
	(2) Repair & Improvement to existing inspection bungalow & huts.	50.00
4.	L-EARTH WORK	
	(1) Main Canal	291.50
5.	O-MISCELLANCEOUS	
	Provison for survey instruments, hydraulic instruments KM stones Boundary stones etc.	80.00
6.	Q-SPECIAL T&P	
	(1) Purchase of computers photocopy machine, internet connection etc	21.20
7.	R-COMMUNICATION	
	(1) Service road on left bank	1026.00
	(2) Installation of VHP Facilities	3.20
	Total	9502.01

रूपवास के सरपंचों द्वारा अनियमितताएं

28. **श्री निर्भय लाल (रूपवास)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास की ग्राम पंचायत मिल्सवा, भैसा, खुडासा, रूद एवं रूपवास में विभिन्न योजनाओं तथा विधायक कोटे से सन् 2000 से अब तक स्वीकृत कार्य, योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता बरती गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में सन् 2000 से आदिनांक तक विभिन्न योजनाओं तथा विधायक कोटे से ग्राम पंचायत मिल्सवा में 32, भैसा में 33, खुंडासा में 26, रूद में 35 एवं रूपवास में 29 कार्य स्वीकृत किये हैं। कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत मिलसवा, भैसा, खुडास; रूद एवं रूपवास के सरपंचों द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

धुवाल (भीलवाड़ा) ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध जांच

29. **श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा की पंचायत समिति मांडल की ग्राम पंचायत धुवाल (करेडा) के सरपंच के विरुद्ध धुवाल (करेडा) में किये

(श्री कालूलाल गुर्जर)

गये मजदूरों के भुगतान बाबत् शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भुगतान फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर किये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्जी भुगतान के मामले के कारण राजस्व निरीक्षक को नौकरी से निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो फिर सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम नयाखेडा में निर्मित राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के निर्माण में कार्यरत मजदूरों को बकाया भुगतान दिलाये जाने से संबंधित एक शिकायत जिला कलक्टर, भीलवाडा को प्राप्त होने पर उक्त शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा से करायी गयी थी। जांच में प्रमाणित तथ्यों के क्रम में आई.पी.सी. की धारा 406/420/467/468/409 के अन्तर्गत संबंधित पटवारी (कार्यवाहक भू-अभिलेख निरीक्षक) के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 174/2000 पुलिस थाना करेडा में दर्ज करायी जा चुकी है एवं दोषी पाये गये उक्त कार्यवाहक भू-अभिलेख निरीक्षक को उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के आदेश क्रमांक 3808 दिनांक 13.12.2000 से निलम्बित किया जा चुका है तथा सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(1) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) जी हां। प्रकरण में करायी गयी जांच से भुगतान फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर किया जाना स्पष्ट हुआ है।

(3) जी हा। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्यवाहक भू-अभिलेख निरीक्षक (पटवारी नारेली) श्री इब्राहिम छीपा को उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 3808 दिनांक 13.12.2000 से निलम्बित किया जा

(पंचायती राज मंत्री)

चुका है। उक्त जांच में प्रमाणित पाए गए तथ्यों के क्रम में सरपंच के विरुद्ध भी पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(1) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अजमेर जिले के ग्रामों में जिंक दोहन

30. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के निकट ग्राम कांकडदा, भूणाबाय/घूघरा व निकटवर्ती क्षेत्र में जिंक के भण्डार पाये गये थे ? यदि हां, तो कितने ? विवरणसदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में कितनी भूमि जिंक दोहने हेतु आबंटित की गई और उसकी आज क्या स्थिति है ?

(3) क्या सरकार ने भारत सरकार से उक्त क्षेत्र में जिंक दोहन के कार्य प्रारम्भ करने हेतु आग्रह किया है ? यदि हां तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर नगर के निकट ग्राम काकडदा, भूणाबाय/घूघरा, कायड़, रसूलपुरा व मदारपुरा क्षेत्रों में लैड व जिंक के भण्डार भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोजे गये हैं। इस क्षेत्र के निकट ग्राम घूघरा में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 45 लाख टन खनिज बेस मेटन (जिसमें 2.9 प्रतिशत लैड धातु एवं 4 प्रतिशत जिंक धातु विद्यमान हैं) और निकट ग्राम कायड़ में 30 लाख टन खनिज बेसमेटल (जिसमें 1.5 प्रतिशत लैड धातु व 12 प्रतिशत जिंक धातु विद्यमान हैं) के भण्डार सिद्ध किये गये हैं।

(2) सरकार द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के पक्ष में क्षेत्र 480.45 हैक्टर्स में खनिज लैड, जिंक व एसोसिएटेड मिनरल्स के दोहन

(खनिज मंत्री)

हेतु निकट ग्राम कायड़ में दिनांक 28-2-1998 से 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। यह खनन पट्टा वर्तमान में प्रभावी है।

(3) भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। खनन पट्टा स्वीकृत करने के बाद खनन पट्टाधारी द्वारा खनन कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में अब भारत सरकार से उक्त क्षेत्र में जिंक दोहन के कार्य आरम्भ करने हेतु आग्रह करना अपेक्षित नहीं है।

पाली जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत बकाया भुगतान

31. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सन् 1998 से दिसम्बर, 2003 तक कितनी राशि का भुगतान किन कार्यों का बकाया है ?

(2) उक्त कार्यों के भुगतान के लिए कौन-कौन अधिकारी जम्मेदार हैं? संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) अब सरकार कब तक उक्त कार्यों का भुगतान करने का विचार रखती है ? विवरण संहित बकाया भुगतान की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में सोजत खण्ड में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सन् 1998 से दिसम्बर, 2003 तक 19 कार्यों का भुगतान कुल रुपये 11.41 लाख का बकाया था। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

उक्त कार्यों के भुगतान के लिये सोजत खण्ड के तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता श्री झूमर मल गुप्ता (सेवानिवृत) एवं श्री गौतम मल सिंघवी (सेवानिवृत) जिम्मेदार थे जिन्होंने वर्ष 1993-94 में जिला ग्रामीण विकास पाली द्वारा जारी 9 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये शुरू करवा दिये एवं उन पर 12.44 लाख रुपये की राशि व्यय कर दी। सूची परिशिष्ठ "ब" पर संलग्न है। उक्त नौ कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाली द्वारा 1 वर्ष पश्चात 28.2.1995 को निरस्त कर दी गई एवं तब तक इन कार्यों पर हुई व्यय राशि 12.44 लाख का समायोजन नहीं करने के कारण एवं शेष राशि हस्तान्तरण नहीं करने के कारण बाद में 19 स्वीकृति प्राप्त कार्यों पर शेष रहे व्यय का भुगतान नहीं हो पाया।

(2) संबंधित जिम्मेदार अधिकारी श्री झूमरमल गुप्ता के सेवानिवृत हो जाने एवं केस की घटना 4 वर्ष से पूर्व की होने के कारण पैंशन नियमों के तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। श्री गौतम मल सिंघवी (सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता) के विरुद्ध आरोप पत्र कार्मिक विभाग को भिजवाये गये थे लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(126) कार्मिक/क-3/2003 दिनांक 13.11.2003 द्वारा जांच प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

(3) उक्त कार्यों के भुगतान हेतु पूर्व में वर्ष 1993-94 में स्वीकृत 9 सड़क कार्यों का जिन पर प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कार्य शुरू कर राशि रुपये 12.44 लाख की व्यय कर दी थी एवं तत्पश्चात जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 28.2.95 को इन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति भी रद्व कर दी एवं व्यय राशि का समायोजन नहीं किया गया जिसके बाद के स्वीकृत 19 कार्यों पर श्रमिकों व संवेदकों का बकाया भुगतान सम्भव नहीं हो सका। अब राज्य सरकार ने उपरोक्त 9 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक 225 दिनांक 24.4.2004 द्वारा जारी की है। इस उपलब्ध राशि में स्वीकृति प्राप्त 19 ई.ए.एस. कार्यों का बकाया भुगतान किया जा चुका है।

परिशिष्ट-'अ'

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बकाया चल रहे भुगतान का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति		कार्य पर समायोजित किया गया व्यय			बकाया देनदारियां		कुल बकाया देनदारियां
		क्रमांक/ दिनांक	राशि	श्रम मद	संवेदक को	कुल व्यय	श्रमिकों को	संवेदक को	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ग्रेवल सड़क करमावास पटटा से मोडा भारती की घूनी	912/ 24.8.1998	3.134	226256.00	13435.00	239691.00	0.00	17433.00	17433.00
2.	चंदलाई गांव से जिला सीमा तक	1409/ 12.10.1998	7.27	293254.00	164286.00	457540.00	184074.00	108432.00	292506.00
3.	सरदारपुरा नेशनल हाईवे (14) से धन्धेरी महादेव	912/ 24.8.1998	5.00	274688.00	143722.00	418410.00	10164.00	0.00	10164.00
4.	बडागुडा से स्वरूपा सड़क (सीडी)	2497/ 16.1.1996	19.00	982979.00	613823.00	1596802.00	0.00	60115.00	60115.00
5.	सम्पक माता सड़क घोलाधड माता मन्दिर	1409/ 12.10.1998	6.60	211113.00	151773.00	362886.00	44842.00	0.00	44842.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	धुरासनी से पोटलिया सड़क	1409/ 12.10.1998	7.32	343768.00	72261.00	416029.00	37246.00	14299.00	51545.00
7.	बगड़ी से पीपलाद सड़क	505/ 22.8.1996	8.75	564254.00	239079.00	803333.00	0.00	33900.00	33900.00
8.	सम्पर्क सड़क सियाट	1409/ 12.10.1998	4.08	251822.00	83469.00	335291.00	8720.00	0.00	8720.00
9.	खारियां नीव से गुर्जरों की ढाणी	1409/ 12.10.1998	4.876	311062.00	18897.00	329959.00	0.00	35608.00	35608.00
10.	बगड़ी से माताजी मन्दिर बेरा पिपलियां	1079/ 9.9.1998	4.86	128927.00	103106.00	232033.00	26576.00	0.00	26576.00
11.	बस स्टेन्ड से रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन	2462/ 8.12.1997 Rev. 15.11.2000	5.28	329213.00	160037.00	489250.00	0.00	32458.00	32458.00
12.	चोपारी से शेखावास	1373/ 12.10.1998	5.00	395385.00	61694.00	457079.00	0.00	18344.00	18344.00
13.	लाम्बिया से कावलिया कला	492/ 21.8.1996	4.40	269278.00	83053.00	352331.00	11440.00	32235.00	43675.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मोहरा कला से झुठा	1070/ 9.9.1998	5.00	356942.00	142306.00	499248.00	2596.00	0.00	2596.00
15.	रामगढ़ शेरतान से जिला सीमा	1391/ 12.10.1998	6.52	243712.00	0.00	243712.00	53578.00	141578.00	195156.00
16.	चित्ताड़ से बिराटिया खुर्द	1070/ 9.9.1998	5.00	348663.00	41406.00	390069.00	56034.00	101081.00	157115.00
17.	झालाकी चौकी से भैरू का नाका	1391/ 12.10.1998	2.46	177300.00	19049.00	196349.00	0.00	41718.00	41718.00
18.	पुराना रेलवे स्टेशन से नया रेलवे स्टेशन बर	1197/ 29.12.1998	2.33	162923.00	14687.00	177610.00	0.00	55189.00	55189.00
19.	चाग रामगढ़ से रेलडा	1652/ 25.09.1997	5.25	393406.00	129632.00	523038.00	0.00	13679.00	13679.00
			112.31	6264945.00	2255715.00	8520660.00	435270.00	706069.00	1141339.00

परिशिष्ट-"ब"

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उन नौ कार्यों की सूची एवं व्यय विवरण जिन पर प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये शुरू कर व्यय कर दिया गया एवं करीब एक वर्ष पश्चात् जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाली द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त कर दी गई

क्रम. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	स्वीकृत राशि	कार्य पर किया गया कुल व्यय	कार्य निरस्त करने के आदेश क्रमांक दिनांक	विशेष विवरण
1.	सम्पर्क सड़क खामल (ग्रेवल) 2 किमी.	9165/29.12.1993	2.00	89604.00	347-48/28.2.1995	
2.	सम्पर्क सड़क कारोलिया (ग्रेवल) 2 किमी.	9165/29.12.1993	2.00	76458.00	347-48/28.2.1995	
3.	सम्पर्क सड़क घोलिया (ग्रेवल) 2 किमी.	9165/29.12.1993	2.00	165450.00	347-48/28.2.1995	
4.	सम्पर्क सड़क हूनावास कला (ग्रेवल) 3 किमी.	9165/29.12.1993	3.00	219020.00	347-48/28.2.1995	
5.	सम्पर्क सड़क हुनावास खुर्द (ग्रेवल) 2.5 किमी.	10350/7.3.1994	2.50	155362.00	347-48/28.2.1995	
6.	सम्पर्क सड़क मानपुरा (ग्रेवल) 2 किमी.	10350/7.3.1994	2.00	176190.00	347-48/28.2.1995	
7.	सम्पर्क सड़क राणावास से सीचाणा (ग्रेवल) 3 किमी.	10350/7.3.1994	3.00	162555.00	347-48/28.2.1995	
8.	सम्पर्क सड़क नाथल कुण्डी (ग्रेवल) 2 किमी.	10350/7.3.1994	2.00	33964.00	347-48/28.2.1995	
9.	सम्पर्क सड़क निम्बोल से बोगासनी (ग्रेवल) 4 किमी.	10468/23.03.1994	4.80	165522.00	347-48/28.2.1995	
	यांग		23.30	1244125.00		

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रोगी राज्यकर्मियों हेतु चिकित्सालयों में किराये के कमरों का आबंटन

22. **श्री अशोक (खण्डार)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा परिचर्या नियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी को उनके वेतनमान के अनुसार चिकित्सालय में भर्ती होने पर निःशुल्क किराये का कमरा आबंटित किये जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या किसी चिकित्सालय में उसके वेतनमान के अनुसार किराये का कमरा न होने पर कर्मचारी द्वारा जमा करवाई गई राशि का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) किसी सरकारी चिकित्सालय में राज्य कर्मचारी के वेतनमान के अनुसार किराये का कमरा न होने पर कर्मचारी द्वारा जमा करवाई गई राशि का पुनर्भरण नियमों में प्रावधित नहीं है।

संविदा पर नियुक्त कम्प्यूटर कर्मी

23. **श्री भंवरू खान (फतेहपुर)** : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि संविदा पर एक निश्चित् वेतनमान पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दिये जाने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो क्या कम्प्यूटर कर्मियों को भी संविदा पर नियुक्ति दिये जाने पर कोई निश्चित् वेतनमान निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्या?

(श्री भंवरू खान)

(2) क्या संविदा कम्प्यूटर कर्मी का वेतनमान निर्धारित न होने से इनका शोषण हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इनके वेतनमान निर्धारणका विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजने एवं उसके पश्चात चयन एवं प्रशिक्षण में होने वाले विलम्ब के कारण राजकार्य में होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 एवं 15.6.99 को केवल सेवानिवृत राज्यकर्मियों को संविदा पर एक निश्चित राशि पर सेवा के निम्नतम पद पर भर्ती करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों में पदनाम को आधार नहीं बनाकर सभी सेवाओं को चार भागों यथा- राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में बांटा गया है। इस प्रकार कम्प्यूटर कर्मियों के पद राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत आते हैं। जिनके लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु निम्न प्रकार वेतनमान निर्धारित हैं :-

राज्य सेवा के पद

1.	पद जिनका वेतनमान 8000-13500 रु. है हेतु	5000/- रुपये
2.	पद जिनका वेतनमान 6500-10500 रु. है हेतु	3750/- रुपये

अधीनस्थ सेवा के पद

1.	पद जिनका वेतनमान 6500-10500 रु. है हेतु	2600/- रुपये
2.	पद जो वेतनमान 6 से 11 के अन्तर्गत आते हैं हेतु	2000/- रुपये
3.	पद जो वेतनमान 1 से 5 के अन्तर्गत आते हैं हेतु	1500/- रुपये

(2) जी नहीं।

राज्य में स्वीकृत योजना पर व्यय

24. डा. सी. पी.जोशी (नाथद्वारा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1993 से 2003 तक कितनी राशि की योजना स्वीकृत की गई एवं उन पर वस्तुतः कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1993 से 2003 तक योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजनाएं, संशोधित आयोजना सीमा एवं व्यय राशि की सूचना निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	स्वीकृत मूल राशि	संशोधित राशि	व्यय राशि
1992-93	1400.00	1410.00	1445.09
1993-94	1700.00	1704.76	1855.31
1994-95	2450.00	2450.00	2447.07
1995-96	3200.00	3200.00	3120.09
1996-97	3310.49	3310.49	3131.41
1997-98	3514.42	4259.39	4144.54
1998-99	4300.00	4025.00	3819.94
1999-00	4750.00	3855.14	3685.21
2000-01	4146.00	4237.94	3697.71
2001-02	5031.00	4642.35	4219.42
2002-03	5160.00	4370.78	4431.07

राज्य के स्पेशल जोन्स को सुविधाएं

25. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में एस.ई. स्पेशल स्कीम जोन कहां-कहां बनाये गये हैं तथा इनका आधार क्या है? उक्त जोन्स को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जायेंगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मण्डी है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य का निर्यात बढ़ाने के लिए बीकानेर को ऊन उद्योग हेतु उक्त जोन में सम्मिलित किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में दो स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित किये जाने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है एवं उनका विकास कार्य प्रगति पर है।प्रथम स्पेशल इकोनोमिक जोन सीतापुरा (जैम एंड ज्वैलरी इकाई), द्वितीय बोरानाडा (जोधपुर) में हैण्डीक्राफ्ट इकाईयों के लिये तैयार किया जा रहा है।

स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थानीय उत्पादों एवं वर्तमान निर्यात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से बनाये जाने की स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

राजस्थान में स्पेशल इकोनोमिक जोन विकसित किये जाने हेतु "राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अधिनियम 2003" दिनांक 25-7-2003 से लागू किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा स्पेशल इकोनोमिक जोन में प्रदत्त सुविधाएं :-

1) स्थापित इकाइयो को क्रय-कर से मुक्ति।

2) इकाईयों को "वर्क कान्ट्रेक्ट टैक्स" से मुक्ति

(उद्योग मंत्री)

3) इकाइयों को विक्रय-कर से मुक्ति

4) इकाइयों को "लैण्ड एंड बिल्डिंग टैक्स" से मुक्ति

5) इकाइयों को प्रवेश कर से मुक्ति

6) इकाइयों को विद्युत शुल्क से मुक्ति

7) एस.ई.जेड. इकाइयों को केपिटव पावर प्लांट लगाने की अनुमति।

8) इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन पर दस वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से मुक्ति

9) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत पब्लिक यूटिलिटी स्टेट्स

10) स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टेम्प ड्यूटी रेमोशन

केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई असाईड योजनान्तर्गत स्पेशल इकोनोमिक जोन के विकास के लिए कैपिटल आउट ले (सहायता) उपलब्ध करायी जाती है। असाईड योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट स्वीकृत करने एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन के विकासकर्ता को केपिटल आउट ले उपलब्ध कराने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्द्धन समिति का गठन किया गया है।

(2) जी हां। बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी उन की मण्डी है। राज्य में स्पेशल इकोनोमिक जोन तैयार किये जाने हेतु आई.एल.एंड एफ.एस. से अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित किया गया है एवं उनके द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसमें से बीकानेर में भी स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित किये जाने की सम्भावनाओं को तराशने हेतु अनुरोध किया गया है एवं रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही राज्य स्तरीय निर्यात

(उद्योग मंत्री)

संवर्द्धन समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर उस पर विचार किया जाना होगा एवं समिति की प्राप्त अभिशंषा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

आरा मशीन उद्योगों का पंजीकरण

26. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सूखी लकड़ी पर आधारित आरा मशीन चलाने वाले कितने उद्योग पंजीकृत हैं एवं पंजीकरण हेतु कितने प्रकरण प्रक्रियाधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रक्रियाधीन पंजीयन प्रकरणों का निपटारा कर पंजीयन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सूखी लकड़ी पर आधारित आरा मशीन चलाने वाले 933 उद्योग पंजीकृत है एवं आरा मशीन पंजीकरण हेतु कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) विभाग में आरा मशीन पंजीयन हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन नहीं है।

टौंक शहर की दलित वर्गों की बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं

27. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि टौंक शहर में रैगरों तथा बैरवाओं की बस्तियों जिनमें धोबी रह रहे हैं, में मूलभूत सुविधाओं यथा शौचालय, बिजली, नाली इत्यादि की कमियों को पूरा करने तथा इनके विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो किन-किन बस्तियों में क्या-क्या कमियां है तथा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इनको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और कमियां कब तक पूरी हो जायेंगी ?

उत्तर

जी हां। नगर परिषद, टौंक द्वारा बस्ती छावनी, रैगरान, कीरान, अन्नपूर्णा, बहीर, गढ्ढा पहाडियां बस्तियों के विकास के लिये योजना बनाई गई थी, लेकिन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण इन बस्तियों में विकास कार्य नहीं कराये गये हैं।

जयपुर शहर का सौन्दर्यकरण

28. **श्री निर्भय लाल (रूपवास)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में जयपुर शहर में शहर के सौन्दर्यकरण के नाम पर आपरेशन पिंक अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो परकोटे के किन-किन प्रमुख बाजारों में यह कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हवामहल बाजार में निर्मित इकडालिया के आगे अन्य बाजारों की भांति बरामदा बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें/ज्ञापन इस बाबत् प्राप्त हुए हैं कि हवामहल बाजार में पुरानी विधान सभा के पास कपड़े के व्यापारियों तथा कई दुकानदारों ने नाले (रोड) पर ऐंग्लस/तिरपाल आदि डालकर सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है ?

(4) क्या सरकार आम राहगीर/पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार जयपुर नगर निगम द्वारा किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार व गणगौरी बाजार में सौन्दर्यकरण का कार्य करवाया गया है। जिसका विरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। जयपुर नगर निगम को अतिक्रमण की शिकायते प्राप्त होने पर त्रिपाल, कपड़े एवं अन्य सामान आदि जब्त किये जाते हैं तथा जनहित में रास्ता अवरुद्ध होने पर इनका समय-समय पर चालान भी किया जाता है।

(विवरण व शिकायत की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गोपालपुरा बाईपास जयपुर स्थित गंगाराम नगर कालोनी की सैक्टर रोड की चौड़ाई

29. **श्री रमेश खींची (कठूमर)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गोपालपुरा बाईपास, जयपुर स्थित गंगाराम नगर स्कीम नम्बर 15 का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में सैक्टर रोड को 40 फीट की स्वीकृत कर प्लाट मालिकों को पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कालोनी की वर्तमान में सैक्टर रोड की मौके पर चौड़ाई कितनी फीट है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार का सैक्टर रोड को 40 फीट किये जाने का प्रस्ताव है ?

(श्री रमेश खींची)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में मात्र एक दो मकानों को छोड़कर शेष मकानों की बाउण्ड्री तोड़कर ही सैक्टर रोड को 40 फीट किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी की सैक्टर रोड को 40 फीट करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गोपालपुरा बाईपास, जयपुर स्थित गंगाराम नगर स्कीम नम्बर 15 का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.2.2002 को अनुमोदित की गयी है।

(2) जी हां। यह भी सही है कि उक्त कालोनी में सैक्टर रोड 40 फीट की अपुब्ड कर प्लाट मालिकों को सड़क की चौड़ाई 40 फीट रखते हुए ही पट्टे दिये गये हैं। उक्त कालोनी की सैक्टर रोड 40 फीट अपुब्ड हैं। वर्तमान में मौके पर उक्त सड़क की चौड़ाई 18'-6" इन्च से 25'-0" तक अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग उपलब्ध है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त सैक्टर रोड को 40 फीट किये जाने के प्रस्ताव है।

(4) जी हां। यह सही है। उक्त कालोनी के अधिकांश मकानों के सामने सड़क हेतु 40 फीट से कम चौड़ाई ही उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा उक्त सैक्टर रोड की चौड़ाई 40 फीट किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण में संविदा आधार पर नगर नियोजकों की भर्ती

30. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में सहायक नगर नियोजक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने व कब से ?

(श्री रमेश खींची)

(2) क्या प्राधिकरण द्वारा संविदा पर नगर नियोजक के पद हेतु भर्ती की गई ? यदि हां, तो कब व कितने पदों पर ? क्या सरकार द्वारा संविदा पर लिये गये नगर नियोजकों को हटा दिया गया है, यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नगर नियोजकों को सेवा से हटाये जाने के कारण राजकार्य में बाधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या, सरकार इन पदों को पुनः संविदा से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में सहायक नगर नियोजक के पद रिक्त हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है-

रिक्त होने का दिनांक	कुल रिक्ति
27.12.1999	2
16.1.2000	1
10.5.2001	1
20.12.2001	10
31.12.2001	1
14.6.2002	4
30.8.2002	1
21.4.2003	1
9.5.2003	1
8.1.2004	3
कुल	25

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। प्राधिकरण में भू-नियमन के कार्य के लिये संविदा पर सहायक नगर नियोजक रखे गये थे। निम्नांकित सहायक नगर नियोजकों को संविदा पर आवश्यकतानुसार रखा गया था:-

क्र.सं.	दिनांक	संख्या
1.	6.2.2002	15
2.	20.9.2002	10
3.	21.3.2003	1
4.	22.3.2003	2
5.	31.3.2003	3
6.	24.6.2003	1

उक्त नगर नियोजकों में से क्र.सं. 4 पर वर्णित में से 1 सहायक नगर नियोजक को छोड़कर अन्य को संविदा अवधि समाप्त होने एवं सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर हटा दिया गया था।

(3) जी नहीं। प्राधिकरण में कार्यरत अन्य उप नगर नियोजकों/ सहायक नगर नियोजकों से कार्य निष्पादित कराया जा रहा है। आवश्यकता होने पर रिक्त पदों पर सहायक नगर नियोजकों को संविदा पर लिया जा सकता है।

टौंक पंचायत समिति के फ्लोराइड युक्त गांव

31. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति क्षेत्र टोंक में कौन-कौनसे गांव फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रस्त हैं तथा उक्त गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अब

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

तक कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत की गई और उक्त पर वर्षवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के अतिरिक्त उक्त पंचायत समिति क्षेत्र के कितने गांव फ्लोराइड युक्त पानीसे ग्रसित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त गांवों में स्वच्छ पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति टोंक में वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 156 गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय भूजल में फ्लोराइड 1.5 पी.पी.एम. से अधिक है। इनमें से 74 गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय भूजल में फ्लोराइड 3 पी.पी.एम. से अधिक है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस समस्या के लिए निम्न प्रकार प्रयास किये गये-

विवरण	ग्रामों की संख्या
क्षेत्रीय योजनाओं से लाभान्वित	47
टोंक ब्लाक पायलेट फ्लोराइड प्रोजेक्ट में लाभन्वित	6
स्वीकृत दूदू बीसलपुर परियोजना में लाभान्व्यन हेतु प्रस्तावित (योजना निर्माणाधीन)	55
योग	108

पिछले 5 वर्षो में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	योजनाओं की संख्या	कुल स्वीकृत राशि
1	12	366.74

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्षवार व्यय (रुपये लाखों में)

1998-99	12.42
1999-2000	80.00
2000-2001	103.94
2001-2002	70.14
2002-2003	46.17
2003-04 (दिसम्बर, 2003 तक)	13.04
कुल व्यय	325.71

(2) इस क्षेत्र में 48 समस्याग्रस्त गांव ऐसे हैं जहां सही स्रोत सर्वेक्षण के उपरान्त पाए जाने पर योजना बनवाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सही स्रोत मिलने के पश्चात् योजना बनाना सम्भव होगा, जिसकी स्वीकृति तथा क्रियान्विति प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धि तथा अन्य नीतिगत निर्णयों के अनुसार सम्भव होगा।

परिशिष्ट-'अ'

पंचायत समिति टौंक क्षेत्र में फ्लोराइड से प्रभावित कुल गांवों की सूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	इब्राहीमाबाद	9
2.	राणोली	11
3.	हृथोना	100
4.	दादिया	101
5.	डोडवाडी	129
6.	मूण्डिया	130
7.	अहृमदपुरा	131
8.	मेदवास	138
9.	पालड़ी	142
10.	इनायतगंज	12
11.	भांची	155
12.	रीतारामपुरा	157
13.	गंगापुरा	18
14.	अलीनगर	19
15.	बनवाडा	30
16.	अहृमदपुरा चोकी	242
17.	संदेडा	45
18.	कठमाना	6
19.	लोहरवाडा	47
20.	ईश्याकपुरा	79

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
21.	मसूदपुरा	84
22.	श्रीनगर	86
23.	प्यावडी	49
24.	रहीमपुरा नयागांव	123
25.	फजलपुरा	50
26.	मालीपुरा	119
27.	अलीनगर	115
28.	दौलतपुरा	54
29.	अकबरनगर	59
30.	पीपलू	62
31.	देवरी	109
32.	ककराज खुर्द	106
33.	ठिकरिया	170
34.	धोला खेडा	174
35.	दाखिया	214
36.	उंटीटाना	245
37.	मोहम्मद नगर	64
38.	याकूबगंज	258
39.	खेडा मीरसमान	263
40.	मोहम्मद नगर ढाणी	17
41.	शुक्लपुरा	154
42.	अलीमपुरा	66
43.	अरणिया केदार	164

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
44.	बलखण्डीया	67
45.	रहीमनगर	70
46.	नयाटीला	71
47.	डारडा हिन्द	140
48.	नीमहेडा	78
49.	अरणिया कांकड़	1
50.	मुमाना	80
51.	रसूलपुरा	4
52.	मेगमपुरा	7
53.	हनीफगंज	10
54.	मोहम्मदपुरा उर्फ ओकारपुरा	25
55.	ढुढिया	81
56.	बिलायतीपुरा	82
57.	बोरखण्डी कला	39
58.	आजमपुरा	48
59.	डारडातुकी	83
60.	ढूंसरी	53
61.	करीमपुरा	55
62.	इमामनगर	68
63.	हमजापुरा	69
64.	जोला	90
65.	हाडीखुर्द	88
66.	जुबानुपुरा	94

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
67.	हाडीकलां	89
68.	ईस्लामपुरा गाता	117
69.	सीतारामपुरा	5
70.	बीजरतापुरा	6
71.	गोट्टूका	102
72.	मुर्तजानगर	11
73.	राधाकिशनपुरा	23
74.	नवरंगपुरा	20
75.	ढाणी मीणा रामकिशनपुरा	23
76.	अब्बासनगर खास	24
77.	जयकिशनपुरा	26
78.	चक अब्बासनगर	27
79.	खेड्लिया	100
80.	जवाली	120
81.	समदपुरा	38
82.	कल्याणपुरा	40
83.	अहमदगंज	41
84.	डोडरिया	42
85.	अनवरनगर भूरावाली	46
86.	अनवरपुरा खेडा	52
87.	रहीमपुरा धोला भाटा	57
88.	अजीजपुरा	76
89.	हनुतिया	125

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
90.	हनीफपुरा	96
91.	पालडा	133
92.	कुरेडी	41
93.	अमीनपुरा	137
94.	अहमदगंज	141
95.	अटलीकपुरा	126
96.	बपडवा	15
97.	लहन्न	113
98.	देवली	153
99.	करीरिया	160
100.	नवाबपुरा	136
101.	उस्मानपुरा वीरान	139
102.	अरनिया तिवाडी	165
103.	हयातपुरा	166
104.	लवादर	256
105.	नूरपुरा खेडा	167
106.	सोरण	171
107.	श्योपुरी	172
108.	बिचपुरी	178
109.	निमोला	168
110.	इस्लामपुरा	169
111.	सोनवा	183
112.	ताम्बा	187

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
113.	शकूरपुरा	180
114.	रानीपुरा	196
115.	अलीमपुरा	188
116.	अहमदनगर हसनपुरा	189
117.	अरनिया नील	190
118.	उम	225
119.	अहमदपुरा चौंकी	191
120.	रहीमपुरा धोली तलाई	235
121.	अमीरपुरा खेडा	192
122.	इलाहीपुरा मय डाजीपुरा	31
123.	बशीरपुरा	128
124.	देवबरनिया	152
125.	यूसूफपुरा चराई	176
126.	बाडा जेरेकिला	182
127.	गोहर पुरा	185
128.	मोहम्मदगंज	197
129.	वजीरपुरा खुर्द	208
130.	भरनी	195
131.	सरदारपुरा	226
132.	अल्लापुरा	232
133.	मोहम्मदपुरा नयागांव	243
134.	खलीलपुरा पापडा	247
135.	बाडा अब्दुल्लापुर	250

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
136.	अरणिया घाटी	262
137.	सोलतपुरा	205
138.	लक्ष्मीपुरा	210
139.	राजनगर	211
140.	निरमाणा	213
141.	हकीमपुरा	216
142.	रहीमपुरा	218
143.	यूसूफगंज	227
144.	निमरेजर	230
145.	बोरडी	240
146.	रहुफपुरा खेड़ा	241
147.	मोहम्मदगंज जागीरी	246
148.	घांस	249
149.	घासडी	252
150.	काबरा	257
151.	इसरदा	259
152.	बिशनपुरा	260
153.	मवासीपुरा	72
154.	झिराना	74
155.	बिजवाड	75
156.	सुनेला हाजीपुरा	239

बस्सी पुलिस थाने में दर्ज आत्महत्या प्रकरण

32. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर में दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 को घर से बुलाकर मारपीट करने के मामले में एवं दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 को आत्महत्या के मामले में दो पृथक-पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? क्या उक्त प्रकरणों में आत्महत्या से पूर्व 5 दिसम्बर, 2003 को श्री पूरण, ग्राम हंस महल बस्सी (जयपुर) एवं 6 दिसम्बर, 2003 को श्री बाबूलाल मीणा, ग्राम हंस महल तहसील, जिला जयपुर द्वारा श्री पूरण मीणा को धोखे से बुलाकर, बन्द कमरे में मारा पीटा गया तथा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया ? यदि हां तो किन लोगों के द्वारा ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने बाबत् मुख्यमंत्री/महानिदेशक/मुख्य सचिव/गृह सचिव/पुलिस अधीक्षक (जयपुर ग्रामीण) को भी प्रतिवेदन द्वारा अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों ? अब सरकार अपराधियों को कब तक पकड़ कर चालान पेश करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि अपराधियों एवं अपराधियों के परिजनों द्वारा चालान पेश न होने के अभाव में मृतक के परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाया जाकर उनको अनेक प्रकार की धमकियां दी जा रही है ? यदि हां, तो अपराधियों के विरूद्ध अब क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पुलिस थाना बस्सी पर दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 को पूरण मीणा की रिपोर्ट कि उसे धोखे से घर से बुलाकर

(गृह मंत्री)

रामू एवं रामेश्वर मीणा पुत्रान श्री रामनारायण निवासी-हंसमहल ने अपने कमरे में बन्द कर मारपीट की पर अभियोग संख्या 429/03 अन्तर्गत धारा 342, 323, 500, 34 भादस दर्ज किया गया। एवं दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 को श्री बाबूलाल मीणा निवासी हंसमहल की रिपोर्ट कि रामेश्वर व रामू पुत्रान रामनारायण मीणा द्वारा पूरण मीणा निवासी-हंसमहल को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया पर अभियोग संख्या- 430/2003 अन्तर्गत धारा 306 भादस दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त प्रकरणों में अपराधियों को गिरफ्तार करने बाबत् मुस्तगीस मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) को प्रतिवेदन द्वारा अनुरोध किया गया था। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी एवं मुल्जिमान के घर पर तलाश की गई। लेकिन मुल्जिमान अपने घर से फरार है। मुस्तगीस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन परिशिष्ट "स" पर है।

(3) जी हां। उक्त अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार कर चालान पेश न्यायालय किया जावेगा।

(4) दिनांक 8-12-2003 को मुस्तगीस मुकदमा बाबूलाल मीणा ने परिवाद दिया कि उन्हें रामू व रामेश्वर वगैरह द्वारा पीटने की धमकी दी जा रही है। परिवाद पर जांच के पश्चात गैर साय्लान के विरूद्ध धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. के तहत दिनांक 10-12-2003 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी को इस्तगासा पेश किया गया।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा सम्भाग में दर्ज आपराधिक प्रकरण

33. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) दिसम्बर, 2003 में कोटा सम्भाग में हत्या, डकैती, लूटपाट एवं बलात्कार की कितनी घटनायें दर्ज हुई ?

(2) उक्त घटनाओं में किस-किस जुर्म के अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किये ?

उत्तर

(1) माह दिसम्बर, 2003 में कोटा सम्भाग में हत्या के 10, लूटपाट के 13 एवं बलात्कार के 13 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस दौरान डकैती का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

(2) उक्त घटनाओं में हत्या के 07, लूटपाट के 6 एवं बलात्कार के 5 प्रकरणों में अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

शाहबाद थाना (बारां) में दर्ज प्रकरण संख्या-61/2001

34. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां थाना शाहबाद में रपट संख्या 61/2001 को दिनांक 20.9.2001 को थाना शाहबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां को अनुसंधान हेतु प्रस्तुत किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि शाहबाद में कार्यरत उप पुलिस अधीक्षक के खिलाफ इस्तगासा 156(3) में दर्ज कराया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि शाहबाद अदालत द्वारा धारा 376 के अंतर्गत उक्त उप पुलिस अधीक्षक का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस उप अधीक्षक पुलिस महकमें में होने से पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला बारां थाना शाहबाद में दिनांक 20.8.2001 को पंजिबद्ध प्रकरण संख्या 61/2001 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां को अनुसंधान हेतु प्रस्तुत किया गया था।

(2) जी हां। यह सही है कि शाहबाद में कार्यरत उप पुलिस अधीक्षक एन.एल. पवन के खिलाफ इस्तगासा 1561(3) जा.फो. दर्ज कराया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि शाहबाद अदालत द्वारा धारा 376 के अंतर्गत उक्त पुलिस उप अधीक्षक का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया।

(4) यह सही नहीं है कि पुलिस उप अधीक्षक पुलिस महकमें में होने से पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे। उप अधीक्षक पुलिस के विरूद्ध लिये गये प्रसंज्ञान के खिलाफ वर्तमान में जिला सैशन न्यायालय बारां में अपील विचाराधीन है तथा वारंट में अंकित पेशी तिथि 2.12.2003 भी निकल चुकी है।

प्रश्न संख्या-35

(स्थगित)

सूंथडा (टोंक) ग्राम पंचायत के आम रास्ते पर अतिक्रमण

36. **श्री रमेश खींची (कठूमर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सूंथड़ा, पटवार क्षेत्र सूंथड़ा, तहसील-उनियारा, जिला टौंक के ख.नं. 350 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है? यदि हां, तो रिकॉर्ड के अनुसार कुल कितनी फीट चौड़ाई दर्ज है? ख.नं. 350 एवं ख.नं. 351 की नक्शा ट्रेस की प्रति के साथ विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश खींची)

(2) क्या यह सही है कि ख.नं. 350 गैर मुमकिन रास्ते पर ख.नं. 351 के खातेदार ने नाजायज अतिक्रमण करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया है? यदि हां, तो किये गये अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ख.नं. 350 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध किस प्रकार की, कार्यवाही कब तक करने का सरकार विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर दुबारा अतिक्रमण न हो उसके लिये सरकार किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रेकार्ड (नक्शा ट्रेस) अनुसार इसकी चौड़ाई 24 फीट है। ख.नं. 350 व 351 का नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति संलग्न है।

(2) जी हां। ख.नं. 351 के खातेदार श्री हजारी पुत्र नेहनू गूजर नि. सूथड़ा ने करीब 12 फुट चौड़ाई में कांटे डालकर रास्ते में अतिक्रमण कर लिया था। दिनांक 17.1.2004 को भौतिक रूप से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलासा करवा दिया गया है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार। अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर भौतिक रूप से बेदखल कर रास्ता खुलासा करवा दिया है।

(4) अतिक्रमी को पाबन्द किया गया है कि वह पुनः अतिक्रमण नहीं करे।

(फोटो प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले के राजस्व ग्राम

37. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ढाणियों/बासों को नया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नियम बनाये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गत 10 वर्षों में अलवर जिले में कोई नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में नये राजस्व ग्राम घोषित होने पर सरकार ने रोक लगा रखी है? यदि हां, तो यह रोक कब तक हटा ली जायेगी?

उत्तर

(1) राज्य में नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु परिपत्र क्रमांक प.9(11) राज-1/84 दिनांक 1.8.1984 एवं 4.10.1996 के अनुसार जिन मजरे/ढाणियों की 250 व इससे अधिक की जनसंख्या हो उन्हें पृथक से नया राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की नीति निर्धारित की हुई है। (परिपत्रों की प्रति संलग्न है)

(2) अलवर जिले में गत 10 वर्षों में कुल 27 नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(3) शासन सचिव निर्वाचन विभाग, राजस्थान की अ. शा. टीप सं. एफ 2(1)(2) रोल्स/निर्वा/2002/3553 दिनांक 14.7.2002 के अनुसार 1.8.2002 के पश्चात् परिसीमन आयोग द्वारा जब तक लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक राज्य में प्रशासनिक इकाइयों की वर्तमान सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप 1) विभाग

निमित्त

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल
   राजस्थान, अजमेर

2. समस्त जिलाधीश।

क्रमांक :- एफ9(11)राज/ग्रुप-1/84 जयपुर, दिनांक 1 अगस्त, 1984

परिपत्र

राज्य सरकार के जानकारी में आया है कि कई राजस्व गांवों में इस प्रकार के आबादी क्षेत्र हैं जो कि मुख्य आबादी से दूर बसे हुए हैं परन्तु इन क्षेत्रों की जनसंख्या पर्याप्त होते हुए भी इस क्षेत्र की जनता को जलप्रदाय योजना, औषधालय, बिजली, स्कूल, डाकघर, यातायात, रेलवे स्टेशन, विकास कार्य आदि विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनको अलग से राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है और न ही यह क्षेत्र किसी विशेष राजस्व गांव से सम्बद्ध है।

राज्य सरकार के पास जन प्रतिनिधियों तथा जिलाधीशों द्वारा नवीन ग्राम व ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिन पर विचार कर राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 3 खण्ड 5 के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्व गांव घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं, परन्तु इस प्रकार के प्राप्त प्रस्तावों में एकरूपता नहीं होती है, इसलिए यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकार के आबादी क्षेत्रों की जिनकी कि आबादी 250 या इससे अधिक है तथा जो मुख्य आबादी से दूर बसे हुए हैं उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना भेजा जाना नितान्त आवश्यक है :-

1. जिले का नाम

2. मूल गांव का नाम

3. मूल गांव के साथ जुड़े हुए मजरे का नाम

4. नं. 3 में बताये गये मजरे का प्रस्तावित गांव के रूप में नाम

5. नं. 4 में प्रस्तावित गांव की जनसंख्या

6. (अ) नं. 4 का क्षेत्रफल

(ब) नं. 4 की आबादी का क्षेत्रफल

7. नं. 4 का चक फसली क्षेत्र का रकबा

8. नं. 4 का दो फसली क्षेत्र का रकबा

9. नं. 4 का भू-राजस्व

10. प्रस्तावित गांव में डाकघर, बिजली, जलप्रदाय योजना, रेलवे स्टेशन, यातायात, पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी, औषधालय आदि की सुविधा है या नहीं तथा वर्तमान में रेलवे स्टेशन तथा डाकघर आदि की दूरी।

11. रेलवे स्टेशन तथा डाकघर के नाम जिन्हें कि प्रस्तावित गांव घोषित किये जाने के फलस्वरूप बदला जाना आवश्यक होगा।

12. नया गांव घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत मुख्यावास, पटवारी तथा गिरदावर के मुख्यावास में कोई परिवर्तन होगा अथवा नहीं।

13. प्रस्तावित गांव की आबादी की वर्तमान गांव से दूरी।

इस प्रकार के समस्त पेंडिंग प्रस्ताव उपरोक्त सूचना संलग्न करते हुए 31 अगस्त, 1984 तक सीधे राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जायें तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव संकलित कर राज्य सरकार के पास राजस्व मण्डल, अजमेर के माध्यम से भेज दिये जायें।

(आर. वी. सोनटके)

राजस्व सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

प्रेषिति :-

निबन्धक

राजस्व मण्डल, अजमेर

2. समस्त सम्भागीय आयुक्त

3. समस्त जिला कलक्टर

क्रमांक :- प.9(11) राज/ग्रुप-1/84 जयपुर, दिनांक 4.10.1996

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1.8.1984 एवं 23.2.1994 के द्वारा नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में लेख है कि राजस्व ग्राम न केवल राजस्व प्रशासन बल्कि समस्त प्रशासन की मूल इकाई है, तथा जलप्रदाय योजना/औषधालय/चिकित्सालय/विद्युत/विद्यालय/डाक घर/यातायात/रेलवे स्टेशन एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भी मूल इकाई एवं आधार बिन्दु है, लेकिन कहीं कहीं बड़ी आबादी या मूल गांव से सुदूर बसी ढाणियां अलग से राजस्व गांव घोषित नहीं होने के कारण विकास की सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। अतः इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि मूल राजस्व ग्राम में दूर बसे बाबादी क्षेत्र एवं सुदूर ढाणियों को भी राजस्व ग्राम घोषित किया जावे। इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि नया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वहां के निवासियों की इस आशय की मांग हो, बल्कि यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि ऐसे गांव जिनकी आबादी ढाणियों में बसी है, और उनका क्षेत्र काफी फैला हुआ है या मूल गांव से दूर आबादी है, तो उन्हें अपने स्तर से भी ये प्रस्ताव जिलाधीश/राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को भिजवाने चाहिये। ऐसे प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित नये गांव की आबादी 250 से कम नहीं हो, लेकिन यह आवश्यक है कि नया राजस्व ग्राम घोषित होने पर मूल गांव की

आबादी 250 से कम न रहे। जहां प्रस्तावित नये राजस्व गांव की आबादी टुकड़ों में बिखरी हुई, ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो उस प्रस्तावित गांव के लिए सुविधाजनक स्थान पर एवं केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिया जाये, ताकि वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गांव के केन्द्र बिन्दु के लिए आबादी विस्तार एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए भूमि की क्या उपलब्धता है। राजकीय सिवायचक या चारागाह इत्यादि भूमि उपलब्ध होने पर ऐसी भूमि को खसरा नम्बर का विवरण देकर नये प्रस्तावित गांव की आधारभूत सुविधाओं/आबादी विस्तार के लिये आरक्षित की जानी चाहिये। जहां उपरोक्त राजकीय चारागाह भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां यदि ग्रामीणजन भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो तो उसको भी नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिये।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भेजते समय निम्न सूचना आवश्यक रूप से भिजवाई जावे :-

1. जिले का नाम
2. मूल गांव का नाम
3. नये प्रस्तावित गांव की आबादी/ढाणी/मजरे का प्रचलित नाम मय ख. नम्बर
4. प्रस्तावित नये गांव का नाम :-

    (1) प्रस्तावित नाम

    (2) क्षेत्रफल

    (3) आबादी का क्षेत्रफल

    (4) रकबा - एक फसली

    (5) रकबा - दो फसली

    (6) भू-राजस्व

5. प्रस्तावित ग्राम में आधारभूत सुविधाएं हैं अथवा नहीं :-

   (1) डाकघर

   (2) विद्युतीकरण

   (3) जलप्रदाय

   (4) रेलवे स्टेशन

   (5) सड़क

   (6) औषधालय/चिकित्सालय

   (7) अन्य

6. प्रस्तावित गांव की रेलवे स्टेशन तथा डाक घर से दूरी

7. नया राजस्व ग्राम बनाया जाने के पश्चात् रेलवे स्टेशन, डाक घर इत्यादि का नाम बदलना आवश्यक हो तो बताया जावे।

8. नया राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत/पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक के मुख्यालय में कोई प्रस्तावित परिवर्तन

9. प्रस्तावित गांव की मुख्य आबादी/केन्द्र बिन्दु की वर्तमान गांव से दूरी

10. प्रस्तावित गांव का मुख्य केन्द्र बिन्दु जहां आधारभूत सुविधाएं प्रस्तावित हैं।

अतः नये ग्राम का प्रस्ताव भेजते समय उपरोक्त सभी सूचना सहित प्रस्ताव राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाये जावे, ताकि उन पर विचार कर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 16 के अंतर्गत राजस्व गांव घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा सके।

(आई.सी. श्रीवास्तव)

प्रमुख शासन सचिव

नये घोषित राजस्व ग्रामों की सूची

जिला अलवर

क्रम सं.	नाम तहसील	घोषित वर्ष	राजस्व ग्राम का नाम	अधिसूचना क्रमांक
1	2	3	4	5
01.	रामगढ़	1994	1. बेरा	परिपत्र क्रमांक प 9/18 व 33/ राज-1 जयपुर दि. 12.6.1998 व दि. 4.5.2002
		2002	2. बासथीकदार	
			3. धनखेड़ा	
			4. बासहरनाथ सिंह	
02.	तिजारा	1998	5. रहमत नगर	
			6. मालयरगुर्जर	
03.	बानसुर	2002	7. चोढानी	
			8. बासडा	
			9. बांधका	
			10. ढाणी कानूगो वाली स्वामीयान	
			11. डाबरिया	
			12. ढाकला	
			13. नरसिंह	

1	2	3	4	5
04.	अलवर	2002	14. मदनपुरी	
			15. लोधाडी	
05.	किशनगढ़बास	2002	16. बेडाकाबास	
06.	लक्ष्मणगढ़	2002	17. माहुपाडा	
			18. खदादिया	
07.	कोटकासिम	2002	19. चन्दपुरा	
08.	कठूमर	2002	20. खातीपुरा	
			21. कंचनपुरा	
			22. मोती का नंगला	
			23. चैनपुरा	
			24. भैरूवास	
			25. धनोखरा	
			26. इन्द्रा कॉलोनी	
			27. नंगला धनसिंह	

प्रभारी अधिकारी
भू.अ. शाखा
कलक्ट्रेट अलवर

ढिगारिया ग्राम (दौसा) के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आवासीय भूमि पर अतिक्रमण

38. **श्री हेमराज (किशनगंज)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम ढिगारिया, तहसील दौसा में चरागाह भूमि में से किस-किस व्यक्ति को आवास हेतु पट्टे जारी किये गये? आबंटियों के नाम पते एवं साइट प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित जाति के व्यक्तियों को आबंटित आवासीय भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो उक्त भूमि पर कौन काबिज है? आवासवार काबिज व्यक्तियों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पीडित व्यक्तियों द्वारा पंचायत प्रशासन एवं सरकार को उक्त समस्या के निदान हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्रार्थना पत्र की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम ढिगारिया तहसील दौसा में स्थित चरागाह भूमि 2.18 हैक्टेयर, जो आबादी में सैट-अपार्ट की गई है, में से 43 व्यक्तियों को आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं। व्यक्तिवार सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। साइट प्लान ग्राम पंचायत द्वारा संधारित नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम ढिगारिया के श्री शिवबक्श पुत्र उदार महावर व रमेश पुत्र शिवबक्श महावर द्वारा उसके आवासीय भूखण्ड के प्रवेश द्वार के आगे की खाली भूमि पर मांगीलाल, रामफूल पुत्र नारायण महावर नि. ढिगारिया द्वारा जबरन

(राजस्व मंत्री)

पत्थर डालकर प्रवेश बंद कर भूमि हड़पने के संबंध में दिनांक 22.4.2003 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही जैरकार है। प्रार्थना पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-'अ'

क्र.सं.	नाम आबंटी	ग्राम
1.	नर्बदा देवी पत्नी रामसहाय ब्राह्मण	पूरणवास
2.	गोरधन पुत्र रामसहाय ब्राह्मण	"
3.	शंकरलाल पुत्र कल्याण सहाय शर्मा	ढिगारिया
4.	प्रेमदेवी पत्नी ब्रदीनारायण शर्मा	"
5.	रामसहाय पुत्र भोरीलाल शर्मा	"
6.	हरसहाय पुत्र ग्यारसा हरियाणा ब्राह्मण	"
7.	रामराय पुत्र प्रभुदयाल शर्मा	"
8.	प्रभुदयाल पुत्र जगन्नाथ शर्मा	"
9.	कालूराम पुत्र रामधन हरियाणा ब्राह्मण	"
10.	सोनी पत्नी मूलचन्द ब्राह्मण	"
11.	कजोड़ पुत्र रामधन हरि. ब्राह्मण	"
12.	रामचन्द्र पुत्र मन्नाराम कोली	"

क्र.सं.	नाम आबंटी	ग्राम
13.	पांचू पुत्र धन्ना कोली	ढिगारिया
14.	मूलचन्द पुत्र कजोड़ कोली	"
15.	कजोड़ पुत्र धन्ना कोली	"
16.	घासी पुत्र भौंरीलाल कोली	"
17.	धन्नी पत्नी नारायण कोली	"
18.	कन्हैयालाल पुत्र नारायण कोली	"
19.	श्योबक्स पुत्र उदाराम महावर	"
20.	धापा पत्नी श्योबक्स कोली	"
21.	रमेश पुत्र श्योबक्स कोली	"
22.	चिरंजीलाल पुत्र श्रवण कोली	"
23.	ग्यारसी पत्नी श्रवण कोली	"
24.	कालूराम पुत्र श्रवण कोली	"
25.	रामप्यारी पत्नी प्रभु कोली	"
26.	नारायण पुत्र कालूराम कोली	"
27.	मांगीलाल पुत्र नारायण कोली	"
28.	मंगली पत्नी रामजीलाल कोली	"
29.	ग्यारसी पत्नी लालू कोली	"
30.	भूरी देवी पत्नि गंगाधर कोली	"

क्र.सं.	नाम आबंटी	ग्राम
31.	घीसी पत्नी रामस्वरूप कोली	ढिगारिया
32.	भोंरीलाल पुत्र रामसहाय कोली	"
33.	जमना पत्नी रामसहाय कोली	"
34.	छोटी पत्नी छोटीलाल कोली	"
35.	गुलाब पत्नी रामधन कोली	"
36.	कैलाश पुत्र नारायण गुर्जर	"
37.	घम्मनसिंह पुत्र हरनाथ गुर्जर	"
38.	रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण गुर्जर	"
39.	सूरजमल पुत्र नानगराम गुर्जर	"
40.	विजयसिंह पुत्र हरनाथ गुर्जर	"
41.	रामसिंह पुत्र हरनाथ गुर्जर	"
42.	नाथूलाल पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर	"
43.	रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण (नयावासी) गुर्जर	"

अति. जिला कलक्टर

दौसा

परिशिष्ट-ब

सेवा में,

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय
पंचायत समिति दौसा

विषय :- प्रार्थी के आवासीय भू-खण्ड के प्रवेश द्वार के आगे की खाली भूमि पर विपक्षी मांगीलाल रामफूल पुत्र नारायण महावर निवासी ढिगारिया द्वारा जबरन पत्थर डालकर प्रवेश बंद कर भूमि हड़पने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थीगण के परिवार के पास आवास हेतु भूमि भवन नहीं होने से आवास की समस्या से काफी परेशान है। ग्राम पंचायत ढिगारिया द्वारा ग्राम के चरागाह साबिक खसरा नम्बर 101 में से कटी 5 बीघा आबादी भूमि में से वर्ष 1983 में तत्कालीन सरपंच द्वारा पट्टे काटकर बताई गई भूमि पर प्रार्थी द्वारा आवास हेतु निर्माण किया है।

अप्रार्थी मांगीलाल रामफूल पि नारायण कोली नि. ढिगारिया व कजोड़ पुत्र रामधन हरियाणा ब्रा. नि. ढिगारिया ने प्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से हमारे आवासीय भू-खण्ड के सामने सड़क से लगती हुई खाली भूमि जो प्रवेश द्वार के सामने है, भूमि पर जबरन बलपूर्वक पत्थर डालकर अतिक्रमण करके हमारे प्लाट में आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है। विपक्षी हमें तंग कर हमारी भूमि को हड़पने को आमादा है। आये दिन झगड़ा-फसाद कर हमारा सुख-चैन छीन रखा है।

विपक्षी द्वारा हमारी भूमि पर पत्थर डालने की घटना दिवस 1.6.2002 को ही मेरे द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय दौसा ग्राम पंचायत ढिगानिया व पुलिस थाना नींगल राजावतान में प्रार्थना-पत्र पेश कर विपक्षी के पत्थर हटाने व उन्हें दण्डित करने हेतु न्याय की प्रार्थना की गई। उसके बाद से ही मुझ द्वारा सभी अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र पेश किये जाते रहे हैं। श्रीमान् को भी मुझ द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत प्रा. पत्र पर कलेक्टर महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये हैं।

मेरे परिवेदना प्रार्थना-पत्र के क्रम में सरपंच ग्राम पंचायत ढिगारिया द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 8.8.2002 द्वारा उक्त प्रकरण में अतिक्रमण हटाने में अपनी असमर्थता प्रकटकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों के स्तर से ही अतिक्रमण हटवाने की राय व्यक्त की है। जिसकी सूचना मुझ द्वारा श्रीमान् को दिनांक 4.3.2003 को प्रस्तुत की गई। जिस पर श्रीमान् द्वारा विपक्षियों के नाम नोटिस क्रमांक 5.8.2003 दिनांक 4.3.2003 जारी कर उन्हें पाबन्द भी किया गया है।

उसके बावजूद विपक्षी मांगीलाल रामफूल पि. नारायण कोली व उसके परिवार वालों ने मिलकर होली के त्यौहार के दिन जबरन निर्माण कार्य की योजना बनाकर निर्माण करना प्रारम्भ किया मनाही करने पर उन्होंने मेरे पुत्रों पर कातिलाना हमला कर मारपीट की गई। घटना की पुलिस थाना नांगल राजावतान में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है।

लेकिन विपक्षी पैसे वालों व ताकत वाले आदमी वाले हैं। राज का कोई भय नहीं मानते हैं। अब भी भूमि पर निर्माण की योजना बना रहे हैं। हमें ऐलानिया धमकी दी जाती है कि तुम्हें गांव से निकालकर रहेंगे। यदि ज्यादा शिकायत बागो की तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा।

सरकार से हमारी प्रार्थना है कि श्रीमान् स्वयं मौके पर पधारकर मेरी समस्या पर गौर फरमावें व विपक्षी के द्वारा पत्थर डालकर किये गये अतिचार को हटवाकर मेरे प्लाट को आवा जाही का रास्ता चालू करने की कृपा करें।

दिनांक 22.4.2003

संलग्न : 1. पूर्व नोटिस की प्रति

2. ग्राम में पेश प्रार्थना पत्र की रसीद की प्रति

प्रार्थी

शिवबक्स पुत्र उदाराम महावर

रमेश पुत्र शिवबक्स महावर

नि. ढिगारिया तह. दौसा

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सेवादारों के पदों में वृद्धि

39. डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड में विभिन्न सेवाओं के पदों पर जातिगत आधार पर कार्य आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो सनाढ्य गुर्जर, गौरवा, सांचियर आदि समाजों के कौन-कौन से पद कितने समय से चिह्नित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन समाजों के परिवारों की संख्या बढ़ने के अनुपात में नवीन पद सृजित नहीं किये गये हैं जिससे इन समाजों के नौजवानों में बेरोजगारी बढी है?

(3) क्या सरकार इन पदों को समाज की पारिवारिक संख्या के अनुपात में बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड में विभिन्न सेवा के पदों पर जातिगत आधार पर कोई कार्य आबंटित किया जाता है। मन्दिर की सेवा में आंतरिक सेवा (भोग तैयार कर अर्पित करने, ठाकुरजी को श्रृंगार धराने की सेवा) गोस्वामी, सांचिहर, गिरनारा औदिच्य व अन्य में से किसी के भी द्वारा तिलकयत महाराजश्री के निदेशानुसार की जाती है। आंतरिक सेवा हेतु कुल 66 सेवा वाले हैं तथा बाहरी सेवा (भोग व श्रृंगार सामग्री तैयार करना, अमुक परिसर तक दर्शन व्यवस्था, विभिन्न पहरे आदि) ब्रजवासियों जो कुल 37 पद हैं के द्वारा तिलकायत महाराजश्री के निदेशानुसार की जाती है। तद्रुसार सेवा के आंतरिक व बाह्य सेवा दो क्रम में है जिस सेवाक्रमानुसार तिलकायत महाराजश्री द्वारा कार्य आबंटित किया जाता है, परन्तु पद विशेष जाति विशेष से संबंधित नहीं है। आंतरिक व बाह्य सेवा का उक्त क्रम मन्दिर स्थापना सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) मन्दिर की सेवा का क्रम (बाल भाव की सेवा) निश्चित व पूर्व - निर्धारित अर्थात् परम्परा व मार्यादानुरूप तय है तथा उक्त सेवा कार्य में वांछनीय सेवकों की संख्या व पद तदनुसार निश्चित हैं। अतः इन आंतरिक व ब्राह्य सेवा से जुडे समाजों के परिवारों की संख्या बढ़ने के अनुपात में नवीन पद सृजित नहीं किये जा सकते हैं न ही आवश्यकता है। क्योंकि मर्यादा व परम्परानुसार निर्धारित सेवा क्रम में वृद्धि/कमी नहीं की जा सकती है।

(3) नाथद्वारा मन्दिर एक टेम्पल बोर्ड है। इनकी सभी व्यवस्थाएं बोर्ड द्वारा देखी जाती हैं।

राजकीय चिकित्सालय संगरिया एवं सार्दुलशहर में चिकित्सकों के रिक्त पद

40. **श्री गुरजंट सिंह** (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय चिकित्सालय संगरिया एवं सार्दुल शहर में कितने पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) सरकार उक्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संगरिया में चिकित्सकों के 6 पद तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सार्दुल शहर में चिकित्सकों के 3 पद स्वीकृत हैं। इनमें से मात्र एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सार्दुल शहर में दिनांक 2.11.2003 से रिक्त है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर की केन्द्रीय प्रयोगशाला

41. **श्री भंवरू खान (फतेहपुर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में केन्द्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है? यदि हां, तो वर्तमान में इसका प्रभारी किसको बनाया गया एवं इनकी योग्यता क्या है? इस प्रयोगशाला में क्या-क्या जांचें होती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या प्रभारी अधिकारी को अन्य खण्डों का क्लिनिकल अनुभव है? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रभारी अधिकारी के स्थान पर किसी क्लिनिकल अनुभव के चिकित्सक को प्रभारी अधिकारी बनाये जाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय प्रयोगशाला के प्रभारी को ही केन्द्रीय आपातकालीन प्रयोगशाला का भी प्रभारी बनाया गया है? यदि हां, तो यहां कितने बायोकेमेस्ट्री खण्ड के चिकित्सक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो यहां की बायोकेमिस्ट्री जांचों की रिपोर्ट्स पर कौन हस्ताक्षर करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय की सम्पूर्ण व्यवस्था कंम्प्यूटराइज्ड की गयी है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य कम्प्यूटर द्वारा किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सारा कार्य ठेके पर दिया जाता है? यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा साफ्टवेयर से की जाने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये? क्या यहां स्थाई प्रोग्रामर नियुक्त करने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र में वरिष्ठ नागरिक की उम्र 65 वर्ष अंकित की गई है? जबकि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधा 70 वर्ष के नागरिक को दी जा रही है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है व क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त प्रयोगशाला का प्रभारी डा. प्रवीण शर्मा, आचार्य, बायोकेमिस्ट्री विभाग को बनाया गया है। इनकी शैक्षणिक योग्यता एम.एस.सी. (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) तथा पीएचडी (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) है। केन्द्रीय प्रयोगशाला में किये जाने वाले परीक्षणों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इस प्रयोगशाला में पैथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी एवं बायोकेमिस्ट्री विषयों जो कि नॉन क्लिनिकल विषय हैं, से संबंधित जांचें की जाती हैं। अतएव इन नॉन क्लिनिकल विषयों में से ही एक विषय के आचार्य को प्रभारी बनाया गया है।

(2) जी हां। आपातकालीन प्रयोगशाला चिकित्सालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला का ही एक भाग है। केन्द्रीय प्रयोगशाला में नियुक्त बायोकेमिस्ट्री विषय के 6 चिकित्सकों में से ही चक्रानुक्रम में चिकित्सकों की ड्यूटी इस आपातकालीन प्रयोगशाला में आवश्यकतानुसार लगाई जाती है। इन परीक्षणों की रिपोर्ट कम्प्यूटर से तैयार किये जाने के कारण इन पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं।

(3) सवाईमानसिंह चिकित्सालय में आपातकालीन सेवाओं, ब्लड बैंक, भर्ती कक्ष, पूछताछ कार्यालय एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला आदि का कार्य कम्प्यूटर पर किया जा रहा है। यह कार्य ठेके पर करवाया जाता है। उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर डम्ब टर्मिनल पर कार्य करते हैं जो कि मुख्य सर्वर से जुड़ा होता है। इस कारण प्रोग्राम में छेड़छाड़ की संभावना नहीं होती है। इस कार्य के लिए स्थायी प्रोग्रामर नियुक्त करने का वर्तमान में प्रस्ताव, आवश्यकता नहीं होने के कारण विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। इस चिकित्सालय में 65 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के मरीजों को वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली समस्त सुविधायें नि-शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मुद्रण कर्मियों को चयनित वेतनमान

42. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पांचवें वेतनमान की बढ़ी हुई वेतन श्रृंखला से मुद्रणालयों के कुछ पदों को लाभ नहीं मिल पाया था?

(2) क्या यह भी सही है कि पत्रावली संख्या 16 (7) वित्त/नियम/98 पर नवम्बर, 98 में निम्न पदों के वेतनमान केन्द्र के बराबर संशोधित करने का फैसला हो चुका था।

क्र.सं.	नाम पद	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1.	अधीक्षक	6500-10500	7500-12000
2.	सहा. अधीक्षक	5500-9000	6500-10500
3.	मुख्य कार्यदेशक	5000-8000	5500-9000
4.	बाईडिंग फौरमेन	4000-6000	5000-8000
5.	मुख्य बाईंडर	3050-4590	4000-6000
6.	बाईण्डर	2650-4000	3050-4590

(3) क्या यह सही है कि चुनाव आचार संहिता राज्य में लागू होने के कारण उक्त आदेश जारी नहीं हो पाये?

(4) क्या सरकार मुद्रण कर्मचारियों के वेतनमान संबंधी नवम्बर, 98 में हुए निर्णय के आदेश जारी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार द्वारा चुनाव उपरांत यानि दि. 4.12.98 के पश्चात् वेतन विसंगतियों के सभी प्रकरण श्री वाई सिंह की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति को 'रेफर' किये गये। समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है, जो परीक्षणाधीन है।

अजमेर में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना

43. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार अजमेर में आर्थिक अपराधों की अन्वीक्षा हेतु न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार अजमेर के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मुकदमों के निस्तारण हेतु अजमेर के किसी न्यायालय को अन्वीक्षा का क्षेत्राधिकार देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अजमेर में आर्थिक अपराधों की अन्वीक्षा हेतु न्यायालय स्थापित करने का मामला अंतिम सूचना प्राप्त होने तक माननीय उच्च न्यायालय में मा. कमेटी के समक्ष विचारार्थ लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर अजमेर में आर्थिक अपराधों की अन्वीक्षा हेतु न्यायालय की स्थापना पर विचार किया जा सकेगा।

(2) अजमेर के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामलों की अन्वीक्षा के लिए न्यायालय स्थापित किया जाना माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त

(विधि मंत्री)

अंतिम सूचना के अनुसार विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम के मामलों की अन्वीक्षा के लिए न्यायालय स्थापित करने अथवा अन्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किये जाने का विचार किया जा सकेगा।

दार्यी मुख्य नहर बीसलपुर बांध के खातेदारों को अवाप्त भूमि का मुआवजा

44. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर बांध परियोजना के मुख्य दार्यी नहर (आर.एम.सी.) एवं वितरिकाओं (पूरे नहर तंत्र) का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ और उक्त कार्य कब पूर्ण होना था उक्त के निर्माण की अवधि कितनी थी तथा उक्त की क्या योजना थी?

(2) उक्त बांध निर्माण में कब-कब कितनी-कितनी राशि व्यय की जाकर निर्धारित समयानुसार कितना निर्माण होना था तथा इसमें किन कारणों से विलम्ब हुआ एवं इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों? नहरी तंत्र को विकास करने का कार्यक्रम मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध की दार्यी मुख्य नहर निर्माण में (पूरी नहर तंत्र से संबंधित) कब-कब, किस-किसकी भूमि अवाप्त की गयी तथा अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा किस-किस को कब-कब दिया गया और कुछ व्यक्तियों को भुगतान क्यों नहीं दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कतिपय खातेदारों को भूमि अवाप्ति का मुआवजा परेशान करने की दृष्टि से नहीं दिया गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और अब मुआवजे की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध की दायीं मुख्य नहर (आर.एम.सी.) का कार्य नवम्बर, 1993 में प्रारम्भ किया गया। मूल अनुमानों के अनुसार वर्ष 1998-99 में कार्य पूर्ण होना था। वर्षवार निम्नलिखित सी.सी.ए. के लिए नहरों को पूर्ण करना था।

क्र.सं.	वर्ष	सिंचित क्षेत्र खोलने का लक्ष्य (हेक्टेयर में)
1	1992-93	-
2	1993-94	-
3	1994-95	-
4	1955-96	10000
5	1996-97	20000
6	1997-98	20000
7	1998-99	19200

(2) उक्त बांध निर्माण में वर्षवार निम्न राशि व्यय की जाकर निर्माण होना था।

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाखों में)	निर्माण कार्य
1	1986-87	91.00	निर्माण कार्यों का विवरण
2	1987-88	695.00	संलग्न है।
3	1988-89	1249.96	
4	1989-90	1650.00	

(सिंचाई मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाखों में)	निर्माण कार्य
5	1990-91	1894.44	
6	1991-92	2335.00	
7	1992-93	3313.33	
8.	1993-94	5600.00	
9.	1994-95	5800.00	
10.	1995-96	4051.82	
11.	1996-97	3300.00	
12.	1997-98	1600.00	
13.	1998-99	800.00	
14.	1999-00	422.45	
	कुल	32803.00	

लक्षित राशि के आबंटन में कमी एवं प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन के कारण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। अतः इसके लिए कोई दोषी नहीं है। नहरी तंत्र के विकास करने का कार्यक्रम मानचित्र पर अंकित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कार्यक्रम विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(3) दायीं मुख्य नहर निर्माण के पूरे तंत्र की 24 नहरों/माइनरों से संबंधित कुल 4472 प्रकरणों में से 3006 प्रकरणों में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर अवार्ड जारी किये जा चुके हैं। उक्त अवार्डों में से 1871 का मुआवजा भुगतान जरिये बैंक वर्षवार निम्न प्रकार किया जा चुका है-

(सिंचाई मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाखों में)
1	1993-94	6.39
2	1994-95	6.35
3	1995-96	2.94
4	1996-97	59.23
5	1997-98	29.07
6	1998-99	47.66
7	1999-2000	58.07
8	2000-01	84.83
9	2001-02	121.47
10	2002-03	36.20
11	2003-04	106.00
	कुल योग	558.21

622 प्रकरणों में विवाद/विभिन्न कारण एवं 465 प्रकरणों में वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

(4) जी नहीं। 465 प्रकरणों में मुआवजा भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2003-04 में एवं शेष प्रकरणों में 31 दिसम्बर, 2004 तक भुगतान करना प्रस्तावित है।

बीसलपुर बांध के पानी के उपयोग की योजना

45. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर बांध का निर्माण कब से प्रारम्भ होकर कब पूरा हुआ एवं उक्त में कब-कब कितना-कितना पानी रोका गया और किन-किन वर्षों में उस पानी का क्या उपयोग किया गया तथा पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से कितना उपयोग किया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में पानी के उपयोग की दृष्टि से गम्भीरता से विचार नहीं किया गया? क्या उक्त बांध में पानी होने की स्थिति में भी राज्य के संबंधित जिलों में पेयजल आपूर्ति नहीं की गई? यदि हां तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त बांध के पानी के उपयोग की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध का निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 1987 में प्रारम्भ हुआ एवं जून 1997 में पूरा हुआ। बांध में कब-कब कितना-कितना पानी रोका गया और किन-किन वर्षों में उस पानी का पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से कितना उपयोग किया गया उसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

जी नहीं।

(3) बीसलपुर बांध में उपयोगी पूर्ण भराव क्षमता 31.5 टी.एम.सी. है। इसमें से 7.3 टी.एम.सी. पानी का वाष्पीकरण आदि से क्षय होने के पश्चात् 24.2 टी.एम.सी. जल बचेगा। जिसमें से 16.2 टी.एम.सी. पेयजल हेतु एवं शेष 8.0 टी.एम.सी. सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

बीसलपुर बांध में एकत्रित जल एवं उपयोग के लिए जल की मात्रा का वर्षवार विवरण

वर्ष	बांध में एकत्रित जल		उपयोग में लिये गये जल की मात्रा		विशेष विवरण
	तल (मीटर)	मात्रा (टी.एम.सी.)	पेयजल (टी.एम.सी.)	सिंचाई (टी.एम.सी.)	बिना गेट के क्रेस्ट लेवल
1994-1995	302.30	0.80	0.25	0.000	अतिरिक्त प्लेट लगाकर रोका गया
1995-1996	302.50	0.85	0.47	0.000	गेट लगने के पश्चात्
1996-1997	304.00	1.56	0.75	0.000	गेट लगने के पश्चात्
1997-1998	304.50	1.85	0.96	0.06	गेट लगाने के पश्चात्
1998-1999	303.90	1.50	9.77	0.000	गेट लगने के पश्चात्
1999-2000	306.50	3.85	1.24	0.06	गेट लगने के पश्चात्
2000-2001	309.00	8.00	1.30	0.30	गेट लगने के पश्चात्
2001-2002	311.00	14.00	1.82+1.80	1.25	1.80 टी.एम.सी. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार काकड़ी मतीरा की खेती के लिये नदी में छोड़ा गया
2002-03	307.57	5.31	1.87	0.00	गेट लगने के पश्चात्
2003-04 दिसम्बर तक	308.79	7.66	0.92	0.00	गेट लगने के पश्चात्

बनास नदी पर प्रस्तावित ईसरदा बांध परियोजना

46. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बनास नदी पर प्रस्तावित ईसरदा बांध परियोजना की स्वीकृति की कार्यवाही किस स्तर पर विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध के निर्मित होने पर कितना पानी सिंचाई के लिए तथा कितना पेयजल के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

(3) क्या इस बांध में आवश्यकतानुसार चम्बल नदी का पानी भी डालने के बारे में योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो अब इस बारे में कब तक सर्वे करवा लिया जावेगा?

उत्तर

(1) ईसरदा बांध परियोजना के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग के आक्षेपों की पूर्ति हेतु विभाग स्तर पर विचाराधीन है। संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) उक्त बांध के निर्मित होने पर 8.62 टी.एम.सी. पानी पेयजल के लिये एवं 2.96 टी.एम.सी. पानी सिंचाई के लिये उपयोग में लिया जावेगा।

(3) जी नहीं। वर्तमान में नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम में चम्बल नदी का पानी बनास नदी में डालने का प्रस्ताव है, जिसका सर्वे कराकर उचित स्वीकृति के पश्चात् कार्यवाही संभव होगी।

ईसरदा बांध परियोजना का संक्षिप्त विवरण

ईसरदा बांध परियोजना के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति के लिए सिंचाई मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्र क्रमांक प.3(33) से 315-17 दिनांक 28.08.2001 को प्रस्तुत किये जा चुके हैं एवं राज्य आयोजना विभाग से ईसरदा परियोजना की स्वीकृति दिनांक 14.09.2001 को प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा परियोजना की स्वीकृति हेतु जांच के दौरान पाए गए आक्षेपों को अपने पत्र क्रमांक राज./17/2001-पी.ए.सी./838 दिनांक 29.11.2001 के द्वारा सिंचाई विभाग को भिजवाये गये। इन आक्षेपों की पूर्ति कर केन्द्रीय जल आयोग को पुनः विभाग के पत्र क्रमांक टी/188/पार्ट-चतुर्थ/02/51 दिनांक 12.04.2002 को भिजवाये गये इसके पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग ने अपने पत्र क्रमांक राज/97/200-पी.ए.सी./554 दिनांक 14.06.2002 के द्वारा परियोजना रिपोर्ट को संशोधित प्रपत्र में नई बी.एस.आर. के आधार पर बनाकर निम्न बिन्दुओं की पूर्ति कर भिजवाने हेतु लिखा। निम्नलिखित आक्षेपों की पूर्ति किया जाना शेष है :-

1. ईसरदा बांध की कुल लागत को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सिंचाई विभाग में क्रमशः 74.5 प्रतिशत एवं 25.5 प्रतिशत के अनुपात में वहन किये जाने की सहमति जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से काफी प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई है।

2. केन्द्रीय जल आयोग की राय में प्रोजेक्ट पर जब तक विचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति जारी नहीं की जाती।

3. पर्यावरणीय अध्ययन एवं प्रावधान।

सिंचाई बांधों के कैचमेंट एरिया में नवीन बांधों का निर्माण

47. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई बांध के कैचमेंट एरिया में नये बांध निर्माण करवाये जाने पर प्रतिबंध है? यदि हां, तो इस बाबत् उपलब्ध आदेश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गांधी सागर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बांध एवं एनिकटों के करवाये गये निर्माण कार्य की जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो सूची मय भराव क्षमता के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध/एनिकट किस-किस वर्ष में बनाये गये तथा इनके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस प्रकार के बांध एवं एनिकट का निर्माण दुबारा से नहीं हो इसके बारे में दोनों प्रदेशों की सरकारों द्वारा निर्णय किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब उक्त संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-क सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। बांधों/तालाबों की मय भराव क्षमता की सूची परिशिष्ट-ख सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) गांधी सागर बांध के पूर्ण होने के वर्ष 1954 से पहले 23 बांध, 84 बांध वर्ष 1954 से 1985 तक तथा 45 बांध 1985 के बाद के वर्षों में बनाये गये हैं। इस संबंध में राजस्थान प्रारम्भ से ही आपत्ति मध्य प्रदेश

(सिंचाई मंत्री)

सरकार को करता आ रहा है। स्थायी समिति सं. 2 की 73वीं बैठक में दिनांक 21.01.2003 को भी इस क्रम में राजस्थान ने आपत्ति उठाई थी। राजस्थान ने प्रस्ताव दिया कि गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर में पर्याप्त जल संग्रहण न होने की अवस्था में गांधी सागर के केचमेन्ट में रोके गये पानी का आधा जो मध्य प्रदेश को पार्वती एक्वाडक्ट से दिया जा रहा है, में से काट लिया जावे। उक्त प्रस्ताव का मण्डल की आगामी बैठक में निर्णय लिया जाना है। अगली स्थाई समिति की बैठक में भी गांधी सागर के जलग्रहण क्षेत्र में बनाये गये बांधों/स्ट्रक्चर्स पर पुनः आपत्ति दर्ज कराई जावेगी। कोटा बैराज से सिंचाई हेतु पानी का निस्तारण करते समय राजस्थान के 50 प्रतिशत हिस्से राशि के बराबर पानी राजस्थान में प्रयोजनार्थ निस्तारित किया जा रहा है।

(4) व (5) जी नहीं। इस विषय में समय-समय पर विभाग द्वारा अन्तरराज्यीय बैठकों में मध्य प्रदेश को आपत्ति दर्ज कराई गई है। आगामी बैठक में पुनः आपत्ति दर्ज कराई जावेगी।

परिशिष्ट-'क'

कार्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- टी/एफ-353/रिव्यू मीटिंग/आईएम/टीए/एसएस/मुअसिं/4076 दिनांक 7.8.2002

कार्यालय आदेश

वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का जो वृहद संशोधित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उसे निम्नलिखित दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए बनाने की व्यवस्था की जावे।

1. केवल उन्हीं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स विशेषतः एनीकट इत्यादि का निर्माण कार्य हाथ में लिया जावे जो कि किसी अन्य पूर्व निर्मित/ निर्माणाधीन/प्रस्तावित सिंचाई परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित नहीं हो।

2. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार उदयपुर द्वारा जारी एनीकट निर्माण से सम्बन्धित तकनीकी मापदण्ड एवं दिशा-निर्देश पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प-216/4/एनीकट/टीए/एसएस/मुअसिं/3130 दिनांक 30.4.2002 के द्वारा सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को प्रेषित किये जा चुके हैं। जिनकी पालना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ही वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का प्लानिंग एवं डिजाइन का कार्य सुनिश्चित किया जावे।

ह.
मुख्य अभियंता, सिंचाई
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-'ख'

गांधी सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित बांधों/तालाबों का विवरण

क्र.सं.	बांधों/तालाबों का विवरण	भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	निर्माण पूर्ण होने का वर्ष
1	2	3	4
जिला इन्दौर			
1.	असरावद तालाब	0.836	1966
2.	बुरानाखेड़ी तालाब	0.455	1965
3.	हटोड़ तालाब	0.924	1956
4.	नेहरूग्राम तालाब	0.389	1971

1	2	3	4
5.	राउ तालाब	0.976	1961
6.	तीलोर खुर्द तालाब	0.670	
7.	बरलाई तालाब	0.538	1968
8.	बीसाखेड़ी तालाब	0.769	1966
9.	डकचिया तालाब	0.178	
10.	कंदवाली खुर्द तालाब	0.363	1966
11.	कटकिया तालाब	0.534	1980
12.	मुरादपुरा तालाब	0.416	1970
13.	नागपुर तालाब	0.348	1976
14.	रतनतलाई तालाब	0.240	1973
15.	सेगवाल तालाब	0.234	1967
16.	अकासोड़ा तालाब	0.387	1977
17.	बेगानाड़ा तालाब	0.200	1967
18.	बीजापुरा तालाब	0.343	1967
19.	चन्देर तालाब	0.396	1976
20.	चारोड़ा तालाब	0.268	1980
21.	दीपलपुर तालाब	13.385	1952
22.	करजोड़ा तालाब	0.562	

1	2	3	4
23.	किशनपुरा तालाब	0.493	1978
24.	खजराया तालाब	0.783	1952
25.	नेड़ी तालाब	0.283	1967
26.	हासलपुर तालाब	1.160	1977
27.	कनकेरपुरा तालाब	0.583	1976
28.	भटखेड़ी तालाब	0.419	
	योग	27.132	
जिला धार			
29.	अन्तराय तालाब	0.436	
30.	संजय जलाश्य तालाब	9.500	
31.	चिलूर तालाब	0.630	
32.	डोलाना तालाब	0.630	
	योग	10.926	
जिला देवास			
33.	भूरड़ा तालाब	1.090	
34.	अधेरा तालाब	1.970	
35.	मोमनपुरा तालाब	4.000	
36.	पीपलियामान तालाब	1.020	

1	2	3	4
37.	नागदा तालाब	2.580	1977
38.	सीया तालाब	0.530	
39.	पटडी तालाब	0.280	1962
40.	अमलावती तालाब	0.348	1975
41.	सिन्धाणी तालाब	0.410	1975
42.	चिड़ावड़ तालाब	0.830	1966
43.	पाडिल्या तालाब	0.440	1963
44.	सड़क पिपलिया तालाब	0.620	1965
	योग	14.118	
जिला शाजापुर			
45.	अम्बा बरोड़	1.560	
	योग	1.560	
जिला उज्जैन			
46.	साहिबखेड़ी तालाब	12.460	
47.	भैंसाखेड़ी तालाब	8.284	
48.	काजी खेड़ी तालाब	7.177	
49.	अरनिया भादर तालाब	25.248	
50.	जस्ता खेड़ी तालाब	2.308	1912

1	2	3	4
51.	बामोरा तालाब	3.962	
52.	उन्दासा तालाब	5.286	1922
53.	सिलार खेड़ी तालाब	6.088	1914
54.	टरकरिया तालाब	1.965	1971
55.	जरखोदा तालाब	0.143	1967
56.	लाकोड़ा तालाब	0.342	1966
57.	गावड़ी तालाब	0.343	1962
58.	घाटिया तालाब	0.488	1966
59.	मोतीपुरा तालाब	0.775	——
60.	सलामता तालाब	0.821	
61.	कोयलखेड़ी तालाब	2.689	1983
62.	उन्हेल तालाब	1.010	1920
63.	बेड़ावान तालाब	1.448	1922
64.	रामबालोदा तालाब	0.615	1924
65.	अन्तलवासा तालाब	5.862	1922
66.	पाडलिया तालाब	5.597	1914
67.	राजला तालाब	0.263	
68.	सियारा तालाब	1.531	

1	2	3	4
69.	भूषणावाद तालाब	1.060	
70.	भादला तालाब	1.110	
71.	बागला तालाब	3.523	
72.	नर्मदा तालाब	1.217	
73.	शामगी तालाब	0.440	
74.	कडाडिया तालाब	1.132	
75.	पड़चौला तालाब	0.554	1981
76.	कनारडी तालाब (पुराना)	0.470	
77.	कनारडी तालाब (नया)	0.875	
78.	नैनावदा तालाब	0.830	
79.	खरखेड़ी तालाब	0.314	
80.	देवीखेड़ा तालाब	7.196	
81.	खातीखेड़ा तालाब	0.221	1968
82.	लक्ष्मीपुरा तालाब	0.206	1970
83.	कृष्ण सुदामा तालाब	0.387	
84.	खारिया सुमारा तालाब	0.182	
85.	सिमरोल तालाब	0.282	1965
86.	सरबनखेड़ा तालाब	1.886	

1	2	3	4
	योग	116.590	
जिला नीमच			
87.	मोरबान तालाब	16.452	
88.	पलरा खेड़ा तालाब	0.520	
89.	लासूर तालाब	1.199	
90.	मालगढ़ तालाब	0.471	
91.	धनगांव तालाब	1.437	
92.	जीरां तालाब	3.617	
93.	हरबर तालाब	0.160	
94.	थामणिया तालाब	0.633	
95.	बोरखेड़ी तालाब	0.620	
96.	भारबडिया तालाब	0.306	
97.	चैनपुरा तालाब	0.803	
98.	नया पुराना तालाब	1.347	
99.	रलायता तालाब	0.680	
100.	जामूनिया तालाब	0.384	
101.	मालखेड़ा	1.009	
102.	दासानी तालाब	1.187	

1	2	3	4
103.	मोकमपुरा तालाब	0.547	
104.	बनी तालाब	0.425	
105.	कुन्दालिया तालाब	0.460	
106.	बिसाला तालाब	0.736	
107.	भामेसर तालाब	0.848	
108.	चम्बलेश्वर तालाब	13.097	
	योग	46.938	
जिला मन्दसौर			
109.	तालिया तालाब	1.491	
110.	कारौली तालाब	1.645	
111.	घाटोण्डा तालाब	2.092	1970
112.	डोलोड़ा सागर तालाब	1.409	
113.	खुडाना तालाब	2.245	
114.	लामगरा तालाब	4.655	1980
115.	हसली तालाब	0.736	1954
116.	ढिकोला तालाब	1.351	1954
117.	बरडाबड़ा तालाब	0.724	1913
118.	अचेरी एल.आई.एस.	0.000	

1	2	3	4
119.	भागोर एल.आई.एस.	0.000	
120.	जोठाकेड़ी तालाब	2.621	
121.	मुंदरी तालाब	2.422	
122.	ढाबला देबल तालाब	2.659	
123.	असावती तालाब	0.365	1960
125.	जूनापानी तालाब	1.571	
126.	लाडूना तालाब	2.252	
127.	पानपुर बरोड़ तालाब	1.448	1907
128.	गोपालपुरा तालाब	7.940	1958
129.	कोलादोनगर तालाब	2.190	
130.	अतरालिया तालाब	0.190	
131.	बरखेड़ा राथरे तालाब	1.380	
	योग	42.421	
जिला रतलाम			
132.	रामसागर तालाब	0.376	1958
133.	गोवर्धन तालाब	0.536	
134.	डोडिना तालाब	0.280	1972
135.	शिकारवार्डी तालाब 1	0.326	1969

1	2	3	4
136.	शिकारवार्डी तालाब 2	0.497	1972
137.	मलवासा तालाब	0.490	
138.	शिमलावदा तालाब	0.357	
139.	सुजापुरा	0.682	1968
140.	बेगिया तालाब	0.336	1969
141.	मचुने तालाब	0.147	1980
142.	कालूखेड़ा 1	0.563	1980
143.	कालूखेड़ा 2	0.441	1980
144.	फचौरिया तालाब	0.441	1972
145.	पीपलिया सिसोदिया तालाब	0.325	1969
146.	असावता तालाब	0.213	1969
147.	पोगनिया तालाब	0.423	
148.	अलोटी तालाब	0.491	1969
149.	धमनोद तालाब	1.342	
150.	रूपानिया खाल तालाब	13.553	
151.	खेड़ी तालाब	0.288	
152.	कोमेड तालाब	0.805	1955
	योग	22.912	

गोडाणा बांध (शिवगंज) की ऊंचाई में वृद्धि

48. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गोडाणा बांध का निर्माण कब हुआ? निर्माण के पश्चात् अब तक स्थिति सुधार पर कितना व्यय किया गया है?

(2) गोडाणा बांध (शिवगंज) की भराव क्षमता कितनी है? इस क्षेत्र में पानी की आवक कितनी है? कितना पानी अभी व्यर्थ जा रहा है?

(3) क्या सरकार बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विचार रखती है? क्या उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गोडाणा बांध का निर्माण वर्ष 1967 में कराया गया था। विगत पांच वर्षों में इसके रख-रखाव पर 71,645.00 रुपये राशि व्यय की गई।

(2) गोडाणा बांध तहसील शिवगंज की भराव क्षमता 66.12 मिलियन घन फुट है। सामान्य वर्षा में बांध स्थल तक पानी की आवक 50.92 मिलियन घन फुट है। कोई भी पानी व्यर्थ नहीं जा रहा है।

(3) जी नहीं।

हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई कर की वसूली

49. श्री गुरजंट सिंह (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के किसानों पर सिंचाई कर कितने वर्ष का बकाया है, जिसकी अभी तक वसूली नहीं की गई है?

(श्री गुरजंट सिंह)

(2) पिछले चार वर्षों में सिंचाई कर का निर्धारण पटवारी अथवा गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है या अनुमान के आधार पर?

(3) पटवारी अथवा गिरदावरी के आधार पर सिंचाई कर का निर्धारण नहीं किया गया तो इसके क्या कारण रहे?

(4) गत वर्षों के सिंचाई कर की वसूली हेतु सरकार की क्या नीति है? क्या सरकार किसानों को राहत देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले का मुख्यतया 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 वर्षों के सिंचाई कर बकाया हैं।

(2) पिछले 4 वर्षों में सिंचाई कर का निर्धारण सिंचाई खतोनी/गिरदावरी के आधार पर किया गया है।

(3) कर का निर्धारण पटवारी/गिरदावरी के आधार पर किया गया है।

(4) स्थगित किया गया।

हिण्डौली विधानसभा क्षेत्र की असिंचित भूमि का सर्वे

50. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के समय प्रत्येक सिंचाई परियोजना में कितनी-कितनी भूमि सिंचित क्षेत्र में शामिल की गई?

(2) उक्त बांधों के निर्माण के पश्चात् अब तक कितनी-कितनी भूमि पर नहरों के द्वारा पानी उपलब्ध करा कर सिंचाई नहीं की गई? प्रत्येक योजना विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(3) प्रश्न के क्र.सं. 2 में वर्णित भूमि पर सिंचाई करना संभव नहीं है तो उक्त भूमि को सिंचित क्षेत्र से असिंचित क्षेत्र घोषित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) सरकार उक्त भूमि को अब कब तक सिंचित क्षेत्र से असिंचित क्षेत्र में बदलने का निर्णय करेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के अन्तर्गत मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के समय जो भूमि सिंचित क्षेत्र में शामिल की गई थी, की सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त बांधों के निर्माण के पश्चात् नहरों के द्वारा जिस भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। विवरण प्रपत्र 'अ' में अंकित कर दिया गया है।

(3) विभाग द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु योजनाबद्ध प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) अंतिम छोर पानी पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रपत्र–अ

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं पर प्रस्तावित सिंचित/असिंचित क्षेत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र (एकड़ में)	अधिकतम सिंचाई की गई (एकड़ में)	वर्ष जिसमें अधिकतम सिंचाई की	सिंचाई से वंचित क्षेत्र (एकड़ में)	विशेष विवरण
1	गुढा बांध	26440	21874	85-86	4566	
2	बूंदी का गोठड़ा	6000	6475	87-88	-	(I.C.A.) से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो रही है।)
3	भीमलत	2200	6280	89-90	-	(I.C.A.) से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो रही है।)
4	अभयपुरा	2697				
5	पेच की बावड़ी	1408	1255	87-88	153	
6.	रोणीजा	1700	1394	67-68	306	
7	बंकिया खाल	814	651	85-86	163	
8	मरडिया	1041	932	2000-01	109	
9	मेण्डी	857	243	2001-02	614	

भंवर पीपला बांध बेगूं का निर्माण

51. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में निर्माणाधीन बांध 'भंवर पीपला' कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? क्या सरकार 100 दिन की अवधि में इसे पूर्ण करने का विचार रखती है?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में निर्माणाधीन भंवर पीपला सिंचाई परियोजना मार्च, 2005 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। सरकार के 100 दिन की अवधि में इसे पूर्ण करने का विचार नहीं रखती है।

राजनैतिक दलों द्वारा जारी चुनाव घोषणा पत्र

52. **डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :** क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारहवीं विधान सभा के चुनावों में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों ने चुनावी घोषणा पत्र प्रकाशित किये हैं? यदि हां, तो विभिन्न घोषणा पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नव निर्वाचित सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र का क्रियान्वयन किया जावेगा? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में मंत्रीमण्डल में समयबद्ध कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।

(2) जी हां। सरकार अपने दल के चुनावी घोषणा पत्र को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने हेतु कटिबद्ध है।

सहायक अभियंता विश्वकर्मा क्षेत्र (जयपुर) के विरुद्ध कार्यवाही

53. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सहायक अभियंता, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (ग्रामीण) जयपुर के पदस्थापन के बाद ग्राम सरनाडूंगर में लाईन के तार टूटने से किन्हीं व्यक्तियों की मौत हुई? यदि हां, तो क्या उसके पश्चात् उनके लड़कों को बिजली विभाग में मस्टररोल पर रखा गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहायक अभियंता ने मनभर फैक्ट्री मालिक के नियम विरुद्ध तरीके से राशि प्राप्त कर ट्रांसफार्मर रखवाने की व्यवस्था की थी? यदि हां, तो क्या इससे उक्त मस्टररोल कर्मचारियों की मौत हुई?

(3) क्या उक्त सहायक अभियंता बिना नियम विरुद्ध राशि लिए किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं देता और न ही कोई नया कनेक्शन जारी करता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त प्रकरणों में उक्त सहायक अभियंता के विरुद्ध कोई कार्यवाही विद्युत निगम द्वारा की गई है, यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सहायक अभियंता दोषी होते हुए भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दोषी करार देकर जबरदस्ती फंसा रहा है? क्या उक्त सहायक अभियंता नियम विरुद्ध राशि लिए बिना लाइनों के ढीले तार ठीक नहीं करवाता एवं जमीन पर रखे ट्रांसफार्मरों को ऊपर नहीं रखवाता? क्या उक्त से आये दिन दुर्घटना होती रहती है?

(6) क्या उक्त सहायक अभियन्ता के कार्यकाल में एक भी लाइन मेन्टीनेंस का कार्य हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल नागर)

(7) क्या सरकार उक्त सहायक अभियंता का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), वी.के.आई.ए. जयपुर के अन्तर्गत ग्राम सरनाडूंगर में एल.टी.लाईन का तार टूटने से एक श्री हनुमान बागडा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके एक लड़के श्री रमा शंकर को विभाग में मस्टर रोल पर लगाया गया था।

(2) जी नहीं। सहायक अभियंता द्वारा मनभर फैक्ट्री मालिक से कोई राशि लेना जांच के दौरान सत्यापित नहीं हुआ है। श्री रमाशंकर मस्टर रोल कर्मचारी की मौत अवश्य हुई है लेकिन श्री रमाशंकर को सरनाडूंगर में कार्य बाबत् किसी प्रकार का निर्देश ही नहीं दिया गया था बल्कि उसकी ड्यूटी केवल स्टोर से सामान लगाने के काम में थी।

(3) जी नहीं। उक्त सहायक अभियंता के विरुद्ध अनियमित राशि लेकर ट्रांसफार्मर देने संबंधी कोई शिकायत संबंधित कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को नियमानुसार प्राथमिकतानुसार एवं सामान की उपलब्धतानुसार ट्रांसफार्मर दिये गये हैं तथा कनेक्शन भी नियमानुसार जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं। उक्त सहायक अभियंता के विरुद्ध नियम विरुद्ध कार्य करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सहायक अभियंता दोषी होते हुए भी अधीनस्थ कर्मचारियों को दोषी करार देकर जबरदस्ती फंसा रहा है। इसके अतिरिक्त ढीले तारों या जमीन पर रखे ट्रांसफार्मरों को ऊपर रखवाने का मामला जब भी जानकारी में आता है, उसे सामान की उपलब्धता व कर्मचारियों की व्यवस्था कर अविलम्ब ठीक करवाया जाता है। ढीले तारों एवं जमीन पर रखे ट्रांसफार्मरों के कारणों से उक्त सहायक अभियंता के कार्यकाल

(ऊर्जा मंत्री)

के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें से एक तार टूटकर जमीन पर गिरने के कारण तथा दूसरी श्री रमाशंकर की दुर्घटना बिना अनुमति के डीपी पर ट्रांसफार्मर रखने के दौरान हुई थी। उक्त प्रकरण की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष का दोष प्रमाणित नहीं हुआ है एवं न ही सहायक अभियंता दोषी पाया गया।

(6) जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा माह जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक विशेष अभियान चलाकर लाईनों की मरम्मत की गई थी। वी.के.आई. (ग्रामीण) उपखण्ड में भी इस अवधि में लाईन मरम्मत के कार्य किये गये हैं। माह जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

(7) उक्त सहायक अभियंता का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-'अ'

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जयपुर जिला वृत्त)

सहायक अभियंता (ग्रामीण), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वी.के.आई., जयपुर के अधिनस्थ जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक क्रेश मेन्टीनेल कार्यक्रम के तहत लाइनों की मरम्मत हेत निम्न कार्य किये गये हैं :-

1.	ढीले तारों को सही किया गया	345 स्थान
2.	झुके हुए पोल ठीक किये गये	61
3.	नीची लाइनों की ऊंचाई बढ़ाई गयी	108 जगह
4.	स्टे सैट लगाये गये	102
5.	एल.टी. व एच.टी. लाइन गार्डिंग	6 जगह
6.	रोड क्रासिंग पर गार्डिंग की गयी	19 स्थान में
7.	जमीन पर रखे ट्रांसफार्मरों को डीपी पर रखा	2

जानकीपुरा ग्राम, जिला सीकर के कृषकों को विद्युत कनेक्शन

54. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जानकीपुरा वाया जाजोद, जिला सीकर में कतिपय उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने हेतु सहायक अभियन्ता (वितरण) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) ने अपने पत्र क्रमांक अ/श्रीमाधोपुर/उ.शा./प्र/1815 दिनांक 31-8-1998 द्वारा मांग पत्र जारी किया ? यदि हां, तो किसको व उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कृषकों द्वारा उक्त राशि रसीद संख्या 22/88366 दिनांक 15-9-1998 द्वारा जमा करा दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि पांच वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त कृषकों को अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त प्रकरणों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त उपभोक्ताओं के नाम पूर्व में भी कृषिक कनेक्शन थे ? क्या उक्त कुओं में पानी नहीं होने के कारण उक्त पुराने कनेक्शनों को तीन वर्ष पूर्व कटा दिया गया था ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त पुराने कनेक्शनों के कारण संबंधित अधिशाषी अभियन्ता अब दो कनेक्शन होने के कारण नया कनेक्शन जारी नहीं कर रहा है ?

(श्री बाबूलाल नागर)

(7) क्या सरकार अब पुराने कनेक्शन को रद्द कर नये कनेक्शन जिसकी राशि जमा करवा दी गई है, को जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

(8) अब उक्त कृषकों को नये कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जानकीपुरा वाया जाजोद जिला सीकर में कृषि कनेक्शन के लिये श्री गणेश पुत्र नारायण व श्री किशना पुत्र हनुमान जाट के नाम से सहायक अभियन्ता, श्रीमाधोपुर ने अपने पत्र संख्या सअ/श्रीमाधोपुर/उ.शा/प्रे./1815 दिनांक 31-8-1998 द्वारा मांग पत्र जारी किया था जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। आवेदकों के आपसी विवाद के कारण सहायक कलेक्टर, श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 17-9-1999 को जारी अस्थायी स्थगन आदेश दिनांक 18.3.2002 तक प्रभावी रहा, जिसके कारण इस अवधि में कनेक्शन देने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसके उपरान्त आवेदक श्री गणेश पुत्र नारायण के देहान्त के पश्चात उसके वारिस श्री भोलूराम पुत्र गणेश ने पुराने कुएं में पानी सूख जाने के कारण खसरा नम्बर 170 में बनाये गये नये कुएं में कनेक्शन जारी करने हेतु स्थानान्तरण पत्रावली प्रस्तुत की। वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण कनेक्शन जारी करने में विलम्ब हुआ।

(4) जी नहीं। उक्त प्रकरण में अस्थाई स्थगन आदेश, आवेदकों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी नकल, वारिसनामा, भूमि का नामान्तरण व चालू कनेक्शन से आवेदक का नाम हटाना व बिलों की बकाया राशि जमा कराने जैसी औपचारिकतायें पूर्ण नहीं करने के कारण कनेक्शन देने में विलम्ब हुआ है। इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अतः किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(5) जी हां। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त कुएं में श्री दूलाराम पुत्र लालचन्द एवं श्री गणेश पुत्र नारायण के नाम से कृषि कनेक्शन दिया हुआ था, जिसका खाता सं0 1602/31 था। इस कनेक्शन में विद्युत बिलों की राशि 9168/- रुपये बकाया होने के कारण काट दिया गया था। कुएं में पानी सूखने के कारण नहीं बल्कि कनेक्शन में बकाया के कारण कनेक्शन काटा गया था।

(6) जी हां। विद्युत वितरण निगम के नियमों के अनुसार एक ही कुएं में एक ही नाम से दूसरा कनेक्शन नहीं दिये जाने का प्रावधान है। श्री गणेश पुत्र नारायण पहले से जारी कनेक्शन में भागीदार था अतः उसके नाम से दूसरा कनेक्शन देना सम्भव नहीं है। श्री गणेश का नाम पूर्व कनेक्शन में से हटा लेने पर उस कुएं में उसके नाम से कनेक्शन दिया जा सकता है।

(7) विद्युत वितरण निगम उपभोक्ता के चाहने पर ही कनेक्शन समाप्त कर सकता है। अगर उपभोक्ता चाहे तो पुराने कनेक्शन को निरस्त करवाकर मांग पत्र जमा वाला नया कनेक्शन ले सकता है। पुरानी बकाया राशि जमा करवाने व वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर कनेक्शन दिया जाना सम्भव हो पायेगा।

(8) उक्त आवेदकों द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने व औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ही कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी:- 1. मृत्यु प्रमाण पत्र 2. जमाबन्दी की नकल 3. वारिसनामा 4. भूमि का नामान्तरण 5. श्री गणेश का पूर्व कनेक्शन से नाम हटाना व 6. बकाया राशि जमा कराना आदि।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामों का विद्युतीकरण करने के मापदण्ड

55. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्युत वितरण निगम द्वारा ग्रामों को विद्युतीकृत करने के क्या मापदण्ड बनाए हुए हैं ?

(श्री जुबेर खान)

(2) स्वीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिये निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ? क्या विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में कृषि या घरेलू कनेक्शन देना अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो फिर ग्राम को विद्युतीकृत कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर

(1) ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिये राज्य सरकार द्वारा योजना मद में आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यानुसार अविद्युतिकृत ग्रामों में से जिलेवार ग्रामों के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

इस वर्ष 2003-04 में राज्य सरकार के आदेशानुसार जिलेवार घोषित लक्ष्यों के क्रम में विद्युतिकृत किये जाने वाले ग्रामों का चयन संबंधित जिला परिषदों द्वारा किया गया है।

(2) वार्षिक कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य करने हेतु क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। क्षेत्र विशेष में विद्यमान विद्युत तंत्र एवं विद्युत की मांग के मद्देनजर चयनित ग्रामों मे विद्युतीकरण कार्य सम्पादित किया जाता है। नियमानुसार कोई नया ग्राम विद्युतिकृत तब ही माना जाता है जबकि उस ग्राम की राजस्व सीमा में किसी भी प्रयोजन हेतु विद्युत उपयोग की जाती है। नये विद्युतिकृत घोषित ग्राम में कम से कम 2 विद्युत सम्बन्ध दिये जाने का प्रयास किया जाता है।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

56. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अधिशासी अभियन्ता, सिरोही, जोधपुर विद्युत् वितरण निगम ने सिरोही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003 में 33 के.वी.जी.एस.एस. बनाने के किस स्थान के प्रस्ताव भिजवाएं थे ? उपरोक्त प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) वर्ष 2004-05 में सिरोही विधान सभा क्षेत्र में सिरोही व शिवगंज तहसील में किस-किस स्थान पर 33 के.वी.जी.एस.एस. नए स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम स्तर पर विधान सभा क्षेत्र सिरोही के लिये वर्ष 2003 में निम्न 33/11 के.वी. उप केन्द्रों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

क्र.सं.	प्रस्तावित 33/11 के.वी. सब स्टेशन	प्रभावित स्थान का नाम
1	33/11 के.वी. सब स्टेशन, मोहब्बत नगर	मोहब्बत नगर व कालन्दी का परिक्षेत्र
2	33/11 के.वी. सब स्टेशन, बराडा	जावल व बराडा परिक्षेत्र
3	33/11 के.वी. सब स्टेशन, छीबागांव	पोसालिया छीबा परिक्षेत्र
4	33/11 के.वी. सब स्टेशन, सिरोही	सिरोही शहर

वर्तमान में उपरोक्त प्रस्तावों में से 33/11 के.वी. सब स्टेशन मोहब्बत नगर 33/11 के.वी. सब स्टेशन बराडा, 33/11 के.वी. सब स्टेशन छीबा गांव में, 33/11 के.वी. सब स्टेशन निर्मित करना तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्रों मेंवोल्टेज रेग्यूलेशन सुधार हेतु विभिन्न 11 के.वी. लाईन कार्य की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 33/11 के.वी. सब स्टेशन सिरोही शहर के प्रस्ताव की निगम स्तर पर तकनीकी व आर्थिक साध्यता कीजांच की जा रही है।

(2) वर्ष 2004-05 व आगामी वर्षो में सिरोही विधान सभा क्षेत्र में सिरोही व शिवगंज तहसील क्षेत्रों में मांग/भार वृद्धि, आर्थिक व तकनीकी साध्यता के जांच के पश्चात प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा।

परियोजना अधिकारी, दुग्ध डेयरी सरदारशहर के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

57. **श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)** : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री गुरदयाल सिंह पुरोहित, परियोजना अधिकारी, दुग्ध डेयरी, सरदारशहर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मुकदमा नं. 92/2000 पंजीकृत है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(2) उक्त अधिकारी को अपने सेवाकाल में कुल कितना वेतन प्राप्त हुआ ? उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा आय से अधिक कौन-कौनसी सम्पत्ति की जानकारी उजागर हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध चालान पेश कर दिया गया है ? दि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रकरण का अन्वेषण पूर्ण हो चुका है। दोषी अधिकारी को प्रबन्ध संचालक, चूरू जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. सरदार शहर ने दिनांक 2-8-2003 को संघ की सेवा से किसी अन्य प्रकरण में पदच्युत (बर्खास्त) कर दिया था। इस कारण सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति देने के बिन्दु पर टिप्पणी करने से इन्कार किया गया। परन्तु दोषी अधिकारी के पुनः सेवा में आने पर स्वीकृति प्राप्त की गई है। शीघ्र चालान पेश करने की कार्यवाही की जावेगी। ए.सी.बी. के पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर श्री गुरूदयाल सिंह दोषी अधिकारी को अपने सेवा काल (प्रकरण की अन्वेषण अवधि 1-1-1990 से 3/2000 तक) 9,91,477/- रु. वेतन प्राप्त हुआ। सम्पत्ति की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। दिनांक 15-1-04 को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही चालान पेश कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

प्रकरण संख्या 92/2000 विरुद्ध श्री गुरूदयाल सिंह पुरोहित परियोजना अधिकारी चूरू के अन्वेषण के दौरान ज्ञात सम्पत्ति की सूची

(1)	रोही सरदारशहर में खसरा नं.- 133/2 में 14.8 बीघा कृषि भूमि व 2.8 बीघा भूमि 3.12.91 को मोहन लाल माली से क्रय कर वर्ष :-	36,970.00 रुपये
(2)	सावर की रोही खसरा नं0- 31/431 में 20 बीघा कृषि भूम दिं0 8.4.96 को क्रय करने व रजिस्ट्री पर वर्ष :-	70,450.00 रुपये
(3)	सरदार शहर वार्ड नम्बर 30 में 7500 दर गज भूमि क्रय व रजिस्ट्री पर खर्च :-	35,093.00 रुपये
(4)	वार्ड सं0- 30 सरदार शहर में 1000 दर गज भूमि क्रय व रजिस्ट्री पर खर्च :-	5,471.00 रुपये
(5)	वार्ड नं0- 30 सरदार शहर में 2000 दर गज भूमि क्रय व रजिस्ट्री पर खर्च :-	10,794.00 रुपये
(6)	वार्ड सं0- 30 सरदार शहर में 1000 दर गज भूमि क्रय व रजिस्ट्री पर खर्च	5,417.00 रुपये
(7)	पी.पी.एफ. खाता में विनियोजित राशि :-	1,07,000.00 रुपये
(8)	गृह ऋण खाता सं0- डी-46 में विनियोजित राशि :-	55,000.00 रुपये
(9)	ओ.बी.सी. शाखा सरदार शहर के खाता संख्या 7823 में विनियोजित राशि :-	1,00,951.00 रुपये
(10)	एस.बी.बी.जे. सरदार शहर के खाता संख्या 20226 जमा राशि	568.00 रुपये
(11)	स्वयं के नाम एल.आई.सी. संख्या 500161281 में 4/95 से 4/99 तक विनियोजित राशि :-	63,620.00 रुपये

(12)	एल.आई.सी. सं0- 77531215 में 1/90 से 11/99 तक जमा राशि	33,860.00 रुपये
(13)	सांधी प्लान्वेशन लिमी0 हैदराबाद का शेयर प्रमाण पत्र संख्या 8671 दिं0 19.5.1992 में एल.ओ. के नाम से विनियोजित राशि :-	5,000.00 रुपये
(14)	जी.आई.सी. मिच्युअल फंड फोलियो संख्या 30151 दिं0 1.8.1992 यूनिट 1000 में विनियोजित राशि-	10,000.00 रुपये
(15)	जी.आई.सी. मिच्युअल फंड फोलियो संख्या 2865 दिं0 31.3.03 यूनिट 500 में विनियोजित राशि-	5,000.00
(16)	यू.टी.आई. प्रमाण पत्र सं0- 1590067286 दिं0 31.3.95 में विनियोजित राशि :-	1,000.00
(17)	कस्बा सरदार शहर वार्ड नं0- 30 में 2125 दर गज भूखंड खरीद पर खर्च राशि :-	13,135.00
(18)	जी.आर.पी. फिनकेप लिज लिमी0 सरदार शहर के शैयर्स क्रय में राशि खर्च	1,000.00
(19)	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप संख्या आर.जे. 10 सी. 1262 दिं0 6.6.97 को क्रय कर उसके चुकाई किश्तों पर खर्च राशि :-	3,74,455.00
(20)	स्याणी जी के कुऐं के पास सरदार शहर स्थित अपने पैतृक आवास में प्रथम मंजिल में मकान निर्माण पर खर्च राशि	2,47,000.00
	योग	12,80,730.00 रुपये

श्रीमती पुष्पा देवी, पत्नी के नाम परिसम्पत्तियों का विवरण :-

(1)	एल.आई.सी. नं0- 190244537 में 10/90 से 10/99 तक विनियोजित राशि :-	16,199.00

(2)	यू.आई.टी. प्रमाण पत्र संख्या 29793 में विनियोजित राशि	10,000.00
(3)	यू.टी.आई. पत्र संख्या 95660 में विनियोजित राशि :-	2,000.00
(4)	कस्बा सरदार शहर में खसरा नं0- 218/2 में 8.7 बीघा कृषि - भूमि खरीद पर 19.6.90 को खर्च राशि	24,180.00
(5)	ऊंडसर लोडेरा के ख.नं. 435/345 में 15.9 बीघा कृषि भूमि खरीद पर दि0 23.9.92 को खर्च राशि :-	30,737.00
(6)	कस्बा सरदार शहर ख.नं. 219/2 में 4.3 बीघा कृषि भूमि 1/91 में खरीद की पर खर्च राशि :-	13,500.00
(7)	खूडियाभांश के ख.नं. 164/472 में 14 बीघा कृषि भूमि 1/92 में खरीद की पर खर्च राशि	63,000.00
(8)	गांव धीरदेवर में खसरानं0- 267/161 में 19.4 बीघा कृषि भूमि 30.10.91 को खरीद की पर खर्च राशि	24,500.00
(9)	राणासर बीकान केखसरा नं0- 548/39 में 12.4 बीघा कृषि भूमि 9/97 में खरीद की पर खर्च राशि	63,326.00
(10)	कस्बा सरदार शहर में खसरा नं0- 151 में 2, 1/2 बीघा भूमि 3/97 में क्रय की पर खर्च राशि :-	2,50,000.00
(11)	ऊंडसर नोडेरा खसरा नं0- 306 में 16.2 बीघा कृषि भूमि 22.12.95 को क्रय की पर खर्च राशि	49,291.00
	योग	5,46,733.00

विनय कुमार (पुत्र) के नाम परिसम्पत्तियों का विवरण :-

(1)	ओ.बी.सी. सरदार शहर के खाता संख्या 7829 में जमा राशि	7,168.00
(2)	डाकघर बचत बैंक खाता संख्या 246081 में जमा राशि	1,517.00
(3)	एल.आई.सी. पालिसी संख्या 500158726 में जमा राशि	18,300.00
(4)	वार्ड संख्या 30 सरदार शहर मं 539 दर गज भूखण्ड खरीद पर दिं0 31.3.98 को खर्च राशि :-	61,308.00
(5)	गांव मौजा सयाना में खाता संख्या 402 से 6.5 बीघा कृषि भूमि दिं0 3.3.92 को खरीद पर खर्च राशि	17,800.00
(6)	ग्राम मूण्डिया के खसरा नं0- 164/47 में 16 बीघा कृषि भूमि 1/92 में खरीद की पर खर्च राशि :-	25,000.00
(7)	वार्ड सं0- 30 सरदार शहर में 263, 1/2 दर गज भूखण्ड दिं0 28.8.97 को क्रय किया पर खर्च राशि	52,400.00
	योग	1,83,493.00

रामचन्द्र पुरोहित (पिता) के नाम परिसम्पत्तियों का विवरण :-

(1)	एस.बी.बी.जे. शाखा सरदार शहर के खाता संख्या 21412 में विनियोजित राशि	765.00
(2)	उडसर लोडेकरा के खसरा नं0- 435/345 में 15.9 बीघा कृषि 23.9.92 को क्रय की पर खर्च राशि	30,561.00
(3)	उडसर बोडेरा खसरा नं0- 433/342 में 3.8 बीघा भूम 26.9.92 को क्रय की पर खर्च राशि :-	6,460.00

(4) कस्बा सरदार शहर खसरा नं0- 219/2 में 4.3 बीघा भूमि 3.12.91 को क्रय की पर खर्च राशि :-	13,500.00
(5) गांव कालूसर के खसरा नं0-215/104 में 9.2 बीघा भूमि दिं0 22.7.96 को क्रय की पर खर्च राशि :-	34,500.00
योग	85,786.00

प्रबन्ध संचालक, डेयरी सरदारशहर का अनियमित पदस्थापन

58. **श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)** : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.4(6) डीओपी/ए-3/78 दिनांक 13-7-2001 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि भ्रष्ट अधिकारियों जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मुकदमा विचाराधीन है, को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाये ? यदि हां, तो क्या प्रबंध संचालक डेयरी, सरदार शहर को दिनांक 21-11-2003 को गत विधान सभा चुनावों के दौरान फील्ड पोस्टिंग दी गई ? यदि हां, तो क्यों व क्या अब सरकार उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की फील्ड पोस्टिंग करने से पूर्व प्रबन्ध संचालक, डेयरी सरदार शहर द्वारा जिला कलक्टर चुरू से मंजूरी ली गई ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इस मनमानी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त परिपत्र जारी किया गया था। चुरू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, सरदार शहर में प्रबन्ध संचालक

(डेयरी विकास मंत्री)

की नियुक्ति दिनांक 21.11.2003 को नहीं हुई थी, अपितु इनका पदस्थापन दिनांक 24.7.2003 को किया गया था। उक्त अवधि में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं थी और 24.7.2003 को प्रबन्ध संचालक, चुरू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के पद पर श्री एस.एन.सिंह को लगाया गया था, जिनके विरुद्ध वर्णित पत्र के अनुसार कोई कार्यवाही न ही अवशेष थी और न ही निर्णित थी। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) चूंकि प्रबन्ध संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ में निहित है, एवं उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए यह नियुक्ति की गई थी। इस हेतु प्रशासक/जिला कलक्टर, चुरू से पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सरदारशहर डेयरी द्वारा दुग्ध संकलन पर व्यय

59. **श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)** : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर डेयरी के अन्तर्गत गांवों में दुग्ध संकलन के लिये कोई रूट निर्धारित है ? यदि हां, तो कौन-कौन से और उन पर दुग्ध संकलन के लिए गाडिया चलाने के क्या प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रूटों पर गाडियां चलाने के लिये गत दो वर्षो में कब-कब निविदा किस-किस व्यक्तियों के नाम निकली और किस-किस रूट के लिये गाडियां मंजूर की गई ? निविदा की प्रति और संबंधित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2002-03 के लिये कौन-कौनसी गाडियों द्वारा कितना-कितना दुग्ध कब-कब संकलित हुआ और उन गाडियों के मालिकों को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरदारशहर डेयरी के अन्तर्गत गांवों से दूध संकलन के लिए रूट निर्धारित हैं। इन मार्गो पर दुग्ध परिवहन हेतु निविदाएं आमंत्रित कर गाडियां चला रहे हैं। निर्धारित मार्गो का विवरण प्रदर्श-1 पर उपलब्ध है।

(2) गत दो वर्षों में आमंत्रित की गई निविदाओं का विवरण प्रदर्श-2 पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2002-03 में रूटवार व माहवार गाड़ियों द्वारा संकलित दूध की मात्रा एवं गाड़ी मालिकों को किये गये भुगतान का विवरण प्रदर्श-3 पर उपलब्ध है। उक्त गाड़ी मालिकों को दुग्ध परिवहन का भुगतान हर माह में दो बार 15-15 दिनों के अन्तराल से किया गया है।

प्रदर्श-1

गांवों से दुग्ध संकलन हेतु निर्धारित रूटों का विवरण

क्र.सं.	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम
1.	1	करणसर-कीकासर
2.	2	चौहडिया-राजासर
3.	3	रोलासर-तोलासर
4.	4	भादासर-बन्धनाउ
5.	5	ढाणी पांचेरा-फोगा
6.	6ए	बिल्यू-देवाणिया
7.	6 बी	पिचकराई-बुकनसर
8.	7 ए	गाडास मार्ग, तह0 तारानगर
9.	7 बी	[illegible]थाणा मार्ग तह0 तारानगर

प्रदर्श-2

गत दो वर्षों में आमंत्रित निविदाओं का विवरण

वर्ष 2001-02

क्र.सं.	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	निविदा आमंत्रण दिनांक	ठेकेदार, जिसके नाम दर स्वीकृत हुई	दर/किमी रुपये	गाडी का प्रकार
1.	1	करणसर-कीकासर	07.11.01	महावीर प्रसाद	4.05	ट्रोला/पिक अप
2.	2	चौहडिया-राजासर	09.08.01	जगदीश प्रसाद	7.95	मर्सीडीज 4X4
3.	3	रोलासर-तोलासर	09.08.01	जगदीश प्रसाद	6.79	मर्सीडीज 4X4
4.	4	भादासर-बन्धनाउ	07.11.01	भंवरलाल कस्वां	4.11	ट्रोला/पिक अप
5.	5	ढाणी पांचेरा-फोगा	07.11.01	शंकरलाल सारण	4.10	ट्रोला/पिक अप
6.	6 ए	बिल्यूं-देवाणिया	07.11.01	रमेश कुमार सारण	4.00	ट्रोला/पिक अप
7.	6बी	पिचकराई-बुकनसर	09.08.01	रणजीत कुमार	3.99	ट्रोला/पिक अप
8	7 ए	गोडास मार्ग	06.02.02	घनश्याम	3.69	ट्रोला/ पिक अप
9	7 बी	पीथाणा मार्ग	06.02.02	बलवीर	3.85	ट्रोला/पिक अप

वर्ष 2002-03

क्र.सं.	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	निविदा आमंत्रण दिनांक	ठेकेदार, जिसके नाम दर स्वीकृत हुई	दर/किमी रुपये	गाडी का प्रकार
1.	1	करणसर-कीकासर	28.10.02	लिछमनदास	3.99	ट्रोला/पिक अप
2.	2	चौहडिया-राजासर	28.10.02	भागीरथ डूडी	7.90	मर्सीडीज 4X4
3.	3	रोलासर-तोलासर	28.10.02	रामनिवास	6.87	मर्सीडीज 4X4
4.	4	भादासर-बन्धनाउ	28.10.02	सुरेन्द्र सिंह	4.30	ट्रोला/पिक अप
5.	5	ढाणी पांचेरा-फोगा	28.10.02	सुभाष चन्द्र	4.24	ट्रोला/पिक अप
6.	6 ए	बिल्यूं-देवाणिया	28.10.02	अशोक कुमार सारण	4.00	ट्रोला पिक अप
7.	6बी	पिचकराई-बुकनसर	28.10.02	पवन कुमार	4.05	ट्रोला/पिक अप
8	7 ए	गोडास मार्ग	28.02.03	प्रदीप कुमार	3.67	ट्रोला/ पिक अप
9	7 बी	पीथाणा मार्ग	28.02.03	मालाराम	4.00	ट्रोला/पिक अप

प्रदर्श-3

वर्ष 2002-03 में मिल्क रूट बार गाडियों द्वारा माहवार संकलित दूध की मात्रा, मालिकों के नाम, उन्हें किये गये भुगतान तथा प्रति लीटर परिवहन लागत का विवरण

विवरण	दुग्ध मार्ग का नाम	करणसर-कीकासर	चौहडिया-राजासर	रोलासर-तौलासर	भादासर-बन्दनाऊ	ढाणी पांचेरा-फोगा	बिल्यु-देवाणियां	पिचकराई-बुकनसर	गोडास मार्ग	पीथाणा मार्ग
मार्ग सं		1	2	3	4	5	6 ए	6 बी	7 ए	7 बी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रेल,02	दुग्ध संकलन	62383	165210	144849	50072	50998	68290	66635	48170	52935
	भुगतान रु. में	30861	69642	65184	28680	29274	34320	35431	32767	37159
मई, 02	दुग्ध संकलन	62722	154785	126335	46740	45232	65673	68122	38861	34392
	भुगतान रु. में	31032	71963	67357	29814	30053	37146	38344	99659	37237
जून,02	दुग्ध संकलन	70416	180947	150248	55693	46322	63164	65421	37218	37928
	भुगतान रु. में	28431	66431	65184	28852	28905	36000	37107	32767	35574
जुलाई,02	दुग्ध संकलन	73160	170965	152983	51688	45532	62320	66559	36901	41438
	भुगतान रु. में	30513	67034	67357	30044	29868	36480	37625	33659	36760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अगस्त,02	दुग्ध संकलन	63133	129359	115046	46147	33792	60752	55638	44542	45442
	भुगतान रु. में	31890	67798	67357	29082	29741	33480	34633	33659	36760
सितम्बर,02	दुग्ध संकलन	62211	111464	92605	46984	38550	64266	51986	66245	89220
	भुगतान रु. में	29318	62988	61924	25770	28995	31720	31840	31128	34234
अक्टूबर,02	दुग्ध संकलन	44477	114102	80763	47329	44969	79282	55703	90347	75554
	भुगतान रु. में	31809	68513	67357	28030	33300	33480	34633	33660	37237
नवम्बर,02	दुग्ध संकलन	40397	109034	91241	43343	50172	88362	59560	84339	77050
	भुगतान रु. में	29184	64093	63011	24709	30413	32940	32399	31269	34334
दिसमबर,02	दुग्ध संकलन	57474	144974	119660	62037	76032	104492	77880	86743	77863
	भुगतान रु. में	29143	68082	69525	26118	34988	44268	35154	33402	35328
जनवरी,03	दुग्ध संकलन	52573	160326	131950	63043	80379	107833	88685	85845	73457
	भुगतान रु. में	28943	68082	71558	32258	37066	47068	35145	33402	35328
फरवरी, 03	दुग्ध संकलन	38415	137395	112928	51498	70612	85527	77062	64215	58666
	भुगतान रु. में	25553	61494	64633	29137	33479	45584	31752	30169	31909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मार्च, 03	दुग्ध संकलन	33096	135437	111904	51356	62688	72596	65940	55613	53333
	भुगतान रु. में	28878	65886	68700	34194	31546	32016	34020	32324	34188
कुल दुग्ध संकलन किग्रा. में		660457	1713995	1430512	615930	645278	922557	799191	739039	717278
कुल भुगतान रु. में		355555	802006	799147	346688	377628	444502	418092	392665	426048
मालिक का नाम		लिछमन दास	भागीरथ डूडी	रामनिवास	सुरेन्द्र सिंह	सुभाष चन्द्र	अशोक कुमार सारण	पवन कुमार	प्रदीप कुमार	मालाराम
प्रति लीटर परि. लागत रू. में		0.538	0.467	0.558	0.56	0.585	0.48	0.52	0.53	0.59
विशेष विवरण										

संकलित दूध के परिवहन का भुगतान जिस माह दूध का संकलन होता है, उसमाह के आगामी माह में सामान्यतया कर दिया जाता है।

खिंवास ग्राम (जयपुर) में आवास हेतु आबंटित भू-खण्ड

60. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खींवास. तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 71 गैर मुमकिन तलाई दर्ज है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि में पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस नियम के तहत व किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त में से कुछ व्यक्तियों द्वारा पट्टे प्राप्त होने के पश्चात् भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा ? जिन व्यक्तियों द्वारा कब्जा नहीं लिया गया क्या सरकार उनके पट्टे निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त पट्टों के आधार पर इन्दिरा आवास योजना के तहत सहायता दी गई ? यदि हां, तो किस को कितनी-कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इन्दिरा आवास के तहत दी गई राशि का वास्तविक उपयोग नहीं हुआ ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक वनहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

कठूमर (अलवर) पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध जांच

61. **श्री रमेश खींची (कठूमर)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 से 2003 की अवधि में प्रधान पंचायत समिति, कठूमर के विरुद्ध कोई जांच चली थी ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ?

(2) क्या यह भी सही है कि जांचकर्ता द्वारा प्रधान को दोषी ठहराया गया था ? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवधि में प्रधान द्वारा किये गये घोटालों की पुनः जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त अवधि में प्रधान पंचायत समिति कठूमर के विरुद्ध स्थायी समिति के गठन से पूर्व पंचायत समिति की निजी आय से 2,67,133/- रुपये पद का दुरूपयोग करते हुए अनियमित व्यय किये जाने से संबंधित जांच लम्बित रही थी।

(2) जी हां। जांच अधिकारी, ए.डी.एम. ने अपने जांच प्रतिवेदन में 2,01,119/- रुपये बिना पूर्व स्वीकृति के निजी आय से व्यय किये जाने का दोषी बताते हुए यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त व्यय की गयी राशि का दिनांक 15-3-2000 उपं 27-6-01 को आयोजना साधारण सभा की बैठक में पश्चात्वर्ती अनुमोदन करा लिया गया था। उक्त विषयक जांच प्रतिवेदन प्राप्त

(पंचायती राज मंत्री)

होने के बाद आरोपित प्रधान से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया तथा जांच प्रतिवेदन एवं आरोपित प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट होने पर कि प्रकरण में प्रधान द्वारा राशि के दुरूपयोग एवं गबन के तथ्य स्पष्ट नहीं होते, केवल मात्र साधारण सभा की बैठक की अनुमति के बिना राशि व्यय की गयी थी तथा उक्त स्वीकृति भी बाद में प्राप्त कर ली गयी। अतः इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में इस ओर सजगता से कार्य करने की चेतावनी देकर लम्बित प्रकरण को समाप्त किया गया।

(3) इस आशय का कोई प्रकरण वर्तमान में लम्बित नहीं। भविष्य में स्पष्ट होने पर नियमानुसार जांच कराई जा सकेगी।

सीकर जिले में अकाल राहत राशि का भुगतान

62. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में अकाल सहायता पेटे सामग्री मद में कितने रुपयों का भुगतान 10 दिसम्बर तक बकाया है ?

(2) सहायता पेटे सामग्री मद में भुगतान में देरी के क्या कारण हैं और अब उपरोक्त भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में अकाल राहत कार्यो के सामग्री पेटे 10 दिसम्बर तक के बकाया भुगतान हेतु संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों से 136.96 लाख रुपये की मांग प्राप्त हुई थी, जिसके भुगतान के लिये 136.96 लाख रुपये की राशि संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों को भिजवा दी गई है।

(2) विधान सभा चुनाव, 2003 के सम्पादन हेतु कर्मचारियों के व्यस्त रहने के कारण उक्त भुगतान करने में विलम्ब हुआ है। ऐजेन्सियों को

(सहायता मंत्री)

राशि भिजवाई हुई है। सम्बन्धित को भुगतान की कार्यवाही जारी है तथा माह जनवरी, 2004 में सम्पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा।

चित्तौड़गढ़ जिले में अकाल राहत श्रमिकों को बकाया गेहूं का भुगतान

63. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि चित्त्तौड़गढ़ जिले में अकाल राहत के तहत काम करने वाले श्रमिकों के गेहूं का अभी तक भुगतान बाकी है ? यदि हां, तो कितने गेहूं का भुगतान बाकी है और भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

चित्त्तौड़गढ़ ज़िले में अकाल राहत के तहत सम्वत 2059 के समस्त बकाया गेहूं कूपनों का नकद भुगतान कर दिया गया है। डवटेल के कूपनों के 688.39 मै0टन गेहूं का भुगतान बकाया है। उक्त बकाया भुगतान हेतु राशि आबंटित कर दी गई है। 25.1.04 तक भुगतान कर दिया जावेगा।

जयपुर-सांभर मार्ग पर निगम बस सेवा

64. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जन प्रतिनिधियों की मांग व परिवहन निगम के हित को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर से सांभर, नावा, कुचामन, डीडवाना वाया बोराज, आसलपुर, जोबनेर के लिए वर्ष 1997 में बस सेवा चालू करने के आदेश प्रसारित्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में उक्त मार्गो पर बसें चल रही हैं ? यदि नहीं, तो अब कब तक पुन: बस सेवा चालू कर दी जावेगी ?

उत्तर

जन प्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए फरवरी, 1999 में जयपुर से सांभर, नांवा, कुचामन, डीडवाना वाया बोराज, आसलपुर-जोबनेर के लिये वाहन संचालन हेतु आदेश जारी किये गये थे न कि वर्ष 1997 में। निगम ने इस मार्ग पर बसे संचालित की थी किन्तु यात्रीभार अत्यधिक कम होने के कारण इन सेवाओं को निगम हित में बन्द कर दिया गया। अब इस मार्ग पर बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में सर्वे पुनः कराया जाकर संचालन लाभप्रद रहने की स्थिति में पुनः वाहन संचालन पर विचार किया जायेगा।

मालवीय नगर से मानसरोवर (जयपुर) हेतु नगर बस सेवा

65. **श्री लालचन्द** (रायसिंहनगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मालवीय नगर जयपुर से वर्तमान में किस-किस क्षेत्र हेतु कौन-कौन से मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित है ? समय सारणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में मालवीय नगर से मानसरोवर जयपुर हेतु कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मालवीय नगर से मानसरोवर हेतु सीधी बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मालवीय नगर जयपुर से परिवहन निगम एवं निजी बस संचालकों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है :-

निजी वाहन संचालन

	मार्ग का नाम	स्वीकृत अनुज्ञापत्रों की संख्या
1	रेल्वे स्टेशन से मालवीय नगर	69

(यातायात मंत्री)

2	गांधी नगर रेल्वे स्टेशन से जगतपुरा	62
3	हाथोज से रामनगरिया	102
4	मालवीय नगर सैक्टर नं0 5 से भांकरोटा	29
5	जगतपुरा कच्ची बस्ती से आकेडा गांव	70
6	श्योपुर से हाथोज	74

उक्त मार्गों के लिए समय-सारणी जारी नहीं है। यह बसें रोटेशन से संचालित है। परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) मालवीय नगर से मानसरोवर की सीधी बस सेवा के लिए दिनांक 9.7.2001 को ही एक मार्ग (मालवीय नगर सैक्टर नं0 5 (बस स्टेशन) से मानसरोवर) खोला जा चुका है किन्तु इस मार्ग पर बस संचालन हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग द्वारा जयपुर शहर की नगरीय बस सेवा के मार्गो के पुर्नगठन हेतु समिति द्वारा भी इस क्षेत्र के लिए एक नया मार्ग मालवीय नगर सैक्टर नं0 9 से नंद धर्मकांटा, मानसरोवर खोला जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग पर निगम द्वारा भी बस सेवा संचालन करने के लिए आवश्यक सर्वे करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

मालवीय नगर जयपुर से संचालित की जा रही निगम बस सेवाओं का मार्गवार समय सारिणी का विवरण

1. मालवीय नगर सैक्टर 5-15 से ब्रह्मपुरी वाया जयपुरिया अस्पताल, गोपालपुरा मोड, टोंक फाटक, छोटीचौपड़

मालवीय नगर	ब्रह्मपुरी	ब्रह्मपुरी	मालवीयनगर
0620	0710	0620	0710
0720	0810	0720	0810
0820	0910	0820	0910
0915	1010	0930	1010
1020	1110	1020	1110
1120	1210	1120	1210
1220	1310	1220	1310
1320	1410	1320	1410
1420	1510	1440	1530
1540	1630	1540	1630
1640	1730	1640	1730
1740	1830	1740	1830
1840	1930	1840	1930
1940	2030	1940	2030
2040	2120	2100	2150

2. मालवीय नगर सैक्टर 1,2,3 से अजमेरी गेट वाया रामबाग-यूनिवर्सिटी सरस डेयरी

मालवीय नगर	अजमेरी गेट	अजमेरी गेट	मालवीय नगर
0830	0900	0910	0940

मालवीय नगर	अजमेरी गेट	अजमेरी गेट	मालवीय नगर
1130	1200	1520	1550
1440	1520	1530	1615
1630	1715	1720	1750
		1730	1815

3. मालवीय नगर से खिरणीफाटक वाया सरस डेयरी-यूनिवर्सिटी-रामबाग-अजमेरी गेट-चांदपोल

मालवीय नगर	खिरणीफाटक	खिरणीफाटक	मालवीयनगर
0800	0920	0930	1100
1600	1750	1800	1930

मालवीय नगर	झोटवाडा	झोटवाडा	मालवीय नगर
1800	1930	2000	2130

मालवीय नगर	निवारू	निवारू	मालवीयनगर
2000	2200	0600	0750

4. मालवीय नगर से रेल्वे स्टेशन वाया सरस डेयरी-यूनिवर्सिटी-रामबाग-अजमेरी गेट-पोलोविक्ट्री

मालवीय नगर	रेल्वे स्टेशन	रेल्वे स्टेशन	मालवीय नगर
1000	1050	1100	1150

5. जगतपुरा से घाटगेट वाया मालवीय नगर सैक्टर 1-अपेक्स अस्पताल, बाईजी की कोठी-आरटीओ-कानोडिया कालेज-गांधी नगर मोड-अजमेरी गेट -सांगानेरी गेट

जगतपुरा	घाटगेट	घाटगेट	जगतपुरा
0615	0705	0605	0705
0635	0725	0635	0725
0655	0745	0655	0745

जगतपुरा	घाटगेट	घाटगेट	जगतपुरा
0715	0805	0715	0805
0735	0825	0735	0825
0755	0845	0755	0845
0815	0905	0815	0905
0835	0925	0830	0930 ज्ञान विहार
0855	0945	0835	0925
0915	1005	0855	0945
0935	1025	915	1005
0955	1045	0935	1025
1015	1105	0955	1045
1035	1125	1015	1105
1045	1145	1045	1135
1055	1145	1045	1135
1115	1205	1055	1145
1135	1225	1115	1205
1145	1235	1135	1225
1155	1245	1155	1245
1215	1245	1205	1255
1235	1325	1215	1305
1255	1345	1235	1325
1335	1425	1255	1345
1355	1445	1315	1405
1435	1525	1335	1425
1455	1545	1355	1445

जगतपुरा	घाटगेट	घाटगेट	जगतपुरा
1515	1605	1435	1525
1535	1625	1455	1545
1555	1645	1535	1625
1605	1700	1555	1645
1615	1705	1615	1705
1635	1725	1635	1725
1655	1745	1655	1745
1715	1805	1705	1755
1735	1825	1715	1805
1755	1845	1735	1825
1815	1905	1755	1845
1835	1925	1815	1905
1855	1945	1835	1925
1915	2005	1855	1945
1935	2025	1915	2005
1955	2045	1925	2015
2015	2105	1935	2025
2045	5135	1955	2040
2110	2200	2015	2105
		2035	2125
		2055	2145
		2115	2205

6. मालवीय नगर से मुरलीपुरा वाया अजमेर गेट-चांदपोल

मालवीय नगर	मुरलीपुरा	मुरलीपुरा	मालवीय नगर
0610	0730	0540	0700
0640	0800	0610	0730

मालवीय नगर	मुरलीपुरा	मुरलीपुरा	मालवीय नगर
0710	0830	0640	0800
0740	0900	0710	0830
0810	0930	0740	0900
0840	1000	0810	0930
0910	1030	0840	1000
0940	1100	0915	1030
1010	1130	0940	1100
1040	1200	1010	1130
1110	1230	1040	1200
1140	1300	1110	1230
1210	1330	1140	1300
1240	1400	1210	1330
1310	1430	1240	1400
1340	1500	1310	1430
1410	1530	1340	1500
1440	1600	1410	1530
1510	1630	1440	1600
1540	1700	1510	1630
1610	1730	1540	1700
1640	1800	1610	1730
1710	1830	1640	1800
1740	1900	1710	1830
1810	1930	1740	1900
1840	2000	1810	1930
1910	2030	1840	2000
1940	2100	1910	2030

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-12 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

NAGAR

POSITION OF PENDING APPLICATION FOR AGRICULTURE CONNECTION AS ON 31.3.2003

S.No.	Name of dicom/ District	No. of of Pending application for which D.N. not issued upto 3 / 2k3			Grand Total	Re-marks
		S.C.	S.T.	GEN		
1	2	3	4	5	6	7
(A)	JAIPUR DISCOM					
1	ALWAR	372	2119	17307	19798	
2	BARAN	232	895	3928	5053	
3	BHARATPUR	41	258	2023	2320	
4	BUNDI	206	1274	2710	4190	
5	DAUSA	240	5129	3855	9224	
6	DHOLPUR	5	8	238	251	
7	JAIPUR	231	2185	14529	16945	
8	JHALAWAR	83	758	5816	6657	
9	KOTA	243	811	2997	4051	
10	S.MADHOPUR	167	1742	1571	3480	
11	TONK	60	809	927	1796	
12	KARAULI	266	2171	1957	4394	
	SUB-TOTAL (A)	2146	18157	57858	78159	

1	2	3	4	5	6	7
(B)	**AJMER DISCOM**					
1	AJMER	34	40	2881	2955	
2	BANSWARA	4	947	255	1206	
3	BHILWARA	93	468	5477	6038	
4	CHITTORGARH	354	2552	12810	15718	
5	DUNGARPUR	0	500	381	881	
6	JHUNJHUNU	3	105	4811	4919	
7	NAGAUR	90	1	12899	12990	
8	RAJSAMAND	4	58	1301	1363	
9	SIKAR	45	179	7722	7946	
10	UDAIPUR	25	675	3078	3778	
	SUB-TOTAL (B)	652	5525	51615	57792	
(C)	**JODHPUR DISCOM**					
1	BARMER	90	71	6044	6205	
2	BIKANER	28	1	4112	4141	
3	CHURU	105	23	2479	2607	
4	JAISELMER	32	1	581	594	
5	JALORE	63	47	12392	12502	
6	JODHPUR	310	349	8327	8988	
7	HANUMANGARH	14	0	1991	2005	
8	PALI	26	60	5128	5214	
9	SIROHI	319	291	1902	2512	
10	S.GANGANAGAR5	5	0	58	961	
	SUB-TOTAL (C)	902	772	37848	39522	
	GRAND TOTAL (A+B+C)	3700	24454	147319	175473	

Pending as on 1.4.2002 (Information not received as on 1.4.2003)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-14 की सूची)

परिशिष्ट-क

वर्ष 2003 में विधान सभा क्षेत्र किशनगंज मं टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	जन-संख्या 1991	तहसील	टैंकर प्रारम्भ की दिनांक	अन्तिम दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	शाहबाद	48	2701	शाहबाद	28.12.2002	26.6.2003
2.	भोयल	93	1210	शाहबाद	16.3. 2003	26.6.2003
3.	देवरी	84	2989	शाहबाद	6.4.2003	26.6.2003
4.	कस्बाथाना	111	3254	शाहबाद	10.4.2003	26.6.2003
5.	कमलखेड़ा	09	188	शाहबाद	15.4.2003	26.6.2003
6.	थुंवा मजरा बहराई	38	200	शाहबाद	15.4.2003	26.6.2003
7.	रानीपुरा	10	65	शाहबाद	15.4.2003	26.6.2003
8.	सड़	59	254	शाहबाद	26.4.2003	26.6.2003
9.	घोघरा	58	156	शाहबाद	26.4.2003	26.6.2003
10.	गोयरा	60	548	शाहबाद	26.4.2003	26.6.2003
11.	छीपोल	18	50	शाहबाद	9.5.2003	26.6.2003
12.	आनासागर	45	102	शाहबाद	21.5.2003	26.6.2003

1	2	3	4	5	6	7
13.	किरा[illegible] पहाड़ी	29	77[illegible]	शाहबाद	[illegible]1.5.200[illegible]	26.6.2[illegible]
14.	जाब[illegible]	42	5[illegible]	शाहबाद	[illegible].6.20[illegible]	[illegible]6.6.2[illegible]
15.	खाट	32	8[illegible]	शाहबाद	[illegible].6.200[illegible]	26.6.2[illegible]
16.	शीरसाद मजरा बहराई	38	90	शाहबाद	7.6.2003	26.6.200[illegible]
17.	संदोकड़ा	225	688	शाहबाद	7.6.2003	26.6.2003
18.	राम[illegible] मचरा महो[illegible]	207	15[illegible]	शाहबाद	8.6.2003	26.6.200[illegible]
19.	देवरी उपरेटी	147	30	शाहबाद	8.6.2003	26.6.2003
20.	जैतपुरा	55	457	किशनगंज	1.6.2003	26.6.2003
21.	माधोपुरा	56	411	किशनगंज	1.6.2003	26.6.2003
22.	रामपुरिया टोरड़िया	62	451	किशनगंज	1.6.2003	
23.	बालापुरा उर्फ जनकपूरिया	61	804	किशनगंज	1.6.2003	

सदस्य-सूची

दिनांक 21 जनवरी, 2004